राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम

इण्डिया ऑरगैनिक

सत्यमेव जयते

वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
नई दिल्ली

प्रथम संस्करण - मई, 2003

द्वितीय संस्करण - जनवरी,2002

तृतीय संस्करण - समेकित रूपान्तर नवम्बर, 2002

चतुर्थ संस्करण - जून, 2003

पंचम संस्करण - जून, 2004

छठा संस्करण - मई 2005 (सितम्बर, 2005 में संपादित)

प्राक्कथन

भारत में जैविक कृषि का विकास किसानों, उत्पादकों, प्रसंस्करणकर्ताओं, व्यापारियों, निर्यातकों और उपभोक्ताओं का अधिकाधिक ध्यान आकर्षित कर रहा है । रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से कृषि उत्पादों में संभाव्य संदूषण के कारण स्वास्थ्य को होने वाले खतरों के बारे में बढ़ती चेतना ने पिछले पाँच वर्षों के दौरान इस किस्म की खेती के पुनर्जीवन में भारी योगदान दिया है ।

भारत की कृषि-जलवायु संबंधी स्थितियाँ तथा हमारी कृषीय जैव-विविधता जैविक खेती के लिए सहायक होती है, अतएव जैविक उत्पादों की व्यापक श्रृंखला की खेती करने की अपार संभावनाएं हैं । भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जैविक उत्पादों के एक क्षमतावान आपूर्तिकर्ता माना जाता है । वर्तमान में भारत इन उत्पादों का निर्यात यूरोप, अमेरिका व जापान को कर रहा है और इसके परिमाण में वृद्धि हो रही है ।

जैविक खेती एवं गुणवत्ता उत्पाद के केंद्रीभूत तथा सुनिर्दिष्ट विकास को सुनिश्चित बनाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष, 2000 में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एन.पी.ओ.पी.) आरंभ किया गया और विदेश व्यापार एवं विकास अधिनियम (एफ.टी.डी.आर.एक्ट) के तहत अक्तूबर, 2001 में उसे औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया । यह प्रलेख जैविक उत्पादन के मानकों, निरीक्षण व प्रमाणीकरण निकायों के प्रत्यायन के लिए प्रणालियों, मापदण्डों, पद्धतियों, राष्ट्रीय लोगो तथा उसके प्रयोग को संचालित करने वाले विनियमों के बारे में सूचना प्रदान करता है । ये मानक व पद्धतियाँ अंतर्राष्ट्रीय मानकों, जैसे - कोडेक्स एवं इन्फोएम के साथ सामंजस्य बिठाते हुए बनाए गए हैं और इनमें भारतीय आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है । इस अद्यतन के छठे संस्करण में छोटे/सीमांत किसानों के लिए समूह प्रमाणीकरण के नवीनतम मसलों और प्रमाणीकरण निकायों द्वारा निरीक्षण के दौरान चलाई जाने वाली अधिदेशात्मक जांचों को शामिल किया गया है । एन.पी.ओ.पी. प्रलेखों में अनेक सुधार भी किए गए हैं ताकि नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके । यह सब विभिन्न सरकारी विभागों और वस्तु बोर्डों द्वारा लगातार इनपुट (विषय-सामग्री) देने से संभव हुआ है ।

ऐसी आशा की जाती है कि यह प्रलेख भारत व विदेश में जैविक उत्पादकों, प्रसंस्करणकर्ताओं, व्यापारियों, निर्यातकों, आयातकों, निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण निकायों के लिए एक संदर्भ-ग्रंथ के रूप में उपयोगी सिद्ध होगा ।

अभिजित सेनगुप्त 9/9/05

अभिजित सेनगुप्त
अतिरिक्त सचिव
भारत सरकार
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली
09 सितम्बर, 2005

अंतर्वस्तु सारणी

पृष्ठ संख्या

अनुभाग-1 1-1

परिभाषाएं

अनुभाग-2

राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम का स्कोप (कार्यक्षेत्र) तथा प्रचालनात्मक संरचना

2.1 स्कोप 14

2.2 संरचना 14

2.2.1 प्रचालनात्मक संरचना 14

2.2.2 राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय 14

2.2.3 मूल्यांकन समिति 15

2.2.4 प्रत्यायित निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एंजेन्सियां 15

2.2.5 निरीक्षकगण 15

अनुभाग-3

जैविक उत्पादन हेतु राष्ट्रीय मानक

3.1 सामान्य फसल उत्पादन तथा पशुपालन 18

3.1.1 रूपान्तरण आवश्यकताएँ 19

3.1.2 जैविक प्रबन्धन का अनुरक्षण 19

3.1.3 प्राकृतिक दृश्य 19

3.2 फसल उत्पादन 19

3.2.1 फसलों तथा किस्मों का चुनाव 19

3.2.2 रूपान्तरण अवधि का कार्यकाल 20

3.2.3 फसल उत्पादन में विविधता 20

3.2.4 उर्वरण नीति 21

3.2.5 कीट, रोग तथा वृद्धि नियंत्रकों सहित खरपतवार प्रबंधन 22

3.2.6 संदूषण नियंत्रण 22

3.2.7 मृदा तथा जल परिरक्षण 23

3.2.8 वनस्पति मूल की गैर उपजित सामग्री तथा शहद का संग्रहण 23

3.3 पशुपालन 24

3.3.1 पशुपालन प्रबंधन 24

3.3.2 रूपान्तरण अवधि की लंबाई 25

3.3.3 आयातित पशु 25-26

3.3.4 नस्लें तथा प्रजनन 26

3.3.5 अंगकाटना 26

3.3.6 पशु पोषण 27-28

3.3.7 पशु चिकित्सा दवाइयाँ 28-29

3.3.8 परिवहन तथा पशुवध 29-30

3.3.9 मधु मक्खी पालन 30-31

3.4 खाद्य प्रसंस्करण तथा हैण्डलिन्ग 31

3.4.1 सामान्य 32

3.4.2 कीट तथा रोग नियंत्रण 32

3.4.3 अवयव, योज्य तथा प्रसंस्करण सहायक 32-33

3.4.4 प्रसंस्करण विधियाँ 33

3.4.5 पैकेजिंग 34

3.5 लेबलिंग 35

3.6 भण्डारण तथा परिवहन

अनुभाग - 4

निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियों का प्रत्यायन

क. <u>प्रत्यायन विनियम</u>

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा आरंभ 37

2. प्रत्यायन का स्कोप 37
3. राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय 37
4. प्रत्यायन हेतु आवेदन 37
5. प्रत्यायन शुल्क 37
6. प्रत्यायन संख्या का आवंटन 38
7. प्रत्यायन की स्वीकृत/अस्वीकृत 38
8. प्रत्यायन संविदा 38
9. प्रत्यायन का अद्यतनीकरण तथा पुनर्नवीकरण 38-39
10. दिशानिर्देशों को जारी करने की शक्ति 39
11. लोगो 39
12. लोगो का प्रयोग 39
13. प्रत्यायन का निलंबन/समाप्ति 39
14. अपील तथा अपीलों पर एवार्ड का संशोधन 39
15. विनियम में संशोधन 39
16. अधिकार-क्षेत्र 39
17. प्रत्यायन हेतु श्रेणियाँ 39
18. विनिमय (अन्योन्यता) 40
18.1 राष्ट्रीय 40
18.2 अंतर्राष्ट्रीय 40
19. मानक 40
19.1 जैविक उत्पादों हेतु राष्ट्रीय मानक 40
19.2 जैविक उत्पादन तथा प्रसंस्करण हेतु दिशानिर्देश 40
19.3 पद्धतियों का पैकेज 40
20. प्रमाणपत्रों को जारी करना 40
ख. प्रत्यायन मापदण्ड 40
1. मापदण्डों को लागू करना 40
2. प्रत्यायन मापदण्डों का संशोधन 41
3. सामान्य प्रत्यायन मापदण्ड 41
3.1 सक्षमता 41
3.2 स्वतंत्रता 41
3.3 जवाबदेही तथा जिम्मेदारी 41
3.4 तथ्यपरकता 42
3.5 विश्वसनीयता 42
3.6 गुणवत्ता सुधार तथा आंतरिक समीक्षा 42
3.7 सूचना तक पहुँच 42
3.8 गोपनीयता 42
3.9 सहभागिता 42
3.10 भेदभावहीनता 42
4. प्रत्यायन हेतु विशिष्ट मापदण्ड 42
5. निरीक्षण तथा प्रमाणकर्ता एजेन्सियों हेतु सामान्य प्रावधान 42
5.1 पद्धतियों का अनुप्रयोग 42
5.2 विनियमों का अनुसरण 42
5.3 पंजीकरण 42
5.4 सरंचना 42
5.5 हितों के विवाद संबंधी विनियम 43
5.5.1 हित संबंधी घोषणाएँ 43
5.5.2 हस्ताक्षरित इकरारनामा 43
5.5.3 अपवर्जन (अलग करना) 43
5.5.4 शुल्क का भुगतान 43
5.6 गोपनीयता 43

5.7 प्रमाणीकरण एजेन्सी के अन्य प्रकार 43
5.7.1 सामान्य 43
5.7.2 प्रचालकों को उपलब्ध कराई जाने वाली परामर्शी सेवाएं 43
5.7.3 मार्केटिंग क्रियाकलाप 44
5.8 पहुँच में निष्पक्षता तथा भेदभावहीनता 44
5.9 सदस्यता संगठन 44
5.10 सार्वजनिक सूचना 44
6. **प्रबन्धन** .. 44
6.1 सामान्य 44
6.2 कर्मचारीगण 45
6.3 उपसंविदा 45
6.4 अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण एवं दस्तावेज़ नियन्त्रण 45
6.5 रिकॉर्ड्स् 45
6.6 गुणवत्ता प्रबन्धन तथा आंतरिक समीक्षा 45
7. **मानक** 46
7.1 सामान्य 46
7.2 मानक पुनरीक्षा 46
8. **निरीक्षण** 46
8.1 सामान्य 46
8.2 **काम सौंपना** 46
8.3 निरीक्षण दौरा तथा रिपोर्ट 47
8.4 विधियाँ तथा आवृति 47
8.4.1 निरीक्षण की आवृत्ति 48
8.4.2 निरीक्षण विधियाँ 48
8.5 विश्लेषण तथा अवशिष्ट परीक्षण 48
8.6 आंशिक रूपान्तरण तथा समानान्तर उत्पादन हेतु निरीक्षण व्यवस्था 48
8.6.1 उत्पादन तथा प्रसंस्करण में आंशिक रूपान्तरण हेतु प्रावधान 48
8.6.2 समानान्तर उत्पादन हेतु प्रावधान 49
8.7 आनुवंशिक रूप से निर्मित उत्पादों के प्रयोग हेतु निरीक्षण 49
9. **प्रमाणीकरण** 49
9.1 जिम्मेदार निकाय एवं प्रमाणीकरण संबंधी निर्णय 49
9.1.1 अपवाद 50
9.2 प्रमाणीकरण प्रक्रिया 50
9.3 अपील 50
9.4 प्रमाणीकरण रिकॉर्ड्स तथा रिपोर्ट्स 50
9.4.1 प्रचारक फाइलें 50
9.4.2 रिकॉर्ड्स् 51
9.4.3 वार्षिक प्रमाणीकरण रिपोर्ट 51
9.5 प्रणाली की सत्यनिष्ठा 51
9.5.1 अनुशासनात्मक उपाय 51
9.5.2 प्रमाणीकरण को वापिस लिया जाना 51
9.6 चिन्ह तथा प्रमाणपत्र 52
9.6.1 पंजीकरण का प्रमाणपत्र 52
9.6.2 संव्यवहार प्रमाणपत्र 52
9.6.3 उत्पाद प्रमाणपत्र 52
10 लाइसेंसशुदा प्रचालक 53
10.1 लाइसेन्स धारकों को सूचना 53
10.2 लाइसेन्स धारकों द्वारा तैयार किये रिकॉर्ड्स् तथा प्रलेखन 53
11. हैण्डिलिन्ग के सभी चरणों का निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण 53
11.1 पैक किये गये उत्पाद 53
11.2 भण्डारण सुविधाएं 53

11.3 परिवहन सुविधाएं 53
11.4 परिरक्षा की श्रृंखला 53
12. वन्य उत्पादों का निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण 53
13. इनपुट विनिर्माण का निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण 54
13.1 अनुमोदन प्रणालियाँ 54
14. उत्पादक समूहों का निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण 54
14.1 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन 54
14.2 उत्पादक समूह के रिकॉर्ड्स 55
14.3 उत्तरदायित्व व प्रतिबंध 55
15. प्रमाणीकरण प्रणालियां 55
16. प्रमाणीकरण हस्तांतरण
16.1 सामान्य प्रमाणीकरण हस्तांतरण
16.2 पुनः प्रमाणीकरण
16.3 प्रमाणीकरण साझेदारियां
17. शिकायतें
ग. प्रत्यायन पद्धतियाँ 56
1. पृष्ठभूमि 56
2. स्कोप 56
2.1 निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ 57
3. हितों का टकराव 57
4. मानक 57
4.1 सामान्य 57
4.2 मानक समीक्षा 57
5. प्रत्यायन संविदा अवधि 57
6. प्रत्यायन अवस्थिति का प्रयोग 57
7. शुल्क 58
8. संशोधन 58
9. प्रत्यायन कार्यक्रम की समीक्षा 58
10. शिकायतें 58
11. आवेदन, मूल्यांकन तथा प्रत्यायन पद्धतियाँ 58
11.1 निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियों के प्रत्यायन हेतु पद्धति 58
11.2 आवेदन तथा स्क्रीनिन्ग पद्धतियाँ 59
11.3 मूल्यांकन तथा निर्धारण 59
11.4 प्रत्यायन पद्धतियाँ 61
11.5 वार्षिक निगरानी तथा समीक्षा मूल्यांकन 61
12. शिकायतें 62
13. प्रतिबन्ध 62
14. प्रत्यायन की समाप्ति 62
15. अपील 63
अनुभाग-5
उत्पादक समूहों के प्रमाणीकरण हेतु दिशानिर्देश 64
5.1 स्कोप
5.2 समूह संगठन का गठन
5.3 आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली
5.4 आई क्यू एस को कैसे विकसित किया जाए
5.4.1 आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली प्रबंधक (आई क्यू एस मैनेजर)
5.4.2 आंतरिक निरीक्षकगण
5.4.3 अनुमोदक प्रबंधक/समिति

5.4.4 फील्ड अधिकारीगण
5.4.5 खरीद अधिकारीगण
5.4.6 माल गोदाम प्रबंधक
5.4.7 प्रसंस्करण प्रबंधक
5.5 आंतरिक मानक
5.6 हितों का टकराव
5.7 प्रमाणीकरण का स्कोप
5.8 व्यापार
5.9 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु पद्धतियां
5.9.1 नए सदस्यों का पंजीकरण
5.9.2 उत्पादक समूह के सदस्यों हेतु प्रलेख का प्रावधान
5.10 प्रचालन प्रलेख
5.11 आंतरिक निरीक्षण
5.12 बाह्य निरीक्षण
5.13 उपज के बारे में अनुमान
5.14 आंतरिक अनुमोदन
5.15 अनुसरण न करना और प्रतिबंध
5.16 आई क्यू एस कर्मचारियों का प्रशिक्षण
5.17 किसानों का प्रशिक्षण
5.18 खरीद पद्धतियां
5.19 भण्डारण और हैण्डलिन्ग पद्धतियां
5.20 प्रसंस्करण
अनुभाग-6
जैविक प्रमाणीकरण चिन्ह
5.1 जैविक लोगो 73
5.2 विशिष्टयां
5.3 जैविक लोगों की संकल्पना
5.4 जैविक उत्पादों हेतु प्रमाणीकरण चिन्ह के प्रयोग के सिलसिले में लाइसेंस की स्वीकृति के बारे में विनियम
अनुभाग-7
परिशिष्ट 81
परिशिष्ट 1 उर्वरण तथा मृदा अनुकूलन में प्रयोगार्थ उत्पाद 82
परिशिष्ट 2 वनस्पति कीट तथा रोग नियंत्रण हेतु उत्पाद 84
परिशिष्ट 3 जैविक कृषि में अतिरिक्त इनपुट्स के मूल्यांकन हेतु मापदण्ड 86
परिशिष्ट 4 जैविक खाद्य पदार्थ के प्रसंस्करण में प्रयुक्त होने वाले अनुमोदित योज्य के रूप में सघंटकों और प्रसंस्करण सहायकों की सूची 89
परिशिष्ट 5 जैविक खाद्य उत्पादों हेतु योज्यों और प्रसंस्करण सहायकों के मूल्यांकन के लिए मापदण्ड 9 3
परिशिष्ट 6 जैविक खाद्य पदार्थों की पैंकेजिंग हेतु पैकेजिंग–फिल्मों के विनिर्माण के लिए अनुमोदित योज्य 9 5
परिशिष्ट 7 पशु पोषण हेतु अनुमोदित चारा सामग्रियों, चारा योज्यों तथा प्रसंस्करण सहायकों की सूची 96
परिशिष्ट 8 पशुधन इमारतों तथा भवनों की सफाई एवं विसंक्रमण हेतु प्राधिकृत उत्पाद 98
परिशिष्ट 9 निरीक्षण के दौरान प्रत्यायित निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा की जाने वाली अनिवार्य जांचें
परिशिष्ट 10 आयातित कृषिगत उत्पादों/पौधों से प्राप्त उत्पादों के प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थो के निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण के दौरान किए जाने वाले एहतियाती उपाय
अनुभाग-8
फॉरमैटस्

अनुभाग - 1

परिभाषाएँ

अनुभाग - 1

परिभाषाएँ

प्रत्यायन :
प्रत्यायन का अभिप्राय राष्ट्रीय जैविक उत्पाद मानकों के अनुसार तथा जैविक उत्पादों हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन नीति तथा कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार जैविक फार्मों, उत्पादों तथा प्रक्रियाओं को प्रत्यायित करने हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय द्वारा पंजीकरण से है।

राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय :
यह राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम की संचालन समिति के द्वारा प्रत्यायन निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियों को प्रत्यायित करने हेतु गठित की गयी एक एजेन्सी होगी।

प्रत्यायित कार्यक्रम :
का अभिप्राय उन प्रत्यायन निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ के प्रत्यायन कार्यक्रम से है जिनको प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा प्रत्यायित किया जा चुका है और जिन्होंने प्रत्यायन संविदा का अनुपालन करने हेतु सहमति व्यक्त की है।

वार्षिक रिपोर्ट:
का अभिप्राय प्रत्यायित निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ द्वारा प्रचालकों, उत्पादों तथा प्रसंस्करण कर्ताओं के संबंध में प्रत्यायन एजेन्सी के समक्ष प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट से है।

अपील :
वह प्रक्रिया होगी जिसके द्वारा कोई निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा लिये गये किसी निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु अनुरोध कर सकता है अथवा कोई प्रचालक प्रमाणीकरण एजेन्सी के द्वारा लिये गये किसी निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु अनुरोध कर सकता है।

आवेदक :
वह निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी होगी जिसने प्रत्यायन हेतु प्रत्यायन एजेन्सी के सामने आवेदन किया हो।

आयुर्वेद :
आयुर्वेद भारत में औषधि व स्वास्थ्य रक्षा की एक पारम्परिक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है।

बफर क्षेत्र :
यह जैविक उत्पादन स्थल के किनारों पर स्पष्ट रूप से परिभाषित और पहचाने जाने योग्य खींचा गया सीमा क्षेत्र होता है, जिसमें निकटवर्ती क्षेत्र से निषिद्ध तत्वों के प्रयोग या उनके संपर्क में आने पर रोक लगाई जाती है।

प्रमाणपत्र :
का अभिप्राय किसी प्रत्यायित एजेन्सी द्वारा जारी किये गये एक प्रलेख से होगा जिसमें यह घोषित किया गया हो कि जैविक उत्पादों हेतु राष्ट्रीय मानकों के अनुसरण में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसरण में प्रचालक द्वारा क्रियाकलापों को संचालित किया जा रहा है अथवा वर्णित उत्पादों को उत्पादित किया गया है।

पंजीकरण का प्रमाणपत्र :
का अभिप्राय निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के द्वारा जारी किये गये प्रलेख से होगा जिसमें यह घोषित किया गया हो कि प्रचालक को विनिर्दिष्ट उत्पादों पर प्रमाणपत्र का प्रयोग करने हेतु लाइसेन्स प्रदान किया गया है।

प्रमाणीकरण :
वह प्रक्रिया होगी जिसके द्वारा प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा एक लिखित आश्वासन दिया जाता है कि एक स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित उत्पादन अथवा प्रसंस्करण प्रणाली का विधिवत ढंग से मूल्यांकन किया गया है और विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप है।

प्रमाणीकरण चिह्न :
का अभिप्राय प्रमाणीकरण कार्यक्रम के चिन्ह, प्रतीक अथवा लोगो से है जोकि उत्पादों का जैविक उत्पादों हेतु राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रमाणित किये जाने के रूप में अभि निर्धारित करता है।

प्रमाणीकरण कार्यक्रम :
का अभिप्राय किसी निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के द्वारा इसमें विनिर्दिष्ट रूप में अनुरूपता का प्रमाणीकरण सम्पादित करने हेतु मापदण्ड़ों के अनुसरण में प्रचालित प्रणाली से होगा।

प्रमाणीकरण हस्तांतरण :
किसी निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा स्वयं अपने प्रमाणित प्रचालकों को कार्यक्रम के अपने प्रमाणीकरण चिन्ह के अधीन उन उत्पादों का व्यापार अथवा प्रसंस्करण करने की, जिन्हें अन्य कार्यक्रम के द्वारा प्रमाणित किया गया हो, अनुमति प्रदान करने के उद्देश्य से, किसी अन्य प्रमाणीकरण कार्यक्रम अथवा एजेन्सी अथवा उस कार्यक्रम या एजेन्सी के द्वारा प्रमाणित परियोजनाओं अथवा उत्पादों की औपचारिक मान्यता।

परिरक्षा की श्रृंखला

अनुभाग–4 के प्रत्यापन मानदंड में दिए गए विवरण के अनुसार फसल उगाने, काटने, प्रसंस्करण, उठाई–धराई (हैंडलिंग) और संबंधित गतिविधियों सहित सभी प्रासंगिक कदम, जिनका निरीक्षण किया गया है और उपयुक्त होने के रूप में प्रमाणित किया गया है।

सक्षम प्राधिकारी :

का अभिप्राय प्रत्यायन हेतु आधिकारिक सरकारी एजेन्सी से है।

संदूषण:

जैविक उत्पाद या भूमि में प्रदूषण; या किसी ऐसी सामग्री के साथ संपर्क, जो उस उत्पाद को जैविक प्रमाणिकता के लिए अनुपयुक्त बना दे।

परामर्शी सेवा :

का अभिप्राय जैविक प्रचालनों हेतु, निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण पद्धतियों से स्वतंत्र, परामर्शदात्री सेवा से है।

पारंपरिक :

ऐसी कृषि प्रणालियाँ जो कि कृत्रिम उर्वरकों तथा / अथवा रासानयिकों और कीटनाशकों के इनपुट पर निर्भर करती हैं अथवा जो जैविक उत्पादन के आधारभूत मानकों के साथ मेल नहीं खाती हैं।

रूपान्तरण :

किसी कृषि-फार्म को पारंपरिक से जैविक फार्म में परिवर्तित करने की प्रक्रिया। इसे संक्रमण भी कहा जाता है।

रूपान्तरण अवधि :

जैविक प्रबन्धन के आरंभ होने, तथा फसलों का जैविक के रूप में प्रमाणीकरण के मध्य का समय।

हित संबंधी घोषणा :

निरीक्षण और प्रमाणीकरण प्रक्रिया में सम्मिलित सभी संबंधित लोगों द्वारा कोई निजी/वाणिज्यिक हितों का संघर्ष न होने की घोषणा।

रोगाणुनाशी :

एक ऐसा उत्पाद, जो भौतिक या स्वीकृत रासायनिक साधनों द्वारा पर्यावरण में सूक्ष्म जीवों की संख्या इस स्तर तक कम करता है कि उससे खाद्य सुरक्षा और उपयुक्तता जोखिम में नहीं पड़ती।

मूल्यांकन :

यह किसी निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के कार्य निष्पादन के क्रमबद्ध परीक्षण की प्रक्रिया होगी जिसमें यह जाँच की जायेगी कि वह राष्ट्रीय प्रत्यायन कार्यक्रम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को किस सीमा तक पूरा करती है।

फार्म यूनिट :

एक ऐसा कृषि फार्म, क्षेत्र अथवा उत्पादन यूनिट जिसका किसी एक कृषक अथवा कृषकों के एक समूह के द्वारा जैविक रूप से प्रबंधन किया जाता हो।

खाद्य योज्य :

खाद्य योज्य एक बाहरी अनुमतिप्राप्त संघटक है, जिसे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, संगति, रंग व अन्य भौतिकीय रसायन, संवेदी गुणों, पौष्टिकता और खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने के लिए मिलाया जाता है।

जननिक विविधता :

जननिक विविधता का अर्थ कृषि, वन और जलीय पर्यावरण प्रणाली के जीवित जीवों में परिवर्तनशीलता है। इसमें प्रजातियों के भीतर और प्रजातियों के बीच विविधता शामिल हैं।

हरा खाद :

ताजा हरे पौधे का पदार्थ, जिसे मिट्टी में सुधार के लिए हल से जोता जाता है या उसे मिट्टी में मिलाया जाता है।

समूह प्रमाणीकरण :

ऐसे उत्पादकों, प्रसंस्करणकर्ताओं व निर्यातकों के एक संगठित समूह का प्रमाणीकरण, जिनकी खेती व उत्पादन प्रणाली समान हैं और उनमें भौगोलिक समीपता होती है।

जैविक उत्पादन तथा प्रसंस्करण हेतु दिशानिर्देश :

जैविक उत्पादों हेतु राष्ट्रीय मानकों के अनुसरण में विशिष्ट फसलों के लिये प्रत्यायन एजेन्सियों के द्वारा जैविक उत्पादन तथा प्रसंस्करण हेतु स्थापित मानक।

आवास :

ऐसा क्षेत्र, जिसमें कोई पौधा या पशु–प्रजातियां स्वाभाविक रूप से पाई जाती हैं।

जोखिम विश्लेषण का महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु (एच ए सी सी पी) :

एक क्रमबद्ध प्रक्रिया, जो खाद्य सुरक्षा संबंधी जोखिमों, प्रमुख नियंत्रण बिंदुओं, प्रमुख सीमाओं, सुधारात्मक कार्रवाइयों और प्रलेखीकरण की पहचान करती है तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित बनाने के लिए निगरानी कार्यविधि एकीकृत करती हैं।

अथवा

जोखिम विश्लेषण की प्रमुख नियंत्रण बिंदु (एच ए सी सी पी) प्रणाली सुरक्षित खाद्य पदार्थ के उत्पादन के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण पर आधारित एक विज्ञान है। एच ए सी सी पी पर आधारित खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियां अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और खाद्य विषाक्तता की जोखिम घटाने का सबसे प्रभावशाली तरीका माना जाता है।

होमियोपैथी :

होमियोपैथी ''सिमिलिया, सिमिलिबस, केरंतुर'' के सिद्धांत पर आधारित चिकित्सा की एक पद्धति है। (समान लक्षण में समान चिकित्सा)

होमियोपैथिक चिकित्सा :

होमियोपैथी में बीमारी का इलाज उन औषधियों के सेवन पर निर्भर है, जो किसी वस्तु के निरंतर कई बार तरलीकरण की प्रक्रिया से तैयार की जाती हैं। ये औषधियां अधिक मात्रा में देने पर स्वस्थ व्यक्ति में भी वैसे ही लक्षण पैदा करती हैं, जो रोगी में दिखाई दे रहे हैं।

संघटक :

का अभिप्राय किसी भी ऐसे पदार्थ, जिसमें खाद्य योज्य भी सम्मिलित हैं, से होगा जिसको किसी खाद्य पदार्थ के विनिर्माण अथवा तैयारी में प्रयुक्त किया गया हो तथा जो तैयार उत्पाद में, भले ही संभवतः एक रूपान्तरित रूप में, उपस्थित हो।

प्रतिबंधित इनपुटस् :

वे मदें, जिनका जैविक खेती में प्रयोग करना प्रतिबंधित है।

इनपुट विनिर्माण :

का अभिप्राय जैविक उत्पादन के विनिर्माण अथवा इनपुट्स के प्रसंस्करण से है।

अनुमत्त इनपुट :

वे मदें जिनका जैविक खेती में प्रयोग किया जा सकता है।

नियंत्रित इनपुट्स :

वे मदें, जिनके प्रयोग के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले संदूषण जोखिम, प्राकृतिक असंतुलन तथा अन्य कारकों का एक सतर्क मूल्यांकन करने के उपरांत, एक नियंत्रित रीति में, जैविक खेती में उनका प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की गयी है। कृषकों को प्रमाणकर्ता एजेन्सी से परामर्श करना चाहिये।

निरीक्षण :

इसमें यह सत्यापित करने हेतु स्थल दौरा सम्मिलित होगा कि किसी प्रचालन का कार्यनिष्पादन उत्पादन अथवा प्रसंस्करण मानकों के अनुसरण में है अथवा नहीं।

निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी :

यह निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण हेतु उत्तरदायी संगठन होगा।

निरीक्षण एजेन्सी :
का अभिप्राय ऐसी एजेन्सी से है जो कि राष्ट्रीय प्रत्यायन नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार निरीक्षण सेवाओं का निष्पादन करती है।

निरीक्षक :
वह व्यक्ति होगा जिसे निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के द्वारा किसी प्रचालक के निरीक्षण को सम्पादित करने हेतु नियुक्त किया गया हो।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली :
एक प्रलखीकृत गुणवत्ता आश्वासन, जो बाहरी प्रमाणीकरण निकाय को वैयक्तिक सदस्यों के समूह का निरीक्षण समूह के प्रचालकों के भीतर से पहचानी गई निकाय को सौंपने की अनुमति देता है।

आंतरिक समीक्षा :
का अभिप्राय प्रमाणीकरण अथवा स्वयं प्रत्यायन एजेन्सी के द्वारा किसी कार्यक्रम के उद्देश्यों तथा कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन से होगा।

प्रदीपन :
खाद्य पदार्थ में रोगाणुकों, रोगजनकों, परजीवियों और नाशी जीवों पर नियंत्रण, खाद्य पदार्थ के परिरक्षण या फिर अंकुरण या पक्वन जैसी क्रियात्मक प्रक्रिया निषिद्ध करने के उद्देश्य से पदार्थ से ऊर्जा का उच्च उत्सर्जन।

लेबलिन्ग :
का अभिप्राय लेबल पर उपस्थित किसी भी लिखित, मुद्रित अथवा ग्राफिक विषयवस्तु से होगा जोकि खाद्य पदार्थ के साथ सलंग्न हो, अथवा खाद्यपदार्थ के समीप प्रदर्शित की गई हो और इसमें उसकी बिक्री अथवा निपटान को प्रोत्साहित करने के प्रयोजनार्थ विषयवस्तु भी सम्मिलित होगी।

लाइसेन्स:
प्रत्यायन संविदा होगी जो कि राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अनुसरण में किसी प्रमाणकर्ता को उसकी प्रत्यायित हैसियत के साथ सम्बद्ध अधिकारों को प्रदान करती है।

पशुधन :
का अभिप्राय किसी भी घरेलू अथवा पालतू पशु से होगा जिनमें भोजन हेतु अथवा भोजन के उत्पादन में पाले जाने वाले गोजातीय (भैंस तथा गवल सहित), भेड़, शूकरीय, बकरी, अश्वीय, मुरगा तथा मधुमक्खियाँ भी सम्मिलित हैं। जंगली जानवरों के शिकार अथवा मछली पकड़ने के द्वारा प्राप्त उत्पादों को इस परिभाषा का एक अंग नहीं माना जायेगा।

मार्किटिन्ग :
का अभिप्राय बिक्री हेतु धारण करना अथवा बिक्री हेतु प्रदर्शित करना, बिक्री हेतु प्रस्तुत करना, व्यवस्थित करना, सुपुर्दगी करना अथवा किसी भी अन्य रूप में बाजार में रखने से होगा।

बहुलीकरण :
भावी उत्पादन की आपूर्ति के लिए बीज/स्टॉक/पौधा सामग्री को उगाना।

प्राकृतिक रेशा :
पौधा या पशु उत्पति का तंतु

प्रचालक :
का अभिप्राय एक ऐसी व्यक्ति अथवा व्यापारिक उद्यम से होगा जो जैविक खेती अथवा जैविक प्रसंस्करण का व्यवसाय करता हो।

जैविक :
का अभिप्राय एक ऐसी विशेष कृषि प्रणाली से होगा जिसको इन मानकों में यथारूप में वर्णित किया गया है और रसायन विज्ञान में प्रयुक्त पदांश से नहीं होगा।

जैविक कृषि :
यह पारिस्थितिक प्रणाली की रचना करने हेतु फार्म डिजाइन तथा प्रबंधन की एक ऐसी प्रणाली है जो रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कृत्रिम बाहरी इनपुट्स का प्रयोग किये बिना ही पोषणीय उत्पादकता को हासिल कर सकती है।

जैविक उत्पादन यूनिट :
का अभिप्राय एन पी ओ पी विनियमावली के नियमों का पालन करते हुए एक यूनिट/जोत या स्टॉक फार्म से हैं।

जैविक रूप से उत्पादित खाद्य वस्तुएं/खाद्य सामग्री :
का अभिप्राय एन पी ओ पी विनियमावली में निर्धारित उत्पादन नियमों के अनुसार उत्पादित खाद्य वस्तुओं/खाद्य सामग्री से है।

जैविक बीज और रोपण सामग्री :
बीज और रोपण सामग्री, जिसका उत्पादन प्रमाणीकृत जैविक प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है।

पद्धतियों का पैकेज :
क्षेत्र की दृष्टि से विशिष्ट रूप से, विशेष फसलों के लिये प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा जैविक उत्पादन तथा प्रसंस्करण हेतु स्थापित किये गये दिशानिर्देश।

समानांतर उत्पादन :
का अभिप्राय किसी भी ऐसे उत्पादन से होगा जिसमें एक ही यूनिट में प्रमाणित जैविक गुणवत्ता तथा गैर-प्रमाणित जैविक गुणवत्ता, दोनों में ही, समान उत्पादों का विकास, पोषण, हैण्डिलिंग अथवा प्रसंस्करण किया जा रहा हो। इसी प्रकार से, समान उत्पाद के ''जैविक'' तथा ''रूपान्तरणाधीन'' उत्पादन की स्थिति को भी समानांतर उत्पादन कहा जाता है।

आंशिक रूपान्तरण :
उस स्थिति में माना जायेगा जबकि किसी पारंपरिक फार्म अथवा यूनिट के एक भाग को तो पहले से ही जैविक उत्पादन अथवा प्रसंस्करण में रूपान्तरित किया जा चुका हो और दूसरा भाग रूपान्तरण की प्रक्रिया के अधीन हो।

वनस्पति संरक्षण उत्पाद :
का अभिप्राय किसी कीट अथवा रोग, जिसमें खाद्य पदार्थो, कृषि परक वस्तुओं, अथवा पशु आहारों के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, वितरण और प्रसंस्करण के दौरान पौधों अथवा पशुओं की अवांछित प्रजातियाँ भी सम्मिलित हैं, की रोकथाम, विनाश, आकर्षित करने, विकर्षित करने, अथवा नियंत्रित करने हेतु आशयित किसी पदार्थ से होगा।

तैयारी :
का अभिप्राय कृषि और जैव उत्पादों का काटने, प्रसंस्करण, परिरक्षण तथा पैकेजिन्ग के प्रचालनों तथा जैविक उत्पादन विधि के प्रस्तुतिकरण से होगा और साथ ही संबंधित लेबलिन्ग में किये गये परिवर्तनों से भी होगा।

प्रसंस्करण सहायक-सामग्रियाँ :
एक ऐसा पदार्थ अथवा सामग्री जिसका स्वयं एक खाद्य संघटक रूप में तो सेवन नहीं किया जाता हो, परन्तु अभिक्रिया अथवा प्रसंस्करण के दौरान कतिपय प्रौद्योगिकीय प्रयोजन को पूरा करने हेतु कच्ची सामग्रियों, खाद्य वस्तु अथवा उसके संघटकों का प्रसंस्करण करने में प्रयुक्त किया जाता हो ओर जिसकी परिणति तैयार उत्पाद में अवशेषों अथवा कृत्रिम तत्वों की अनाशयित परन्तु अपरिहार्य उपस्थिति के रूप में होती है।

गुणवत्ता प्रणाली
प्रलेखीकृत पद्धतियां, जो यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित, क्रियान्वित और समय–समय पर लेखा परीक्षित की जाती हैं कि उत्पादन, प्रसंस्करण, हैण्डनिन्ग, प्रबंधन, प्रमाणीकरण, प्रत्यायन व अन्य प्रणालियों की विनिर्दिष्ट आवश्यकताएं पूरी करें और मानवीकृत प्रोटोकॉल्स का पालन कर परिणाम प्राप्त किए जाएं।

कच्ची सामग्रियाँ :
खाद्य योज्यों के अतिरिक्त समस्त संघटक।

स्वच्छ बनाना :
उत्पादन का पर्याप्त रूप से संसाधन या किसी प्रक्रिया द्वारा खाद्य पदार्थ से संपर्क, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित सूक्ष्मजीवों की कायिक कोशिकाओं को नष्ट करने या उनकी संख्या अत्यधिक घटाने में असरदार हो, लेकिन उत्पाद की सुरक्षा तथा गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव न डाले।

विभक्त उत्पादन :
जहां फार्म या प्रसंस्करण यूनिट का केवल एक भाग जैविक के रूप में प्रमाणीकृत किया जाता है। संपत्ति का अवशेष (ए) गैर–जैविक (बी) रूपातंरणाधीन (सी) जैविक हो सकता है, लेकिन प्रमाणित नहीं किया जाता है। समानांतर उत्पादन भी देखें।

मानक :
का अभिप्राय राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम हेतु संचालन समिति के द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादों हेतु स्थापित मानकों से होगा।

निगरानी :
प्रमाणीकरण/प्रत्यायन की आवश्यकताएं पूरी करने के बारे में मानकों/मापदण्डों के पालन के लिए एक प्रचालक/प्रमाणीकरण निकाय को निगरानी प्रदान करने के संबंध में उठाए गए कदम।

संव्यवहार (सौदा) प्रमाणपत्र :
एक प्रमाणीकरण निकाय द्वारा जारी प्रलेख, जिसमें घोषणा की जाती है कि माल का निर्दिष्ट ढेर या माल उत्पादन और/प्रसंस्करण प्रणाली से प्राप्त किया गया है, जो प्रमाणीकृत है।

जी एम ओ और जी एम ओ के व्युत्पन्नी :
एक पौधा, पशु, जीवाणु या उनके व्यत्पन्नी, जो जननिक अभियांत्रिकी के माध्यम से रूपांतरित किए जाते हैं।

पशुचिकित्सा औषधि :
का अभिप्राय किसी भी खाद्य-उत्पादक पशु, यथा मांस अथवा दुग्ध-उत्पादक पशुओं, मुर्गियों, मछली अथवा मधुमक्खियों पर लेपित अथवा प्रयुक्त किसी भी पदार्थ से होगा, भले ही उसका प्रयोग चिकित्सीय, रोगनिरोधक अथवा नैदानिक प्रयोजनों या शारीरिक प्रकार्यों में परिवर्तन के लिए अथवा व्यवहार के परिवर्तन हेतु किया गया हो।

अनुभाग - 2

राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम का स्कोप तथा प्रचालनात्मक संरचना

अनुभाग - 2
राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम का स्कोप तथा प्रचालनात्मक संरचना

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम एक राष्ट्रीय प्रत्यायन नीति तथा कार्यक्रम के माध्यम से जैविक उत्पादों हेतु राष्ट्रीय मानकों के क्रियान्वयन हेतु एक संस्थागत तंत्र को उपलब्ध कराने का विचार रखता है। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के लक्ष्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

क) अनुमोदित मापदण्ड़ों के अनुसार जैविक खेती तथा उत्पादों हेतु प्रमाणीकरण कार्यक्रमों के मूल्यांकन के साधनों को उपलब्ध कराना
ख) प्रमाणीकरण कार्यक्रमों को प्रत्यायित करना
ग) जैविक उत्पादों हेतु राष्ट्रीय मानकों की अनुरूपता में जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण को सुगम बनाना
घ) जैविक खेती तथा जैविक प्रसंस्करण के विकास को प्रोत्साहित करना

2.1 स्कोप

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित को शामिल किया जायेगा :

क) जैविक उत्पादों के विकास तथा प्रमाणीकरण हेतु नीतियाँ
ख) जैविक उत्पादों तथा प्रक्रियाओं हेतु राष्ट्रीय मानक
ग) निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियों द्वारा प्रचालित किये जाने वाले कार्यक्रमों का प्रत्यायन
घ) जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण

2.2 संरचना

2.2.1 प्रचालनात्मक संरचना :

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम की प्रचालनात्मक संरचना को आरेख 1 में दर्शाया गया है। इस कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा शीर्ष निकाय के रूप में वाणिज्य मंत्रालय के माध्यम से विकसित तथा क्रियान्वित किया जायेगा। यह मंत्रालय राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम हेतु एक संचालन समिति का गठन करेगा जिसके सदस्यों का चयन वाणिज्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय वस्तु बोर्डों तथा जैविक आंदोलन के साथ जुड़े हुए अन्य सरकारी एवं निजी संगठनों में से किया जायेगा। प्रासंगिक मुद्दों के विषय में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम हेतु संचालन समिति को परामर्श देने के लिये, यथा आवश्यकतानुसार उप-समितियों की नियुक्ति की जायेगी। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम हेतु संचालन समिति एक राष्ट्रीय प्रत्यायन नीति तथा कार्यक्रम को प्रतिपादित करेगी और जैविक उत्पादों हेतु राष्ट्रीय मानकों को तैयार करेगी जिसमें जैविक उत्पादन तथा प्रक्रियाओं के लिये मानक भी सम्मिलित होंगे।

राष्ट्रीय प्रत्यायन नीति तथा कार्यक्रम को प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा संचालित किया जायेगा जो कि प्रत्यायन कार्यक्रमों तथा प्रचालनों हेतु समग्र नीति उद्देश्यों को परिभाषित करेगी। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम हेतु संचालन समिति जब भी उचित समझे, तो प्रत्यायन पद्धतियों में संशोधन कर सकती है। राष्ट्रीय प्रत्यायन नीति तथा कार्यक्रम सावधिक आंतरिक समीक्षा के अध्ययीन हैं, जिसको तकनीकी समिति द्वारा संचालित किया जायेगा जो इस प्रकार के संशोधनों के संबंध में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम हेतु संचालन समिति को परामर्श देंगे।

2.2.2 राष्ट्रीय **प्रत्यायन** निकाय

राष्ट्रीय संचालन समिति ही राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय का कार्य करेगी। राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय में कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय एवं वस्तु बोर्डों के सदस्य होंगे। निकाय के अध्यक्ष राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष होंगे। राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय के कार्यों में निम्नलिखित अन्तर्ग्रस्त होंगेः

क) प्रमाणीकरण कार्यक्रमों के मूल्यांकन तथा प्रत्यायन हेतु पद्धतियों को तैयार करना।

ख) कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने वाली एजेन्सियों के मूल्यांकन हेतु पद्धतियों को सूत्रबद्ध करना।

ग) निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजन्सियों का प्रत्यायन।

प्रत्येक प्रमाणकर्ता एक प्रमाणीकरण कार्यक्रम को क्रियान्वित करेगा तथा प्रमाणकर्ता को प्रत्यायित किये बिना किसी कार्यक्रम को प्रत्यायित नहीं किया जा सकता है।

आरेख 1 : राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) की प्रचालनात्मक संरचना

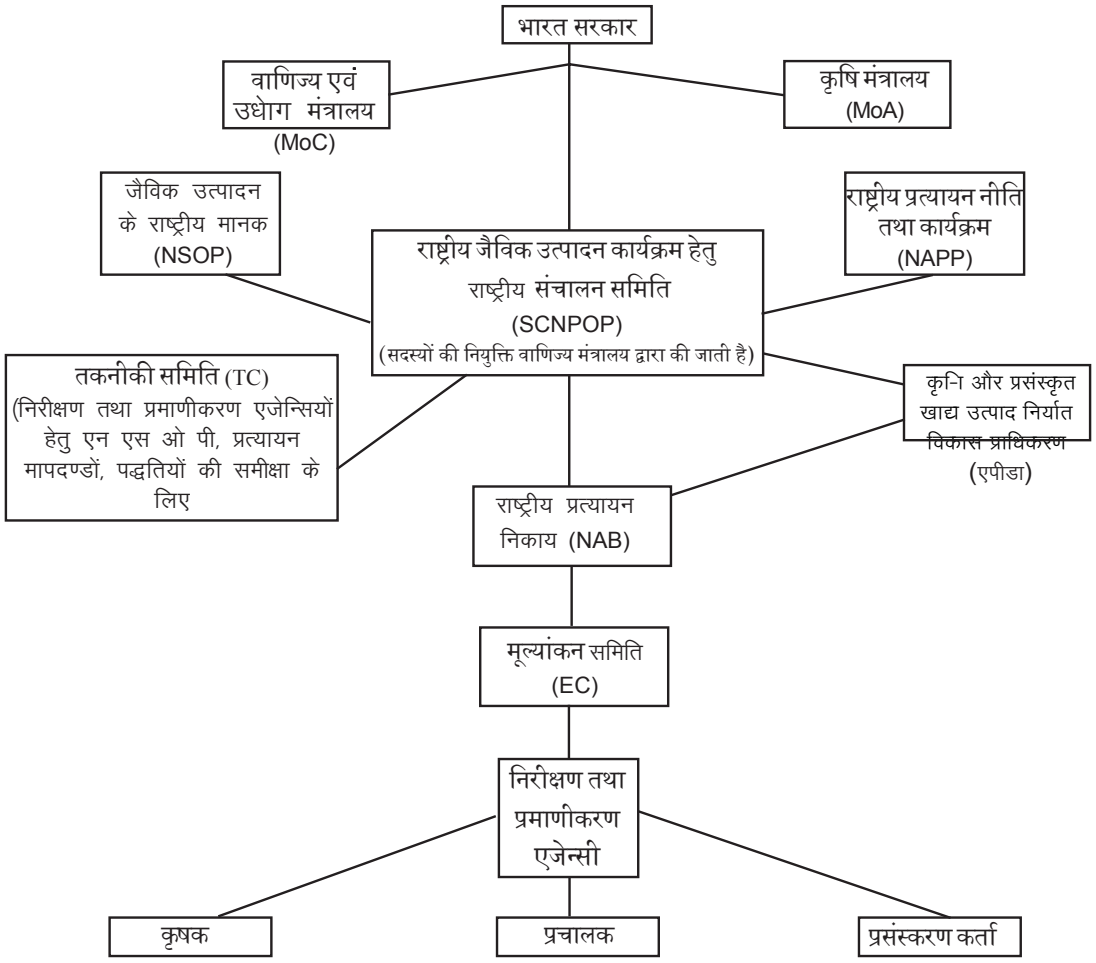

2.2.3 मूल्यांकन समिति

एक मूल्यांकन समिति प्रमाणीकरण कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने वाली योग्य निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियों का मूल्योंकन करेगी। राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय इस मूल्यांकन समिति को नियुक्त करेगा। मूल्यांकन समिति के सदस्य वस्तु बोर्डों, कृषि मंत्रालय और ई आई सी/ ई आई ए से लिए गए सदस्य होंगे।

राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय की ओर से एपीडा प्रमाणीकरण एजेन्सियों से आवेदन पत्र प्राप्त करेगा और छांटेगा, आवेदकों के प्रमाणीकरण कार्यक्रम की विश्वसनीयता का पता लगाने के उद्देश्य से मूल्यांकन दौरों आदि में समन्वय करेगा तथा उनकी व्यवस्था करेगा। मूल्यांकन समिति प्रत्यायन पर विचारार्थ अपनी सिफारिशें राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

2.2.4 प्रत्यायित निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी

मूल्यांकन अभिकरण की सिफारिशों के आधार पर प्रत्यायन निकाय द्वारा योग्य निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियों को प्रत्यायित किया जायेगा। इन एजेन्सियों को प्रचालन पद्धतियों, एन एस ओ पी (जैविक उत्पादन के राष्ट्रीय मानकों) और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उनके कार्यक्रम कम से कम एक वर्ष से चल रहे हों और वे इसकी पुष्टि में दस्तावेज प्रस्तुत कर सकें।

2.2.5 निरीक्षकगण

प्रत्यायित निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियों द्वारा नियुक्त निरीक्षकगण विनिर्दिष्ट फारमैटस के अनुसार प्रचालकों के द्वारा तैयार किये गये

रिकार्डस् तथा सावधिक स्थल निरीक्षण के माध्यम से प्रचालनों के निरीक्षण को सम्पादित करेंगे। मानकों तथा कार्यक्रमों के अनुपालन के आधार पर, प्रत्यायित निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी उत्पादों तथा प्रचालनों की जैविक अवस्थिति को, अपनी सिफारिशों के साथ उनकी अवस्थाओं को इंगित करते हुए, प्रमाणित करेंगी।

अनुभाग - 3

जैविक उत्पादन हेतु राष्ट्रीय मानक

अनुभाग - 3
जैविक उत्पादन हेतु राष्ट्रीय मानक

3.1 सामान्य फसल उत्पादन तथा पशुपालन

3.1.1 रूपान्तरण आवश्यकताएँ

सामान्य सिद्धाँत

जैविक कृषि का अभिप्राय एक व्यवहार्य तथा पोषणीय कृषि-परिस्थितिक प्रणाली को विकसित करने की एक प्रक्रिया से है। फसलों तथा/अथवा पशुपालन के जैविक प्रबंधन के आरंभ तथा प्रमाणीकरण के बीच के समय को रूपान्तरण अवधि के नाम से जाना जाता है।

सम्पूर्ण फार्म, जिसमें पशुधन भी सम्मिलित है, को मानकों के अनुसार तीन वर्षों की एक अवधि के भीतर रूपान्तरित किया जाना चाहिये।

सिफारिशें

एक पोषणीय कृषि-पारिस्थितिक प्रणाली द्वारा सर्वश्रेष्ठ ढंग से कार्य करने हेतु, फसल उत्पादन तथा पशुपालन में विविधता को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाना चाहिये कि खेती प्रबंधन के सभी तत्व अन्योन्यक्रिया करते रहें।

एक निश्चित समयावधि के भीतर रूपान्तरण को निष्पादित किया जाना चाहिये। किसी फार्म को चरणबद्ध रूप से रूपान्तरित किया जाना चाहिये।

फसल उत्पादन की समग्रता तथा सभी पशुपालन को जैविक प्रबन्धन में रूपान्तरित किया जाना चाहिये।

इस बारे में एक स्पष्ट योजना तैयार की जानी चाहिये कि रूपान्तरण को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जायेगा। यदि आवश्यक हो, इस योजना को अद्यतन किया जाना चाहिये तथा इन मानकों से संबंधित सभी पहलुओं को इसमें शामिल किया जाना चाहिये।

प्रमाणीकरण कार्यक्रम को विभिन्न कृषि प्रणालियों के लिए मानक निर्धारण करना चाहिये जिससे कि इस बारे में मानकों का निर्धारण करना चाहिये कि उत्पादन तथा साथ ही साथ प्रलेखन में स्पष्ट रूप से विभाजित किया जा सकता है, और मानकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि इनपुट कारकों तथा उत्पादों को आपसी मिश्रण को रोका जाये।

मानक

3.1.1.1.
मानक आवश्यकताओं को रूपान्तरण अवधि के भीतर पूरा किया जायेगा। समस्त मानक आवश्यकताओं को रूपान्तरण अवधि के आरंभ से ही लेकर प्रासंगिक पहलुओं के संबंध में लागू किया जायेगा।

3.1.1.2.
यदि सम्पूर्ण फार्म को रूपान्तरित नहीं किया गया हो, तो प्रमाणीकरण कार्यक्रम यह सुनिश्चित करेगा कि फार्म के जैविक तथा पारंपरिक भाग पृथक तथा निरीक्षण योग्य हों।

3.1.1.3.
किसी फार्म/परियोजना के उत्पादों को जैविक के रूप में प्रमाणित किये जाने से पूर्व, रूपान्तरण अवधि के दौरान निरीक्षण को निष्पादित किया जायेगा। रूपान्तरण अवधि के आरंभ की गणना प्रमाणीकरण कार्यक्रम आवेदित किये जाने की तिथि से अथवा अननुमोदित फार्म इनपुटस् के अंतिम आवेदन की तिथि से की जाती है, बशर्ते कि वह यह निरूपित कर सकेकि क्रियान्वयन की उस तिथि से मानक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता रहा है।

रूपान्तरण अवधि की लंबाई जानने हेतु, कृपया अनुभाग 3.2.2 तथा 3.3.2. देखिये।

3.1.1.4.
ऐसे पारंपरिक, जैविक रूपान्तरणाधीन तथा/अथवा जैविक फसलों या पशु उत्पादों के समकालिक उत्पादन को अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी जिनकी एक दूसरे से स्पष्ट रूप से अलग पहचान नहीं की जा सकती है।

3.1.1.5.
जैविक तथा पारस्परिक उत्पादन के मध्य एक स्पष्ट पृथक्करण सुनिश्चित करने हेतु एक बफर क्षेत्र या एक प्राकृतिक अवरोध बनाया जाना चाहिए। प्रमाणीकरण कार्यक्रम आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करेगा।

3.1.1.6.
जहाँ पर अनेक वर्षों से वस्तुतः पूर्ण मानक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता रहा हो और जहाँ पर अनेक साधनों तथा स्त्रोतों के माध्यम से इसकी पुष्टि की जा सकती हो, वहाँ पर एक सम्पूर्ण रूपान्तरण अवधि की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में निरीक्षण एक युक्ति संगत समय अंतराल के साथ प्रथम फसल से पूर्व निष्पादित किया जायेगा।

3.1.2 जैविक प्रबन्धन का अनुरक्षण

सामान्य सिद्धाँत

जैविक प्रमाणीकरण निरंतरता पर आधारित है।

सिफारिशें

प्रमाणीकरण कार्यक्रम को केवल ऐसे उत्पादन को प्रमाणित करना चाहिये जिसको एक दीर्घावधि आधार पर जारी रखने की संभावना हो।

मानक

3.1.2.1.
रूपान्तरित भूमि तथा पशुओं को जैविक तथा पारंपरिक प्रबंधन के बीच में परिवर्तन करते रहने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

3.1.3 प्राकृतिक दृश्य

सामान्य सिद्धाँत

जैविक कृषि को पारिस्थितिकी में सकारात्मक रूप से योगदान करना चाहिये।

सिफारिशें

निम्नलिखित क्षेत्रों का समुचित रूप से प्रबंधन किया जाना चाहिये तथा जैववैविध्य को सुकर बनाने हेतु जोड़ा जाना चाहिये :

- विस्तृत घासस्थली यथा झाबरभूमि, सरकण्डा भूमि अथवा शुष्क भूमि
- सामान्यतः वे सभी क्षेत्र जोकि आर्वतन के अधीन नहीं हैं तथा जिनमें भारी मात्रा में खाद नहीं डाला गया हो।
- विस्तृत चरागाह, बाँगर, विस्तृत घासस्थली, विस्तृत फलोद्यान, बाड़, बाड पंक्ति, वृक्षों के समूह तथा/अथवा झाडियाँ और वनरेखाएँ
- पारिस्थितिक दृष्टि से संपन्न बंजर भूमि अथवा कृष्य भूमि
- पारिस्थितिक दृष्टि से वैविध्य युक्त (विस्तृत) क्षेत्र सीमान्त
- नहरें, तालाब, झरने, नालियाँ, नमभूमि तथा दलदल और अन्य जल-समृद्ध क्षेत्र जिनको गहन कृषि अथवा जल उत्पादन हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है।
- कूड़े के ढेर पर उगने वाली पादपजात से युक्त क्षेत्र

प्रमाणीकरण कार्यक्रम जैववैविध्य तथा प्रकृति रूपान्तरण को सुकर बनाने हेतु कृषि क्षेत्र की एक न्यूनतम प्रतिशतता हेतु मानकों को निर्धारित करेगा।

मानक

3.1.3.1.
प्रमाणीकरण कार्यक्रम प्राकृतिक दृश्य तथा जैव विविधता मानकों को विकसित करेगा।

3.2. फसल उत्पादन

3.2.1 फसलों तथा किस्मों का चयन

सामान्य सिद्धाँत

समस्त बीजों तथा वनस्पति सामग्री को प्रमाणित जैविक होना चाहिये।

सिफारिशें

उपजायी गयी प्रजातियों तथा किस्मों का मृदा तथा जलवायुपरक अवस्थाओं के प्रति अनुकूलित होना चाहिये तथा कीटों और रोगों का प्रतिरोधी होना चाहिये।

किस्मों का चयन करते समय आनुवंशिक वैविध्य को ध्यान में रखा जाना चाहिये।

मानक

3.2.1.1
यदि जैविक बीज तथा वनस्पति सामग्रियाँ उपलब्ध हों, तो उनका प्रयोग किया जायेगा। प्रमाणीकरण कार्यक्रम प्रमाणित जैविक बीज तथा अन्य वनस्पति सामग्री की आवश्यकता हेतु समय सीमाओं को निर्धारित करेगा।

3.2.1.2
यदि प्रमाणित जैविक बीज तथा वनस्पति सामग्रियाँ उपलब्ध नहीं हों, तो रासायनिक रूप से असंसाधित पारंपरिक सामग्रियों का प्रयोग किया जायेगा।

3.2.1.3.
आनुवांशिक रूप से तैयार किये गये बीजों, पराग, पराजीन पौधों अथवा वनस्पति सामग्री का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।

3.2.2 रूपान्तरण अविधि का कार्यकाल

सामान्य सिद्धाँत

जैविक प्रबंधन प्रणाली की स्थापना तथा मृदा उर्वरता के निर्माण हेतु एक अंतरिम अवधि, रूपान्तरण अवधि की आवश्यकता होती है। रूपान्तरण अवधि का कार्यकाल मृदा उर्वरता को सुधारने तथा पर्यावरण प्रणाली के संतुलन को पुनःस्थापित करने हेतु सदैव पर्याप्त नहीं रहता है परन्तु यही वह अवधि है जिसमें इन सभी लक्ष्यों को हासिल करने हेतु आवश्यक समस्त कार्यवाहियों को आरंभ किया जाता है।

सिफारिशें

रूपान्तरण अवधि का :

- भूमि के पुराने उपयोग
- पारिस्थितिक अवस्था

के साथ अनुकूलन होना जरूरी होता है।

मानक

3.2.2.1.
यदि बीज बोने से कम से कम दो वर्षों अथवा घासस्थली को छोड़कर अन्य बारहमासी फसलों के मामले में, उत्पादों की पहली उपज से कम से कम तीन वर्षों (छत्तीस महीनों) की एक रूपान्तरण अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानक आवश्यकताओं को पूरा कर दिया गया हो, तो उत्पादित वनस्पति उत्पादों को जैविक प्रमाणित किया जा सकता है । प्रत्यायित निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी भूमि के पिछली स्थिति को ध्यान में रखते हुए कतिपय मामलों (यथा दो वर्षों अथवा इससे अधिक समय के लिये खाली उपयोग) में रूपान्तरण अवधि को बढ़ाने अथवा कम करने का निर्णय कर सकती है परन्तु इस अवधि का बारह महीनों के बराबर अथवा इससे अधिक होना अनिवार्य है।

3.2.2.2.
भूमि के पिछले उपयोग तथा पर्यावरणीय दशाओं आदि पर निर्भर करते हुए प्रमाणीकरण कार्यक्रम द्वारा रूपान्तरण अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

3.2.2.3.
प्रमाणीकरण कार्यक्रम फार्म की रूपान्तरण अवधि के दौरान वनस्पति उत्पादों को ''रूपान्तरण की प्रक्रियाधीन जैविक खेती की उपज'' अथवा इससे मिलते-जुलते विवरण के रूप में बेचे जाने की अनुमति प्रदान कर सकता है।

3.2.2.4
चारे के लिये इनपुटस् की गणना करने हेतु, जैविक प्रबंधन के प्रथम वर्ष के दौरान फार्म यूनिट में पैदा किये गये चारे को जैविक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका तात्पर्य केवल ऐसे पशुओं के चारे से है जिन्हें स्वयं भी फार्म यूनिट के भीतर ही पालन पोषण किया जा रहा हो तथा ऐसे चारे को जैविक के रूप में बेचा अथवा अन्य विपणन नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय मानकों के अनुसरण में फार्मों पर पैदा किये गये चारे को पारंपरिक रूप से उगाये आयातित गये चारे की तुलना में वरीयता दी जायेगी।

3.2.3 फसल उत्पादन में विविधता

सामान्य सिद्धाँत

बागबानी, खेती अथवा वनप्रान्त में मृदा की संरचना तथा उर्वरता और आसपास के पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए तथा पोषक तत्वों की हानि को न्यूनतम स्तर पर रखते हुए प्रजातियों की एक विविधता को उपलब्ध कराने को बनाया (फसल उत्पादन का आधार) जाता है।

सिफारिशें

फसल उत्पादन में विविधता को निम्नलिखित के सम्मिश्रण से हासिल किया जाता है :

- फलियों के साथ परिवर्तनशील फसल आवर्तन
- उत्पादन-वर्ष के दौरान भिन्न वनस्पति प्रजातियों के साथ मृदा की एक उपयुक्त कवरेज

मानक

3.2.3.1.
जहाँ भी उचित हो, प्रमाणीकरण कार्यक्रम यह माँग करेगा कि एक निश्चित समय अथवा स्थान पर पर्याप्त विविधता को एक ऐसे ढंग

से हासिल किया जाये जिसमें कीड़ों, खरपतवार, रोगों तथा अन्य कीटों से पड़ने वाले दबाव को ध्यान में रखा गया हो, परन्तु इसके साथ ही मृदा, जैविक तत्व, उर्वरता, जीवाणु गतिविधि तथा सामान्य मृदा स्वास्थ्य को बनाये रखा जाये अथवा उसमें वृद्धि की जाये। गैर-बारहमासी फसलों के लिये, इस सामान्य रूप से, परन्तु विशेष रूप से नहीं, फसल आवर्तन के माध्यम से हासिल किया जाता है।

3.2.4 उर्वरण नीति

सामान्य सिद्धाँत

जीवाणु, वनस्पति अथवा पशु मूल की जैविक रूप से नष्ट हो सकने वाली सामग्री की पर्याप्त मात्राओं को मृदा को वापिस दिया जाना चाहिये जिससे कि उसकी उर्वरता तथा उसके भीतर जैविक क्रियाकलापों को बढ़ाया अथवा कम से कम बनाये रखा जा सके।

जैविक फार्मों पर पैदा की गयी जीवाणु, वनस्पति अथवा पशु मूल की जैविक रूप से नष्ट की जा सकने वाली सामग्री को उर्वरण कार्यक्रम का आधार बनाया जाना चाहिये।

सिफारिशें

उर्वरण प्रबंधन को पोषक तत्वों की हानियों को न्यूनतम कर देना चाहिये।

भारी धातुओं तथा अन्य प्रदूषणकारी तत्वों के एकत्रीकरण की रोकथाम की जानी चाहिये।

अकृत्रिम खनिज उर्वरकों तथा आयातित जैविक मूल के उर्वरकों को पोषण पुनःचक्रण के संपूरक के रूप में माना जाना चाहिये और एक स्थानापन्न के रूप में नहीं।

मृदा में समुचित pH स्तरों को बनाये रखा जाना चाहिये।

मानक

3.2.4.1.
जीवाणु, वनस्पति अथवा पशु मूल की जैविक रूप से नष्ट की जा सकने वाली सामग्री को उर्वरण कार्यक्रम का आधार बनाया जाना चाहिये।

3.2.4.2.
प्रमाणीकरण कार्यक्रम स्थानीय दशाओं तथा फसलों की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, फार्म यूनिट पर लायी जा सकने वाली जीवाणु, वनस्पति अथवा पशु मूल की जैविक रूप से नष्ट की जा सकने वाली सामग्री की कुल मात्रा की सीमाओं को निर्धारित करेगा।

3.2.4.3.
प्रमाणीकरण कार्यक्रम ऐसे मानकों को निर्धारित करेगा जोकि ऐसी जगहों पर पशु चरागाहों के आवश्यकता से अधिक मात्रा में खादयुक्त होने से रोकथाम करें जहाँ पर प्रदूषण का खतरा मौजूद हो।

3.2.4.4.
आयातित सामग्री (गमलों के लिये कम्पोस्ट सहित) को परिशिष्ट 1 के अनुसरण में होना चाहिये।

3.2.4.5.
मनुष्यों द्वारा खपत हेतु पैदा की जाने वाली साग-सब्जियों के लिये मानव अवशिष्ट (मल तथा मूत्र) से युक्त खाद का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

3.2.4.6.
खनिज उर्वरकों का कार्बन आधारित सामग्रियों के साथ केवल एक सम्पूरक भूमिका के रूप में प्रयोग किया जायेगा। प्रयोग की अनुमति केवल उसी स्थिति में दी जायेगी जबकि अन्य उर्वरता प्रबंधन पद्धतियों का इष्टतम प्रयोग किया जा चुका हो।

3.2.4.7.
खनिज उर्वरकों को उनके प्राकृतिक संघटन में ही प्रयोग किया जायेगा और रासायनिक शोधन के द्वारा उनको अधिक विलयशील नहीं बनाया जायेगा। प्रमाणीकरण कार्यक्रम आपवादिक स्थितियों में इसकी अनुमति प्रदान कर सकता है जहाँ पर ऐसा करना औचित्यपूर्ण सिद्ध हो। इन अपवादों में नाइट्रोजन से युक्त खनिज उर्वरकों को शामिल नहीं किया जायेगा (परिशिष्ट 1 देखिये)।

3.2.4.8.
प्रमाणीकरण कार्यक्रम खनिज पोटाशियम, मैग्नेशियम उर्वरकों, सूक्ष्ममात्रिक तत्वों, खाद तथा उर्वरकों जैसे इनपुटस् के प्रयोग पर प्रतिबंध लगायेगा जिनमें सापेक्षिक रूप से उच्च भारी धातु अंश तथा/अथवा अन्य अवांछित पदार्थ, यथा क्षारीय धातुपिण्ड, रॉक फास्फेट तथा मलजल कीचड़ उपस्थित हो (परिशिष्ट 1 और 2)।

3.2.4.9.
चिलीयन नाइट्रेट तथा यूरिया सहित सभी कृत्रिम नाइट्रोजन युक्त उर्वरक निषिद्ध हैं।

3.2.5 कीट, रोग तथा वृद्धि विनियामकों सहित खरपतवार प्रबंधन

सामान्य सिद्धाँत

जैविक कृषि प्रणाली को इस प्रकार से संचालित किया जाना चाहिये जिससे कि कीटों, रोगों तथा खरपतवार से होने वाली हानियों को न्यूनतम किया जा सके। एक संतुलित निषेचन कार्यक्रम, पर्यावरण के साथ उत्तम रूप से अनुकूलित फसलों तथा किस्मों के प्रयोग, उच्च जैविक क्रियाकलापों से युक्त उर्वर मृदाओं, अनुकूलित आवर्तनों, सहचर पौधरोपण, हरित खाद, आदि के प्रयोग पर जोर दिया जाता है।

प्राकृतिक ढंग से वृद्धि और विकास किया जाना चाहिये।

सिफारिशें

खरपतवार, कीटों तथा रोगों को अनेक प्रकार को निवारक सांस्कृतिक तकनीकों के द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिये जो कि उनके विकास को संकुचित बना देती है। उपयुक्त आवर्तन, हरित खाद, एक संतुलित निषेचन कार्यक्रम, शुरुआती तथा पंक्तिरोपण से पूर्व क्यारियों को तैयार करना, घासपात से ढँकना, यांत्रिकनियंत्रण तथा कीट विकास चक्रों में बाधा उत्पन्न करना आदि इसके कतिपय उदाहरण है।

कीटों तथा रोगों के प्राकृतिक शत्रुओं की रक्षा करनी चाहिये तथा झाड़ियों, घोंसला बनाने की जगह, आदि के उचित प्राकृतिक वास प्रबंधन के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिये।

कीट प्रबंधन को कीटों की पारिस्थितिक आवश्यकताओं को समझने और उनमें बाधा उत्पन्न करने के द्वारा विनियामित करना चाहिये।

कीट शिकारी चक्र में एक संतुलन को स्थापित हेतु एक पारिस्थितिक साम्यावस्था की रचना करनी चाहिये।

मानक

3.2.5.1.
स्थानीय पौधों, पशुओं तथा सूक्ष्म जीवों के द्वारा फार्म पर तैयार किये गये उत्पादों को कीट, रोगों तथा खरपतवार प्रबंधन हेतु प्रयुक्त करने की अनुमति प्रदान की गयी है। यदि इससे पारिस्थितिकी अथवा जैविक उत्पादों की गुणवत्ता के खराब होने की संभावना हो, तो जैविक कृषि के अतिरिक्त इनपुटस् के मूल्यांकन हेतु पद्धति (परिशिष्ट 3) तथा अन्य प्रासंगिक मापदण्डों का प्रयोग करके यह निर्णय लिया जायेगा कि वह उत्पाद स्वीकार्य है अथवा नहीं। ब्रांडधारी उत्पादों का सदैव मूल्यांकन किया जाना चाहिये।

3.2.5.2.
कीट, रोग तथा खरपतवार प्रबन्धन हेतु ऊष्मिक खरपतवार नियंत्रण तथा भौतिक विधियों का प्रयोग करने की अनुमति है।

3.2.5.3.
कीटों तथा रोगों का सामना करने हेतु मृदाओं के ऊष्मिक जीवाणुनाशन को केवल उन्हीं परिस्थितियों के लिये सीमित रखा गया है जिनमें मृदा का समुचित आवर्तन अथवा पुनर्नवीकरण करना संभव नहीं हो। ऐसा करने की अनुमति प्रमाणीकरण कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक मामले पर पृथक रूप से विचार करने के आधार पर प्रदान की जाती है।

3.2.5.4.
पारंपरिक कृषि प्रणालियों के सभी उपकरणों को जैविक तरीके से प्रबंधित भू-भागों पर प्रयुक्त किये जाने से पहले अच्छी तरह से साफ तथा अवशेषों से मुक्त किया जायेगा।

3.2.5.5.
कृत्रिम शाकनाशकों, फफूँदनाशकों, कृमिनाशकों तथा अन्य कीटनाशकों का प्रयोग करना वर्जित है। वनस्पति कीट तथा रोग नियंत्रण हेतु अनुमत्त उत्पादों को परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध किया गया है।

3.2.5.6.
कृत्रिम वृद्धि विनियामकों तथा कृत्रिम रंगों का प्रयोग करना वर्जित है।

3.2.5.7.
आनुवांशिक रूप से निर्मित किये गये जीवों तथा उत्पादों का प्रयोग करना वर्जित है।

3.2.5.8.
प्रत्यायित प्रमाणीकरण कार्यक्रम यह सुनिश्चित करेंगे कि कीटों, परजीवियों तथा संक्रामक एजेन्टों के संचरण की रोकथाम करने हेतु सभी उपायों को लागू किया जा रहा है।

3.2.6 संदूषण नियंत्रण

सामान्य सिद्धाँत

फार्म के भीतर तथा बाहर से संदूषण को न्यूनतम करने हेतु समस्त प्रासंगिक उपायों को लागू किया जाना चाहिये।

सिफारिशें

प्रदूषण का खतरा अथवा खतरे का सन्देह होने की स्थिति में, प्रमाणीकरण कार्यक्रम को भारी धातुओं तथा अन्य प्रदूषकों के अधिकतम अनुप्रयोग स्तरों हेतु सीमाओं को निर्धारित करना चाहिये।

भारी धातुओं तथा अन्य प्रदूषकों के संचयन को सीमित रखा जाना चाहिये।

मानक

3.2.6.1.

संदूषण का युक्तिसंगत सन्देह होने की स्थिति में प्रमाणीकरण कार्यक्रम को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि संदूषण के स्तर को निर्धारित करने हेतु प्रासंगिक उत्पादों को प्रदूषण के संभावित स्त्रोतों (मृदा और जल) जांच करने के विश्लेषण किया जाये।

3.2.6.2.

संरक्षित संरचना आवरण, प्लास्टिक घासपात, कच्ची ऊन, कृमि जाल तथा साइलो संरक्षण रैपिन्ग हेतु, केवल पोलीइथिलीन तथा पोलीप्रोपाइलीन अथवा अन्य पोलीकार्बोनेटस पर आधारित उत्पादों का प्रयोग करने की अनुमति दी गयी है। उपयोग के पश्चात् इनको मृदा से अलग हटा देना होगा और कृषि-भूमि पर इनको जलाया नहीं जायेगा। पोलीक्लोराइड आधारित उत्पादों का प्रयोग वर्जित किया गया है।

3.2.7 मृदा तथा जल परिरक्षण

सामान्य सिद्धाँत

मृदा तथा जल संसाधनों को एक पोषणीय ढंग से हैण्डिल किया जाना चाहिये।

सिफारिशें

मृदा के क्षरण, खारेपन, जल के अत्यधिक तथा अनुचित प्रयोग और भूमिगत एवं पृष्ठ जल के प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रासंगिक उपायों को लागू किया जाना चाहिये।

मानक

3.2.7.1.

जैविक पदार्थ को जलाने, उदाहरणार्थ काटने और जलाने, घासफूस जलाने के माध्यम से भूभाग को साफ करने को न्यूनतम रखा जाना चाहिये।

3.2.7.2.

आदिम जंगल को साफ करना वर्जित है।

3.2.7.3.

क्षरण की रोकथाम हेतु उपयुक्त उपायों को लागू किया जायेगा।

3.2.7.4.

जल संसाधनों का अत्यधिक शोषण तथा अवक्षय की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

3.2.7.5.

प्रमाणीकरण कार्यक्रम को ऐसी समुचित संग्रहण दरों की आवश्यकता होगी जिनके परिणामस्वरूप भूमिगत तथा पृष्ठ जल का निम्नीकरण तथा प्रदूषण उत्पन्न नहीं हो।

3.2.7.6.

मृदा तथा जल के खारेपन की रोकथाम हेतु समुचित उपायों को लागू किया जायेगा।

3.2.8 वनस्पति मूल की बोयी नहीं गई सामग्री तथा शहद का संग्रहण

सामान्य सिद्धाँत

संग्रहण के कृत्य के द्वारा प्राकृतिक क्षेत्रों के अनुरक्षण में सकारात्मक योगदान दि या जाना चाहिये।

सिफारिशें

उत्पादों की कटाई अथवा इकट्ठा करते समये, पर्यावरण प्रणाली के अनुरक्षण तथा पोषणीयता को बनाये रखने पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

मानक

3.2.8.1.

वन्य फसल उत्पादों को केवल तभी जैविक प्रमाणित किया जाना चाहिये यदि उन्हें एक सुस्थिर तथा पोषणीय विकासमान वातावरण में उत्पन्न गया हो। उत्पादों की कटाई अथवा संग्रहण को पर्यावरणप्रणाली की पोषणीय पैदावार से अधिक नहीं होना चाहिये, अथवा वनस्पति अथवा पशु प्रजातियों के अस्तित्व के लिये खतरा उत्पन्न नहीं करना चाहिये।

3.2.8.2.

उत्पादों को केवल तभी जैविक प्रमाणित किया जायेगा यदि उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित एक ऐसे संग्रहण क्षेत्र से प्राप्त किया गया है, जिसका वर्जित तत्वों के साथ कोई संपर्क नहीं हुआ है, तथा जो निरीक्षण के अध्यधीन है।

3.2.8.3.
संग्रहण क्षेत्र पारंपरिक कृषि-क्षेत्र, प्रदूषण तथा संदूषण से समुचित दूरी पर स्थित होगा।

3.2.8.4.
उत्पादों की कटाई अथवा संग्रहण को संचालित करने वाले प्रचालक को स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया जायेगा तथा वह प्रश्नाधीन संग्रहण क्षेत्र के साथ परिचित होगा।

3.3. पशुपालन

3.3.1.पशुपालन प्रबन्धन

सामान्य सिद्धाँत

पशुपालन में प्रबंधन तकनीकों को प्रश्नाधीन फार्म पशुओं की शारीरिक तथा जाति स्वभाव संबंधी आवश्यकताओं द्वारा विनियमित किया जाना चाहिये। इसमें निम्नलिखित बिन्दु सम्मिलित हैं :

- कि पशुओं को अपनी मूलभूत व्यवहारात्मक आवश्यकताओं को संचालित करने का अवसर मिलना चाहिए।
- कि समस्त प्रबन्धन तकनीकों, जिनमें वे तकनीकें भी शामिल हैं जिनका संबंध उत्पादन स्तरों तथा वृद्धि की गति से होना चाहिये, को पशुओं के उत्तम स्वास्थ्य तथा कल्याण पर केन्द्रित होना चाहिये।

सिफारिशें

कल्याणकारी कारणों को देखते हुए झुण्ड अथवा समूह के आकार का पशु के व्यवहारात्मक पैटर्न पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिये।

मानक

3.3.1.1.
प्रमाणीकरण कार्यक्रम यह सुनिश्चित करेगा कि पशु वातावरण का प्रबंधन पशुओं की व्यवहारात्मक आवश्यकताओं का पूरा-पूरा ध्यान रखेगा तथा निम्नलिखित बातों का प्रावधान करेगा :

- पर्याप्त स्वंतत्र विचरण
- पशुओं की आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त ताजी हवा तथा दिन में नैसर्गिक प्रकाश
- पशुओं की आवश्यकताओं के अनुसार अत्यधिक प्रकाश, तापमानों, वर्षा तथा हवा से बचाव
- पशुओं की आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त लेटने तथा/अथवा विश्राम की जगह जिन पशुओं को लेटने के लिये बिस्तर की जरूरत पड़ती हो, उनके लिये प्राकृतिक सामग्रियाँ उपलब्ध कराई जानी चाहिये।
- पशुओं की आवश्यकताओं के अनुसार ताजे पानी तथा चारे तक पर्याप्त पहुँच
- प्रजातियों की जैविक तथा जाति स्वाभावपरक आवश्यकताओं के अनुसरण में व्यवहार की अभिव्यक्ति हेतु पर्याप्त सुविधाएँ

निर्माण सामग्रियों अथवा उत्पादन उपकरण हेतु ऐसे किसी भी यौगिक का प्रयोग नहीं किया जायेगा जो कि मनुष्य अथवा पशु के स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक हो।

3.3.1.2.
सभी पशुओं की आयु तथा अवस्था, जिसको प्रमाणीकरण कार्यक्रम द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा, को ध्यान मे रखते हुए, उनको पशु के प्रकार तथा ऋतु के लिये उपयुक्त खुली हवा तथा/अथवा चराई तक पहुँच प्रदान की जायेगी।

प्रमाणीकरण कार्यक्रम निम्नलिखित मामलों में अपवादस्वरूप छूट प्रदान करेगा जहाँ :

- विशिष्ट फार्म अथवा अधिवास संरचना इस प्रकार की पहुँच में रूकावट पैदा करती हो, बशर्ते कि पशु कल्याण को सुनिश्चित किया जा सकता हो।
- ऐसे भूभाग जहाँ पर चराई की अपेक्षा ढोकर लाये गये ताजे चारे को पशुओं को खिलाना भूमि संसाधनों के उपयोग का अधिक पोषणीय तरीका हो, बशर्ते कि पशुओं के कल्याण की अवहेलना नहीं की जा रही हो।

ऐसे प्रत्येक अपवाद हेतु निर्धारित किये गये प्रतिबन्धों में एक समय सीमा को सदैव शामिल किया जायेगा।

मुर्गियों तथा खरगोशों को पिंजरों में कैद नहीं किया जायेगा।

भूमिहीन पशुपालन प्रणालियों को अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

3.3.1.3.

यदि कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था के द्वारा प्राकृतिक दिवस की लंबाई को बढ़ाया गया हो, तो प्रमाणीकरण कार्यक्रम प्रजातियों, भौगोलिक अवधारणाओं तथा पशुओं के सामान्य स्वास्थ्य के संदर्भ में अधिकतम घण्टों को विनिर्दिष्ट करेगा।

3.3.1.4.

झुण्ड़ में रहने वाले पशुओं को अकेले में नहीं रखा जायेगा।

प्रमाणीकरण कार्यक्रम द्वारा अपवादों, उदाहरणस्वरूप, नर पशुओं, छोटे-छोटे जोत-क्षेत्रों, रुग्ण पशुओं अथवा गर्भवती मादाओं के लिए छूट प्रदान की जा सकती है।

3.3.2 रूपान्तरण अवधि की लंबाई

सामान्य सिद्धाँत

जैविक पशुपालन की स्थापना हेतु एक अंतरिम अवधि, रूपान्तरण अवधि की आवश्यकता होती है।

सिफारिशें

संपूर्ण फार्म, पशुधन सहित, को इस प्रलेख में निर्धारित किये गये मानकों के अनुसार रूपान्तरित किया जाना चाहिये। रूपान्तरण को एक समयावधि के भीतर पूरा किया जा सकता है।

उत्पादन प्रकिया की शुरुआत में ही स्थानापन्न मुर्गीपालन को जोत-क्षेत्र पर ले आना चाहिये।

मानक

3.3.2.1.

पशुउत्पादों को ''जैविक खेती के उत्पाद'' के रूप में केवल उसी स्थिति में बेचा जा सकता है जबकि फार्म अथवा उसका एक संबंद्ध भाग कम से कम बारह महीनों के लिये रूपान्तरण के अधीन रहा हो तथा यदि समुचित समय के लिये जैविक पशु उत्पादन मानकों का पालन किया जाता रहा हो।

3.3.2.2.

प्रमाणीकरण कार्यक्रम द्वारा समय की उस लंबाई को विनिर्दिष्ट किया जायेगा जिसमें पशु उत्पादन मानकों को पूरा कर लिया जाए। डेयरी तथा अण्डा उत्पादन के संबंध में यह अवधि 30 दिनों से कम नहीं होगी।

3.3.2.3.

यदि जैविक मानकों को 12 महीनों तक पूरा किया जाता रहा हो तो रूपान्तरण के समय पर फार्म पर मौजूद पशुओं को जैविक माँस के रूप में बेचा जा सकता है।

3.3.3 आयातित पशु

सामान्य सिद्धाँत

सभी जैविक पशुओं का जन्म तथा पालनपोषण जैविक जोत-भूमि पर होना चाहिये।

सिफारिशें

जैविक पशुपालन को पारंपरिक पालनपोषण प्रणालियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिये। पशुधन का व्यापार अथवा विनिमय करते समय, प्राथमिकता के रूप में इसे जैविक फामों के बीच में अथवा विशिष्ट फार्मो के बीच दीर्घावधि सहयोग के एक भाग के रूप में किया जाना चाहिये।

मानक

3.3.3.1.

जैविक पशुधन के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, प्रमाणीकरण कार्यक्रम निम्नलिखित आयु सीमाओं के अनुसार आयातित पारंपरिक पशुओं के लिये अनुमति प्रदान करेगा :

- माँस उत्पादन हेतु 2 दिन की आयु के चूज़े
- अण्डा उत्पादन हेतु 18 सप्ताह की आयु की मुर्गियाँ
- किसी अन्य मुर्गीपालन हेतु 2 सप्ताह की आयु की मुर्गियाँ
- सुअर के छह सप्ताह की आयु के तथा दुध छुड़ाये हुए बच्चे
- 4 सप्ताह तक की आयु के ऐसे बछड़े जिन्होंने नवदुग्ध पी लिया हो तथा जिन्हें आहार दिया गया हो जिसमें मुख्य रूप से पूर्ण दूध शामिल था।

प्रमाणीकरण कार्यक्रम प्रत्येक प्रकार के पशु के लिये गर्भधारण से लेकर प्रमाणित जैविक पशुओं के क्रियान्वयन हेतु समय सीमाओं (जो पाँच वर्षों से अधिक की नहीं होगी) को निर्धारित करेंगे।

3.3.3.2.

प्रजनन पशुधन को पारंपरिक फार्मों से लाया जा सकता है परन्तु उनकी अधिकतम संख्या एक वर्ष में जैविक फार्म पर समान प्रजातियों के वयस्क पशुओं के 10% तक ही हो सकती है।

आयातित प्रजनन पशुधन के लिये प्रमाणीकरण कार्यक्रम निम्नलिखित मामलों में तथा स्पष्ट समय सीमाओं के साथ 10% से उच्चतर वार्षिक अधिकतम की अनुमति प्रदान करेगा :

- *अनपेक्षित गंभीर प्राकृतिक अथवा मनुष्य निर्मित घटनाएँ*
- *फार्म का काफी बड़े पैमाने पर विस्तार*
- *फार्म पर नये प्रकार के पशु उत्पादन की स्थापना*
- *लघु जोत-क्षेत्र*

3.3.4 नस्लें तथा प्रजनन

सामान्य सिद्धाँत

ऐसी नस्लों का चुनाव करना चाहिये जो स्थानीय दशाओं के प्रति अनुकूलित हों।

प्रजनन लक्ष्यों को पशु के प्राकृतिक व्यवहार से अलग नहीं होना चाहिये तथा उन्हें उत्तम स्थास्थ्य की ओर उन्मुख किया जाना चाहिये।

सिफारिशें

प्रजनन में ऐसी विधियों को शामिल नहीं किया जाना चाहिये जोकि कृषि प्रणाली को उच्च प्रौद्योगिकीय तथा पूँजी बहुल विधियों पर निर्भर बना दें।

प्रजनन तकनीकों को प्राकृतिक होना चाहिये।

मानक

3.3.4.1.

प्रमाणीकरण कार्यक्रम यह सुनिश्चित करेगा कि प्रजनन प्रणालियाँ ऐसी नस्लों पर आधारित हैं जो कि प्राकृतिक रूप से मैथुन तथा प्रसव दोनों कामों को कर सकती हों।

3.3.4.2.

कृत्रिम गर्भाधान की अनुमति प्रदान की गयी है।

3.3.4.3.

जैविक कृषि में भ्रूण अन्तरण तकनीकों की अनुमति प्रदान नहीं की गयी है।

3.3.4.4.

हार्मोन संबंधी ऊष्मा उपचार तथा अभिप्रेरित प्रसव की अनुमति केवल उसी स्थिति में प्रदान की गयी है जबकि उसे चिकित्सीय कारणों से तथा पशुचिकित्सक की सलाह पर वैयक्तिक पशुओं पर इस्तेमाल किया जा रहा हो।

3.3.4.5.

आनुवांशिक रूप से निर्मित प्रजातियों अथवा नस्लों के उपयोग की अनुमति प्रदान नहीं की गयी है।

3.3.5 अंग काटना

सामान्य सिद्धाँत

पशुओं की पृथक् विशेषताओं का सम्मान किया जाना चाहिये।

सिफारिशें

ऐसी प्रजातियों का चयन किया जायेगा जिनके अंग काटने की आवश्यकता नहीं हो।

अंग काटने की केवल अपवादस्वरूप अनुमति दी जा सकती ह और यह कार्य कम से कम हो।

मानक

3.3.5.1.

अंग काटने की अनुमति प्रदान नहीं की गयी है।

प्रमाणीकरण कार्यक्रम निम्नलिखित अपवादों को अनुमति प्रदान करेगा :

- बधियाकरण
- मेमनों की दुम काटना
- सींगों को काटना

- नाथना
- म्यूलसिन्ग

पीड़ा को न्यूनतम रखा जाये तथा जहाँ भी उपयुक्त हो, तो बेहोश कर देने वाली दवाइयों का प्रयोग किया जाये।

3.3.6 पशुपोषण

सामान्य सिद्धाँत

समस्त चारा स्वयं फार्म से ही आना चाहिये अथवा क्षेत्र के भीतर ही पैदा किया जाना चाहिये।

पशुओं को दैनिक भोजन एक ऐसे ढंग से दिया जाना चाहिये जिससे कि वे अपने प्राकृतिक आहार व्यवहार तथा पाचन संबंधी आवश्यकताओं को निष्पादित कर सकें।

सिफारिशें

दैनिक भोजन को पशुओं की पोषक आहार संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार संतुलित किया जाना चाहिये।

जैविक चारा प्रसंस्करण उद्योग के उत्पादों का प्रयोग किया जायेगा।

जैविक पशुधन उत्पादन में रंजक एजेन्टों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

मानक

3.3.6.1.
प्रमाणीकरण कार्यक्रम चारा तथा चारा अवयवों हेतु मानकों को तैयार करेगा।

3.3.6.2.
चारे का प्रधान भाग (कम से कम 50% से अधिक) स्वयं फार्म यूनिट से प्राप्त किया जायेगा अथवा क्षेत्र में अन्य जैविक फार्मों के सहयोग से उत्पन्न किया जायेगा।

प्रमाणीकरण कार्यक्रम स्थानीय अवस्थाओं के संबंध में क्रियान्वयन हेतु समय सीमा के एक समूह के अधीन अपवादों को छूट प्रदान करेगा।

3.3.6.3.
केवल गणना प्रयोजन हेतु, जैविक प्रबन्धन के प्रथम वर्ष के दौरान फार्म यूनिट पर उत्पन्न किये गये चारे को जैविक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका तात्पर्य केवल ऐसे पशुओं हेतु चारे से है जिनको स्वयं फार्म यूनिट के भीतर पालन पोषण किया गया हो तथा ऐसे चारे को जैविक के रूप बेचा अथवा अन्यथा नहीं विपणन किया जायेगा (4.2.4 के अनुरूप)।

3.3.6.4.
यदि जैविक खेती स्त्रोतों से कतिपय आहारों को प्राप्त करना असंभव सिद्ध हो जाता है, तो प्रमाणीकरण कार्यक्रम फॉर्म पशुओं के द्वारा खाये जाने वाले चारे की एक प्रतिशतता को पारंपरिक फार्म से प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करेगा। ऐसे आहारों की अधिकतम प्रतिशतताओं को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है तथा उसकी प्रत्येक पशु श्रेणी हेतु औसत दैनिक भोजन के रूप में गणना की जायेगी। इन अधिकतम प्रतिशतताओं का पूरे वर्ष भर अनुपालन किया जायेगा।

जुगाली करने वाले (शुष्क पदार्थ ग्रहण)	15%
जुगाली नहीं करने वाले (शुष्क पदार्थ ग्रहण)	20%

5 वर्षों के भीतर इन प्रतिशतताओं को निम्नलिखित रूप से घटा दिया जायेगा :

जुगाली करने वाले (शुष्क पदार्थ)	10%
जुगाली नहीं करने वाले (शुष्क पदार्थ)	15%

प्रमाणीकरण कार्यक्रम निम्नलिखित मामलों में इन प्रतिशतताओं में विशिष्ट समय सीमाओं तथा शर्तों के साथ छूट प्रदान करेगा :

- *आकस्मिक गंभीर प्राकृतिक अथवा मानव-निर्मित घटनाऐं*
- *चरम जलवायु अथवा मौसम संबंधी दशाएँ*
- ऐसे क्षेत्र जहाँ जैविक खेती विकास के प्रारंभिक चरणों में हो।

3.3.6.5.
फार्म पशुओं को दिये जाने वाले चारे में निम्नलिखित उत्पादों को शामिल अथवा जोड़ा नहीं जायेगा :

- कृत्रिम वृद्धि उत्प्रेरक अथवा उद्दीपक
- कृत्रिम क्षुधावर्धक

- परिरक्षक, केवल एक प्रसंस्करण सहायक के रूप में प्रयुक्त किये जाने को छोड़कर
- कृत्रिम रंजक एजेंटस्
- यूरिया
- जुगाली करने वाले पशुओं को फार्म पशु उपजात (उदाहरणार्थ कसाई खाना के अवशिष्ट पदार्थ)
- बीट, गोबर अथवा अन्य खाद (सभी प्रकार का मल) भले ही उसे प्रौद्योगिकीय रूप से संसाधित किया गया हो
- चारा जिसमें विलायक (उदाहरणार्थ हेक्जेन), कर्षण (सोया तथा तोरी के बीजों का आहार) अथवा अन्य किसी रासायनिक एजेन्टों को मिलाया गया हो
- शुद्ध अमीनो एसिडस्
- आनुवांशिक रूप से निर्मित जीव अथवा उनके उत्पाद

इसमें जैविक तथा पारंपरिक आहार तत्व दोनों ही शामिल हैं।

3.3.6.6.
प्राकृतिक मूल के विटामिनों, सूक्ष्ममात्रिक तत्वों तथा संपूरकों का उपयुक्त प्रमात्रा तथा गुणवत्ता में उपलब्ध होने की स्थिति में प्रयोग किया जायेगा।

प्रमाणीकरण कार्यक्रम संश्लेषित अथवा अप्राकृतिक स्त्रोतों से प्राप्त विटामिनों तथा खनिजों के प्रयोग हेतु शर्तों को परिभाषित करेगा।

3.3.6.7.
जुगाली करने वाले सभी पशुओं को प्रतिदिन मोटा चारा खिलाया जायेगा।

3.3.6.8.
निम्नलिखित चारा परिरक्षकों का प्रयोग किया जा सकता हैं :

- बैक्टरिया, फफूँद तथा एन्जाइम्स
- खाद्य उद्योग के उपजात (यथा शीरा)
- वनस्पति आधारित उत्पाद

विशेष मौसम दशाओं में कृत्रिम रासायनिक चारा परिरक्षकों के प्रयोग की अनुमति प्रदान की जायेगी। प्रमाणीकरण कार्यक्रम संश्लेषित अथवा अथवा अप्राकृतिक स्त्रोतों से प्राप्त तत्वों यथा एसीटिक, फोर्मिक और प्रोपायोनिक एसिड, विटामिनों तथा खनिज के प्रयोग हेतु शर्तों को विनिर्दिष्ट करेगा।

3.3.6.9.
प्रमाणीकरण कार्यक्रम संबंद्ध पशु प्रजातियों के प्राकृतिक व्यवहार को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम दुधछुटाई समयावधियों को निर्धारित करेगा।

3.3.6.10.
स्तनधारी पशुओं के शिशुओं को ऐसी प्रणालियों का प्रयोग करते हुए पाला जायेगा जो कि जैविक दुध, विशेषकर उनकी अपनी प्रजातियों से प्राप्त, पर निर्भर करती हों।

आपात् स्थितियों में प्रमाणीकरण कार्यक्रम गैर-जैविक कृषि प्रणालियों से प्राप्त दूध अथवा डेयरी आधारित दूध स्थानापन्नों का प्रयोग करने की छूट प्रदान करेगा बशर्ते कि उनमें एन्टीबॉयटिक्स अथवा कृत्रिम योज्य अन्तर्विष्ट नहीं हों।

3.3.7 पशुचिकित्सा दवाइयाँ

सामान्य सिद्धाँत

प्रबंधन पद्धतियाँ को पशुओं के कल्याण, रोगों के विरुद्ध अधिकतम प्रतिरोधी क्षमता तथा संक्रमणों की रोकथाम की ओर उन्मुख होना चाहिये।

रूग्ण तथा घायल पशुओं को तुरंत तथा समुचित चिकित्सा उपलब्ध कराई जानी चाहिये।

सिफारिशें

प्राकृतिक दवाइयों तथा विधियों पर जोर दिया जायेगा जिनमें होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी दवाई तथा एक्यूपंचर शामिल हैं।

बीमारी पैदा होने की स्थिति में लक्ष्य यह पता लगाना होना चाहिये कि ऐसा होने का कारण क्या था तथा प्रबंधन पद्धतियों को बदलकर भविष्य में ऐसी बीमारी के दोबारा पैदा होने से रोकथाम करनी चाहिये।

जहाँ भी उचित हो, तो प्रमाणीकरण कार्यक्रम दवाइयों के प्रयोग को न्यूनतम करने के लिये फार्म के पशुचिकित्सा रिकार्डों के आधार पर शर्तों को निर्धारित करेगा।

प्रमाणीकरण कार्यक्रम को दवाइयों की एक सूची तैयार करनी चाहिये जिसमें उनको नहीं खिलाने की अवधियों को निर्दिष्ट किया गया हो।

मानक

3.3.7.1.
बीमारी की उपचार पद्धति का चयन करते समय पशुओं के कल्याण को प्राथमिक वरीयता दी जाती है। पारंपरिक पशुचिकित्सा दवाइयों का प्रयोग करने की छूट केवल उसी स्थिति में दी जायेगी जबकि कोई अन्य युक्तिसंगत विकल्प मौजूद नहीं हो।

3.3.7.2.
जहाँ पर परंपरागत पशुचिकित्सा दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा हो, तो रोके रखने की अवधि कानूनी अवधि से कम से कम दो गुनी होगी।

3.3.7.3.
निम्नलिखित पदार्थों का प्रयोग करना वर्जित है :

- कृत्रिम वृद्धि उत्प्रेरक
- उत्पादन उद्दीपन अथवा प्राकृतिक वृद्धि को दबाने हेतु कृत्रिम मूल के पदार्थ
- ऊष्मा प्रेरण अथवा ऊष्मा समक्रमण हेतु हॉर्मोन्स् जब तक कि किसी वैयक्तिक पशु में पशुचिकित्सा संकेतों से औचित्यपूर्ण सिद्ध की गयी प्रजनन विकृतियों के विरुद्ध उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा हो।

3.3.7.4.
टीकों का प्रयोग केवल उसी स्थिति में किया जायेगा जबकि फार्म के क्षेत्र में बीमारियों की एक समस्या मौजूद हो अथवा होने की आशा हो और जहाँ पर इन बीमारियों को अन्य प्रबंधन तकनीकों के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता हो। प्रमाणीकरण कार्यक्रम ऐसे मामलों हेतु शर्तों को परिभाषित करेगा।

कानूनी तौर पर अनिवार्य टीकों की अनुमति प्रदान की गयी है।

आनुवांशिक रूप से निर्मित टीकों का प्रयोग वर्जित किया गया है।

3.3.8 परिवहन तथा पशुवध

सामान्य सिद्धाँत

परिवहन तथा पशुवध से पशु को न्यूनतम कष्ट होना चाहिये। यात्रा की दूरी तथा आवृत्ति को भी न्यूनतम रखा जाना चाहिये।

परिवहन का माध्यम प्रत्येक पशु की दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिये।

सिफारिशें

परिवहन के दौरान पशुओं का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाना चाहिये।

मौसम की दशाओं तथा परिवहन की अवधि पर निर्भर करते हुए परिवहन के दौरान पशुओं को पानी पिलाया तथा चारा खिलाया जाना चाहिये।

निम्नलिखित बिन्दुओं का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए, पशुओं को यथासंभव कम से कम तकलीफ दी जानी चाहिये :

- प्रत्येक पशु का मृत पशुओं अथवा मारने की प्रक्रियाधीन पशुओं के साथ (आँख, कान अथवा गंध से) संपर्क
- वर्तमान समूह सम्बन्ध
- कष्ट को कम करने हेतु विश्राम करने का समय

प्रत्येक पशु को खून बहाकर मारते समय उसे अचेत कर देना चाहिये। अचेत कर देने के लिये इस्तेमाल किये जाने वाले उपकरण को सही ढंग से काम करने की स्थिति में होना चाहिये। सांस्कृतिक रिवाजों के अनुसार अपवादस्वरूप छूट प्रदान की जा सकती है। यदि पशुओं को पहले से अचेत किया बिना ही उनके खून को बहाया जाता है, तो इस काम को एक शांत वातावरण में पूरा किया जाना चाहिये।

मानक

3.3.8.1.
प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के शुरु से लेकर अंत तक, पशु की देखभाल के लिये जिम्मेदार व्यक्ति उपस्थित रहेगा।

3.3.8.2.
परिवहन तथा पशुवध के दौरान शांत तथा नरम तरीके से हैण्डिलिन्ग की जानी चाहिये। बिजली की छड़ों और ऐसे उपकरणों का प्रयोग वर्जित होगा।

3.3.8.3.
प्रमाणीकरण कार्यक्रम निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए पशुवध तथा परिवहन मानकों को निर्धारित करेगा :

- पशु तथा इन्चार्ज व्यक्ति को होने वाला कष्ट
- पशु की फिटनेस
- लादना तथा नीचे उतारना
- पशुओं के विभिन्न समूहों अथवा भिन्न लिंग के पशुओं को एक साथ मिला देना
- परिवहन के माध्यम तथा हैण्डिलिन्ग उपकरण की गुणवत्ता तथा उपयुक्तता
- तापमान तथा सापेक्षिक आर्द्रता
- भूख तथा प्यास
- प्रत्येक पशु की विशिष्ट आवश्यकताएँ

3.3.8.4.
परिवहन से पहले अथवा उसके दौरान कोई रासायनिक संश्लेषित प्रशान्तक अथवा उद्दीपक नहीं दिये जायेंगे।

3.3.8.5.
सभी चरणों के दौरान प्रत्येक पशु अथवा पशुओं के समूह की पहचान करना संभव होना चाहिये।

3.3.8.6.
यदि परिवहन धुरी के द्वारा किया जाना हो, तो वधगृह तक की यात्रा का समय आठ घण्टों से अधिक का नहीं होना चाहिये।

प्रमाणीकरण कार्यक्रम प्रत्येक मामले पर अलग से विचार करने के बाद छूट प्रदान कर सकता है।

3.3.9 मधुमक्खी पालन

सामान्य सिद्धाँत

संग्रहण क्षेत्र को जैविक तथा/अथवा वन्य होना चाहिये तथा कालोनी की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उत्तम स्वास्थ्य बनाये रखने में सक्षम होने के लिये यथासंभव वैविध्यपूर्ण होना चाहिये।

आपूर्ति किया जाने वाला भोजन पूर्ण रूप से जैविक होना चाहिये।

मधुमक्खीपालन को पशुपालन का ही एक भाग माना जाता है। अतएव सामान्य सिद्धाँत मधुमक्खीपालन पर भी लागू होते हैं।

सिफारिशें

कालोनियों को भोजन खिलाने को जलवायु परक दशाओं के कारण अस्थायी भोजन संकट से निबट ने हेतु एक अपवाद के रूप में देखा जायेगा।

बुनियादी छत्ते को जैविक मोम से बनाया जाना चाहिये।

यदि मधुमक्खियों को वन्य क्षेत्रों में पाला जाता है, तो देशी कीट जनसंख्या का ध्यान रखा जाना चाहिये।

मानक

3.3.9.1.
छत्तों को जैविक ढंग से प्रबंधित क्षेत्रों तथा/अथवा वन्य प्राकृतिक क्षेत्रों में स्थापित किया जायेगा। छत्तों को खेतों अथवा अन्य ऐसे क्षेत्रों के पास नहीं रखा जाना चाहिये जहाँ पर रासायनिक कीटनाशकों अथवा शाकनाशकों का प्रयोग किया जाता हो।

प्रमाणीकरण निकायों के द्वारा प्रत्येक मामले पर अलग से विचार करने के बाद छूट प्रदान की जा सकती है।

3.3.9.2.
ऋतु से पहले अंतिम कटाई के पश्चात् जब चारा खोजकर खाने की कोई सुविधा उपलब्ध नही होती, केवल तभी चारा खिलाया जाना चाहिये।

3.3.9.3.
प्रत्येक मधुमक्खी छत्ते को प्रधान रूप से प्राकृतिक सामग्रियों से निर्मित होना चाहिये। संभावित विषैले प्रभावों से युक्त निर्माण सामग्रियों का प्रयोग करना वर्जित है।

3.3.9.4.
ऐसे मधुमक्खी छत्तों में स्थायी सामग्रियों का प्रयोग नहीं करना चाहिये जिनमें शहद के फैलाव की संभावना हो तथा जहाँ मृत मधुमक्खियों के माध्यम से अवशिष्टों को वितरित किया जा सकता हो।

3.3.9.5.
पंखों को काटने की अनुमति नहीं है।

3.3.9.6.
मधुमक्खी पालन में पशुचिकित्सा दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

मधुमक्खियों के साथ काम करते समय (यथा शहद जमा करते समय), निषिद्ध पदार्थों से युक्त किसी विकर्षक का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

3.3.9.7.
कीट तथा रोगनियंत्रण हेतु तथा छत्तों के रोगाणुनाशन हेतु निम्नलिखित उत्पादों की अनुमति प्रदान की जायेगी :

- कास्टिक सोडा
- दुग्धिक, ऑक्सैलिक, एसीटिक एसिड
- फ़ार्मिक एसिड
- सल्फर
- ईथारिक तेल
- बैसिलस थ्युरिन्गिन्सिस

3.4. खाद्य प्रसंस्करण तथा हैण्डिलिन्ग

3.4.1 सामान्य

सामान्य सिद्धाँत

उत्पाद की गुणवत्ता तथा सत्य निष्ठता को बनाये रखने हेतु जैविक उत्पादों की हैण्डिलिन्ग तथा प्रसंस्करण को सर्वश्रेष्ठ रूप में किया जाना चाहिये तथा उसे कीटों और रोगों के विकास को न्यूनतम बनाये रखने की ओर उन्मुख रहना चाहिये।

सिफारिशें

जैविक उत्पादों के प्रसंस्करण तथा हैण्डिलिन्ग को गैर-जैविक उत्पादों के प्रसंस्करण तथा हैण्डिलिन्ग से अलग समय तथा स्थान पर पृथक् रूप से किया जाना चाहिये।

प्रदूषण स्त्रोतों की पहचान की जायेगी तथा संदूषण से बचाव किया जायेगा।

सुवासित अर्कों को भौतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से आहार (अधिमानतः जैविक) से प्राप्त किया जायेगा।

मानक

3.4.1.1.
जैविक उत्पादों को गैर-जैविक उत्पादों के साथ मिल जाने से बचाया जाना चाहिये।

3.4.1.2.
संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान सभी उत्पादों को समुचित रूप से अभि-निर्धारित किया जायेगा।

3.4.1.3.
प्रमाणीकरण कार्यक्रम प्रदूषकों तथा संदूषकों की रोकथाम तथा नियंत्रण हेतु मानकों को निर्धारित करेगा।

3.4.1.4.
जैविक तथा गैर-जैविक उत्पादों को एक साथ भण्डारित अथवा परिवहित नहीं किया जायेगा सिवाय उस स्थिति को छोड़कर जब कि उनकी लेबलिन्ग की गयी हो तथा भौतिक रूप से पृथक् करके रखा गया हो।

3.4.1.5.
प्रमाणीकरण कार्यक्रम उन सभी सुविधाओं को विसंदूषित, स्वच्छ अथवा विसंक्रमित करने हेतु अनुमत्त अथवा संस्तुत साधनों तथा उपायों को विनियमित करेगा जिनमें जैविक उत्पादों को रखा, हैण्डिल, संसाधित अथवा भण्डारित किया गया हो।

3.4.1.6.

परिवेशी तापमान पर भण्डारण के साथ-साथ, भण्डारण की निम्नलिखित विशेष दशाओं की अनुमति प्रदान की गई है (परिशिष्ट 4 देखिये) :

- नियंत्रित वातावरण
- वातानुकूलन
- प्रशीतन
- शुष्कन
- आर्द्रता नियंत्रण

पकाने हेतु इथाइलिन गैस का प्रयोग करने की अनुमति दी गयी है।

3.4.2 कीट तथा रोग नियंत्रण

सामान्य सिद्धाँत

उत्तम विनिर्माण पद्धतियों का प्रयोग करके कीटों की रोकथाम की जानी चाहिये। इनमें आम स्वच्छता तथा साफ-सफाई सम्मिलित है।

अतएव कीट नियंत्रक एजेटों के द्वारा उपचार क्रिया को अंतिम विकल्प के रूप में देखा जाना चाहिये।

सिफारिशें

संस्तुत उपचारों में भौतिक अवरोध, ध्वनि, अल्ट्रासाउंड, प्रकाश, तथा पराबैंगनी प्रकाश, फंदें (फेरोमोन फंदा तथा स्थिर चारा फंदा सहित),तापमान नियंत्रण, नियंत्रित वातावरण तथा डायटमी पृथ्वी हैं।

कीट निवारण तथा कीट नियंत्रण हेतु एक योजना को विकसित किया जाना चाहिये।

मानक

3.4.2.1.

कीट प्रबंधन तथा नियंत्रण हेतु निम्नलिखित उपायों का प्राथमिकता के क्रम में प्रयोग किया जाना चाहिये

- निवारक विधियाँ यथा अधिवास तथा सुविधाओं तक पहुँच में व्यवधान, उन्मूलन
- यांत्रिक, भौतिक तथा जैविक विधियाँ
- राष्ट्रीय मानकों के परिशिष्टों में अन्तार्विष्ट कीटनाशक पदार्थ
- फंदों में प्रयोग किये जाने वाले अन्य पदार्थ
- प्रदीपन निषिद्ध है।

3.4.2.2.

जैविक उत्पादों तथा निषिद्ध पदार्थों (यथा कीटनाशकों) के मध्य कभी भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संपर्क नहीं होगा। सन्देह की स्थिति में, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जैविक उत्पादों में कोई भी अवशिष्ट मौजूद नहीं हो।

3.4.2.3.

स्थायी अथवा कार्सिनोजनक कीटनाशकों तथा रोगाणुनाशकों की अनुमति प्रदान नहीं की गयी है।

प्रमाणीकरण कार्यक्रम यह निश्चित करने हेतु नियमों को निर्धारित करेगा कि कौन-कौन से संरक्षण एजेन्टों तथा रोगाणुनाशकों का प्रयोग किया जा सकता है।

3.4.3 अवयव, योज्य तथा प्रसंस्करण सहायक

सामान्य सिद्धाँत

कृषि मूल के अवयवों के 100% भाग को जैविक प्रमाणित होना चाहिये।

सिफारिशें

इनजॉइमों तथा अन्य सूक्ष्म-जैविक उत्पादों के उत्पादन हेतु प्रयुक्त साधन को जैविक अवयवों से निर्मित होना चाहिये।

प्रमाणीकरण कार्यक्रम निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखेगा :

- पोषक मूल्य को बनाये रखना
- समान उत्पादों की मौजूदगी अथवा पैदा करने की संभावना।

मानक

3.4.3.1
यदि जैविक कृषि मूल का कोई अवयव पर्याप्त गुणवत्ता अथवा प्रमात्रा में उपलब्ध नहीं हो, तो प्रमाणीकरण कार्यक्रम ऐसे मामलों में सावधिक पुर्नमूल्यांकन के अध्यधीन गैर जैविक कच्ची सामग्रियों के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है। ऐसे गैर-जैविक कच्चे माल को आनुवंशिक रूप से निर्मित नहीं किया जायेगा।

3.4.3.2
किसी उत्पाद के भीतर एक ही अवयव को जैविक तथा गैर-जैविक दोनों मूलों से प्राप्त नहीं किया जायेगा।

3.4.3.3.
जैविक उत्पादों में जल तथा नमक का प्रयोग किया जा सकता है।

3.4.3.4.
खनिजों (सूक्ष्ममात्रिक तत्वों सहित), विटामिनों तथा समान एकान्तिक अवयवों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

प्रमाणीकरण कार्यक्रम ऐसे मामलों में छूट प्रदान कर सकता है जहाँ पर कानूनी तौर से प्रयोग करने की आवश्यकता हो अथवा जहाँ आहार संबंधी अथवा पोषण संबंधी भारी कमी को प्रदर्शित किया जा सकता है।

3.4.3.5.
खाद्य प्रसंस्करण में आम तौर से प्रयुक्त होने वाले सूक्ष्म-जीवों तथा इनजॉइमों की विरचनों, परन्तु आनुवांशिक रूप से निर्मित सूक्ष्म-जीवों तथा उनके उत्पादों के अपवाद को छोड़कर, का प्रयोग किया जा सकता है।

3.4.3.6
योज्यों तथा प्रसंस्करण सहायकों के प्रयोग को सीमित रखा जायेगा।

3.4.4 प्रसंस्करण विधियाँ

सामान्य सिद्धाँत

प्रसंस्करण विधियों को यांत्रिक, भौतिक तथा जैविक प्रक्रियाओं पर आधारित होना चाहिये।

किसी भी जैविक अवयव के प्रसंस्करण के प्रत्येक चरण के शुरु से लेकर अंत-तक उसकी महत्वपूर्ण गुणवत्ता को बनाये रखा जाना चाहिये।

सिफारिशें

योज्यों तथा प्रसंस्करण सहायकों की संख्या तथा प्रमात्रा को सीमित करने हेतु प्रसंस्करणविधियों का चुनाव किया जायेगा।

मानक

3.4.4.1
निम्नलिखित प्रकार की प्रक्रियाओं का अनुमोदन किया गया है :

- यांत्रिक तथा भौतिक
- जैविक
- धूमन
- निष्कर्षण
- संघनन
- छनाई

3.4.4.2
निष्कर्षण केवल पानी, इथनोल, वनस्पति तथा पशु तेलों, सिरका, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन अथवा कार्बोक्सीलिक एसिड के साथ ही किया जायेगा। इन्हें प्रयोजन हेतु उपयुक्त खाद्य ग्रेड गुणवत्ता से युक्त होना चाहिये।

3.4.4.3.
प्रदीपन की अनुमति नहीं है।

3.4.4.4
छनाई पदार्थों को एस्वेस्टॉस से निर्मित न ही होना चाहिये और नहीं उनमें ऐसे पदार्थ व्याप्त होने चाहिये जिनका उत्पाद पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

3.4.5 पैकेजिन्ग

सामान्य सिद्धाँत

पैकेजिन्ग हेतु प्रयोग में लायी जाने वाली सामग्री को पर्यावरण-अनुकूल होना चाहिये।

सिफारिशें

– वस्तुओं की जैविक प्रकृति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सामग्रिों के प्रयोग से बचाना चाहिए।
– पी वी सी सामग्रीयों का प्रयोग निषिद्ध है।
– लेमिनेट्स और अल्यूमीनियम के प्रयोग से बचना चाहिए।
– जहां कहीं संभव हो, वहां पुनः चक्रण तथा पुनः प्रयोग योग्य प्रणालियों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
– जैविक रूप से नष्ट होने वाली पैकेजिंग सामग्रियों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

मानक

3.4.5.1
उत्पाद की 'ओर्गनोप्टिक' विशेषता (organoleptic character) को प्रभावित करने वाली सामग्रियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और न ही किसी वस्तु में उनकी मात्रा का संचार हो क्योंकि यह मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है।

3.5 लेबलिन्ग

सामान्य सिद्धाँत

लेबलिन्ग को उत्पाद की जैविक अवस्थिति के संबंध में स्पष्ट तथा सही जानकारी संप्रेषित करनी चाहिये।

सिफारिशें

यदि समस्त मानक आवश्यकताओं को पूरा किया गया हो, तो उत्पादों को ''जैविक कृषि की उपज'' अथवा इससे मिलते-जुलते विवरण के रूप में बेचा जा सकता है।

लेबल पर उत्पाद के उत्पादन अथवा प्रसंस्करण के लिये कानूनी रूप से उत्तरदायी व्यक्ति अथवा कम्पनी का नाम तथा पूरा पता लिखा होना जाहिये।

उत्पाद लेबलों में ऐसी प्रसंस्करण पद्धतियों को सूचीबद्ध किया जाना चाहिये जो कि उत्पाद गुणधर्मों को एक ऐसे रूप में प्रभावित करती है जोकि तत्काल रूप से प्रकट नहीं होता है।

अनुरोध करने पर अतिरिक्त उत्पाद जानकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। योज्यों तथा प्रसंस्करण सहायकों के सभी संघटकों की घोषणा की जायेगी।

वन्य उत्पादन से प्राप्त किये गये अवयवों अथवा उत्पादों की इस रूप में से घोषणा की जायेगी।

मानक

3.5.1.1.
उत्पाद के उत्पादन अथवा प्रसंस्करण हेतु कानूनी रूप से उत्तरदायी व्यक्ति अथवा कम्पनी की आसानीपूर्वक पहचान होनी चाहिये।

3.5.1.2.
यदि सभी मानक आवश्यकताओं को पूरा कर दिया गया हो, तो एकल अवयव उत्पादों को ''जैविक कृषि की उपज'' अथवा इससे मिलते जुलते विवरण के रूप में लेबल किया जा सकता है।

3.5.1.3.
ऐसे मिश्रित उत्पादों को निम्नलिखित रूप (कच्चा माल भार) में लेबल किया जा सकता है जिनके सभी अवयव, योज्यों सहित, जैविक मूल के नहीं हो :

- यदि अवयवों का न्यूनतम 95% प्रमाणित जैविक मूल का है, तो उत्पादों को ''प्रमाणित जैविक'' अथवा समान रूप में लेबल किया जा सकता है और उस पर प्रमाणीकरण कार्यक्रम का लोगो छपा होना चाहिये।
- जहाँ 95% से कम परन्तु 70% से ज्यादा अवयव प्रमाणित जैविक मूल के हों, तो उत्पादों को ''जैविक'' नहीं कहा जा सकता है। ''जैविक'' शब्द का प्रयोग ''जैविक अवयवों से निर्मित'' जैसे कथनों में प्रधान डिस्प्ले पर किया जा सकता है बशर्ते कि जैविक अवयवों के अनुपात के बारे में स्पष्ट कथन किया गया हो। एक ऐसे संकेत का प्रयोग किया जा सकता है कि इस उत्पाद को प्रमाणीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है, जिसको जैविक अवयवों के अनुपात के वर्णन के पास ही लिखा जाना चाहिये।

- जहां 70 प्रतिशत से कम अवयव प्रमाणित जैविक मूल के हों, उसके लिए अवयव सूची में इस संकेत का प्रयोग किया जाना चाहिए कि अवयव जैविक है। ऐसे उत्पादों को ''जैविक'' नहीं कहा जा सकता।

3.5.1.4.
जैविक अवयवों की प्रतिशतता गणनाओं में मिलाये गये पानी तथा नमक को शामिल नहीं किया जायेगा।

3.5.1.5.
परम्परागत उत्पादों के लेबल, जैविक उत्पादों के लेबल से स्पष्ट रूप से भिन्न होना चाहिये।

3.5.1.6.
किसी बहु-अवयवी उत्पाद की सभी कच्ची सामग्रियों को उनकी भार प्रतिशतता के क्रम में उत्पाद लेबल पर सूचीबद्ध किया जाना चाहिये। यह स्पष्ट होना चाहिये कि कौन-सी कच्ची सामग्री जैविक प्रमाणित मूल की है और कौन-सी नहीं। समस्त योज्यों को उनके पूरे नामों के साथ सूचीबद्ध किया जाना चाहिये।

यदि जड़ी-बूटियाँ और/या मसाले उत्पाद के कुलभार के 2% से भी कम हो, तो उनकी प्रतिशतता का उल्लेख किये बिना ही उनको ''मसाले'' अथवा ''जड़ी-बूटियों'' के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है।

3.5.1.7.
जैविक उत्पादों को GE (आनुवांशिक रूप से निर्मित) अथवा GM (आनुवांशिक संशोधन) मुक्त के रूप में लेबल नहीं किया जायेगा जिससे कि तैयार उत्पाद के बारे में संभावित भ्रामक दावों की रोकथाम की जा सके। उत्पाद लेबलों पर आनुवंशिक निर्मिति के किसी उल्लेख को उत्पादन विधि तक ही सीमित रखा जायेगा।

3.6. भण्डारण तथा परिवहन

सामान्य सिद्धाँत

जैविक उत्पाद के भण्डारण तथा परिवहन के दौरान उत्पाद सत्यनिष्ठा को बनाये रखा जाना चाहिये।

सिफारिशें

जैविक उत्पादों को गैर-जैविक उत्पादों के साथ मिल जाने से हर समय बचाया जाना चाहिये।

जैविक उत्पादों को ऐसी सामग्रियों और पदार्थों के संपर्क में आने से हर समय बचाना चाहिये जिनका जैविक खेती तथा हैण्डिलिन्ग में प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।

मानक

3.6.1.
यदि यूनिट के केवल एक भाग को ही प्रमाणित किया गया हो और अन्य उत्पाद गैर-जैविक हों, तो जैविक उत्पादों की पहचान को बनाये रखने हेतु उनको पृथक् रूप से भण्डारित तथा हैण्डिल किया जाना चाहिए।

3.6.2.
जैविक उत्पाद के थोक भण्डार गृहों को पारंपरिक उत्पादों के भण्डार गृहों से अलग होना चाहिये तथा इस आशय हेतु उनको स्पष्ट तौर से लेबल किया जाना चाहिये।

3.6.3.
जैविक उत्पाद हेतु भण्डारण क्षेत्रों तथा परिवहन आदानों को ऐसी विधियों तथा सामग्रियों का प्रयोग करके साफ करना चाहिये जिनकी जैविक उत्पादन में अनुमति प्रदान की गयी हो। किसी भी ऐसे कीटनाशक अथवा अन्य किसी उपचार से संभाव्य संदूषण रोकथाम हेतु उपायों को लागू किया जाना चाहिये जिनको परिशिष्ट - 2 में सूचीबद्ध नहीं किया गया हो।

अनुभाग-4

निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियों का प्रत्यापन

अनुभाग-4

निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियों का प्रत्यायन

क. प्रत्यायन संबंधी विनियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं आरम्भ

(क) जैविक उत्पादन के लिए बनाए गए राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम के अन्तर्गत इन विनियमों को प्रत्यायन विनियम 2001 का नाम दिया जाएगा।

(ख) सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की गई तिथि से इन्हें लागू माना जाएगा।

(ग) ये विनियम भारत के भीतर उन सभी प्रमाणीकरण एजेन्सियों पर लागू होंगे जो इन विनियमों के आरम्भ से पहले से ही, इन प्रत्यायन एजेन्सियों के अन्तर्गत जैविक फसलों/उत्पादों के उत्पादन एवं प्रसंस्करण का जैविक के रूप में प्रमाणीकरण करने के काम का विचार रखती हैं अथवा पहले से ही इसमें कार्यरत हैं।

2. प्रत्यायन का स्कोप

(क) ये विनियम उन सभी प्रमाणीकरण एजेन्सियों पर लागू होंगे, चाहे वे वैयक्तिक, फर्म अथवा सहकारी समितियाँ हों जो या तो पहले से ही जैविक फसलों/उत्पादों के प्रमाणीकरण के कार्य में लगी हुई हों अथवा इस कार्य को करने का विचार रखती हों, इन्हें ISO/IEC गाइड 65 का अनुसरण करना होगा।

(ख) जैविक उत्पादों के सम्बन्ध में किसी भी प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक वह एजेन्सी (वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रत्यायन निकाय) द्वारा प्रत्यायित नहीं होगी।

(ग) यदि राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय सन्तुष्ट हो जाता है कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक अथवा लाभप्रद है, तो वह केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करने के पश्चात्, इन विनियमों के स्कोप के अन्तर्गत लाये जाने वाले किन्हीं भी अन्य उत्पादों अथवा पद्धतियों को उसमें जोड़ सकता है अथवा निकाल सकता है।

(घ) राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय इन विनियमों की धारा 3 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किये गये उन मानदण्डों का अनुसरण करेगा जिन्हें निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजन्सी के लिये बनाए गए प्रत्यायन मानदण्डों में पारिभाषित किया गया है।

(ड़) इन विनियमों की धारा 3 के अन्तर्गत निर्धारित आवश्यक प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् भारत सरकार जब भी इसे उपयुक्त समझे, प्रत्यायन मापदण्डों की पुनरीक्षा का सम्पूर्ण अधिकार उसके पास रहेगा।

3. राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय

(क) राष्ट्रीय संचालन समिति राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय के रूप में कार्य करेगी। एजेंसी के मूल्यांकन के बाद, प्रत्यायन निकाय निरीक्षण और प्रमाणीकरण एजेंसी के प्रत्यायन पर विचार करेगा।

(ख) प्रत्यायन समिति, में कृषि मंत्रालय,वाणिज्य मंत्रालय वस्तु बोर्डो के प्रतिनिधि होंगे। इसका अध्यक्ष राष्ट्रीय संचालन समिति का अध्यक्ष होगा। वाणिज्य सचिव अपीलीय प्राधिकारी होगा।

(ग) समिति जब भी आवश्यक हुआ अपनी बैठक करेगी और ऐसी बैठक में कोरम 6 होगा। यदि आवश्यक हुआ तो प्रत्यायन के मुद्दों पर समिति उन्हें परिचालित करके भी निर्णय ले सकती है। समिति की एक साल में कम से कम दो बैठकें होंगी।

(घ) उक्त प्रत्यायन समिति को अचानक क्षेत्र निरीक्षण करने तथा प्रमाणीकृत प्रचालकों (उत्पादन समूहों) के फार्मों से लिये गये नमूनों के विश्लेषण का अधिकार होगा।

4. प्रत्यायन के लिए आवेदन

(क) एक एजेन्सी के रूप में प्रत्यायन अथवा इसका पुर्ननवीकरण चाहने वाले आवेदनकर्त्ता को एक निर्धारित फॉर्म में, जो एपीडा में उपलब्ध होगा, आवेदन करके प्राधिकृत अधिकारी को देना होगा। इस आवेदन-पत्र के साथ विनियमों में विनिर्दिष्ट, इस उद्देश्य के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

5. प्रत्यायन शुल्क

(क) आवेदनकर्त्ता को प्रथम वर्ष के प्रत्यायन के लिये आवेदन-पत्र के साथ-साथ 15,000/- रूपयों का आवेदन शुल्क भी जमा कराना होगा। यह शुल्क एपीडा के पक्ष में जारी एक बैंक ड्राफ्ट के रूप होगा जो नई दिल्ली में देय होगा। तथापि राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय के पास समय–समय पर इस शुल्क की पुनरीक्षा का अधिकार होगा।

परंतु यह भी कि यदि राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय को अस्वीकृत कर देता है तो भुगतान किए गए शुल्क में से 25% को प्रक्रियागत व्यय के रूप में काटकर शेष रकम लौटा दी जायेगी।

(ख) प्रत्यायन प्रमाणपत्र, इसके जारी करने की तिथि से, 3 वर्ष तक की अवधि के लिए वैध होगा।

(ग) प्रत्यायन प्रमाणपत्र के पुर्ननवीकरण के लिए 3 वर्ष तक की अवधि के लिए 10,000/- रु. का पुर्ननवीकरण शुल्क लिया जायेगा जिसको आवेदन के साथ भेजा जाएगा।

6. प्रत्यायन संख्या का आंवटन

सभी प्रत्यायित निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियों को एक निर्दिष्ट प्रत्यायन संख्या आवंटित की जायेगी जो अहस्तांतरीय होगी एवं वह संख्या पुन: किसी और को नहीं दी जायेगी।

7. प्रत्यायन की स्वीकृति/अस्वीकृति

(क) निर्धारित शुल्क के साथ हर प्रकार से उचित रूप में भरे गए आवेदन पत्र की प्राप्ति पर, राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय की ओर से एपीडा सभी आवेदनों की प्रारम्भिक जांच करेगी। यदि आवेदन को हर प्रकार से उपयुक्त पाया जाता है तो एपीडा राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय द्वारा मनोनीत निकाय द्वारा मनोनीत एक टीम द्वारा क्षेत्र के मूल्यांकन की व्यवस्था करेगा। राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय मूल्यांकन टीम द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद आवेदन पर विचार करेगा। यदि आवेदनकर्त्ता निरीक्षण और प्रमाणीकरण के लिए उचित टैरिफ के साथ निर्धारित मापदण्डों पर खरा उतरता है तो समिति प्रमाणीकरण एजेन्सी को स्वीकृति दे देगी।

(ख) राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय यदि इसे उचित समझे तो, आवेदनकर्त्ता को मूल्यांकन के दौरान पाई गई कमियों (टैरिफ की संरचना, श्रमबल, राष्ट्रीय संसाधनों और परिचालनों की अपर्याप्तता) को पूरा /दूर करने का अवसर प्रदान कर सकती है।

(ग) अस्वीकृत किए जाने की स्थिति में, आवेदनकर्त्ता को कारणों की जानकारी देते हुए लिखित में सूचना भेज दी जाएगी।

(घ) प्रत्यायन प्रमाणपत्र, जारी होने की तिथि से, तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

8. प्रत्यायन संविदा

(क) प्रत्यायन की स्वीकृति होने पर एपीडा, राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय की ओर से, प्रमाणीकरण एजेन्सी को निर्धारित प्रत्यायन संविदा की एक प्रति के साथ स्वीकृति की सूचना देगी। प्रमाणीकरर्ण एजेन्सी, स्वीकृति प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर एक गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर संविदा निष्पादित करके उसके मूल्य की सूचना आवेदनकर्त्ता को भेज देगी।

(ख) प्रमाणीकरण एजेंसी के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित संविदा की प्राप्ति पर, इसकी प्राप्ति की तिथि के 15 दिन की अवधि के भीतर एपीडा प्रत्यायन प्रमाणपत्र जारी करेगी।

9. प्रत्यायन का अद्यतनीकरण एवं पुर्ननवीकरण

प्रत्यायन के पुर्ननवीकरण के लिए प्रत्यायित निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियों को आरम्भिक प्रत्यायन प्रक्रिया के समान ही एक वार्षिक अद्यतनकारी प्रक्रिया का पालन करना होगा।

(क) राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय की ओर से प्रत्यायन एजेन्सी को यह अधिकार होगा कि वह पुर्ननवीकरण के आवंटन के साथ 10,000/-रू. (दस हजार रु.) की धनराशि का भुगतान करके 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रमाण पत्र का पुर्ननवीकरण करा सकेगी। प्रमाणीकरर्ण एजेन्सी को यह आवेदन प्रत्यायन अवधि की समाप्ति से 30 दिन पहले करना होगा।

(ख) प्रमाणीकरण एजेन्सी को प्रत्यायन के पुर्ननवीकरण संबंधी आवेदन को निर्धारित शुल्क के साथ यह सुनिश्चित करके भेजना होगा कि वह प्राधिकृत अधिकारी तक प्रत्यायन अवधि की समाप्ति के 30 दिन पहले तक पहुँच जाए।

(ग) तथापि, किसी स्थिति में विलंब होने पर यदि यथोचित कारण दिखाए जाएं तो एपीडा के चेयरमैन को यह अधिकार होगा कि वह उक्त पुनर्नवीकरण आवेदन को भेजने में हुए विलंब को माफ कर दे।

(घ) पुर्ननवीकरण उस निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेंसी के पूर्व कार्य–निष्पादन पर आधारित होगा और ऐसे आवेदनों का पुर्ननवीकरण करना अथवा उसे अस्वीकार करने का अधिकार राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय के पास होगा और यह उसके स्वविवेक पर निर्भर होगा।

(ड़) पुर्ननवीकरण के लिए दिए गए किसी आवेदन को अस्वीकार करने की स्थिति में, राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय की ओर से एपीडा इन्हें अस्वीकार करने के कारणों को लिखित रूप में देगा।

(च) इस प्रकार किसी अस्वीकृति पर की गई अपील पर राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय का चेयरमैन इन पर निर्णय लेने के लिये अपीलीय प्राधिकारी होगा।

(छ) ऐसी अपीलों की सुनवाई के लिये भारत सरकार का वाणिज्य मन्त्रालय समर्थ प्राधिकारी होगा। ऐसी अपीलों के लिए गए निर्णय अंतिम होंगें एवं दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होंगे।

10. दिशा निर्देश जारी करने संबंधी शक्तियाँ

(क) राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय की ओर से ये एपीडा को ये शक्तियाँ होंगीं कि समय-समय पर निरीक्षण एवं प्रमाणकरण कार्यक्रमों के लिए प्रमाणीकरण एजेन्सियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें।

11. लोगो

प्रमाणीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रयुक्त लोगो को ''India Organic'' कहा जायेगा। यह सभी प्रमाणीकृत जैविक उत्पादों पर सील होगी जो यह बतायेगी कि यह उत्पाद मूल रूप से भारत में तैयार किया गया और उसका मूल स्थान भारत है।

12. लोगो का प्रयोग

(क) सभी प्रत्यायित एजेन्सियों को यह अधिकार होगा कि वे प्रमाणित जैविक उत्पादों के लिए इस लोगो का प्रयोग कर सकें। इस लोगो का प्रयोग इन विनियमों के अन्तर्गत निर्धारित नियमों एवं शर्तों पर खरा उतरने के आधार पर होगा।

(ख) किसी भी व्यक्ति द्वारा मार्केट किए गए उत्पादों पर राष्ट्रीय जैविक लोगो छपाया जा सकता है, बशर्ते कि किसी प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा प्रत्यायित निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा इसका आवश्यक प्रमाणीकरण किया गया हो।

13. प्रत्यायन का निलम्बन/अवसान

इन विनियमों के अंतर्गत किसी खंड अथवा समय–समय पर राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय अथवा भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने की स्थिति में किसी एजेन्सी को दिया गया प्रत्यायन प्रमाणपत्र या तो विशिष्ट अवधि के लिए निलम्बित होने अथवा स्थाई तौर पर समाप्त होने के लिए बाध्य होगा।

प्रावधान है कि निलंबन होने की स्थिति में, राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय के पास यह शक्तियां होंगी कि प्रचालक के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रमाणीकरण के कार्य को जारी रखने के लिए किसी अन्य प्रमाणीकरण एजेन्सी को मनोनीत कर सके।

14. अपील एवं अपीलों पर दिए गए निर्णय की पुनरीक्षा

क) प्रत्यायन प्रमाणपत्र के निलम्बन और/अथवा अवसान के सम्बन्ध में की गई अपील संबंधित राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय के चेयरमैन के पास रहेगी। राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय द्वारा निलम्बन/अवसान की तिथि के 30 दिन के भीतर यह अपील दायर की जायेगी।

ख) अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय की पुनरीक्षा करने के लिए भारत सरकार का वाणिज्य मन्त्रालय समर्थ प्राधिकारी होगा। अपील पर दिए गए निर्णय की तिथि के 30 दिनों के भीतर पुनरीक्षा दायर की जायेगी। तथापि, उचित कारण बताए जाने पर अपील/पुनरीक्षा दायर करने की अवधि के बारे में सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा छूट प्रदान की जा सकती है।

15. विनियम में संशोधन

राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय, राष्ट्रीय संचालन समिति की पूर्व स्वीकृति से, इन विनियमों में अन्तर्विष्ट खण्डों में कुछ जोड़ सकता हैं, निकाल सकता हैं, संशोधन अथवा परिवर्तन कर सकता है।

16. अधिकार क्षेत्र

इन विनियमों, दिशा-निर्देशों और अथवा शर्तों और समय-समय पर पर भारत सरकार एवं राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के कारण यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो केवल राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय के प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र में स्थित न्यायालय ही इनका निपटारा करने का अधिकार क्षेत्र रखते हैं।

17. प्रत्यायन के लिए श्रेणियाँ

उत्पादों की प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रत्यायन निम्न रूप में दिया जायेगा :

क) जैविक कृषि-सम्बन्धी उत्पादन

ख) जैविक प्रसंस्करण प्रचालन

ग) वन्य उत्पाद

घ) वन प्रदेश

ड़) जैविक पशु उत्पादन एवं प्रसंस्करण

प्रत्यायन के लिए आवेदन कर रही प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ, जैविक कृषि सम्बन्धी गतिविधियों/उत्पादन में सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हो एवं उनके कार्यक्रम कम से कम एक वर्ष से चल रहे हों।

18. विनिमय (अन्योन्यता)

18.1 राष्ट्रीय

किसी भी प्रत्यायित प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एन पी ओ पी) के अनुसार जैविक रूप में प्रमाणित उत्पादों को अन्य प्रमाणीकरण एजेन्सियों द्वारा भी जैविक के रूप में मान्यता दी जाएगी।

18.2 अन्तर्राष्ट्रीय

आयतित जैविक उत्पादों के लिये, राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय स्वीकृति देने के लिए प्राधिकारी होगा। उसका निर्णय निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियों की सिफारिशों पर अथवा समतुल्यता अनुबन्ध होने की स्थिति में ऐसे अनुबन्ध पर आधारित लाइसेंस देने, पर आधारित होगा। यह ऐसी निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियों की एक सूची को अधिसूचित करेगी।

निर्यातक देशों के जैविक मानकों के अतंगर्त प्रमाणीकृत जैविक उत्पादों का आयात के लिए एन पी ओ पी के अनुसार पुनः प्रमाणित होना आवश्यक है। यदि कोई निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी किसी आयातित उत्पाद अथवा आयातित प्रमाणित अवयवों से बने उत्पादों को पुन: प्रमाणित करने की इच्छा रखती है तो वह प्रमाणीकरण कार्यक्रम में ऐसे उत्पादों एवं उनके प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय को आवेदन करना होगा।

19. मानक

19.1 जैविक उत्पादों हेतु राष्ट्रीय मानक

निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ, विदेश व्यापार (विकास व विनियमन अधिनियमन), 1992 (एफ टी डी आर) के तहत अधियसूचित राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत जैविक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय मानकों का अनुसरण करेंगी। तकनीकी समिति, समय-समय, पर इन मानकों की समीक्षा करेगी। आवश्यकता पड़ने पर परिशोधन एवं संशोधन किए जाएंगे। संशोधन राष्ट्रीय संचालन समिति को विचारार्थ प्रस्तावित किये जायेंगे। राष्ट्रीय समिति की स्वीकृति के बाद संशोधन राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत किये जायेंगे। प्रत्यायित निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियों को संशोधनों/परिशोधनों के प्रभावी होने से पहले तक तैयारी की (फेज–इन) अवधि दी जायेगी।

19.2 जैविक उत्पादन एवं प्रसंस्करण हेतु दिशा-निर्देश

सम्बन्धित विभाग (कृषि मंत्रालय और वस्तु बोर्ड), विनिर्दिष्ट फसलों के लिए जैविक उत्पादों हेतु बनाए गए राष्ट्रीय मानकों के अनुसार दिशा-निर्देश तैयार करेंगीं एवं स्वीकृति हेतु उन्हें राष्ट्रीय संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

19.3 पद्धतियों का पैकेज

कृषि मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय, जैविक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विशिष्ट फसलों के लिये पद्धतियों का एक ऐसा पैकेज तैयार करेंगी जो क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट होगा।

20 प्रमाणपत्रों को जारी करना

प्रत्यायित निरीक्षण प्रमाणीकरण एजेन्सी निरीक्षण की रिपोर्टों के आधार पर राष्ट्रीय जैविक मानकों के अनुपालन को प्रमाणित करने हेतु फार्म स्कोप प्रमाण-पत्र तथा उत्पाद प्रमाण-पत्र तथा कारोबार प्रमाण-पत्र को जारी करेंगी जो निरीक्षण रिपोर्ट पर आधारित राष्ट्रीय जैविक मानकों के अनुसार होंगी।

ख) प्रत्यायन मापदण्ड

इस दस्तावेज़ में परिभाषित मापदण्ड, जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम संबंधी भारत सरकार की राष्ट्रीय संचालन समिति की अनुशंसाओं पर आधारित हैं। इन मापदण्डों एवं जैविक उत्पादों हेतु राष्ट्रीय मानकों के अन्तर्गत उन एजेन्सियों द्वारा पूरी की जाने वाली अर्हताएँ आ जाती हैं जो ISO गाईड 65 के अन्तर्गत अपने लिए एवं अपने द्वारा चालित जैविक कार्यक्रमों के लिए प्रत्यायन चाहती हैं। जैविक कार्यक्रमों हेतु प्रत्यायन मापदण्डों के अन्तर्गत प्रमाणीकरण कार्यक्रमों का मूल्यांकन, निरीक्षण प्रक्रिया का विवरण, प्रमाणीकरण विधि और प्रमाणीकरण से सम्बन्धित शिकायतों का निपटारा इत्यादि भी आते हैं।

1. मापदण्डों को लागू करना

प्रत्यायित कार्यक्रमों को स्वीकृत करने के लिए इन मापदण्डों का अनुसरण करना होगा जो इन कार्यक्रमों के अनुसार जैविक कृषि, उत्पाद एवं प्रक्रियाओं को प्रमाणित करते हैं। तथापि, प्रत्यायन एजेन्सी, प्रत्यायन के पश्चात् एक विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर कुछ मापदण्डों को पूरा करने संबंधी कुछ शर्तों को रखते हुए अस्थायी प्रत्यायन प्रदान कर सकती है। निम्न कारकों पर समय-सीमा निर्भर करेगी :

- मापदण्ड से विचलन की डिग्री।
- प्रमाणीकरण कार्यक्रम के भीतर उपलब्ध संरक्षण, मापदण्डों का अनुसरण न करने संबंधी समस्याओं को शायद कम कर सकेगा।
- क्षेत्र में जैविक कृषि का आम विकास।
- विनियामक ढांचा जिसके भीतर प्रमाणीकरण कार्यक्रम संचालित होता है।
- सभी निरीक्षण और प्रमाणीकरण एजेंसियॉं (राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय) भारतीय मूल के जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण करने के लिए भारत में एक कार्यालय स्थापित करेंगे।
- अन्य विशेष परिस्थितियाँ

ये शर्तें एवं समय सारणी, प्रत्यायन संविदा का हिस्सा होंगी।

यदि अनुसरण न करने की संख्या एवं डिग्री काफी अधिक है तो राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय, प्रत्यायन प्रमाणपत्र को अस्वीकार कर देगा अथवा प्रत्यायन को रोक लेगा, आवेदनकर्त्ता के कार्यक्रम द्वारा की गई कार्यवाही को लम्बित रखते हुए, मापदण्डों के अनुपालनों की ओर ध्यान दिया जायेगा।

यदि प्रत्यायन एजेन्सी यह निर्णय लेती है कि किसी कार्यक्रम की सभी नीतियों और निष्पादन के सन्दर्भ में, अनुसरण न किया जाना एक मापदण्ड विशेष के भीतर है एवं अधिक गम्भीर परिणाम नहीं दिखाएगा तो यह प्रत्यायन की शर्त रखे बिना उस मापदण्ड विशेष का अक्षरश : पालन करने की अनुशंसा कर सकती है। तथापि, पुनर्मूल्यांकन करने पर अथवा कार्यक्रम में परिवर्तन करते समय उस अनुशंसा को अत्यावश्यक शर्त में बदला जा सकता है।

2. प्रत्यायन मापदण्डों का संसोधन

इच्छुक पक्षों अथवा अन्य स्त्रोतों से राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय को किए गए प्रस्तावों के आधार पर प्रत्यायन मापदण्डों का समय-समय पर आवश्यकतानुसार समीक्षा भी की जा सकती है।

यदि प्रत्यायन कार्यक्रम को विकास अर्न्तराष्ट्रीय सौहाद्रीकरण क्रियाकलापों और अन्य तर्कसंगत कारकों के अनुसार प्रत्यायन मापदण्डों में परिवर्तन करना एक आवश्यकता लगे तो इसे करने का अधिकार वाणिज्य मन्त्रालय के पास रहता है।

प्रत्यायन मापदण्डों में संशोधन करने की प्रक्रिया में सभी आवेदनकर्त्ताओं, प्रत्यायित प्रमाणीकरण कार्यक्रमों, अन्य इच्छुक पक्षों एवं विनियामक प्राधिकारियों से परामर्श किया जा सकता है।

मापदण्डों में परिवर्तन करने संबंधी अन्तिम निर्णायक प्राधिकारी वाणिज्य मंत्रालय ही होगा। सभी आवेदनकर्त्ताओं और प्रत्यायित प्रमाणीकरण कार्यक्रमों और एजेन्सियों को किसी भी प्रकार के परिवर्तनों को सूचित कर दिया जायेगा।

संशोधित मापदण्डों का क्रियान्वयन अधिसूचना जारी करने के दिन से आरम्भ होगा। आवेदनकर्त्ता कार्यक्रमों, जिनका मूल्यांकन संशोधित मापदण्डों के क्रियान्वयन के आरम्भ होने की तिथि से पहले हो चुका होगा, उनके संबंध में पूर्व मापदण्डों के अनुसार मूल्य निर्धारण किया जायेगा।

3. सामान्य प्रत्यायन मापदण्ड

प्रत्यायित निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ निम्नलिखित के आधार पर संचालन करेंगी :

3.1 सक्षमता

निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सियों के पास पर्याप्त संसाधन, सुदृढ़ वित्तीय प्रबन्ध होगा और वे अपने अधिकारियों एवं कर्मचारी वर्ग को दिए गए पर्याप्त प्रशिक्षण एवं उनके अनुभवों पर आधारित व्यावसायिक सामर्थ्य दिखांएगे। मानक, निरीक्षण और प्रमाणीकरण में उत्पादों तथा उत्पादन विधियों के समस्त पहलुओं को शामिल किया जाएगा।

3.2 स्वतन्त्रता

निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सियों के पास ऐसे संघटन एवं पद्धतियाँ होंगी जिससे वे निहित स्वार्थों अथवा अन्य कारणों के गलत प्रवाह में न आकर स्वतन्त्र रूप से कार्य कर पांएगे।

3.3 जवाबदेही एवं ज़िम्मेदारी

प्राधिकार का एक स्पष्ट अनुक्रम होगा जिसके प्रति एजेन्सी के अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग को जवाबदेह रहना होगा। एजेन्सी को अपने

अधिकारियों एवं कर्मचारी वर्ग द्वारा किए जा रहे सभी क्रियाकलापों एवं/अथवा प्रणाली के भीतर किए जा रहे सभी कार्यो की ज़िम्मेदारी लेनी होगी।

3.4 वस्तुपरकता

निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सी पक्षपातहीन होगी। जैसाकि राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम की धारा 4 के अन्दर दर्ज़ है, निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण, तर्कसंगत कारकों के वस्तुपरक मूल्य निर्धारण पर आधारित होगा। कार्यक्रम में अपील पर विचार करने सम्बन्धी पद्धति होगी।

3.5 विश्वसनीयता

निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ यह सुनिश्चित करने के लिए सभी पर्याप्त उपाय करेंगी कि इसके लाइसेंसों, प्रमाण पत्रों एवं अनुरूपता के चिन्हों का दुरूपयोग न हो।

3.6 गुणवत्ता सुधार एवं आन्तरिक समीक्षा

निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ, लगातार गुणवत्ता सुधार एवं इसके विकास तथा कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के लिए समुचित पद्धतियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेंगी। इसके पास शिकायतों से निबटने के लिए एवं प्रमाणीकरण प्रक्रिया से संबद्ध प्रमाणीकरण कार्यक्रम करने संबंधी पद्धतियाँ होंगी।

3.7 सूचना तक पहुँच

उत्पादन मानक, संस्थागत ढांचे, वित्तीय साधन, प्रमाणीकरण करने संबंधी नियम एवं पद्धतियाँ, कर्मचारीवर्ग के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था, पद्धतिगत रिकार्ड, और अन्य इसी प्रकार की सूचना, जैसे उचित हो, प्रकाशित अथवा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रमाणित उत्पादकों की एक सूची भी प्रकाशित की जायेगी।

3.8 गोपनीयता

निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सियों को समिति एवं संविदागत एजेन्सियों के साथ-साथ सभी संस्थागत स्तरों पर विनिर्दिष्ट चाल (प्रमाणीकरण कार्यक्रमों की प्रक्रिया में प्रमाणित) संबंधी सूचना की गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी।

3.9 सहभागिता

निरीक्षण एवं प्रमाणकर्त्ता एजेन्सियाँ, प्रभावित पक्षों से निवेश सशक्त करने के लिए पर्याप्त पद्धतियाँ उपलब्ध कराएंगी।

3.10 गैर-प्रभेदन

जिन नीतियों एवं पद्धतियों के अन्तर्गत निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ कार्य करती हैं वे तथा उनका प्रशासन गैर-प्रभेदकारी होगा और प्रजाति, राष्ट्रीय पृष्ठभूमि, धार्मिक सम्बन्ध, लिंग, उम्र अथवा वैवाहिक स्थिति संबंधी किसी उल्लेख के बिना संचालित होगा।

4. प्रत्यायन के लिए विर्निदिष्ट मापदण्ड

प्रत्येक तर्कसंगत मापदण्ड के लिए, प्रमाणीकरण कार्यक्रम का मूल्यांकन नीतियों और पद्धतियों के न केवल सैद्धान्तिक विषय सूची अपितु उनके व्यवहार्य कार्यान्वयन का भी मूल्य निर्धारण करता है। इससे एक ऊँचे स्तर का सामर्थ्य, दृढ़ता एवं प्रभावीपन प्रदर्शित होगा। प्रमाणीकरण कार्यक्रम के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन संबंधी सामान्य अर्हताएँ ISO गाईड 61 पर आधारित होंगी।

यह पहचान की गई है कि आर्थिक रूप से कम समृद्ध क्षेत्रों में नए कार्यक्रमों अथवा पहले ही चल रहे कार्यक्रमों में सभी ''औपचारिक'' मापदण्डों को पूरा करने में कठिनाई आती है। सांस्कृतिक और सामाजिक स्थितियों एवं परम्पराओं के अनुसार उचित बनाने के लिए इनमें कुछ परिवर्तन करने पड़ सकते हैं। ऐसे मामलों में, राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय यह देखते हुए कि जैविक उत्पादन एवं प्रमाणीकरण की अखण्डता बनी रहती है और सामान्य मापदण्ड पूरे किए जा रहे हैं, प्रमाणीकरण के लिए ऐसे कारकों पर विचार कर सकता है।

5. निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सियों के लिए सामान्य प्रावधान

5.1 पद्धतियों का अनुप्रयोग

निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ अपनी पद्धतियों को व्यवहार्य रूप में लागू करने में एक ऊँचे स्तर की योग्यता, दृढ़ता एवं प्रभावीपन दिखांएगी।

5.2 विनियमों का अनुसरण

निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सियों को तर्कसंगत सरकारी एवं क्षेत्रीय विनियमों का अक्षरश: पालन करना चाहिए।

5.3 पंजीकरण

निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सियां को अपने कानूनी एवं शासकीय स्थिति दर्शाने वाले दस्तावेज़ सदा प्रदर्शित करने होंगे।

निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ अपने पास ऐसे दस्तावेज़ रखेंगी जो इसके स्वामित्व अथवा यदि कोई प्रमाणीकरण चिन्ह है तो उसके नियन्त्रण को दर्शाए।

5.4 सरंचना

निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सियों को अपने संचालन के संघटन के दस्तावेज़ रखने होंगे, जो निष्पक्षता को बनाए रखें जिसमें निरीक्षण एवं प्रमाणकर्त्ता एजेन्सियों के संचालन की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए भी प्रावधान होंगे। यह संघटन उन सभी पक्षों की सहभागिता को सशक्त करेगा जो प्रमाणीकरण प्रणाली की अन्तर्लेखा एवं कार्यप्रणाली संबंधी नीतियों एवं सिद्धान्तों के विकास में महत्त्वपूर्ण रूप से संबंधित हैं।

जब क्रियाकलापों को समितियों को विकेन्द्रीकृत कर दिया जाता है तो ऐसी समितियों की जिम्मेवारियाँ एवं पद्धति सम्बन्धी नियम स्पष्ट होंगे।

निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सी के पास निरीक्षण, प्रमाणीकरण एवं अपीलों का स्पष्ट विभाजन होगा।

5.5 हितों के विवाद संबंधी विनियम

5.5.1 हित संबंधी घोषणाएँ

प्रमाणीकरण, निरीक्षण एवं अपीलों से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों के हितों संबंधी घोषणा को लिखित रूप में निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सी के कार्यालय की फाइल में रखा जाएगा।

5.5.2 हस्ताक्षरित इकरारनामा

वे सभी व्यक्ति जो निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण से सम्बद्ध हैं और प्रचालक के साथ उनके परिवार, व्यापार, व्यवसाय का कोई सम्बन्ध अथवा किसी प्रकार का परामर्शदाता सम्बन्धी कोई सम्पर्क है तो उन्हें निरीक्षण अथवा अन्य निर्णय-निर्धारण से दूर रहना होगा।

5.5.3 अपवर्जन (अलग करना)

वे सभी व्यक्ति जिनके निहित हित हैं अथवा उनके हितों में विवाद होने की सम्भावना है, तो इस प्रकार के विवाद की सम्भावना संबंधी प्रमाणीकरण प्रक्रिया के सभी चरणों में उन्हें कार्य, चर्चाओं, एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया से अलग रखना होगा।

निरीक्षकों द्वारा भुगतान के आधार पर किए जाने वाले कार्य के मामले में अलग रखने की यह प्रक्रिया निरीक्षण से पूर्व दो साल तक के लिए लागू होगी।

5.5.4 शुल्क का भुगतान

निरीक्षण एवं प्रमाणीकर्त्ता एजेन्सियों को प्रचालक से प्रमाणीकरण शुल्क लेने का अधिकार होगा। तथापि, इस शुल्क का भुगतान करने से ही प्रचालक को वास्तविक रूप में प्रमाणपत्र पाने का अधिकार नहीं मिल जाएगा तथा प्रमाणपत्र प्रदान करना, इस शुल्क के भुगतान पर निर्भर नहीं करेगा। घरेलू तथा निर्यात संबंधी निरीक्षण और प्रमाणीकरण के सभी वित्तीय लेन–देन भारतीय मुद्रा में किये जायेंगे।

5.6 गोपनीयता

निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सियों को अपने संघटन के हर स्तर पर प्रमाणीकरण क्रियाकलापों की प्रक्रिया में प्राप्त सूचना की गोपनीयता को सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी, जिसमें एक गोपनीयता नीति की स्थापना एवं सभी कर्मचारी वर्ग द्वारा गोपनीयता इकरारनामे पर हस्ताक्षर करवाने की आवश्यकता भी शामिल होगी।

5.7प्रमाणीकरण एजेन्सी के अन्य प्रकार्य

5.7.1 सामान्य

निरीक्षण एवं प्रमाणकर्त्ता एजेन्सियाँ ऐसा कोई उत्पाद अथवा सेवा उपलब्ध नहीं करवाएंगी जिससे प्रमाणीकरण प्रक्रिया एवं निर्णय की गोपनीयता, वस्तुपरकता अथवा निष्पक्षता के साथ समझौता होता हो। ऐसा तब तक नहीं करेंगी जब तक इन्हें इस प्रकार से अलग न कर दिया जाए कि ऐसा कोई समझौता हो ही न सके। निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ यह सुनिश्चित करेंगी कि सम्बन्धित एजेन्सियों के क्रियाकलापों से इनके प्रमाणीकरण की गोपनीयता, वस्तुपरकता और निष्पक्षता प्रभावित न हो।

5.7.2 प्रचालकों को उपलब्ध कराई जा रही सलाहकार सेवाएँ

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्यापित निरीक्षण और प्रमाणीकरण एजेंसियां प्रचालकों को परामर्श सेवाएं उपलब्ध नहीं करायेंगी।

प्रमाणीकरण प्रक्रिया के एक भाग के रूप में जिन क्षेत्रों में कुछ कमियाँ हैं उनकी पहचान करने के लिए और उनमें सुधार लाने संबंधी प्रस्तावों के लिए उत्पादन का पूर्व-मूल्यांकन किया जा सकता है।

निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ, प्रमाणित प्रचालकों को जैविक मानकों के अनुरूप काम करने संबंधी सलाह दे सकती हैं और यह सूचना, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के होगी।

न्यूज़लैटर्स, विचार-गोष्ठियों इत्यादि के माध्यम से सभी प्रमाणित प्रचालकों को गैर-प्रभेदी रूप में आम सूचना, प्रशिक्षण एवं सलाह दी जा सकती है।

5.7.3 मार्केटिंग क्रियाकलाप

निरीक्षण एवं प्रमाणकर्त्ता एजेन्सियों के पास व्यवसाय, संवर्द्धनकारी क्रिया-कलापों एवं अन्य मार्केट संबंधी क्रियाकलापों से उत्पन्न पूछताछ के फलस्वरूप प्राप्त निरूपण के संबंध में एक नीति होगी।

ऐसी नीति में कम से कम यह शामिल होगा :

- सभी प्रमाणित प्रचालकों के साथ समान व्यवहार
- कि निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ वास्तविक बिक्री, उनके मूल्य निर्धारण एवं किसी प्रत्यक्ष व्यावसायिक क्रिया कलापों में संलग्न नहीं होंगी।
- कि निरीक्षण एवं प्रमाणकर्त्ता एजेन्सियाँ प्रचालकों की व्यक्तिगत ज़रूरतों पर आधारित व्यक्तिगत आवेदन नहीं मँगाएँगी ।

5.8 अभिगमन की न्याय्यता एवं गैर-प्रभेदन

निरीक्षण एवं प्रमाणकर्त्ता एजेन्सियाँ उन सभी आवेदनकर्त्ताओं को अपनी सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराएंगी जिनके क्रियाकलाप आवेदन के घोषित क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं।

प्रमाणीकरण संबंधी अर्हताएँ, निरीक्षण एवं निर्णय, दिए जा रहे प्रमाणीकरण के स्कोप तक ही सीमित होंगे। सेवाओं संबंधी उपलब्धता, आपूर्तिकर्त्ता के आकार अथवा किसी संस्था अथवा समूह की सदस्यता पर प्रतिबन्धित नहीं होगी और न ही जारी किए जा रहे प्रमाण पत्रों की संख्या पर प्रमाणीकरण सप्रतिबन्ध होगा।

किसी विशेष समूहों के प्रचालकों अथवा सदस्यता के आधार पर शुल्क संबंधी ढांचे में कोई अनुचित भेद-भाव नहीं किया जाएगा।

व्यावसायिक आस्थाओं का ध्यान किए बिना, आवेदन सभी प्रचालकों के लिए खुला होगा ।

5.9 सदस्यता संस्थाएँ

सदस्यता संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही निरीक्षण एवं प्रमाणकर्त्ता एजेन्सियों की सदस्यता एवं प्रमाणीकरण के लिए समान अर्हताएं होंगी, अथवा निरीक्षण एवं प्रमाणकर्त्ता एजेन्सियों को सदस्यता संबंधी अर्हताओं के बिना एक स्पष्टतया अलग क्रियाकलाप के रूप में चलाया जायेगा।

5.10 सार्वजनिक सूचना

निरीक्षण एवं प्रमाणकर्त्ता एजेन्सियाँ अपने प्रमाणीकरण के स्कोप एवं मानकों की विषय सूची के बारे में जनता को सक्रिय रूप से सूचित करेंगी।

निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सियों के पास सार्वजनिक सूचना के लिए नीति का एक दस्तावेज़ होगा। इसमें कम से कम यह शामिल होगा :

- नीतियाँ, जिन के बारे में सूचना सार्वजनिक हैं और वे जिनके बारे में सूचना सार्वजनिक नहीं है।
- निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सियों के मानक एवं एक सामान्य वर्णन, जनता को उपलब्ध कराया जायेगा।
- निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सियों के पास प्रमाणित प्रचालकों की एक चालू सार्वजनिक सूची होगी जिसमें उनके नाम तथा पते (स्थापन) शामिल होंगे। उप-लाइसेंसधारी उत्पादन का भी एक सूचीकरण अवश्य उपलब्ध होना चाहिए हालांकि यह एक सामान्य सूची हो सकती है जिसका मुख्य लाइसेन्स से कुछ सम्बन्ध नहीं है।
- अपने प्रमाणीकरण क्रियाकलापों के बारे में सार्वजनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जो अधिमानतः वार्षिक रिपोर्ट की पुस्तक के रूप में होनी चाहिए ।

6. प्रबन्ध

6.1 सामान्य

निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सियों के पास :

- प्रमाणीकरण व्यवस्था के संचालन के लिए आवश्यक वित्तीय स्थायित्व एवं संसाधन होंगे ।
- वे पर्याप्त संख्या में कर्मचारी की नियुक्ति अथवा उन्हें संविदा पर रखेगी, जिसमें निरीक्षक भी शामिल होंगे, जिनके पास किए गए कार्य के प्रकार,फैलाव और मात्रा के सम्बन्ध में प्रमाणीकरण संबंधी प्रक्रियाओं को निष्पादित करने के लिए आवश्यक शिक्षा, प्रशिक्षण, तकनीकी जानकारी एवं अनुभव होगा।
- की गई पूछताछ, शिकायतों इत्यादि पर एक उचित समय-सीमा के भीतर प्रतिक्रिया करने के लिए संसाधन होंगे।
- अपने प्रशासन के विवरण का एक लिखित दस्तावेज़ होगा, जिसमें अधिकारियों एवं जिम्मेवारियों के बारे में भी लिखा होगा।

6.2 कर्मचारीगण

निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सियों के पास कर्मचारीगण को काम पर लगाने के लिए नियुक्ति नीति के बारे में सूचना सार्वजनिक का लिखित दस्तावेज़ होगा जो जैविक कृषि तथा/अथवा प्रसंस्करण संबंधी आवश्यक शिक्षा, प्रशिक्षण, तकनीकी जानकारी एवं अनुभव के बारे में होगा।

निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा सभी कर्मचारीगण की योग्यताओं ; प्रशिक्षण एवं अनुभव सम्बन्धी दस्तावेज़ीय सूचना रखनी होगी।

कर्मचारीगण को उनके कर्त्तव्यों एवं जिम्मेदारियों सम्बन्धी स्पष्ट, अद्यतन लिखित हिदायतें उपलब्ध कराई जाएगी ।

6.3 उपसंविदा

जब एक निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सी प्रमाणीकरण (उदाहरण के तौर पर, निरीक्षण) से जुड़े कार्य को किसी बाह्य एजेंसी अथवा व्यक्ति को उप संविदा पर सौंपती है, तो एक अनुबंध तैयार किया जायेगा जिसमें गोपनीयता एवं हितों से जुड़े विवादों सम्बन्धी व्यवस्था की जायेगी और इस पर दोनों पक्षों के यथोचित होंगे ।

निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सी को ऐसे किसी भी अनुबन्ध को कार्यरूप देने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस एजेन्सी अथवा व्यक्ति के साथ उपसंविदा की जा रही है, वह सुयोग्य है एवं इन मापदण्डों के लागू होने योग्य प्रावधानों के अनुसार योग्यता रखता है।

उप संविदा पर दिए गए ऐसे कार्य के लिए निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

6.4 अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण एवं दस्तावेज़ नियन्त्रण

निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सियों को प्रमाणीकरण प्रणाली से संबंधित अभिलेखों के प्रस्तुतीकरण के नियन्त्रण हेतु एक प्रणाली स्थापित करनी होगी एवं यह सुनिश्चित करना होगा कि :

- उचित अभिलेख की चालू प्रतियाँ आवश्यक स्थापनों पर उपलब्ध हों।
- प्राधिकृत व्यक्तियों के द्वारा दस्तावेज़ में किए गए सभी त्रुटियों को सही किया जाता है।
- सभी परिवर्तनों को इस रूप में प्रसंस्कृत किया जाएगा जिससे प्रत्यक्ष एवं तुरन्त कार्यवाही सुनिश्चित होगी।
- उल्लंघित दस्तावेज़ों का प्रयोग पूरे संगठन एवं इसकी एजेन्सियों से समाप्त हो जाए ।
- सभी प्रभावित पक्षों को परिवर्तनों के बारे में अधिसूचित कर दिया जाएगा ।
- वास्तविक संशोधन किए जाने पर दस्तावेज़ों को पुन: जारी किया जाऐगा।
- सम्बन्धित तारीखों में जारी मुद्दों सहित पर्याप्त दस्तावेज़ों का एक रजिस्टर बना कर रखा जाएगा।

6.5 रिकॉर्ड्स

सभी रिकॉर्ड्स को 5 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए सम्भालकर रखा जाएगा, और सुरक्षित रखा जाएगा तथा प्रवर्तक के विश्वास में रखा जाएगा।

निरीक्षण रिपोर्ट्स, प्रमाणीकरण संबंधी निर्णयों, प्रमाणपत्रों एवं आवश्यक रिकॉर्ड्स पर प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे ।

रिकार्ड रखने की प्रणाली पारदर्शी होनी चाहिए और सूचना की पुनः प्राप्ति में आसानी हो।

6.6 गुणवत्ता प्रबंधन और आंतरिक समीक्षा

निरीक्षण व प्रमाणीकरण एजेन्सियां एक योजना बद्ध और क्रमिक तरीके से समय–समय पर आंतरिक समीक्षा करेंगी, जिसमें सभी पद्धतियां शामिल की जाएंगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रमाणीकरण प्रणाली क्रियान्वित की जा रही है और असरदार है।

निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि :

- जो कर्मचारीगण किसी निरीक्षित क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है उसे निरीक्षण के प्रमाण की सूचना दी जाएगी।
- सुधारात्मक कदम समय पर एवं उचित रूप में लिए जाएंगे।
- निरीक्षण के परिणामों का दस्तावेज़ बनाया जाएगा।

निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सी का प्रबन्ध निशिचत अवकाश पर प्रणाली की समीक्षा करेगा एवं ऐसी समीक्षाओं का रिकॉर्ड रखा जाएगा।

7. मानक

7.1 सामान्य

निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सियों को जैविक उत्पादन हेतु राष्ट्रीय मानकों के अनुसार चलना होगा। मानक इस प्रकार प्रस्तुत किए जाएंगे जो प्रचालकों की भाषा, क्षमता एवं जानकारी के अनुसार ढाले जाएंगे। निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सियों द्वारा सभी प्रमाणित उत्पादन प्रणालियों अथवा उत्पाद श्रेणियों के मानकों को प्रकाशित किया जाएगा।

7.2 मानक पुनरीक्षा

- मानको की पुनरीक्षा नियमित तौर पर की जायेगी।
- इस पुनरीक्षा की जिम्मेवारी जैविक उत्पादन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम संबंधी संचालन समिति की होगी।
- मानकों के क्रियान्वयन की तिथि मानकों में इंगित की जायेगी।
- जहाँ पर भी आवश्यक हो, मानकों में बड़े परिवर्तन क्रियान्वित करने के लिए प्रचालकों एक समयावधि की अनुमति दी जायेगी।
- प्रचालकों द्वारा क्रियान्वयन करने की अन्तिम तिथि स्पष्ट रूप से बताई जायेगी।

8. निरीक्षण

8.1 सामान्य

निरीक्षण और प्रमाणीकरण एजेंसियां परिशिष्ट–9 के अनुसार मानक पद्धतियों का अनुसरण करेंगी।

निरीक्षक के पास प्रचालक के लेखा एवं अन्य अभिलेखों के प्रस्तुतीकरण समेत सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

निरीक्षण के लिए नीतियों एवं पद्धतियों को अभिलेखित किया जायेगा और इसमें शामिल होंगे :

- निरीक्षकों को काम सुपुर्द करने का आधार
- प्रचालकों द्वारा निरीक्षण के लिए आपत्ति करने के उचित कारण
- निरीक्षण संबंधी दौरों के लिए दिशा-निर्देश
- निरीक्षण विधियाँ एवं आवृत्ति
- निरीक्षण संबंधी अर्हताएं
- नमूना संबंधी अर्हताएं
- रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश

8.2 काम सौंपना

निरीक्षक को, निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सियों द्वारा काम सौंपा जाएगा।

निरीक्षक को काम सौंपने से पहले, निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सी :

- यह सुनिश्चित करेगी कि वास्तविक निरीक्षण के लिए ज़रूरी पर्याप्त विशेषज्ञता हो।

- किसी भी प्रकार के सम्भाव्य हित संबंधी विवाद को समाप्त करेगी।

प्रचालकों को न तो निरीक्षक चुनने और न ही उनकी सिफारिश करने का अधिकार होगा। यदि प्रचालक निरीक्षण और प्रमाणीकरण एजेंसी को बदलना चाहता है तो उसे अपने फैसले के कारणों के बारे में प्राधिकारी अर्थात एपीडा को सूचित करना होगा। एपीडा पूर्व प्रमाणीकरण निकाय के रिकार्ड्स से सत्यापन के बाद प्रचालक को अपनी पसंद की नई निरीक्षण और प्रमाणीकरण एजेसी के तहत पंजीकरण की अनुमति देगा।

प्रचालकों को अधिकार होगा कि निरीक्षण दौरे से पहले उन्हें निरीक्षक की पहचान संबंधी सूचना दी जाए और यदि किसी प्रकार का हित–विवाद सम्भावित हे तो वे आपत्ति कर सकें।

अचानक हुए निरीक्षणों पर यह लागू नहीं होता।

एक ही प्रचालक के लिए एक ही निरीक्षक द्वारा लगातार निरीक्षण नहीं किया जाना चाहिए।

प्रत्यापित निरीक्षण व प्रमाणीकरण एजेंसी परिशिष्ट–9 के विवरण के अनुसार निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण के दौरान एहतियाती उपाय करेगी। जब किसी प्रचालक द्वारा भाग (सेक्शन)–3 की शर्तों में कोई अनियमितता बरती जाएगी तो अनियमितता से प्रभावित पूरा दर या उत्पादन स्थल/श्रंखला से हटा दिया जाएगा और प्रचालक पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। प्रचालक पर की गई कार्रवाई के बारे में एपीडा को सूचित किया जाना चाहिए।

यदि एपीडा निरीक्षण और प्रमाणीकरण एजेंसियों द्वारा इस विनियमन के प्रयोग से संबंधित अनियमितताएं या अतिक्रमण पाता है तो वह उसके बारे में राष्ट्रीय निकाय को आगे की कार्रवाई के बारे में सूचित करेगी।

8.3 निरीक्षण दौरा एवं रिपोर्ट

निरीक्षकों को समुचित तैयारी करने के लिए प्रचालकों के बारे में पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। जिसमें, अन्य बातों के अलावा, पूर्व के निरीक्षण निष्कर्ष, क्रियाकलापों/प्रक्रियाओं का विवरण, नक्शे/योजनाएं, उत्पाद संबंधी विनिर्दिष्टताएं, और प्रयुक्त निवेश, पूर्व की विसंगतियाँ, उल्लंघन, शर्तें और अनुशासनात्मक उपाए शामिल हैं।

दौरा और निरीक्षण के दौरान प्रयुक्त प्रश्नावली, और निरीक्षण से निकलने वाली रिपोर्ट व्यापक होंगी और उसमें उत्पादन मानकों के सभी प्रासंगिक पहलूओं को शामिल किया जाएगा तथा सूचना को पर्याप्त रूप से पुष्ट किया जाएगा।

निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सियों की पहुँच किसी भी गैर-जैविक उत्पादन एकक, अथवा स्वामित्व या प्रबन्ध से जुड़े हुए एकक तक होगी। निरीक्षण में, अभिलेख पुनरीक्षा समेत, ऐसे एकक शामिल होने चाहिए, जब ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण हो, जैसाकि एक ही प्रकार के उत्पादों का उत्पादन इत्यादि।

निरीक्षण रिपोर्ट एवं निरीक्षण में, जहाँ तक सम्भव हो सके, गैर-प्रभेदक एवं वस्तुपरक निरीक्षण पद्धति को सुगम बनाने के लिए एक विनिर्दिष्ट प्रोटोकोल का अनुसरण करना होगा।

रिपोर्ट्स् इस प्रकार तैयार की जाएंगी जिससे निरीक्षक उन क्षेत्रों के बारे में विस्तारपूर्वक कार्य और विश्लेषण कर पाए जहाँ शायद अनुपालन आंशिक हो या मानक, इत्यादि, स्पष्ट न हों।

निरीक्षण रिपोर्ट्स् में उसकी समुचित सूचना दी जाएगी जिनकी वास्तविक पड़ताल हुई, जिसमें निम्न शामिल तो हैं, पर उस तक सीमित नहीं है :

- निरीक्षण की तिथि एवं समय,
- व्यक्ति जिनका साक्षात्कार किया गया हो,
- फसलें/उत्पाद, जिनका प्रमाणीकरण के लिए आग्रह किया गया हो,
- क्षेत्र एवं सुविधाएँ जिन्हें देखा गया,
- पुनरीक्षित अभिलेख

इसके साथ रिपोर्ट में निम्न भी होगा :

- निरीक्षक की टिप्पणियाँ
- मानकों के अनुपालन का मूल्यांकन, और प्रमाणीकरण अर्हताएँ।

8.4 विधियाँ एवं आवृत्ति

निरीक्षण विधियाँ एवं आवृत्ति, अन्यों के साथ, निम्न द्वारा भी निर्धारित की जाएंगी ,

- उत्पादन की आवृत्ति

- उत्पादन की किस्म
- संचालन का आकार
- पूर्व निरीक्षणों के परिणाम एवं प्रचालक का अनुपालन संबंधी रिकॉर्ड
- कार्यक्रम द्वारा प्राप्त की गई कोई शिकायत
- क्या एकक अथवा प्रचालक केवल प्रमाणित उत्पादन में जुटा है।
- दूषण एवं खिसकने का जोखिम
- उत्पादन की जटिलता।

8.4.1 निरीक्षण की आवृत्ति

निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सियों के पास निरीक्षण की आवृत्ति संबंधी लिखित नीति होगी और इसके साथ-साथ इसमें निम्न भी सम्मिलित होगा :

- लाईसेंसधारी प्रचालकों का निरीक्षण, वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगा।
- जिन प्रचालकों को उप संविदा दी गई है उनका निरीक्षण वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगा।
- उपरिलिखित 6.4 में उल्लिखित कारकों के संबंध में अधिक निरीक्षणों का प्रावधान होगा।
- अचानक किए जाने वाले निरीक्षणों की न्यूनतम संख्या (प्रतिशतता) के साथ उस आधार का भी निर्धारण किया जाएगा जिस पर उन प्रचालकों का चयन होगा जिनके निरीक्षण किए जाएंगे।
- वह तरीका जिसमें ''अतिरिक्त'' निरीक्षण की गणना एवं व्यय वहन करना होगा।
- निरीक्षणों का समय इतना नियमित नहीं होगा कि उसका अनुमान लगाया जा सके।

8.4.2. निरीक्षण विधियाँ

निरीक्षण में नियमित रूप से शामिल होंगे, किन्तु उस तक सीमित नहीं होंगे :

- सुविधाओं, क्षेत्रों, इत्यादि का दौरा।
- रिकॉर्ड्स एवं लेखों की पुनरीक्षा।
- निवेश/निर्गम मानदण्ड उत्पादन अनुमानों, इत्यादि की गणना।
- प्रचालक की उत्पादन प्रणाली का मूल्यांकन।
- जिम्मेवार व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार।

8.5 विश्लेषण एवं अवशेष परीक्षण

जैविक प्रमाणीकरण में परीक्षण एक प्रमुख साधन है बशर्ते यह उन योग्य संस्थाओं द्वारा किया जाए जो आई एस ओ 17025 के अनुसार प्रत्यायित हैं एवं उनके पास स्तरीय परीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएँ हैं। प्रयोगशालाओं के मूल्यांकन के पश्चात राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय मिट्टी, जैविक उत्पादों और जैविक उर्वरकों आदि के अवशेष के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं को प्राधिकृत करेगा। परीक्षण करने वाली प्रयोगशाला को पेस्टनाशी पदार्थों, भारी धातुओं और अन्य प्रतिबंधित पदार्थों के अवशेष परीक्षण के लिए प्रचालन नियमावली और पद्धतियां रखनी होंगी।

निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सियों के पास अवशेष परीक्षण, लक्षण परीक्षण एवं अन्य विश्लेषण पर अभिलेखित नीतियाँ एवं पद्धतियाँ होंगी। इन नितियों में, इसके साथ-साथ निम्न भी अवश्य सम्मिलित होगा :

- ऐसे मामलों की पहचान के बारे में सूचना सार्वजनिक जिसमें यदि कहीं ऐसे पदार्थ के प्रयोग की आशंका हो जो मानकों द्वारा प्रतिबन्धित है तो विश्लेषण के लिए नमूने लिए जाएंगे।
- किसी आकस्मिक नमूना लेने की आवश्यकता का संकेत।
- नमूना लेने की ज़रूरतों एवं विधियों के संबंध में निरीक्षकों को दिशा-निर्देश।
- नमूना लेने के बाद की पद्धतियाँ।
- नमूना लेने के भुगतान के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करना।

8.6 आंशिक रूपान्तरण तथा सामानान्तर उत्पादन हेतु निरीक्षण व्यवस्था

आंशिक रूपान्तर एक वह चरण अथवा स्थिति है जब परम्परागत, रूपान्तरण और/अथवा जैविक उत्पादन या प्रसंस्करण एक ही एकक के होते हैं।

समानान्तर उत्पादन को एक ऐसे उत्पादन के रूप में परिभाषित किया गया है, जहाँ एक ही एकक, समान उत्पादों का एक प्रमाणित जैविक स्तर और गैर-प्रमाणित जैविक स्तर में उसका उत्पादन, पालन, देख-रेख तथा प्रसंस्करण करता है। ऐसी स्थिति जहॉ एक ही उत्पाद का

''जैविक'' उत्पादन एवं ''रूपान्तरण'' उत्पादन किया जा रहा हो वह भी समानान्तर उत्पादन है।

8.6.1 उत्पादन एवं प्रसस्करंण में आंशिक रूपान्तरण के लिए प्रावधान

आंशिक रूपान्तरण होने की स्थिति में, निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ विशेष निरीक्षण पद्धतियों का विकास करेंगी। आंशिक रूपान्तरण की स्थितियों में प्रमाणीकरण केवल तभी दिया जाएगा यदि ऐसे सुरक्षा उपाय होंगे जिससे उत्पाद मिश्रित अथवा दूषित न हो सकें।

निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ सुनिश्चित करेंगी :

- कि अलग से सम्भालकर रखने के लिए पर्याप्त भण्डारण क्षमता उपलब्ध हो,
- कि उत्पादन के सम्बन्ध अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण अच्छे से किया जाए एवं यह प्रमाणित एवं गैर प्रमाणित उत्पादन के मध्य एक स्पष्ट अन्तर करें,
- कि निरीक्षण को क्रान्तिक समय पर किया जाना चाहिए,
- कि निरीक्षण उचित समय के अनुकूल हो,
- कि सही उत्पादन अनुमान उपलब्ध हों।

8.6.2 समानान्तर उत्पादन के लिए प्रावधान

यदि कोई फार्म समानान्तर उत्पादन में संलग्न है तो आंशिक रूपान्तरण की मांग के अतिरिक्त, प्रमाणीकरण कार्यक्रम को निम्न कार्यों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पड़ेगी :

- सीमांकन के लिए बफ़र–ज़ोन रखे जाते हैं।
- फसलें देखने से ही अन्तर करने योग्य हो अथवा
- फसलों को इस प्रकार काटा जाए कि सम्बन्धित फसलों (अर्थात् कटाई के मध्य निरीक्षण, कटाई के समय अतिरिक्त निरीक्षण) की वास्तविक कटाई के सत्यापन के लिए विश्वसनीय पद्धतियाँ हों।

प्रमाणीकरण कार्यक्रम प्रत्येक अलग-अलग स्थिति के लिए ऐसी प्रणाली को स्वीकृत करेगा।

यदि समानान्तर उत्पादन, पशु कृषिकर्म और मधुमक्खी पालन में अनुमत है तो प्रमाणीकरण कार्यक्रम को उस प्रकार के उत्पादन अभिलेखित पद्धतियों एवं निरीक्षण पद्धतियों का विकास अवश्य करना होगा।

8.7 आनुवांशिक रूप से निर्मित्त उत्पाद के प्रयोग के लिए निरीक्षण

निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सियों को आनुवांशिक रूप से निर्मित उत्पादों के सम्भावित प्रयोग के लिए निरीक्षण प्रणाली का क्रियान्वयन करना होगा। जब ऐसे उत्पादों के प्रयोग की पहचान किसी चरण पर की जाती है, तो प्रमाणीकरण, नहीं दिया जाता।

निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सियों को कम से कम वर्ष में एक बार एक पुस्तिका में, जिसमें आनुवांशिक रूप से निर्मित उत्पादों तथा गैर आनुवांशिक रूप से निर्मित उत्पादों, जो प्रमाणीकरण के क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक हो, के आम नाम एवं उत्पाद नाम की सूची हो और उसे प्रकाशित एवं सभी पचालकों एवं निरीक्षकों को परिचालित करना होगा।

ऐसे पुस्तिका में निम्न शामिल करेंगे जो किए जा रहे प्रमाणीकरण के लिए उचित होगा :

- बीज एवं बोने वाला स्टॉक
- पशु पालन
- उत्पादन निवेश
- पशुधन निवेश
- प्रसंस्करण संबंधी सहायता
- अवयव।

जब उचित हो, प्रचालकों के लिए यह आवश्यक होगा कि सभी आपूर्तिकर्त्ताओं से हस्ताक्षरित वर्णन लें कि आनुवांशिक रूप से निर्मित उत्पादों की आपूर्ति नहीं की गई है।

9. प्रमाणीकरण

9.1 जिम्मेदार निकाय एवं प्रमाणीकरण संबंधी निर्णय

नोट: प्रमाणीकरण संबंधी निर्णय प्रचालकों की आरम्भिक स्वीकृति तक ही सीमित नहीं हैं, किन्तु उत्पादों की स्वीकृति, उत्पादन में परिवर्तन, अनुशासनात्मक उपाय इत्यादि से भी सम्बन्धित हैं।

निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ यह सुनिश्चित करेंगी कि प्रमाणीकरण के संबंध में प्रत्येक निर्णय ऐसे व्यक्ति (यों) के द्वारा लिया जाये जोकि उन व्यक्तियों से भिन्न हों जिन्होंने निरीक्षण अथवा मूल्यांकन को संपादित किया हो।

प्रमाणीकरण निर्णयों हेतु उत्तरदायी एजेन्सी में किसी एकल हित का प्राधान्य होने के बजाय विभिन्न पणधारियों का वैविध्य परिलक्षित होना

चाहिये।

प्रमाणीकरण निर्णयों को एक लघु समिति अथवा अधिकारियों को सौंपे जाने की स्थिति में, निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ रिर्पोटिन्ग तथा समीक्षा प्रकार्यों को निरूपित करेगी जोकि प्रमाणीकरण हेतु उत्तरदायी एजेन्सी को ऐसे निर्णयों हेतु अंतिम नियंत्रण तथा उत्तरदायित्व को निष्पादित करने में सक्षम बनाते हैं।

9.1.1 अपवाद

यदि अपवादों को छूट प्रदान की जाती है, तो अपवादों को छूट प्रदान करने हेतु स्पष्ट मापदण्ड़ों तथा पद्धतियों को विकसित करना होगा।

- अपवादों को समय की दृष्टि से स्पष्ट रूप से सीमित किया जायेगा।
- किसी भी अपवाद हेतु औचित्य को समुचित रूप से रिकॉर्ड किया जायेगा।

9.2 प्रमाणीकरण प्रक्रिया

प्रमाणीकरण नीतियों तथा पद्धतियों मे, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

- अंतिम प्रमाणीकरण होने तक, आवेदन पर की जानेवाली कार्यवाही के समस्त प्रक्रियात्मक चरण;
- कि प्रमाणीकरण प्रक्रिया के शुरू से लेकर अंत तक सभी प्रचालकों तथा उनके उत्पादन की प्रमाणीकरण अवस्था को इंगित किया जाये;
- प्रमाणीकरण के विस्तारण तथा अद्यतनीकरण करने हेतु पद्धतियाँ, जिसमें वैयक्तिक उत्पादों का प्रमाणीकरण भी सम्मिलित है; (निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ प्रचालक से उत्पादों में किये गये संशोधन, विनिर्माण प्रक्रिया, क्षेत्रफल के विस्तार आदि के रूप में उत्पादन में किसी भी प्रकार के परिवर्तनों के बारे में सूचित किये जाने की माँग करेंगी। निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ यह निधारित करेंगी कि क्या घोषित किये गये परिणामों की और अधिक जाँच करने की आवश्यकता है अथवा नहीं। उस स्थिति में, प्रचालक को तब तक इस प्रकार के परिवर्तनों के परिणामस्वरूप उत्पन्न प्रमाणित उत्पादों को जारी करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियों ने प्रचालक को तद्नुसार सूचित नहीं कर दिया हो)।
- कि प्रमाणीकरण निर्णयों को रिकॉर्ड किया जायेगा तथा स्पष्ट रूप से प्रचालक को सूचित किया जायेगा;
- कि, यदि प्रमाणीकरण अस्वीकृत कर दिया गया हो, तो उसके कारणों को स्पष्ट रूप से वर्णित किया जायेगा;
- कि कार्यक्रम को शर्तों तथा प्रतिबन्धों को अधिरोपित करने में सक्षम होना चाहिये। ऐसी शर्तों तथा प्रतिबंधों के अनुपालन की निगरानी हेतु तंत्रों को सही ढंग से काम करना चाहिये।
- कि अन्य प्रमाणीकरण कार्यक्रमों द्वारा पहले से प्रमाणित किये गये आवेदकों की स्वीकृति हेतु मापदण्ड़ों को प्रलेखित किया जायेगा। अन्य प्रमाणीकरण कार्यक्रम से सम्बद्ध रिकॉर्डों को उपलब्ध कराने का अनुरोध अवश्य किया जाना चाहिये।
- कि, प्रचालक द्वारा माँग किये जाने पर, सम्बद्ध रिकॉर्डों को किसी अन्य प्रमाणीकरण कार्यक्रम को भेजा जाना चाहिये।
- कि निरीक्षण रिपोर्टों तथा प्रमाणीकरण निर्णयों पर एक समयोचित तरीके से कार्यवाही की जानी चाहिये।
- कि उल्लंघनों से संबंधित किसी भी मुद्दे पर उच्चतम प्राथमिकता के साथ कार्यवाही की जानी चाहिये।

समस्त नीतियों तथा पद्धतियों को प्रलेखित किया जायेगा।

9.3 अपील

निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियों के पास अपने निर्णयों विरुद्ध की गयी अपीलों पर विचारार्थ पद्धतियाँ मौजूद होंगी।

निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ :

- सभी अपीलों का रिकॉर्ड रखेंगी
- उपयुक्त अनुवर्ती कार्यवाहियाँ करेंगी
- की गयी कार्यवाही को प्रलेखित करेंगी।

जिस निर्णय के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसके लिये अत्तरदायी व्यक्तियों को अपील के बारे में अंतिम निर्णय लेने में अन्तर्ग्रस्त नहीं किया जायेगा।

9.4 प्रमाणीकरण रिकार्डस् तथा रिपोर्टस्

9.4.1 प्रचालक फाइलें

प्रचालक फाइलें अद्यतन होगी तथा उनमें इतिहास तथा उत्पाद विनिर्दिष्टताओं सहित समस्त प्रासंगिक सूचना अन्तर्विष्ट होगी। निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियों के पास समस्त प्रमाणित उत्पादन यूनिटों के लिये प्रासंगिक डॉटा उपलब्ध होगा, जिसमें उप-ठेकेदार तथा उत्पादक समूहों के सदस्य भी सम्मिलित होंगे।

निरीक्षण रिपोर्टस् तथा लिखित प्रलेखन पर्याप्त रूप से व्यापक सूचना को उपलब्ध करायेंगे जिससे कि निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ सक्षम तथा तथ्यपरक निर्णयों को लेने में समर्थ हो सकें।

फाइलों में उस रीति को निरूपित किया जायेगा जिसमें प्रत्येक प्रमाणीकरण पद्धति को लागू किया गया था तथा इसमें निरीक्षण रिपोर्टस् और अधिरोपित अनुशासनात्मक उपायों के परिणाम भी सम्मिलित होंगे।

निरीक्षण तथा प्रमाणकर्ता एजेन्सियाँ समस्त प्रमाणित उत्पादन यूनिटों तथा समस्त प्रमाणित संसाधित उत्पादों की नियमित रूप से अद्यतन की गयी सूचियों को तैयार करेंगी।

9.4.2 रिकार्डस्

संबंधित निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियों द्वारा निम्नलिखित हेतु रिकार्डस् को तैयार किया जायेगा :

- उल्लंघन
- पूर्वोदाहरण
- अपवाद
- अनुशासनात्मक उपाय

नोट : सामान्यतया इसका अभिप्राय यह होगा कि इस प्रकार की सूचना उत्पादक की फाइल के साथ-साथ एक पृथक रिकार्ड, दोनो ही जगहों पर उपलब्ध होगी, अथवा एक डाटाबेस प्रणाली में पंजीकृत प्रणाली में पंजीकृत होगी।

9.4.3 वार्षिक रिपोर्ट

एक वार्षिक प्रमाणीकरण रिपोर्ट का संबंध निम्नलिखित से होगा :

- प्रमाणित क्षेत्र/रूपांतरण के तहत
- सम्पादित किये गये निरीक्षणों की संख्या
- प्रमाणित प्रचालकों की संख्या
- रूपांतरण के तहत प्रचालकों की संख्या
- प्रमाणित उत्पादन समूहों की संख्या
- उल्लंघनों तथा अनुशासनात्मक उपायों की आवृत्ति तथा प्रकार
- छूटों की आवृत्ति तथा प्रकार
- शिकायतों की आवृत्ति तथा प्रकार
- अपीलों की आवृत्ति तथा प्रकार
- पाए गए अतिक्रमणों की आवृत्ति तथा प्रकार
- प्रमाणीकरण कार्यक्रम के तहत जैविक उत्पादों के उत्पादन की कुल मात्रा
- प्रमाणित उत्पादों/फसलों के नाम (संसाधित व गैर–संसाधित)
- निर्यात किए गए उत्पादों की मात्रा (संसाधित व गैर–संसाधित)
- घरेलू बाजार में बेचे गए उत्पादों की मात्रा (संसाधित व गैर–संसाधित)
- जारी किए गए संव्यवहार प्रमाणपत्रों की संख्या (इस रिपोर्ट के साथ प्रत्येक संव्यवहार प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा)
- चिंता के अन्य क्षेत्र

9.5 प्रणाली की सत्यनिष्ठा

प्रमाणीकरण प्रणाली ऐसे लिखित अनुबंधों पर आधारित होगी जिनमें किसी प्रमाणित उत्पाद के उत्पादन के प्रक्रिया की श्रंखला में अन्तर्ग्रस्त सभी पार्टियों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया हो।

प्रमाणित प्रचालक संविदाओं, अनुबंधों अथवा शपथ पत्रों पर हस्ताक्षर करेंगे जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वे निम्नलिखित के लिये वचनबद्ध होंगे :

- प्रमाणीकरण हेतु उत्पादन मानकों तथा अन्य प्रकाशित आवश्यकताओं का पालन करना
- निरीक्षण को स्वीकार करना
- सही सूचना की आपूर्ति करना
- प्रमाणीकरण कार्यक्रम को परिवर्तनों के बारे में सूचित करना

कार्यक्रम प्रचालकों को प्रमाणीकरण प्रणाली को अपनी इच्छानुसार अपनाने अथवा त्याग देने की अनुमति प्रदान नहीं करेगा।

9.5.1 अनुशासनात्मक उपाय

निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियों के पास अनुशासनात्मक उपायों (प्रतिबन्धों) की एक प्रलेखित श्रृंखला मौजूद होगी जिसमें मानकों के छोटे-मोटे उल्लघंनों से निपटने हेतु उपाय भी सम्मिलित हैं।

ऐसे उपायों को लागू करने हेतु एक स्पष्ट पद्धति को लागू किया जाना चाहिये।

लागू किये गये अनुशासनात्मक उपायों को प्रभावकारी होना चाहिये।

9.5.2 प्रमाणीकरण को वापिस लिया जाना

जैविक सत्यनिष्ठा को प्रभावित करने वाले किसी भी उल्लंघन का पता चलने पर, निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ यह सुनिश्चित करेंगी कि संबंद्ध उल्लंघन से प्रभावित हुए उत्पादन माल की सम्पूर्ण ढेरी से प्रमाणीकरण के संकेत को हटा दिया जाना चाहिये।

जब भी प्रचालक द्वारा कोई उल्लंघन किया जाता है, तो निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिये प्रचालक से प्रमाणीकरण को वापिस ले लेंगी और उनके निर्णय के बारे में राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय को सूचित करेंगी।

9.6 चिह्न तथा प्रमाणपत्र

निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ प्रमाणीकरण के चिन्ह प्रत्यायन संख्या, राष्ट्रीय लोगो अथवा उसके अन्य उल्लेखों से संबंधित दिशानिर्देशों को स्थापित करेंगी।

निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ अपने लाइसेन्सों, प्रमाणपत्रों और प्रमाणीकरण चिह्नों के प्रयोग पर समुचित नियंत्रण स्थापित करेंगी।

प्रमाणीकरण के गलत उल्लेखों अथवा लाइसेन्सों, प्रमाणपत्रों या चिन्हों का भ्रामक प्रयोग किये जाने की स्थिति में उपयुक्त अनुशासनिक कार्यवाहियाँ की जायेंगी। गैर-प्रमाणित प्रचालकों द्वारा चिन्हों अथवा लाइसेन्सों, प्रमाणपत्रों के प्रयोग करने की स्थिति में भी इनको लागू किया जायेगा।

निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियों के पास संविदाओं, प्रमाणपत्रों तथा प्रमाणीकरण चिन्हों को वापिस लिये जाने और रद्द किये जाने हेतु प्रलेखित पद्धतियां मौजूद होंगी।

9.6.1 पंजीकरण का प्रमाणपत्र

पंजीकरण के प्रमाणपत्र में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :

- प्रचालक का नाम एवं पता
- प्रमाणीकरण कार्यक्रम का नाम एवं पता
- प्रयोज्य मानकों का उल्लेख
- उत्पाद या उत्पाद श्रेणियाँ
- जारी करने की तिथि
- वैधता।

9.6.2 संव्यवहार प्रमाणपत्र

निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ केवल उसी स्थिति में संव्यवहार प्रमाणपत्रों को जारी करेंगी जबकि क्रेता समस्त आवश्यक विवरणों को उपलब्ध करा देता है। निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ प्रमाणपत्र जारी करने से पहले यह प्रमाणित करने हेतु युक्तिसंगत उपायों को लागू करेंगी कि उपलब्ध करायी गयी सूचना सही है। निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ कपटपूर्ण प्रयोग की रोकथाम करने हेतु समुचित उपायों को लागू करेंगी जिनमें यह सुनिश्चित करना भी सम्मिलित है कि प्रमाणपत्रों में पर्याप्त सूचना अन्तर्विष्ट है।

जारी किए गए सभी निर्यात प्रमाणपत्रों और संव्यवहार प्रमाणपत्रों की प्रतियां रिकार्ड्स रखने के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय को भेजी जाएंगी तथा उन्हें इस ढंग से भण्डारित किया जायेगा जिससे कि प्रत्येक प्रचालक के संबंध में सूचना की आसानी से पुनः प्राप्ति तथा निरीक्षण करना संभव हो।

9.6.3 उत्पाद प्रमाणपत्र

प्रचालक द्वारा अनुरोध करने पर प्रमाणकर्ता क्रेता को उत्पाद प्रमाणपत्र जारी करेगा, जिसकी लागत को प्रचालक अथवा क्रेता, दोनों में से किसी एक के द्वारा वहन किया जायेगा। उत्पाद प्रमाणपत्र में निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होगा :

- विक्रेता का नाम एवं विवरण
- क्रेता का नाम एवं विवरण
- उत्पाद की डिलीवरी की तिथि
- प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि
- उत्पाद, उसकी प्रमात्रा, तथा जहाँ पर भी लागू हो, तो उसकी गुणवत्ता तथा मौसम का एक स्पष्ट संकेत
- उत्पादों को ढेरी संख्याएं तथा अन्य पहचान (चिन्ह)
- बीजक पत्र अथवा लदान पत्र का उल्लेख
- प्रमाणीकरण कार्यक्रम तथा प्रयोज्य मानक का एक संकेत
- प्रमाणकर्ता को ओर से एक वक्तव्य कि उत्पाद को प्रयोज्य मानकों के अनुसार उत्पादित किया गया है।

जहाँ पर भी लागू हो, वहाँ उत्पाद प्रमाणपत्रों पर कच्ची सामग्रियों के मौलिक प्रमाणीकरण, तथा अन्य कार्यक्रम से किसी अन्य प्रमाणीकरण को इंगित किया जायेगा ।

प्रचालकों को जारी किये गये संव्यवहार प्रमाणपत्रों की प्रतियों को इस ढंग से भण्डारित किया जायेगा कि प्रत्येक प्रचालक के संबंध में सूचना को आसानी से पुनःप्राप्त करना संभव हो ।

10 लाइसेन्स शुदा प्रचालक

10.1 लाइसेन्स धारकों को सूचना

निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ यह सुनिश्चित करेंगी कि आवेदन के समय प्रत्येक प्रमाणित लाइसेन्स शुदा प्रचालक के पास :

- जैविक उत्पादों हेतु प्रयोज्य राष्ट्रीय मानकों का एक अघतन रूपान्तर
- निरीक्षण, प्रमाणीकरण तथा अपीलों की पद्धति का उपयुक्त विवरण का मौजूद हो ।

वर्तमान प्रचालकों हेतु

- अनुचित विलंब के बिना मानकों तथा प्रासंगिक पद्धतियों में परिवर्तनों की अधिसूचना
- मान्य प्रमाणपत्र अथवा प्रमाणीकरण अवस्थिति का अन्य कोई लिखित प्रमाण ।
- वैध संविदाएँ/लाइसेन्स

प्रचालकों को अपने उत्पादन के प्रमाणीकरण से संबंधित निरीक्षण निष्कर्षों तथा अन्य प्रलेखन की प्रतियाँ प्राप्त करने का अधिकार है बशर्ते कि दस्तावेज गोपनीय नहीं हो, यथा दाखिल की गयी शिकायतें, निरीक्षण रिपोर्टों के गोपनीय अनुच्छेद ।

10.2 लाइसेन्स धारकों द्वारा तैयार किये गये रिकार्डस् तथा प्रलेखन

निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेनिसियाँ यह मांग करेंगी, कि प्रत्येक लाइसेन्स धारक उत्पादन के प्रकार के अनुकूल रिकार्ड कीपिन्ग प्रणाली को तैयार करेगा जिससे निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ आवश्यक सूचना को पुनः प्राप्त करने तथा उत्पादन, भण्डारण, प्रसंस्करण, खरीद तथाा बिक्री को सत्यापन करने में सक्षम हो पायेंगी ।

11. हैन्डिलिन्ग के सभी चरणों का निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण

निम्नलिखित सम्पूर्ण उत्पादन श्रृंखला के निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण पर लागू होगा, तथा यह स्पष्ट करता है कि विभिन्न विशेष मामलों हेतु क्या लागू होगा।

उत्पाद की हैण्डिलिन्ग के प्रत्येक चरण का वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण किया जायेगा।

इसका अभिप्राय यह है कि न केवल किसानों का, बल्कि भण्डारण यूनिटों, प्रसंस्करण यूनिटों, पैकेजिन्ग शिपमेंट आदि का भी निरीक्षण किया जायेगा। इसका कोई भी अपवाद एक प्रलेखित जोखिम मूल्यांकन पर आधारित होगा तथा उसे इन मापदण्ड़ों में अभिनिर्धारित परिस्थितियों तक सीमित रखा जायेगा।

किसी उत्पाद को बेचने वाले (बीजकपत्र तैयार करने) वाले व्यक्ति को पंजीकृत तथा प्रमाणित किया जायेगा । सामान्यतया यह तब तक लागू रहता है जब तक कि उत्पाद को उसके अंतिम पैकेज में डाला जाये उस पर अंतिम लेबल लगा दिया जाये ।

11.1 पैक किये गये उत्पाद

निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ उन उत्पादों के निरीक्षण हेतु एक प्रणाली को तैयार करने हेतु बाध्य नहीं है जिनको अंतिम ग्राहक पैकेज में पैक किये जाने के पश्चात् हैण्डिल किया जाता हो, और/अथवा संव्यवहार प्रमाणपत्र को जारी करने के पश्चात् और आगे भी हैण्डिल किया जाता हो । तथापि, निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ उस स्थिति में कार्यवाही करने हेतु बाध्य है जबकि यह विश्वास करने का कोई कारण हो कि ऐसे पश्चवर्ती चरणों में मानकों का उल्लंघन किया जाता है अथवा किया जा सकता है । बन्दरगाहों में धुमीकरण ऐसी स्थितियों का उदाहरण हो सकते हैं ।

11.2 भण्डारण सुविधाएं

भण्डारण के प्रकार, उत्पाद, पैकिन्ग, विद्यमान भण्डारण रीतियों (यथा धूमीकरण) तथा भण्डारण के समय पर निर्भर करते हुए, निरीक्षण करना जरूरी अथवा गैर जरूरी हो सकता है । निरीक्षण व प्रमाणीकरण एजेंसियां बंदरगाह संबंधी सुविधाओं सहित सभी भण्डारण सुविधाओं के बारे में निरीक्षण की भावी आवश्यकता निर्धारित करने के लिए जोखिम मूल्यांकन करेंगी ।

11.3 परिवहन सुविधाएं

सामान्यतया परिवहनको इस प्रकार से प्रमाणित नहीं किया जाता है, परन्तु यह परिवहन के समय पर उत्पाद का स्वामित्वधारण करने वाली पार्टी की जिम्मेदारी के अधीन रहता है ।

11.4 परिरक्षा की श्रृखंला

निरीक्षण व प्रमाणीकरण निकाय तब तक अपने प्रमाणीकरण चिन्ह के इस्तेमाल का कोई लाइसेंस जारी नहीं करेगी या किसी भी उत्पाद के लिए कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं करेगी, जब तक कि वह उस उत्पाद की परिरक्षा की श्रृंखला के बारे में आश्वस्त न हो जाएं, जहां उत्पादन के राष्ट्रीय मानकों के अनुसार एन पी ओ पी के तहत उत्पादन श्रृंखला में उठाए गए कदमों को

अन्य प्रत्यापित निरीक्षण व प्रमाणीकरण एजेंसियों द्वारा प्रमाणित किया गया है।

12. वन्य उत्पादों का निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण

ये मापदण्ड केवल ऐसी निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियों पर लागू किये जाते हैं जोकि जैविक उत्पादों हेतु राष्ट्रीय मानकों में परिभाषित वन्य उत्पादन को प्रमाणित करती हैं। सभी प्रासंगिक मापदण्ड वन्य उत्पादन के निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण पर लागू किये जाते हैं। संग्रहण कर्ताओं को सामान्यतया उन आवश्यकताओं के अध्यधीन नहीं किया जाता है जोकि एक उत्पादक समूह में किसी किसान के मामले में लागू की जाती हैं, परन्तु प्रणाली की सत्यनिष्ठा की पूरी गारंटी दी जानी चाहिये।

जिम्मेदार प्रचालक के साथ भी किसी अन्य प्रमाणित पार्टी के समान ही व्यवहार किया जायेगा। प्रचालक संग्रहणकर्ताओ को ऐसे निर्देश जारी करेगा जोकि कम से कम :

- संग्रहण के क्षेत्र को परिभाषित करता हो
- उनको मानकों तथा प्रमाणीकरण की अन्य आवश्यकताओं के बारे में सूचित करता हो।

संग्रहणकर्ता ऐसे वक्तव्यों पर हस्ताक्षर करेंगे कि उन्होंने निर्देशों का पालन किया है। प्रचालक के पास सभी संग्रहणकर्ताओं, तथा प्रत्येक संग्रहणकर्ता से खरीदी गई प्रमात्राओं के रिकॉर्ड मौजूद होंगे। उत्पादन के क्षेत्र को ऐसे उपयुक्त नक्शों में उचित ढंग से अभिनिर्धारित किया जायेगा, जोकि इतने विशाल तथा पर्याप्त रूप से भिन्न हो - जिससे कि गैर प्रमाणित उत्पादन के साथ मिल जाने के जोखिम को कम किया जा सके। किसी भी स्थानीय एजेटों (दलालों) को प्रचालक द्वारा समुचित ढंग से ठेका दिया जाना चाहिये।

तथापि, निरीक्षण नित्यचर्चा में, प्रचालक तथा सुविधाओं के औपचारिक निरीक्षण दौरों के अतिरिक्त, निम्नलिखित सम्मिलित होगा :

- संग्रहणकर्ताओं के साथ साक्षात्कार।
- प्रमाणित क्षेत्र के किसी उपयुक्त क्षेत्र का दौरा।
- स्थानीय एजेटों से भेंट तथा साक्षात्कार
- संग्रहण के क्षेत्र के बारे में प्रासंगिक सूचना प्रदानकरने वाले भू-स्वामियों तथा पार्टियों (पर्यावरणीय एजेन्सियाँ, NGO आदि) से साक्षात्कार।

13. इनपुट विनिर्माण का निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण

अनेक निरीक्षण तथा प्रमाणकर्ता एजेन्सियाँ विनिर्माता को लोगो का प्रयोग करने के अधिकारों अथवा किसी भी रूप में लाइसेन्स के जारी किये बिना ही इनपुट विनिर्माण के अनुमोदन की प्रणाली की अपनाती हैं।

13.1 अनुमोदन प्रणालियाँ

यदि निरीक्षण तथा प्रमाणकर्ता एजेन्सियाँ सूचियों को जारी करती हैं अथवा औपचारिक प्रमाणीकरण के बिना उत्पादों को किसी अन्य तरीके से अनुमोदित करती हैं, तो वे कम से कम निम्नलिखित उपायों को अवश्य प्रलेखित करेंगी :

- आवेदन पद्धति, जिसमें आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये अनिवार्य दस्तावेज भी सम्मिलित हैं;
- उत्पाद द्वारा कार्यक्रम के मानकों के अनुपालनका मूल्यांकन करने हेतु अपनायी जाने वाली पद्धति;
- निर्णय कर्ता प्राधिकारी;
- वह अवधि जिसके लिये अनुमोदन प्रदान किया है तथा संरचना में परिवर्तनों अथवा अन्य प्रासंगिक कारकों की विनिर्माता द्वारा रिपोर्ट किये जाने की आवश्यकताएँ;
- अनुमोदन की प्रकृति तथा गारंटी का एक स्पष्ट विवरण।

निरीक्षण तथा प्रमाणकर्ता एजेन्सियाँ किसी प्रकार का मंजूरी भुगतान प्राप्त नहीं करेंगी। अनुमोदन प्रणालियों द्वारा स्वयं उत्पाद पर संकेत के अनुमोदन की अनुमति दी जाऐगी।

14. उत्पादक समूहों का निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण

निरीक्षण व प्रमाणीकरण एजेंसी के पास उत्पादक समूहों का निरीक्षण करने के लिए प्रलेखीकृत नीतियां और पद्धतियां होंगी। उत्पादक समूहों के प्रमाणीकरण के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश एल पी ओ पी के अनुभाग (सेक्शन)–5 में दिए गए हैं।

14.1 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के मूल्यांकन के लिए निरीक्षण व प्रमाणीकरण एजेंसी सुनिश्चित करेगी कि :–

- सभी प्रचालकों का आंतरिक निरीक्षण एक वर्ष में दो बार किया गया है।
- आंतरिक निरीक्षण पूरा होने के बाद और पद्धतियों के बारे में प्रमाणीकरण निकाय के साथ हुई सहमति के अनुसार समूह में नए प्रचालक शामिल किए जाते हैं।
- आंतरिक नियंत्रण निरीक्षण निकाय की ओर से प्रांसगिक प्रलेखों के साथ नमूना निरीक्षण संचालित किए जाते हैं।
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के तौर तरीके और परिणामों का मूल्यांकन एन पी ओ पी मानकों के पालन के संदर्भ में किया जाएगा। मूल्यांकन में एक साक्ष्य लेखा परीक्षा यानी निरीक्षक अनेक आंतरिक नियंत्रण निरीक्षणों का दौरा करेगा, को शामिल किया जाएगा।

- प्रलेखन से अनुसरण न करने के उदाहरणों और आंतरिक निरीक्षण निकाय द्वारा सक्रिय रूप से उठाए गए कदमों का प्रतिबंधों के विशेष संदर्भ के साथ मूल्यांकन किया जाएगा।
- आंतरिक निंयत्रण प्रणाली द्वारा निरीक्षण के पर्याप्त रिकार्ड्स रखे जाते हैं।
- आंतरिक नियंत्रण रिकार्ड्स निरीक्षण व प्रमाणीकरण निकाय के नमूना निरीक्षण परिणामों के निष्कर्षों के अनुरूप हैं।
- प्रचालक को एन पी ओ पी मानकों के बारे में पर्याप्त जानकारी है।

14.2 उत्पादक समूह के रिकॉर्ड्स

निरीक्षण व प्रमाणीकरण एजेंसी एक समग्र समूह के रूप में उसके प्रमाणीकरण रिकॉर्ड्स के अतिरिक्त सभी प्रचालकों के मूल डाटा रखेगी।

निरीक्षण व प्रमाणीकरण एजेंसी के पास उत्पादक समूहों से सूचना पाने के लिए एक मानकीकृत फार्मेट होगा, जिसमें फार्म्स, क्षेत्र के मानचित्र पर अवस्थापन (लोकेशन), उत्पादन समूह में सम्मिलित होने का वर्ष, पूर्व निरीक्षण की तिथि (आंतरिक/बाहरी), खेती–बारी का क्षेत्र, फसलों, पारम्परिक/सांस्कृतिक चलन और उपज के अनुमानों की सूची शामिल होगी। उत्पादक समूह आवश्यक सूचना को अद्यतन बनाएगा तथा बाहरी निरीक्षण एजेंसी को प्रस्तुत करेगा।

14.3 उत्तरदायित्व और प्रतिबंध

समूह और/या व्यैक्तिक प्रचालकों द्वारा अनुसरण न किए जाने के मामले में प्रतिबधों के लिए प्रमाणीकरण निकाय के पास एक स्पष्ट नीति होगी।

समूह या उसके वैयक्तिक चालकों द्वारा अनुसरण न करने का पता लगने और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता पर निरीक्षण व प्रमाणीकरण एजेंसी समूह पर प्रतिबंध लगाएगी। प्रतिबंध में पूरे समूह का प्रमाणीकरण वापस लेना भी शामिल होगा।

15. प्रमाणीकरण प्रणालियाँ

जब भी निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी प्रमाणपत्रों को जारी करती है अथवा इनपुट उत्पादों पर अपने प्रमाणीकरण चिह्न को प्रयोग करने की अनुमति प्रदान करती है, तो उपरोक्त 11.1 में वर्णित उपायों के अतिरिक्त, कार्यक्रम निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण पद्धतियों को प्रलेखित करेगा जिसमें उक्त धारा 7 तथा 8 के अंतर्गत वर्णित प्रासंगिक आवश्यकताएं भी सम्मिलित होंगी। यह स्पष्ट रूप से निम्नलिखित को इंगित करेगा :

- निरीक्षण आवृत्ति जो कि वार्षिक से कम हो सकती है।
- उत्पाद की संरचना के अतिरिक्त अन्य आवश्यकताएँ, जिनको निरीक्षण के दौरान मूल्यांकित किया जायेगा तथा प्रमाणीकरण निर्णय को लेते समय (राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के मानकों के अंतगर्त स्वीकार्य इनपुट के अनुपालन का पता लगाने के लिए उपादानों का स्रोत, प्रदूषण/संदूषण जोखिम, आदि) मूल्यांकित किया जायेगा।

16. प्रमाणीकरण हस्तान्तरण

16.1 सामान्य प्रमाणीकरण हस्तान्तरण (अन्य प्रमाणीकरण कार्यक्रम की स्वीकृति)

ऐसे हस्तांरण हेतु एक आधार को विकसित करना प्रत्यायित निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियों का काम होगा। प्रत्यायन एजेन्सी, किसी आगामी तिथि को, यह मांग करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है कि प्रत्यायित निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियां केवल राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम के द्वारा निर्धारित किये गये समतुल्य मापदण्डों अथवा पद्धतियों के अनुसार एक प्रमाणीकरण अथवा कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल किये गये उत्पादों को ही ऐसा हस्तांतरण करने की अनुमति प्रदान करेंगी।

संक्षिप्त काल में प्रत्यायन एजेन्सी निम्नलिखित मापदण्डों के अनुसार एक प्रमाणीकरण हस्तांतरण की पद्धतियों का मूल्यांकन करेगी :

ऐसी मान्यता को प्रदान करने हेतु पद्धतियों तथा जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से प्रलेखित किया जाएगा। मूल्यांकन तथा किसी कार्यक्रमों को शामिल करने के निर्णय को यह दर्शाने हेतु प्रलेखित किया जायेगा कि तथ्यपरक मापदण्डों का प्रयोग किया गया था।

मान्यताप्राप्त प्रमाणीकरण कार्यक्रमों का एक औपचारिक रजिस्टर होगा।

रजिस्टर में सम्मिलन निम्नलिखित में से कम से कम किसी एक के आधार पर किया जायेगा :

- स्वीकृति प्रदान करने वाले कार्यक्रम अथवा किसी तीसरी पार्टी में से किसी एक के द्वारा तैयार किया गया ताजा तथा समुचित मूल्यांकन तथा रिपोर्ट।
- प्रत्यायन विवरण
- निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियों के समतुल्य मानी गयी किसी अन्य प्रत्यायन प्रणाली के लिए प्रत्यायन एजेन्सी के लिए संतोषजनक रूप से यह निरूपित करना जरूरी होगा कि उल्लिखित कार्यक्रम प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा प्रत्यापित कार्यक्रम के समतुल्य है।
- निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियां प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा मूल्यांकन की प्रक्रियाधीन अन्य कार्यक्रमों को स्वीकार कर

सकती हैं। इस प्रकार को अनुमति को केवल एक सीमित समयावधि के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी।

पंजीकृत निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियों का सम्पूर्ण प्रलेखन उपलब्ध होगा जिसमें मानक, निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण पद्धतियां और मूल्य–निर्धारण रिपोर्ट्स भी सम्मिलित होंगी।

अन्य निरीक्षण तथा प्रमाणकर्ता एजेन्सियों के साथ एक संविदा तैयार की जायेगी जो कि पार्टियों की बाध्यताओं को विनियमित करेगी। यह एक बहुपक्षीय अनुबंध भी हो सकता है। ऐसी किसी संविदा में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित प्रावधान भी अन्तविष्ट होंगे :

- पारस्परिक मान्यता का स्कोप (सभी उत्पादों हेतु प्रयोज्य)
- प्रधान कार्यक्रम अथवा मानकों में परिवर्तनों के बारे में एक दूसरो को सूचित करने की बाध्यता
- प्रमाणित उत्पादन (प्रमाणित प्रचालकों की सचियों) के बारे में एक दूसरे को सचित करने की बाध्यता
- क्षतिपूर्ति
- प्रत्यायन की हानि को मामले में विनियामक अनुमोदन तथा समान परिस्थितियों के बारे में अन्य पार्टी को सूचित करने की बाध्यता
- अन्य पार्टी के कार्य–निष्पादन की समीक्षा करने का अधिकार
- प्रासंगिक सूचना तक पहुंच का अधिकार
- गोपनीयता का विनियमन
- विवाद निपटान के प्रावधान

हस्तांतरण का पंजीकरण सावधिक समीक्षाओं तथा अद्यतनों के अध्यधीन रहेगा।

रजिस्टर के अनुसार प्रचालन करने वाले प्रसंस्करण कर्ताओं, व्यापारियों अथवा अन्य लाइसेन्सधारकों को मान्यताप्राप्त कार्यक्रमों की अवस्थिति में किसी भी प्रकार के परिवर्तनों के बारे में तत्काल रूप से सूचित किया जायेगा।

16.2 पुनः प्रमाणीकरण

निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियां ऐसे उत्पादों अथवा प्रक्रियाओं को प्रमाणपत्र की वैधता के दौरान पुनः प्रमाणित नहीं कर सकती हैं जिनको एक ऐसी निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के द्वारा प्रमाणित किया गया हो जो कि राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अधीन हो प्रत्यायित हो।

16.3 प्रमाणीकरण ''भागीदारिताएं''

ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं जिनमें निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियां अन्य परीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियों के साथ ''संयुक्त उद्यम'' अथवा ''भागीदारिताएं'' विकसित कर लेती हैं। प्रत्यायन एजेन्सी ऐसे मामलों में किसी भावी तिथि को प्रत्यायन हेतु मापदण्डों को निर्धारित करने के अधिकार को अपने पास सुरक्षित रखती है। इसी बीच, ऐसी किसी भागीदारिता को विकसित करते समय निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियां ''सामान्य प्रमाणीकरण हस्तान्तरण'', ''वैयक्तिक प्रमाणीकरण हस्तान्तरण'' तथा ''उप–ठेका देने'' हेतु मापदण्डों के प्रासांगिक पहलुओं को ध्यान में रखेंगी। तथापि, उनके प्रमाणीकरण कार्यक्रम के तहत किसी नए प्रचालक को स्वीकृति देने से पूर्व वे उस प्रचालक के बारे में राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय को सूचित करेंगे तथा आगामी मूल्यांकन व संदर्भ के लिए प्रासंगिक सूचना तथा रिकार्ड्स प्राप्त करेंगे।

17. शिकायतें

निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ अपने प्रचालन के विरूद्ध तथा प्रमाणित प्रचालकों के विरूद्ध शिकायतों से निबटने हेतु नीतियों तथा पद्धतियों को तैयार करेंगी।

शिकायतों का एक त्वरित तथा प्रभावी तरीके के साथ निपटान किया जायेगा। निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ प्रमाणीकरण से संबंधित सभी शिकायतों तथा उपचारात्मक कार्यवाहियों का एक रिकॉर्ड तैयार करेंगी।

किसी शिकायत का निपटान हो जाने पर एक प्रलेखित संकल्प को तैयार किया जायेगा तथा उसे शिकायतकर्ता तथा संबंधित पार्टी के पास भेजा जायेगा।

ग. प्रत्यायन पद्धतियाँ

1. पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय प्रत्यायन कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- आइ एस ओ गाइड 65 के अनुसार अन्तरर्राष्ट्रीय मानदंडो पर आधारित प्रत्यायन के लिए अनुमोदित मापदण्ड़ों के अनुसार जैविक कृषि तथा उत्पादों हेतु निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियों के मूल्यांकन के साधनों को उपलब्ध कराना
- निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियों को प्रत्यायित करना

- मिट्टी, इनपुट और जैविक उत्पादों के अवशेष परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं में मौजूद सुविधाओं के मूल्यांकन के साधनों को उपलब्ध कराना
- परीक्षण प्रयोगशालाओं को प्रत्यायित करना

2. स्कोप

2.1 निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ

जैविक उत्पादन तथा/अथवा प्रसंस्करण प्रचालकों के निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण में संलिप्त निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियों के लिये प्रत्यायन किया जायेगा।

निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियों के लिये जैविक उत्पादों हेतु राष्ट्रीय मानकों में विनिर्दिष्ट समस्त प्रयोज्य मानकों, संरचानाओं तथा प्रचालन पद्धतियों और राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम के अनुसार प्रत्यायन मापदण्ड़ों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के कार्यक्रमों के लिये निम्नलिखित अनिवार्य है :

- मूल्यांकन से पूर्व एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिये प्रचालन में रहना।
- संदर्भ हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेजों को उपलब्ध करना।

निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के मूल्यांकन में निरीक्षकों के मूल्यांकन तथा चयन प्रक्रिया को भी शामिल किया जायेगा। प्रत्यायन मापदण्डों के अनुसरण में, प्रमाणीकरण एजेन्सी को ऐसी सभी सेवाओं के लिये पूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वाह करना होगा जिनको उसने ठेके पर तीसरी पार्टियों को सौंप दिया हो। प्रत्यायन संविदा प्रस्ताव रूप से निरीक्षण तथा प्रमाणकर्ता एजेन्सी के साथ की जायेगी।

राष्ट्रीय प्रत्यायन कार्यक्रम के स्कोप में प्रमाणीकरण कार्यक्रमों को प्रदान की जानी वाली सलाहकार सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है।

निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी की प्रत्यायन अवस्थिति केवल उत्पादन, उत्पादों तथा प्रसंस्करण की उन श्रेणियों के निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण पर लागू होगी जिनको कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है।

3. हितों का टकराव

प्रमाणीकरण, निरीक्षण तथा अपीलों में अंतर्ग्रस्त सभी व्यक्तियों द्वारा हितों की उद्घोषणा को निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के कार्यालय की फाइल में रखा जायेगा। वे ऐसे किसी भी मामले में निरीक्षण अथवा अन्य निर्णय-प्रक्रिया से स्वयं को अलग रखने के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे जिसमें प्रचालक के साथ उनका कोई परिवारिक या व्यावसायिक संबंध, व्यापार अथवा परामर्शी संबंध हो।

निरीक्षकों द्वारा शोध्य परामर्शी कार्य को संचालित किये जाने की स्थिति में, ऐसे बहिष्करण का निरीक्षण से पहले दो वर्षों के लिये लागू रहना अनिवार्य है।

निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ इस नैतिक समझौते की भी माँग करेंगी कि जो निरीक्षक उसके नियोजन में नहीं हो, वे नौकरी छोड़ने के बाद दो वर्षों तक संबंधित परामर्शक सेवाएँ प्रदान करने काम नहीं करेंगे।

संभाव्य विवादग्रस्त अथवा निहित स्वार्थ से युक्त सभी व्यक्तियों को संभाव्य टकराव संबंधित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के सभी चरणों में कार्य, चर्चा तथा निर्णयों से बाहर रखा जायेगा।

निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ प्रचालक से प्रमाणीकरण शुल्क पाने की हकदार होंगी। तथापि, प्रमाणीकरण निर्णय का निष्कर्ष अपने आप में शुल्क के भुगतान से स्वतंत्र होगा।

4. मानक

4.1 सामान्य

निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ जैविक उत्पादों हेतु राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करेंगी। मानकों को प्रचालकों की भाषा, क्षमता तथा ज्ञान के अनुकूल एक तरीके में प्रस्तुत किया जायेगा। भारत सरकारकी प्रत्यायन एजेन्सियों द्वारा समस्त उत्पादन प्रणालियों अथवा उत्पाद श्रेणियों हेतु मानकों को प्रकाशित किया जायेगा।

4.2. मानक समीक्षा

- मानकों की नियमित रूप से समीक्षा की जायेगी।
- समीक्षा हेतु उत्तरदायी निकाय राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम की संचालन समिति होगी।
- मानकों के क्रियान्वयन की तिथि को मानकों में इंगित किया जायेगा।
- जहाँ पर भी प्रासंगिक हो, तो प्रचालकों को मानकों में किये गये प्रमुख परिवर्तनों को क्रियान्वित करने हेतु एक समयावधि की अनुमति प्रदान की जायेगी।

- प्रचालकों द्वारा क्रियान्वयन हेतु अंतिम समय सीमाओं को स्पष्ट रूप से वर्णित किया जायेगा।

5. प्रत्यायन संविदा अवधि

प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा प्रत्यायन निर्णय को लिये जाते समय प्रत्यायन संविदा के कार्यकाल को निर्धारित किया जायेगा।

6. प्रत्यायन अवस्थिति का उपयोग

समस्त प्रत्यायित निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियों को एक विशिष्ट प्रत्यायन संख्या आवंटित की जायेगी जिसको हस्तान्तरित अथवा पुनःआवंटित नहीं किया जा सकता है। प्रत्यायित निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ अपने सभी दस्तावेजों, रिपोर्टों तथा पत्र व्यवहार में आवंटित संख्या का प्रयोग करेंगी।

7. शुल्क (फीस)

प्रत्यायित निरीक्षण व प्रमाणीकरण एजेन्सी की प्रचालनात्मक लागत को वहन करने के लिए प्रत्यायित व निरीक्षण एजेन्सियां शुल्क तय करेंगी। निम्नलिखित श्रेणियों में वार्षिक रूप से शुल्क वसूल किए जाएंगें :

- उत्पादक समूह (छोटे व सीमांत किसान)
- कॉओपरेटिव्स (सहकारी समितियां) व कुटीर उद्योग
- बड़े किसान, जमींदार व निर्यातक
- मझौले व बड़े कारोबार वाले प्रसंस्करणकर्ता।

शुल्क के घटक में निम्नलिखित होंगे :–

- आवेदन शुल्क
- यात्रा व निरीक्षण
- मूल्यांकन व रिपोर्ट की तैयारी (मानव–दिवस लागत)
- प्रमाणपत्र जारी करना (स्कोप प्रमाणपत्र ,उत्पाद प्रमाणपत्र, संव्यवहार प्रमाणपत्र।

निरीक्षण और प्रमाणीकरण के लिए शुल्क राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय की स्वीकृति के अनुसार लागू होगा।

8. संशोधन

यदि प्रत्यायन कार्यक्रम के विकास, अंतर्राष्ट्रीय समन्वयकारी क्रियाकलापों तथा अन्य प्रासंगिक कारकों को दृष्टि से अनिवार्य समझा जाये तो वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार नीति प्रलेख में निर्धारित प्रत्यायन मापदण्ड़ों, पद्धतियों तथा राष्ट्रीय मानकों में परिवर्तन करने के अधिकार को अपने पास सुरक्षित रखता है। सभी आवेदकों तथा प्रत्यायित निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियों को प्रत्येक संशोधन के बारे में सूचित किया जायेगा। संशोधित मापदण्ड़ों, मानकों तथा पद्धतियों का क्रियान्वयन उनकी अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगा। जिन प्रत्यायित आवेदक कार्यक्रमों को संशोधित मापदण्ड़ों मानकों पद्धतियों के क्रियान्वयन की तिथि से पहले मूल्यांकित किया जा चुका हो, उनका पूर्ववर्ती शर्तों के अनुसार ही निर्धारण किया जायेगा।

9. प्रत्यायन कार्यक्रम की समीक्षा

राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम तथा नीति के अनुसरण में प्रत्यायन कार्यक्रम सावधिक आंतिरिक समीक्षा के अध्यधीन रहेगा। संबंधित पार्टियों द्वारा राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों के आधार पर जब भी आवश्यकता होगी, तब यह समीक्षा की जायेगी।

10. शिकायतें

- निरीक्षण तथा प्रभावीकरण एजेन्सियां अपने प्रचालन के विरुद्ध तथा प्रमाणित प्रचालकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का निपटान करने हेतु नीतियों और पद्धतियों को तैयार करेंगी।
- निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियों संबंधित से शिकायतों को राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय के कार्यालय को संबोधित किया जायेगा ।
- निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ प्रमाणीकरण से संबंधित सभी शिकायतों तथा उपचारात्मक कार्यवाहियों के एक रिकॉर्ड को तैयार करेंगी।
- शिकायतें को एक त्वरित तथा प्रभावी ढंग से निबटाया जायेगा और शिकायतकर्ताओं को निर्णय के बारे में सूचित किया जायेगा।
- राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय के निर्णय के साथ असन्तुष्ट होने की स्थिति में, शिकायतकर्ता इस मामले को वाणिज्य मंत्रालय के पास ले जा सकता है।

11. आवेदन, मूल्यांकन तथा प्रत्यायन पद्धतियाँ

11.1 निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियों के प्रत्यायन हेतु पद्धति

प्रत्यायन पद्धति में निम्नलिखित चरण सम्मिलित होंगे :

- आवेदन की स्क्रीनिन्ग तथा प्रलेखन
- कार्यक्रम का मूल्यांकन तथा निर्धारण
- प्रत्यायन

11.2 आवेदन तथा स्क्रीनिन्ग पद्धतियाँ

1. प्रमाणीकरण कार्यक्रम चलाने वाली प्रत्याशी निरीक्षण और प्रमाणीकरण एजेंसियां विहित शुल्क केसाथ सभी आवेदन–पत्र फार्म–1 में एपीडा को देंगी।
2. अनुरोध प्राप्त करने पर एपीडा प्रत्यायन कार्यक्रम के बारे में तथा विवरणों, आवेदक द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यकताओं के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा।
3. आवेदनों के साथ 15,000 रू. का शुल्क भी देय है जो कि एपीडा के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में हो। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ भी दिये जाएंः

- संगठन का लिखित प्रमाण वित्तीय स्थिति (कुल कारोबार), वार्षिक रिपोर्ट तथा कर्मचारियों की संख्या उनके बायो–डाटा के साथ
- प्रमाणीकरण समितियों, मानक समितियों, निरीक्षकों आदि का ब्यौरा।
- प्रस्तावित टैरिफ
- किसी अन्य देश अथवा कार्य द्वारा प्रत्यायन का लिखित प्रमाण
- आवेदनों पर इस प्रयोजनार्थ समुचिम रूप से प्राधिकृत संगठन– प्रमुख, भागीदार, निदेशक, प्रबन्धन्यासी के हस्ताक्षर हों तथा साथ में यथा स्थिति लिखित प्रमाण/मुख़्तारनामा/संकल्प की प्रति।

4. आवेदक की प्राथमिक जांच एपीडा द्वारा की जायेगी। आवेदक से अतिरिक्त जानाकरी/दस्तावेज़ देने को कहा जा सकता है।
5. एपीडा जैविक उत्पादों हेतु राष्ट्रीय मानकों तता कार्यक्रमों के जैविक प्रत्यायन हेतु मापदण्ड़ों के अनुसार दस्तावेजों की जाँच करेगा तथा एक स्क्रीनिन्ग रिपोर्ट को तैयार करेगा। यदि आवेदन–पत्र नियमानुसार है तो उसे मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत मूल्यांकन समिति को अग्रेसित किया जायेगा।

1 1.3 प्रत्यायन के लिए आवेदन–पत्र का मूल्यांकन तथा निर्धारण

1. प्रमाणीकरण कार्यक्रमों का विस्तृत मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें तीन सदस्य वस्तु बोर्डों से होंगे तथा कृषि मंत्रालय और ईआईसी/ईआईए का एक–एक प्रतिनिधि उसमें होगा। यदि आवश्यक हुआ तो बाहर का कोई विशेषज्ञ भी उससे सम्बद्ध किया जा सकता है। यह मूल्यांकन आवेदक के कार्यालय के प्रत्यक्ष मूल्यांकन द्वारा तथा व्यक्तिगत चर्चा, प्रोजेक्ट के दौरे आदि के माध्यम से किया जायेगा। सदस्यों का चयन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जायेगाः

- उसे जैविक खेती, मानकों, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम से संबंधित नीतियों तथा अन्य अन्तरराष्ट्रीय मानकों का ज्ञान होना चाहिए।
- जिस एजेन्सी का मूल्यांकन किया जाना है, उसके साथ मूल्यांकन कर्ता का कोई संबंध नहीं होना चाहिये, अथवा पिछले दो वर्षों के दौरान कोई संबंध नहीं रहा होना चाहिये।
- निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी का उसी समिति के द्वारा लगातार दो बार से अधिक बार मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

2. मूल्यांकन समिति के दौरे की तारीख के बारे में आवेदक को पहले से सूचित कर दिया जाएगा, आवेदक को दौरे की पुष्टि करनी होगी।
3. यदि निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा लिखित रूप में समनुदेशित मूल्यांकन समिति के परिणामों की उपयुक्तता को चुनौती देने हेतु गंभीर आधारों को प्रस्तुत किया जाता है तो, राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय मूल्यांकन का पुनःआवंटन कर सकता है। मूल्यांकन समिति के संबंध में किसी समझौते पर नहीं पहुँच पाने की स्थिति में, इस मामले को निर्णय हेतु प्रत्यायन एजेन्सी के पास भेजा जायेगा।
4. मूल्यांकन कर्ता (ओं) को स्क्रीनिन्ग रिपोर्ट तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है तथा उनको उपलब्ध कराया जाता है।

5. मूल्यांकन दौरे के प्रारंभ में, निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के कार्यालय में आवेदक कार्यक्रम के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जायेगी। प्रमाणीकरण कार्यलय की फाइलों का विस्तारपूर्वक निरीक्षण भी किया जायेगा।

6. मूल्यांकन समिति अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित बिन्दुओं की जाँच करेगी :

- समस्त वैध दस्तावेज सभी दृष्टियों से पूर्ण हैं या नहीं।
- निरीक्षण रिपोर्टस् व्यापक हैं तथा उनमें प्रदत्त जानकारी के आधार पर उचित प्रमाणीकरण निर्णयों को लेना संभव बनाती हैं।
- प्रमाणीकरण निर्णय निरीक्षण रिपोर्टों में रिकॉर्ड किये गये अनुपालन की डिग्री के साथ सुसंगत हैं।
- प्रमाणीकरण कार्यक्रम द्वारा शर्तें अथवा प्रतिबंधों को अधिरोपित किये जाने की स्थिति में, यह कि उनके क्रियान्वयन को उपयुक्त रूप से निगरानी की गई है तथा उन्हें प्रलेखित किया गया है।
- निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी जैविक उत्पादों हेतु राष्ट्रीय आधारभूत मानकों तथा प्रत्यायन कार्यक्रमों हेतु राष्ट्रीय मापदण्डों के अनुसरण में प्रचालन कर रही है। स्क्रीनन्ग रिपोर्ट द्वारा रेखांकित किये गये अनुपालन नहीं किये जाने की संभावना के मुद्दों को प्रमाणित अथवा स्पष्ट किया जायेगा।
- कि, पुनः-मूलांकनों के मामले में, प्रत्यायन की शर्तों के अनुपालन को वार्षिक रिपोर्टों में सही ढंग से रिकॉर्ड किया गया है।

7. मूल्यांकन समिति को प्रचालकों की फाइलों तक पहुँच प्रदान की जायेगी तथा निरीक्षण हेतु एक नमूने का चुनाव करने दिया जायेगा। कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए, नमूना संख्या प्रदान की जायेगी :

- निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के कार्यक्रम में प्रमाणित उत्पादकों की संख्या;
- प्रमाणित प्रचालनों के प्रकारों की संख्या;
- निरीक्षकों की संख्या;

8. मूल्यांकन समिति नमूने में अभिनिर्धारित प्रचालकों का दौरा करेगी तथा जाँच निरीक्षणों को संचालित करेगी। मूल्यांकन समिति को समस्त पूर्ववर्ती निरीक्षणों, यदि कोई हो तो, तक पहुँच उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता होगी।

9. मूल्यांकन समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, यह जाँच करेगी कि:

- प्रचालक की पद्धतियाँ प्रमाणीकरण कार्यक्रम के मानकों का अनुसरण करती हैं;
- निरीक्षण फाइलें उत्पादन प्रणाली को सही ढंग से रिकॉर्ड करती हैं;
- निरीक्षण प्रणाली अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति को पहचान करने में सक्षम है, और कार्यक्रम की प्रचालनात्मक नियमावली में वर्णित एप्रोच के अनुसार उसको क्रियान्वित किया जाता है;
- प्रचालक के पास निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के उपयुक्त दस्तावेज मौजूद हैं;

10. मूल्यांकन दौरे के अंत में, मूल्यांकन समिति निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के कार्यालय में बैठक में निष्कर्षों का सारांश प्रस्तुत करेगी।

11. मूल्यांकन समिति स्क्रीनिन्ग रिपोर्ट में निष्कर्षों को समाविष्ट करेगी। इस संयुक्त रिपोर्ट, जिसे मूल्यांकन रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, में निम्नलिखित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे :

- निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी का इतिहास तथा संरचना;
- जिस क्षेत्र में यह प्रचालन करती है, उसमें व्यवसायिक क्रियाकलाप से उसकी स्वतंत्रता;
- जैविक उत्पादों हेतु राष्ट्रीय मानकों के साथ मानकों की तुलना तथा समीक्षा
- निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण कार्यक्रम, जिसमें प्रलेखन भी सम्मिलित है, में अन्तर्ग्रस्त पद्धतियाँ;
- मूल्यांकन दौरों के निष्कर्ष, जिनमें प्रचालक दौरे तथा अनुपालन नहीं किये जाने के कोई उदाहरण, जिन्हें देखा गया हो, भी सम्मिलित हैं;
- सिफारिशों तथा निष्कर्षो के साथ दौरे के प्रमुख खोजों का सारांश।

12. जब रिपोर्ट पूर्ण हो जाती है, तो मूल्यांकन समिति उसे राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय के पास भेजती है, जो मूल्यांकित कार्यक्रम के कार्यालय के पास रिपोर्ट की स्वीकृति हेतु एक प्रति को भेजता है। मूल्यांकित निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी को रिपोर्ट में अशुद्वियों की पहचान करने तथा व्याख्यात्मक टिप्पणियों को प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया जाता है। रिपोर्ट में इनको आवेदक निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के टिप्पणियों के रूप में; और जब उपयुक्त हो, तो मूल्यांकन समिति की राय के साथ सम्मिलित किया जायेगा।

13. मूल्यांकन समिति मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा करता है तथा निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा जैविक उत्पादों हेतु राष्ट्रीय मानकों तथा प्रत्यायन मापदण्डों के अनुपालन का निर्धारण करता है। मूल्यांकन दस्तावेज में इनको नोट कर लिया जाता है।

14. मूल्यांकन समिति विसंगतियों के सारांश को उपचारात्मक कार्यवाही की सिफारिशों के साथ संकलित करता है।

15. मूल्यांकन समिति मूल्यांकन दस्तावेज को विसंगतियों के सारांश के साथ प्रत्यायन एजेन्सी के समक्ष प्रस्तुत करता है।

16. यदि मूल्यांकन समिति बात से संतुष्ट हो जाये कि निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण कार्यक्रम राष्ट्रीय मानक और प्रत्यायन मानदंडों के अनुरूप है तो वह प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय को सिफारिश करेगी।

11.4 प्रत्यायन पद्धतियाँ

1. राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय आवेदक निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के प्रत्यायन के संबंध में निर्णय करने के लिये उत्तरदायी होता है।

2. यदि राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय को इस बात की सन्तुष्टि हो जाये कि आवेदक निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो उसे प्रत्यायन अवस्थिति प्रदान की जायेगी। प्रत्यायन निकाय प्रत्यायन अवस्थिति को इस शर्त के साथ भी प्रदान कर सकती है कि एक सम्मत समय सारणी के अनुसार सुधारात्मक कार्यवाही आरंभ की जायेगी। वैकल्पिक रूप से, राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय उस समय तक प्रत्यायन अवस्थिति प्रदान करने को रोक सकता है जब तक कि सभी शर्तों को पूरा नहीं कर दिया जाये।

3. आवेदक को निर्णय के बारे में लिखित सूचना दी जाती है। यदि राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय यह निर्णय करता है कि आवेदक कार्यक्रम प्रत्यायन हेतु आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, तो निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी को पुनःआवेदन हेतु अनिवार्य सुधारों के बारे में सूचित किया जायेगा।

4. आवेदक राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय के समक्ष औपचारिक रूप से अपील किये बिना ही विशिष्ट शर्तों की समीक्षा किये जाने का अनुरोध कर सकता है। ऐसे अनुरोधों को प्रत्यायन एजेन्सी को सम्बोधित किया जायेगा तथा उसमें इस बारे में पर्याप्त कारणों को सम्मिलित किया जायेगा कि अधिरोपित शर्त को अनुपयुक्त अथवा अनौचित्यपूर्ण क्यों माना गया है। राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय अपने अंतिम निर्णय पर पहुँचने से पहले अतिरिक्त सूचना की माँग कर सकता है।

5. प्रत्यायित अवस्थिति केवल जैविक उत्पादों हेतु राष्ट्रीय मानकों के अंतर्गत आने वाले उत्पादन तथा प्रसंस्करण की श्रेणियों के प्रमाणीकरण हेतु तथा स्वयं प्रमाणीकरण एजेन्सी के लिये प्रदान की जाती है।

6. आवेदक निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के द्वारा अधिरोपित शर्तों तथा अनुपालन हेतु एक समयसारणी के बारे में एक बार सहमत हो जाने के पश्चात्, आवेदक के पास प्रत्यायन संविदा को भेजा जाता है जिसको हस्ताक्षरित करके और वार्षिक शुल्क के साथ वापिस भेजा जाना होता है। संविदा निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी को संविदा में वर्णित शर्तों के अध्यधीन अपनी प्रत्यायन अवस्थिति का प्रयोग करने का लाइसेन्स प्रदान करती है।

7. एक बार संविदा पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद, एपीडा प्रत्यायन का प्रमाणपत्र जारी करती है, जिसमें कम से कम निम्नलिखित विवरण अन्तर्विष्ट होते हैं :

   - प्रत्यायन संख्या
   - निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी का नाम एवं पता
   - उसके अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों की प्रकृति;
   - जारी करने की तिथि तथा समाप्ति की तिथि;
   - प्रत्यायन एजेन्सी के हस्ताक्षर।

8. निरीक्षण और प्रमाणीकरण एजेन्सी के साथ संविदा पर राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय की ओर एपीडा के किसी अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।

11.5 वार्षिक निगरानी तथा समीक्षा मूल्यांकन

1. प्रत्यायित निरीक्षण व प्रमाणीकरण एजेन्सी को प्रत्यायन एजेन्सी के समक्ष एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। इस वार्षिक रिपोर्ट में निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के कार्यक्रम में नवीनतम घटनाक्रमों, जैसे रूपांतरण के तहत प्रमाणित प्रचालकों की संख्या, प्रचालन का भौगोलिक क्षेत्र तथा कर्मचारियों में परिवर्तनों आदि के संबंध में एक अपडेट तथा एक अनुपालन रिपोर्ट अन्तर्विष्ट होनी चाहिये जिसमें अधिरोपित शर्तों के अनुपालन की सूचना दी जाती है जिसको लिखित प्रमाणों में समर्थित किया गया हो। रिपोर्ट में मानकों के प्रयोग से संबंधित प्रचालकों की किसी भी अनियमितता या अतिक्रमण का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

2. मूल्यांकन समिति वार्षिक रिपोर्ट की समीक्षा करेगी और राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय द्वारा नीति निर्धारण के लिए उपाय

तथा कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी।

3. निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी ने राष्ट्रीय प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया है अथवा नहीं, इस पर और निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के कार्यक्रम में आये परिवर्तनों के विस्तार तथा प्रकृति पर निर्भर करते हुए, राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय निम्नलिखित कार्ययोजनाओं में से किसी एक को अपना सकता है :

- यदि संविदा समाप्त हो गयी हो तो प्रत्यायन अवधि का पुनर्नवीकरण किया जाये;
- सम्मत समय सारणी के अनुसार सुधारात्मक कार्यवाही करने की माँग करने वाली नवीन शर्तों को अधिरोपित करना ;
- आगामी बारह महीनों की अथवा इससे कम अवधि के दौरान सम्पूर्ण पुनःमूल्यांकन के अध्यधीन प्रत्यायन अवधि को बढ़ाया जाना;
- निम्नलिखित 3.3 में सूचीबद्ध प्रतिबन्धों में से किसी को भी अधिरोपित करना।

4. राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय के लिए प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार नियमित रूप से समीक्षा मूल्यांकन जरूर किया जाएगा।

5. समीक्षा मूल्यांकन हेतु पद्धतियाँ सामान्यतया प्रारंभिक मूल्यांकन की पद्धतियों के समान होती हैं।

6. प्रत्यायित निरीक्षण व प्रमाणीकरण एजेन्सी एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसमें प्रमाणीकरण के तहत कारोबार (वित्तीय व स्टाफ), प्रमाणित परियोजनाओं की संख्या और मात्रा व मूल्य की दृष्टि से उत्पादों का निर्यात शामिल होंगे।

12. शिकायतें

1. प्रत्यायित निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी की कार्यशैली के संबंध में शिकायतों को सबसे पहले तो प्रश्नाधीन निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के पास भेजा जाना चाहिये। केवल उन मामलों में जिन में शिकायतकर्ता यह महसूस करता है कि प्रत्यायित निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के द्वारा शिकायत का सन्तोषजनक रूप से निपटारा नहीं किया गया, तो शिकायत को एपीडा के पास ऐसे ढंग से भेजा जायेगा कि ऐसी शिकायत के स्रोत की गोपनीयता बनाई रखी जाए।

2. मूल्यांकन समिति शिकायत की जांच करेगी। यदि मूल्यांकन समिति ऐसा महसूस करेगी कि शिकायत को पर्याप्त रूप से प्रमाणित किया गया है, तो वह संबंधित निरीक्षण व प्रमाणीकरण एजेन्सी को सूचित करेगी तथा प्रत्युत्तर मांगेगी। तत्पश्चात् इस मामले को राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय के पास शिकायत का समाधान तैयार करने हेतु भेजा जायेगा। शिकायतकर्ता को शिकायत के समाधान के बारे में सूचित किया जायेगा।

3. यदि शिकायत को उचित ठहराया जाता है, तो राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय समुचित प्रतिबन्धों को अधिरोपित करेगा।

13. प्रतिबन्ध

प्रत्यायन संविदा का अनुपालन नहीं किये जाने अथवा शर्तों को पूरा करने में विफलता की स्थिति में, राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय निम्नलिखित प्रतिबंधों में से किसी एक अथवा अधिक को लागू कर सकता है :

- चेतावनी पत्र अथवा फटकार पत्र जारी करें;
- अतिरिक्त शर्तों को अधिरोपित करें तथा एक निर्धारित समय अवधि के दौरान सुधार करने का आग्रह करे;
- केवल शर्तों का अनुपालन नहीं करने हेतु ही नहीं बल्कि विलंब करने अथवा एक दोषपूर्ण वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिये भी, शास्ति अधिरोपित करे;
- निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी से एक निश्चित अवधि के भीतर पुनःमूल्यांकन निष्पादित करने की माँग करे;
- प्रत्यायन को निलंबित करे;
- प्रत्यायन को समाप्त करे।

14. प्रत्यायन की समाप्ति

1. यदि एजेन्सी का कार्यनिष्पादन और व्यवहार प्रत्यायन मापदण्डों अथवा प्रत्यायन संविदा में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसरण में नहीं हो, तो राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय किसी निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी की प्रत्यायन अवस्थिति को समाप्त कर सकता है।

2. अनुपालन नहीं किये जाने की अतिशतया के मामले में, राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय भविष्य में सुधार करने की अनुमति प्रदान किये बिना ही संविदा को रद्द करने के अधिकार को अपने पास सुरक्षित रखता है। लाइसेन्स् को वापिस लिये जाने के बाद, राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय एपीडा के वेबसाइट में उस निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के नाम को प्रकाशित करेगा तथा एक सार्वजनिक वक्तव्य को भी जारी कर सकता है।

3. प्रत्यायन अवस्थिति को वापिस लिये जाने की शर्तों में, निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं, परन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं :

- निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा प्रत्यायन मापदण्ड़ों अथवा जैविक उत्पादों हेतु राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन नहीं किया

जाना;

- सम्मत समयसारणी के भीतर अ-पालनों से संबंधित प्रत्यायन की शर्तों को पूरा करने में विफलता;
- प्रत्यायन अवस्थिति का दुरुपयोग;
- मूल्यांकन समिति के अनुरोध पर सूचना तक पूर्ण पहुँच प्रदान करने से इंकार अथवा व्यवधान उत्पन्न करना ;
- शुल्कों तथा प्रभारों का समय पर भुगतान करना में विफलता;
- अधिरोपित शर्तों का अनुपालन करने में विफलता।

15. अपील

1. आवेदक अथवा प्रत्यायित निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा प्रत्यायन निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। विवादित निर्णय के 60 दिनों के भीतर अपील दायर की जायेगी। अपीलों को राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय के पास भेजा जाना चाहिये।
2. राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय अपील पर विचार करेगा तथा अंतिम निर्णय लेगा।
3. यदि निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय के अंतिम निर्णय को अस्वीकार्य मानती है, तो वह राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय द्वारा दिये गये निर्णय के 30 दिनों के भीतर वाणिज्य मंत्रालय के पास अपील कर सकती है।

*****

अनुभाग-5

उत्पादक समूहों के प्रमाणीकरण हेतु दिशा निर्देश

अनुभाग-5

उत्पादक समूहों के प्रमाणीकरण हेतु दिशा निर्देश

5.1 कार्य क्षेत्र

यह प्रणाली आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली पर आधारित होगी तथा यह उत्पादक समूहों, कृषक सहकारी समितियों, ठेके पर उत्पादन करने वालों, लघु प्रसंस्करण एककों पर लागू होगी। इस समूह में विद्यमान उत्पादकों को एक समान उत्पादक प्रणालियों को लागू करना चाहिए तथा फार्म भौगोलिक सन्निकरता में होने चाहिए। 4 हेक्टेयर अथवा उससे अधिक जोत वाले फार्म किसी समूह से भी संबंधित हो सकते हैं लेकिन इनका बाह्य निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा वार्षिक निरीक्षण किया जाएगा। ऐसे किसानों का कुल क्षेत्रफल समूह के क्षेत्रफल के 50% से कम होगा। प्रसंस्करणकर्ता तथा निर्यातक, एक ही समूह के भाग हो सकते हैं लेकिन इनका बाह्य निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा वार्षिक निरीक्षण किया जाएगा।

5.2 समूह संगठन का संविधान

समूह की एक विधिक स्थिति होगी अथवा संगठन का संविधान होगा तथा इसे संगठनात्मक चार्ट में निरूपित किया जाएगा।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को बनाए रखने हेतु प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए वैयक्तिक सदस्यों तथा/समितियों को विशेष कार्यकलाप करने हेतु उत्तरदायित्व सौंपे जाएंगें।

5.3 आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली (आई क्यू एस)

समूह प्रमाणीकरण आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली की संकल्पना पर आधारित है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का क्रियान्वयन
- आंतरिक मानक
- जोखिम मूल्यांकन

वैयक्तिक समूह/एकक का वार्षिक निरीक्षण करने के लिए एक बाह्य निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण निकाय एजेंसी का मूल्यांकन आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली (आई क्यू एस) के प्रलेखन (Documentation), स्टाफ की योग्यताओं तथा कुछ फार्मों के पुनः निरीक्षण द्वारा किया जाएगा।

5.4 आई क्यू एस को विकसित कैसे करें

उत्पादक समूह के लिए आई क्यू एस को स्थापित करने हेतु न्यूनतम अपेक्षाएं निम्नलिखित हैं:

- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (आई क्यू एस) को विकसित करना
- उत्पादक समूह की पहचान करना
- समूह प्रमाणीकरण के बारे में जागरूकता पैदा करना
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को बनाए रखने हेतु योग्य कर्मिकों की पहचान करना
- उत्पादन तथा आई क्यू एस को विकसित करने में आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना
- आई क्यू एस मैनुअल तैयार करना जिसमें नीतियां तथा प्रक्रियाएं समाहित हों
- नीतियों तथा प्रक्रियाओं को क्रियान्वित करना
- सुमेलित आई क्यू एस बनाए रखने हेतु आई क्यू एस प्रलेख (Document) की समीक्षा तथा उन्नयन करना

5.4.1 आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली प्रबंधक (आई क्यू एस प्रबंधक)

आई क्यू एस प्रबंधक, आई क्यू एस को विकसित तथा क्रियान्वित करेगा और वह आंतरिक निरीक्षण करने, फील्ड स्टाफ में समन्वय स्थापित करने, अनुमोदन स्टाफ एवं बाह्य निरीक्षण एजेंसी के लिए उत्तरदायी होगा।

आई क्यू एस प्रबंधक का उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित करना होगा कि समूह द्वारा सभी मानकों, अपेक्षाओं को पूरी तरह क्रियान्वित किया जाए।

5.4.2 आंतरिक निरीक्षक

समूह में से ही पर्याप्त संख्या में आंतरिक निरीक्षकों की पहचान की जाएगी। निरीक्षक योग्य होगा तथा उसे आंतरिक निरीक्षक करने हेतु मानकों की पूरी जानकारी होगी।

5.4.3 अनुमोदन प्रबंधक/समिति

अनुमोदन संबंधी निर्णय लेने के लिए समूह में से ही योग्य व्यक्ति अथवा अनुमोदन समिति को नामित किया जाएगा। अनुमोदन प्रबंधक/समिति आई क्यू एस की जैविक प्रक्रियाओं, आंतरिक मानकों तथा एन पी ओ पी मानकों से भली–भांति अवगत होनी चाहिए।

5.4.4 फील्ड अधिकारी

फील्ड अधिकारी की पहचान समूह में से ही की जानी चाहिए और प्रत्येक उत्पादन क्षेत्र पर एक फील्ड अधिकारी होना चाहिए। फील्ड अधिकारी किसानों को फील्ड एक्सटेंशन सेवाएं आयोजित करके प्रशिक्षित करेंगे।

5.4.5 क्रय अधिकारी

क्रय अधिकारी की पहचान की जाएगी जो किसानों से उत्पादन की उचित खरीद हेतु उत्तरदायी होगा। क्रय अधिकारी को आई क्यू एस की पूरी जानकारी होनी चाहिए।

5.4.6 मालगोदाम (वेयरहाउस) प्रबंधक

यदि अलग मालगोदाम (वेयर हाउस) हों तो मालगोदाम (वेयर हाउस) प्रबंधक का होना अनिवार्य होगा जो उत्पादन के रख रखाव के लिए उत्तरदायी होगा। उसे उपयुक्त क्रियान्वयन हेतु आई क्यू एस की प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए।

5.4.7 प्रसंस्करण प्रबंधक

यदि कोई प्रसंस्करण एकक आई क्यू एस आपरेटर द्वारा चलाया जा रहा है तो प्रसंस्करण प्रबंधक की नियुक्ति करनी अनिवार्य होगी। प्रसंस्करण प्रबंधक को रख–रखाव संबंधी प्रक्रियाओं के बारे में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यदि किसी उत्पाद का प्रसंस्करण कंपनी में किया जा रहा हो तो कंपनी का निरीक्षण प्रमाणकर्ता द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा तथा कंपनी का यह उत्तरदायित्व होगा कि प्रसंस्करण आंतरिक रख–रखाव संबंधी नियमों के अनुसार हो। ऐसी स्थिति में प्रसंस्करण एकक के औपचारिक संबंध उत्पादक समूह के साथ होंगें।

5.5 आंतरिक मानक

आंतरिक मानक एन पी ओ पी मानकों के दिशानिर्देश के अंतर्गत आई क्यू एस प्रबंधक द्वारा कार्यकलाप संबंधी क्षेत्र के लिए स्थानीय भाषा में तैयार किए जाएंगें। यदि किसान अशिक्षित हैं तो आंतरिक मानकों में उदाहरण शामिल होंगें ताकि वे इसे बेहतर तरीके से समझ सके। आंतरिक मानकों में निम्नलिखित शामिल होंगें :–

- उत्पादन एकक की परिभाषा
- अधूरे रूपांतरण से कैसे निपटा जाए।
- रूपांतरण अवधि
- पूरे उत्पादन एकक के लिए फार्म उत्पादन मानदण्ड (उदाहरणार्थ बीज, पोषक प्रबंधन, कीटनाशी प्रबंधन, मृदा प्रबंधन, अनुमोदित निवेश (Input), अपक्षरण की रोकथाम, पशुपालन) कटाई तथा कटाई के पश्चात होने वाली प्रक्रियाएं

5.6 प्रतिकूल हित होना

आई क्यू एस कार्मिकों का ऐसा कोई भी प्रतिकूल हित नहीं होने चाहिए जिससे कार्य में बाधा उत्पन्न हो। सभी संभव हितों की घोषणा एक लिखित विवरण में की जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में आई क्यू एस यह सुनिश्चित करेगा कि इसके वैकल्पिक समाधान मौजूद हों।

5.7 प्रमाणीकरण का उद्देश्य

समूह को प्रमाणीकरण उस समूह द्वारा अंगीकार किए गए विनियमों/मानकों के संदर्भानुसार ही प्रदान किया जाएगा।

5.8 व्यापार

समूह उत्पादों का विपणन किसी एकल सत्व के अधीन करेगा। उत्पादकों के समूह के उत्पादों को बेचने कि लिए आई क्यू

एस संबंधित प्रक्रियाएं निर्धारित करेगा।

5.9 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रियाएं

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को बनाए रखने हेतु उत्पादक समूह द्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी।

5.9.1 सदस्यों का पंजीकरण

समूह के सभी सदस्यों को एक एकल सत्व के अधीन औपचारिक रूप से (विधिक रूप से) पंजीकृत किया जाएगा।

5.9.2 उत्पादक समूह के सदस्यों के लिए प्रलेखों (Documents) का प्रावधान

उत्पादक समूह के प्रत्येक सदस्य को स्थानीय भाषा में एक कार्य सूची दी जाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होगाः

- आई क्यू एस मैनुअल की प्रति
- आंतरिक मानक संबंधी प्रलेख (Document)
- एन पी ओ पी प्रलेख (मानकों में संशोधन संबंधी सूचना प्रत्येक सदस्य/स्टाफ को दी जाएगी)
- उत्पादन एकक की परिभाषा
- फार्म प्रवेश पत्र (फार्म डाटा पत्र), प्रतिषेध निवेशों (Inputs) के अंतिम प्रयोग सहित
- फील्ड रिकार्ड (कृषि संबंधी मुख्य उपाय निवेशों (Inputs) का प्रयोग, कटाई की जाने वाली फसलों की मात्रा, कटाई के बाद होने वाली प्रक्रियाएं); टिप्पणीः आंतरिक फार्म जांच सूची में शामिल होंगें।
- क्षेत्र के लिए उपलब्ध मौजूदा कृषि संबंधी प्रणाली तथा व्यवस्थाओं का पैकेज
- बुआई से कटाई तक अपनाई गई प्रक्रिया तथा उत्पादों की बिक्री के लिए उठाए जाने वाले अपेक्षित विभिन्न कदमों का ब्यौरा तथा विवरण।
- प्रत्येक उत्पादक के समूह के साथ लिखित ठेका (औपचारिक प्रतिबद्धता हेतु)
- वार्षिक फार्म निरीक्षण जांच सूची
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों संबंधी सूचना तथा फील्ड अधिकारियों द्वारा सलाहकारी सेवाओं की व्यवस्था करना

5.10 परिचालन प्रलेख (Operating Document)

गुणवत्ता प्रबंधक परिचालन प्रलेख तैयार करेगा जिसका अनुसरण समूह के सभी सदस्यों द्वारा किया जाएगा। परिचालन प्रलेख में निम्नलिखित शामिल होगा :

5.10.1 एक सिंहावलोकन मानचित्र (गांव अथवा सामुदायिक मानचित्र), जिसमें प्रत्येक सदस्य का उत्पादन एकक दिखाया गया हो। मानचित्र में चक्रानुसरण में उगाई गई फसल निर्दिष्ट की जानी चाहिए तथा यदि कोई ऐसा फार्म हो जिसे गैर–रूपांतरण फार्म की वजह से अपक्षरण होने के कारण उच्च जोखिम के रूप में पहचाना गया हो तो चिन्हित किया भी जायेगा उसकी सूचना दी जानी चाहिए।

5.10.2 किसान के कोड तथा नाम, कुल क्षेत्रफल, कृषि किए जाने वाला क्षेत्रफल (अथवा पौधों की संख्या), समूह के रूप में पंजीकरण की दिनांक, आंतरिक निरीक्षण की दिनांक, आंतरिक निरीक्षक का नाम, आंतरिक निरीक्षक के परिणाम (इसके रूपांतरण किसानों के लिए अलग सूची) सहित किसान–सूची।

5.10.3 किसानों की सूची जिन्हें प्रतिबन्धित किया गया हो , जिसमें कारणों तथा स्वीकृत की अवधि (यदि संबंधित हो) का उल्लेख किया गया हो।

5.10.4 आइ क्यू एस प्रबंधक द्वारा प्रति वर्ष उत्पादक समूह के लिए जोखिम का मूल्यांकन किया जाएगा। जोखिम मूल्यांकन फार्म स्तर, प्रसंस्करण, परिवहन में तथा व्यापार के दौरान किया जाएगा। आई क्यू एस संबंधित अभिज्ञात जोखिमों को कम करने हेतु सभी उपाय करेगा।

5.10.4.1 जोखिम मूल्यांकन हेतु महत्वपूर्ण नियंत्रण संबंधी बातें

- अधूरे रूपांतरण से निपटने हेतु किसानों द्वारा किए गए उपाय (यदि किसान गैर जैविक फसलों को उगाता है)

- रूपांतरण अवधि
- पूरे उत्पादन एकक हेतु उत्पादन नियम (उदाहरण बीज, उर्वरक तथा मृदा प्रबंधन, कीट नाशी प्रबंधन, अनुमोदित निवेश (Input), अपक्षरण की रोकथाम, पशुपालन)
- कटाई तथा कटाई के बाद होने वाली प्रक्रियाएं
- प्रसंस्करण तथा मानक का रख रखाव

5.11 आंतरिक निरीक्षण

- आंतरिक निरीक्षक द्वारा समूह के कम से कम दो निरीक्षण (प्रत्येक फसल के वृद्धिगत मौसम में एक) किए जाएंगें तथा इन्हे प्रलेखित (Documented) किया जाएगा।
- निरीक्षण, सदस्य अथवा उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जाएगा तथा इसमें पूरे फार्म का दौरा, निवेशों का भण्डारण अंतिम रूप से प्राप्त उत्पाद/कटाई के बाद संबंधी रख–रखाव तथा पशुपालन शामिल होगा।
- आंतरिक निरीक्षक यह भी सत्यापित करेगा कि क्या आंतरिक मानकों का पालन किया गया है तथा क्या पूर्ववर्ती आंतरिक निरीक्षण की शर्तों को पूरा किया गया है।
- आंतरिक निरीक्षक के दौरे को फार्म निरीक्षण जांच सूची में प्रलेखित (Documented) किया जाएगा जिस पर सदस्य अथवा उसके निरीक्षक द्वारा विधिवत हस्ताक्षर तथा प्रति हस्ताक्षर किए जाएंगें।
- यदि गंभीरता से पालन न किया गया हो तो इन परिणामों के बारे में तुरन्त आई क्यू एस प्रबंधक को सूचना दी जाएगी और आंतरिक अनुमोदन प्रक्रियाओं के अनुसार उपाय किए जाएंगें।

5.12 बाह्य निरीक्षण

बाह्य निरीक्षण तथा प्रभावीकरण एजेंसी एन पी ओ पी मानकों के अनुपालन के लिए प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली हेतु उत्पादक समूह के मूल्यांकन के लिए कुछ फार्मों का पुनः निरीक्षण करेगी।

निरीक्षण के लिए नमूना योजना निरीक्षक की जोखिम संबंधी संकल्पना पर आधारित होगी जो निम्नलिखित घटकों पर निर्भर करेगी :

1. जोत का आकार
2. समूह में सदस्यों की संख्या
3. उत्पादन प्रणाली तथा फसलीय पद्धति में समानताएं
4. परस्पर मेल–मिलाप/सम्मिश्रण
5. स्थानीय आपदाएं

उत्पादक समूह के भिन्न–भिन्न आकार के लिए नमूना पद्धति नीचे दी गई तालिका पर आधारित होगीः–

उत्पादक समूह में संख्या (एन)	निरीक्षण किए जाने वाले उत्पादनकर्ताओं (Pruducers) की संख्या					
	प्रारंभिक लेखा परीक्षा		पुनर्मूल्यांकन		निगरानी दौरे	
	निरीक्षण की जाने वाली संख्या (एन=√N)	कुल का प्रतिशत	निरीक्षण की जाने वाली संख्या (एन=0.8√N)	कुल का प्रतिशत	निरीक्षण की जाने वाली संख्या (एन=0.6√N)	कुल का प्रतिशत
< 25	5	20	4	16	3	12
26-50	5-7	19-14	4-6	15-12	3-4	12-8
51-100	7-10	14-10	11-8	22-8	4-6	8-6
101-250	10-16	10-6	8-13	8-5	6-10	6-4
251-500	16-22	6-4	13-18	5-4	10-13	4-3
501-750	22-27	4	18-22	4-3	13-16	3-2
751-1000	27-32	4-3	22-26	3	16-19	2
1001-1500	32-39	3	26-31	3-2	19-23	2
1501-2000	39-45	3-2	31-36	2	23-27	2-1
2001-2500	45-50	2	36-40	2	27-30	1
>2500	50	2	40	2	30	1

5.13 फसल पैदावार संबंधी अनुमान

फसल पैदावार का अनुमान समूह में वैयक्तिक किसान हेतु प्रत्येक फसल के लिए लगाया जाएगा। यह गतिविधि मुख्यतया कटाई के दौरान संचालित की जाएगी तथा इसकी खरीद के समय अनुमानों से प्रति–जांच (Counter Check) की जाएगी।

5.14 आंतरिक अनुमोदन

आई क्यू एस प्रबंधक के पास समूह में किसानों को अनुमोदन अथवा **दण्ड** देने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया होगी। सभी आंतरिक फार्म जांच सूची की जांच आंतरिक अनुमोदन स्टाफ द्वारा की जाती है तथा इसमें जोखिम/कठिन मामलों के महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

- आंतरिक प्रमाणीकरण स्थिति प्रदान करने वाली अनुमोदन समिति द्वारा आंतरिक निरीक्षक के मूल्यांकन की जांच की

  जायेगी। यदि आवश्कयता होगी तो एन पी ओ पी मानकों के पालन करने हेतु शर्ते निर्धारित की जाएंगी।

- आगामी सक्षम व्यक्ति अथवा समिति को अनुमोदन प्रक्रिया में अवश्य ही आंतरिक निरीक्षण के परिणामों की पुष्टि करनी चाहिए।

5.15 अनुपालन न करना तथा दण्ड

अुनपालन न किए जाने पर आई क्यू एस सुधारात्मक अथवा उपशामकात्मक उपाय करेगी।

- अनुपालन न करने की स्थिति में दण्ड देने की प्रक्रियाओं को निर्धारित किया जाएगा।
- दण्ड को प्रलेखित (Documented) किया जाना चाहिए (दण्ड दिए गए किसानों की सूची, फाइलों में अभिज्ञात

  प्रतिकूलताओं का प्रलेखन (Documentation)
- ऐसे किसान जिन्होंनें अपने फार्मों में निषिद्ध निवेशों (Inputs) का प्रयोग किया हो उन्हें फिर से पूर्ण रूपांतरण अवधि

  (यदि वे समूह में बने रहते हैं) से गुजरना होगा। ऐसी स्थिति में यह जांच की जाएगी कि क्या किसानों ने उत्पादन

को वितरित किया हैं तथा क्या यह उत्पादन (जो अब प्रमाणित नहीं है) अन्य उत्पादनों के साथ मिल गया है। यदि ऐसा हो गया हो तो प्रमाणीकरण निकाय को तुरन्त सूचना देना अनिवार्य है तथा आगामी आदेशों तक मिश्रित उत्पादन को अलग रखा जाना चाहिए।

5.16 आई क्यू एस कार्मिकों का प्रशिक्षण

1. प्रत्येक आंतरिक निरीक्षक को किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा वार्षिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा।
2. प्रशिक्षण की तारीख, सहभागियों की सूची को प्रलेखित (Documented) किया जाएगा।
3. भाग लेने की तारीख तथा पूरी आइ क्यू एस स्टाफ के प्रशिक्षण की विषय–वस्तु को स्टाफ फाइलों में प्रलेखित (Documented) किया जाएगा।

5.17 किसानों का प्रशिक्षण

आई क्यू एस प्रबंधक समूह में स्थित किसानों हेतु नियमित प्रशिक्षण आयोजित करेगा :–

1. प्रत्येक किसान को एक्सटेंशन सेवा द्वारा संपन्न अथवा किसी संगठित प्रशिक्षण में कम से कम प्रारंभिक सलाहकारी दौरा करना अनिवार्य है।
2. सहभागीयों की सूची तथा प्रशिक्षण की विषय वस्तु को प्रलेखित (Documented) करना अनिवार्य हैं।

5.18 क्रम प्रक्रियाएं

समूह से प्राप्त उत्पादों की वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए क्रय के दौरान निम्नलिखित न्यूनतम अपेक्षाओं का पालन करना चाहिए :–

1. समूह में किसान की स्थिति की जांच करनी चाहिए।
2. उपलब्ध कराई गई मात्रा की तुलना अंतिम रूप से प्राप्त मात्रा तथा अनुमानित फसल पैदावार से करनी चाहिए। यदि कोई शंका हो तो जब तक आई क्यू एस समन्वयक द्वारा इस शंका का समाधान न किया जाए तब तक उत्पादन को अलग रखा जाए।
3. उत्पादन की उपलब्ध कराई गई मात्रा का पंजीकरण खरीद संबंधी रिकार्ड में किया जाएगा।
4. किसान को क्रय अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक प्राप्ति (receipt) स्लिप जारी की जाएगी जिसमें उपलब्ध कराए गए उत्पाद की मात्रा तथा दिनांक लिखी होंगी।
5. सभी प्रलेखों में प्रमाणित उत्पाद (जैव अथवा रूपांतरणाधीन (in-conversion) की स्थिति निर्दिष्ट करना अनिवचार्य है।
6. बोरियों (Bags) पर जैव अथवा रूपांतरण के लेबल लगे होने चाहिए।

5.19 भण्डारण तथा रख–रखाव संबंधी प्रक्रियाएं

क्रय अथवा मालगोदाम (Warehouse) प्रबंधक उत्पाद के रख–रखाव के दौरा प्रलेख (Document) की यह सुनिश्चित करने हेतु जांच करेगा कि ये एन पी ओ पी मानकों के अनुसार हैं अथवा नहीं । निम्नलिखित न्यूनतम अपेक्षाओं का भण्डारण तथा रखरखाव के दौरान पालन किया जाएगा :–

- उत्पाद के आवागमन के दौरान उत्पाद के प्रवाह के सभी चरणों पर उत्पाद की पहचान करना।
- जैव उत्पादों को रूपांतरणाधीन (in-conversion) उत्पादों से अलग करना
- कंटेनरों का धूम्रीकरण, प्रदीपन/आयनीकरण निषिद्ध है।
- भण्डारण के दौरान मालगोदाम (Warehouse) के क्षेत्र पर जैविक अथवा रूपांतरण लेबल लगे होने चाहिए।

5.20 प्रसंस्करण

उत्पाद के रख–रखाव के दौरान, प्रलेखन (Documented) की यह जांच अवश्य की जानी चाहिए कि ये एन पी ओ पी मानकों के अनुसार ही हों।

- केन्द्रीय प्रसंस्करण एकक का निरीक्षण बाह्य निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण निकाय द्वारा किया जाएगा।

- संघरनों तथा प्रसंस्करण सहायकों को एन पी ओ पी मानकों के अनुभाग 3 उपाबंध 4 तथा 5 में यथा निर्धारित प्रयोग किया जाए।
- उत्पादों को एक जगह से दूसरी जगह (आवागमन) ले जाने के दौरान उत्पादों को गैर–जैव उत्पादों से अलग रखा जाना चाहिए।
- प्रसंस्करण में निहित कार्रवाई को प्रलेखित (Documented) किया जाएगा।

अनुभाग-6
जैविक प्रमाणीकरण चिन्ह

अनुभाग- 6

जैविक प्रमाणिकरण चिन्ह

6.1 जैविक लोगो

जैविक उत्पादत हेतु राष्ट्रीय मानकों (NSOP) के अनुपालन के आधार पर एक ट्रेडमार्क -"India Organic" प्रदान किया गया है। उत्पाद की विशुद्धता तथा उत्पत्ति को संप्रेषित करते हए, इस ट्रेडमार्क का स्वामित्व भारत सरकार के पास रहेगा। केवल ऐसे निर्यातकों, विनिर्माताओं तथा प्रसंस्करणकर्ताओं को इस लोगो का उपयोग करने का लाइसेन्स प्रदान किया जायेगा जिनको प्रत्यायित निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियों द्वारा विहित रूप से प्रमाणित किया गया होगा तथा इसको विनियमों के एक समूह द्वारा नियंत्रित किया जायेगा।

6.2 विनिर्दिष्टताएँ

"India Organic".लोगों में निम्नलिखित रूप से सूचीबद्ध रंग विनिर्दिष्टता का समावेश होना अनिवार्य है:-

C-70 M-10
Y-100 K-0

C-70 M-20
Y-100 K-10

C-10 M-0
Y-80 K-15

C-10 M-80
Y-80 K-0

C-55 M-15
Y-0 K-0

6.3 जैविक लोगो की संकल्पना

शक्ति तथा ऊर्जा की नीली तथा भूरी लहरों के माध्यम से निरूपित अंतरिक्षी और पृथ्वी शक्तियों की लय को प्रतीक रूप में प्रस्तुत करते हुए, "India Organic" लोगो प्रकृति के सत्त्व का उत्सव मनाता है। ये सभी शक्तियां लयबद्ध रूप से पृथ्वी के पर्यावरण पर काम करती हैं तथा हरित वनस्पति वृद्धि के द्वारा इस लय को प्रबलित तथा समर्थित किया जाता है। लोगो संकल्पना में प्रयुक्त रंगों का एक विशेष महत्व है। नीले रंग में अंतरिक्षी शक्ति विश्वव्यापी शुद्धता को निरूपित करती है। जैविक कृषि में प्राकृतिक अवयवों द्वारा पोषित, मृदा की संपन्नता को सुनहले भूरे रंग की पृथ्वी शक्तियों के द्वारा निरूपित किया गया है। हरे रंग का पौधा प्रकृति के रंगों तथा रसायनों के स्पर्श से स्वतंत्र प्राकृतिक उत्पादों का प्रयोग करता है। नीली पृष्ठभूमि पृथ्वी के पर्यावरण को प्रतीक रूप में प्रस्तुत करती है जो कि जीवन के विकास हेतु अनुकूल है तथा प्रदूषण और हानिकारक रसायनों से भी स्वतंत्र हैं। सतह के ऊपर उकेरा गया India Organic संवाहक को "जैविक" के रूप में सत्यापित करता है तथा चिन्ह के सभी संवाहकों के संदर्भ में भारतीय संपर्क-सूत्र को भी स्थापित करता है। हमारे पर्यावरण के सभी तत्त्वों को बड़ी सुन्दरता के साथ संश्लेषित करते हुए यह लोगो राष्ट्रीय जैविक मानकों के संपूर्ण अनुपालन को भी सम्प्रेषित करता है।

6.4 जैविक उत्पादों हेतु प्रमाणीकरण चिन्ह के प्रयोग करने का लाइसेन्स प्रदान करने हेतु विनियम

मार्च, 2000 के जैविक उत्पादों हेतु मानकों तथा उनमें भविष्य में किये जाने वाले संशोधनों तथा वृद्धियों के अनुसरण में, जैविक उत्पादों हेतु राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उत्पादित, संसाधित, पैक तथा लेबल किये गये प्रमाणित उत्पादों के ऊपर ही प्रमाणीकरण चिन्ह का प्रयोग करने के लिये लाइसेन्स के लिए आवेदन भरने के लिए निम्नलिखित विनियमों, जिनमें किये गये संशोधन तथा वृद्धियाँ भी सम्मिलित हैं, को लागू किया जायेगा।

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा आरंभ - (1) इन विनियमों को जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण चिन्ह विनियम, 2002 कहा जा सकता है।
2. इनको राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम हेतु वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित संचालन समिति द्वारा स्वीकार किये जाने की तिथि से लागू किया जायेगा।

परिभाषाएं : इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ की आवश्यकता इससे भिन्न नहीं हो :

क) राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय का अभिप्राय भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा नियुक्त की गई निकाय से होगा।

ख) निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी का अभिप्राय राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय द्वारा उसके भीतर परिभाषित क्रियाकलापों को निष्पादित करने हेतु प्रत्यायित एजेन्सी से होगा।

ग) प्रमाणीकरण चिन्ह का तात्पर्य "India Organic" लोगो से है।

घ) आवेदक का अभिप्राय एक ऐसे उत्पादक, प्रसंस्करणकर्ता, निर्यातक और आयातक से है जिसने प्रमाणीकरण चिन्ह का प्रयोग करने के लिये लाइसेन्स प्रदान किये जाने हेतु निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के पास आवेदन किया हो तथा जिसमें एक आयातक भी शामिल है।

ड़) लाइसेन्स धारक का अभिप्राय एक ऐसे आवेदक से होगा जिसको प्रमाणीकरण चिन्ह का प्रयोग करने हेतु लाइसेन्स प्रदान कर दिया गया हो।

च) जैविक उत्पादों हेतु मानकों का अभिप्राय जैविक उत्पादों हेतु मानकों को अन्तर्विष्ट करने वाले राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम से होगा।

छ) फार्म का अभिप्राय इन विनियमों के साथ संलग्न किये गये एक फार्म से होगा।

ज) विनियमों में प्रयुक्त अन्य सभी ऐसे शब्दों तथा अभिव्यक्तियों, जिनको उसमें परिभाषित नहीं किया हो, का अंग्रजी भाषा में निर्दिष्ट सामान्य अर्थ माना जायेगा।

3. लाइसेन्स हेतु आवेदन करने का तरीका

(1) लाइसेन्स प्रदान किये जाने हेतु प्रत्येक आवेदन को फॉर्म-11 में निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) लाइसेन्स हेतु प्रत्येक आवेदन के साथ एक विवरणिका प्रस्तुत की जायेगी जिसमें निरीक्षण तथा परीक्षण हेतु ऐसी किसी भी योजना का विस्तारपूर्वक वर्णन किया जायेगा, जोकि आवेदक के द्वारा तैयार की गयी है अथवा प्रयुक्त की जाती है या तैयार करने का अथवा प्रयुक्त करने का प्रस्ताव है और जिसको उस उत्पाद अथवा प्रक्रिया के उत्पादन अथवा विनिर्माण की अवधि के दौरान उसकी गुणवत्ता को नियंत्रित करने हेतु निर्दिष्ट किया गया है जिसके लिये लाइसेन्स पाने हेतु आवेदन किया गया है।

(3) प्रत्येक आवेदन पत्र पर एक व्यक्ति के मामले में, आवेदन के द्वारा अथवा, एक फर्म के मामले में, आवेदक के द्वारा अथवा, एक के मामले में फर्म के स्वामी, भागीदार अथवा प्रबंध निदेशक या फर्म की ओर से किसी भी उद्घोषणा पर हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगा। आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम तथा पदनाम को आवेदनपत्र में इस प्रयोजन हेतु अलग से निर्दिष्ट स्थान में साफ तौर से पढ़े जा सकने के रूप में रिकार्ड किया जायेगा।

(4) निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा लाइसेन्स हेतु प्रत्येक आवेदन को प्राप्त करने पर, उसे प्राप्ति की वरीयता के क्रम में संख्यांकित किया जायेगा तथा उसकी प्राप्ति की सूचना भेजी जायेगी।

(5) राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय द्वारा प्रत्यायित निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी किसी आवेदन से, अपने आवेदक में उसके द्वारा दिये गये किसी भी विवरण के समर्थन में अथवा उसको प्रमाणित करने हेतु किसी संपूरक सूचना अथवा लिखित प्रमाणपत्र की, ऐसी अवधि के भीतर जिसे कि प्रत्यायित निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के द्वारा निर्देशित किया गया हो, की माँग कर सकती है, और ऐसे निर्देश का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में उस आवेदन को निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा सरसरी तौर पर अस्वीकृत किया जा सकता है।

6. लाइसेन्स हेतु कोई आवेदन प्राप्त होने पर तथा लाइसेन्स प्रदान किये जाने से पूर्व, निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी -

क) इस बारे में प्रमाण प्रस्तुत किये जाने की मांग कर सकती है कि जिस उत्पाद अथवा प्रक्रिया के संदर्भ में लाइसेन्स हेतु आवेदन किया गया है, वह राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय द्वारा तैयार किये गये संबंद्ध निर्देशों तथा विनिर्दिष्टताओं का अनुपालन करती है,

ख) इस बारे में प्रमाण प्रस्तुत करने की मांग कर सकती है कि आवेदक रूटीन निरीक्षण तथा परीक्षण की एक योजना को चला रहा है, जोकि पर्याप्त रूप से यह सुनिश्चित करेगी कि सभी चिन्हित उत्पाद अथवा प्रक्रिया जैविक उत्पादों हेतु मानकों में विनिर्दिष्ट निर्देशों तथा विनिर्दिष्टताओं का अनुपालन करेगी,

ग) निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के निरीक्षक को आवेदक के फार्मों, प्रसंस्करण यूनिटों, कार्यालय, कार्यशाला, परीक्षण प्रयोगशालाओं अथवा गोदामों और अन्य किसी भी इमारत का निरीक्षण करने तथा खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख) या दोनों के अधीन आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण को सत्यापित करने के प्रयोजन हेतु नमूने अथवा नमूनों को एकत्रित और उनका परीक्षण करने हेतु सभी युक्ति संगत सुविधाओं को उपलब्ध कराने की माँग कर सकती हैं,

घ) खण्ड (क) के प्रयोजन हेतु, आवेदक को ऐसे परीक्षण प्राधिकारी के पास नमूनों को भेजने का निर्देश दे सकती हैं जिसे निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा उपयुक्त समझा जाये। परीक्षण हेतु व्ययों को आवेदक के द्वारा वहन किया जायेगा, तथा

ड़) खण्ड (ग) अथवा खण्ड (घ) या दोनों के अंतर्गत प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर, निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी, जैसा उचित समझें, आवेदक से उसके द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली विनिर्माण अथवा उत्पादन की प्रक्रिया में परिवर्तन, या वृद्धियाँ करने की माँग कर सकती है।

4. लाइसेन्स प्रदान किया जाना

(1) यदि प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के पश्चात्, निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी को इस बात की सन्तुष्टि हो जाती है कि आवेदक अथवा लाइसेन्स धारी लाइसेन्स को जारी करने से सम्बद्ध आवश्यक कौशल, संसाधनों, उत्पादन, प्रसंस्करण, विगत कार्य निष्पादन तथा पूर्वचरित की दृष्टि से प्रमाणीकरण चिन्ह का प्रयोग करने हेतु उपयुक्त है, तो निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी फार्म 12 में किसी उत्पादन, विनिर्माण अथवा कार्य में नियोजित प्रक्रिया के संबंध में आवेदक अथवा लाइसेन्सधारी के द्वारा निर्मित उत्पाद अथवा उत्पादों की श्रेणी के संदर्भ में प्रमाणीकरण चिन्ह का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करते हुए एक लाइसेन्स प्रदान करेगी, जोकि इन विनियमों में विनिर्दिष्ट ऐसे नियमों तथा शर्तों के अध्यधीन रहेगा। निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेंसी आवेदक को लाइसेन्स प्रदान किये जाने के बारे में सूचित करेगी।

(1 क) आवेदक को प्रमाणीकरण चिन्ह का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा तथा वह अपने द्वारा उसके प्रयोग को ऐसे पदार्थों अथवा सेवाओं तक सीमित रखेगा, जो कि उत्पादों के मापदण्डों तथा मानक विनिर्दिष्टताओं को पूरा करते हों। प्रमाणीकरण चिन्ह को उत्पादों पर लगाया जा सकता है तथा/अथवा पैकिजिन्ग अथवा प्रचार सामग्री या विज्ञापन कार्यकलापों के संदर्भ में प्रयोग किया जा सकता है।

(1 ख) उपरोक्त चिन्ह के प्रयोग के अधिकार को वापिस लिये जाने की स्थिति में, प्रमाणपत्र अथवा लाइसेन्स को निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी को वापिस लौटाया जायेगा। प्रमाणीकरण चिन्ह का प्रयोग करने का अधिकार उसी समय समाप्त हो जाता है और इससे राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय और/या निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के विरूद्ध कोई क्षतिपूर्ति दावा उत्पन्न नहीं होगा।

(1 ग) आवेदक को उपरोक्त चिन्ह का प्रयोग करने का अधिकार तो होगा परन्तु वह अपने उत्पादों की सुरक्षा हेतु स्वयं उत्तरदायी होगा। निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा माँगे जाने पर, वह उनके संदर्भ में पर्याप्त उत्पाद उत्तरदेयता बीमा धारण करने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा। तथापि, निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी अथवा राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय द्वारा कोई जिम्मेदारी स्वीकार्य नहीं होगी।

(1घ) यदि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लाइसेन्स पाने का आवेदन किया गया हो, जिसके लाइसेन्स को निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के द्वारा गलत जानकारी प्रस्तुत करने अथवा जनता को गुमराह करने के लिये किसी दूसरे उत्पाद के संबंध में मानक अथवा प्रमाणीकरण चिन्ह का प्रयोग करने की वजह से रद्द किया गया हो, तो वह इस प्रकार रद्द किये जाने की तिथि से लेकर छह महीनों की एक अवधि के भीतर आवेदन करने का अधिकारी नहीं होगा। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा अपात्रता की अवधि को निर्धारित किया जायेगा तथा यह अवधि एक वर्ष से ज्यादा समय की नहीं होगी।

2) लाइसेन्स को फार्म 12 में एक वर्ष की अवधि के लिये प्रदान किया जायेगा तथा लाइसेन्सधारक द्वारा फार्म -13 में उद्घोषणा प्रस्तुत की जायेगी।

3) निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी, लाइसेन्स की वैधता की अवधि के दौरान, लाइसेन्स धारक को एक महीने का नोटिस देकर उन नियमों तथा शर्तों को परिवर्तित कर सकती है जिनके अध्यधीन लाइसेन्स को प्रदान किया गया था।

4) यदि प्रारंभिक जाँच-पड़ताल के बाद निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी की यह राय हो कि लाइसेन्स को प्रदान नहीं किया जाना चाहिये, तो निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी आवेदक को व्यक्तिगत रूप से स्वयं अथवा उसके द्वारा अपनी ओर से प्राधिकृत किसी प्रतिनिधि के माध्यम से सुने जाने का एक युक्तिसंगत अवसर प्रदान करेगी, और आवेदन को रद्द करने से पहले आवेदक की ओर से प्रस्तुत किये गये किसी भी तथ्य अथवा स्पष्टीकरण पर विचार कर सकती है।

5) लाइसेन्स प्रदत्त अवधि के समाप्त हो जाने पर खत्म हो जायेगा।

6) निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के द्वारा प्रमाणीकरण चिन्ह के प्रयोग के संबंध में इन विनियमों के अधीन जारी किये गये सभी लाइसेन्सों के विवरणों को एक रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा जिसको राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय तैयार करेगी।

5. लाइसेन्स की शर्तें

(1) प्रमाणीकरण चिन्ह को इस तरीके से लगाया जायेगा कि वह उत्पादों अथवा आवरणों पर या ऐसे पदार्थों से संबंधित परीक्षण प्रमाणपत्रों पर एक स्पष्ट चिन्ह के रूप आसानी से दिखाई दे सके जिनको लेबल अथवा आवरण से ढँका नहीं जा सकता है। प्रमाणीकरण चिन्ह उत्पादों के केवल ऐसे प्रकारों, ग्रेडों, श्रेणियों, किस्मों, आकारों पर लगाया जायेगा जिनके लिये लाइसेन्स प्रदान किया गया हो। लाइसेन्स धारक को उसके द्धारा प्रयोग में लाये जाने हेतु प्रस्तावित प्रमाणीकरण चिन्ह की प्रतिकृति को प्रत्यायित निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी से अनुमोदित कराना होगा।

(2) यदि किसी पदार्थ अथवा प्रक्रिया के संदर्भ में प्रमाणीकरण चिन्ह को विनिर्दिष्ट किया जा चुका हो, तो उस वैध लाइसेन्स को धारण करने वाले लाइसेन्स धारक के अलावा अन्य कोई व्यक्ति किसी विज्ञापन, बिक्री वृद्धि पर्चियों, मूल्यसूचियों अथवा अन्य किसी साधन के माध्यम से ऐसा कोई सार्वजनिक दावा नहीं कर सकता है कि उसका उत्पाद संबद्ध प्रमाणीकरण चिन्ह का अनुपालन करता है अथवा प्रमाणीकरण चिन्ह को धारण करता है।

(3) जब तक कि एक पदार्थ अथवा प्रक्रिया हेतु प्रमाणीकरण चिन्ह को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो, तब तक कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से यह दावा नहीं कर सकता है कि यह उत्पाद अथवा प्रक्रिया प्रमाणीकरण चिन्ह का अनुपालन करती है।

(4) (क) प्रत्येक लाइसेन्स धारक अथवा आवेदक, प्रत्यायित निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी को सन्तुष्ट करने हेतु, परीक्षण तथा निरीक्षण की एक योजना के माध्यम से अपने उत्पादन अथवा प्रक्रिया की गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु एक नियंत्रण प्रणाली को संस्थापित तथा बनाये रखेगा, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिस पदार्थ अथवा प्रक्रिया के संदर्भ में प्रमाणीकरण चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है, वह निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी तथा /अथवा जैविक उत्पादों हेतु मानकों के संबंद्ध मापदण्डों तथा पद्धतियों का अनुसरण करता है।

(ख) लाइसेन्स धारक अथवा आवेदक परीक्षणों तथा निरीक्षण और परीक्षण तथा निरीक्षण हेतु योजना में विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य डॉटा का एक सम्पूर्ण रिकॉर्ड तैयार करेगा, जिससे कि निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी की संतुष्टि के लिये यह साबित किया जा सके कि उत्पादन अथवा प्रक्रिया के आवश्यक नियंत्रण को संतोषजनक रूप से बनाये रखा गया था तथा रखा जा रहा है। निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा माँग किये जाने पर ऐसे रिकॉर्डों को निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

5 (क) निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं के बारे में संतुष्ट हो जाने की स्थिति में, उसके द्वारा प्रदत्त लाइसेन्स को निलंबित अथवा रद्द किया जा सकता है :

i. कि लाइसेन्स के अधीन प्रमाणीकरण चिन्ह से अंकित उत्पाद निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के संबंद्ध मापदण्डों तथा पद्धतियों का अनुपालन नहीं करते हैं; अथवा

ii. कि लाइसेन्स धारक अथवा आवेदक ने एक ऐसी प्रक्रिया के संदर्भ में चिन्ह का प्रयोग किया था जोकि निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के संबंधित निर्देशों तथा विनिर्दिष्टताओं के अनुरूप नहीं है; अथवा

iii. कि लाइसेन्सधारक अथवा आवेदक निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी को युक्तिसंगत सुविधाएँ उपलब्ध कराने में विफल रहा है जिससे कि वो अपने ऊपर विहित दायित्वों का निर्वाह करने में समर्थ हो पाते; या

iv. लाइसेन्स धारक अथवा आवेदक लाइसेन्स के किसी नियम अथवा शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहा है।

(ख) निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा किसी लाइसेन्स को निलंबित अथवा रद्द किये जाने से पहले, वह लाइसेन्स धारक को उसका लाइसेन्स निलंबित अथवा रद्द करने के अपने इरादे का नोटिस देगी जोकि चौदह दिनों से कम अवधि का नहीं होगा।

(ग) ऐसा नोटिस प्राप्त होने पर, लाइसेन्स धारक नोटिस प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के समक्ष अपनी ओर से एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है। यदि कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है, तो निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी उस स्पष्टीकरण पर विचार कर सकती है और ऐसे स्पष्टीकरण की प्राप्ति की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अथवा नोटिस की अवधि के समाप्त होने से पहले, जो भी अधिक हो, लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर

प्रदान कर सकती है।

(घ) यदि कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी, नोटिस की अवधि के समाप्त होने पर, उपरोक्त वर्णित उप-पैराग्राफ (ग) में विहित अवधि की समाप्ति के 14 दिनों के भीतर एक लिखित सूचना भेजकर लाइसेंस को निलंबित अथवा रद्द कर सकती है।

(ड़) लाइसेन्स के निलंबित अथवा रद्द हो जाने की स्थिति में, लाइसेन्स धारक राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय के समक्ष किसी भी अपील के लंबित होने के बावजूद, तत्काल प्रभाव से प्रमाणीकरण चिन्ह का प्रयोग करना रोक देगा और यदि लाइसेन्स धारक अथवा उसके एजेन्टों के पास स्टॉक में ऐसा माल मौजूद हो जिसको अनुचित रूप से चिन्हित कर दिया गया हो, तो लाइसेन्स धारक अथवा एजेन्ट, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे पदार्थों के ऊपर से प्रमाणीकरण चिन्ह को हटाने, रद्द करने, बिगाड़ने अथवा मिटाने हेतु आवश्यक कदमों को उठायेंगे।

(6) लाइसेन्स को निलंबित अथवा रद्द किये जाने की स्थिति में, निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी लाइसेन्स धारक को इस बारे में लिखित रूप में सूचित करेगी तथा ऐसे निलंबन अथवा निरस्तीकरण को एक ऐसे ढंग से प्रकाशित करेगी जिसे उक्त निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा उपयुक्त समझा जाये।

(7) (क) किसी भी बिन्दु पर आकर, यदि उत्पाद की अनुरूपता को बनाये रखने में कोई कठिनाई आये अथवा विनिर्देशन के पदार्थ अथवा परीक्षण उपकरण में कोई खराबी आ जाती है, तो लाइसेन्स धारक को निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी को सूचित करते हुए, उस उत्पाद को चिन्हित करना बन्द करना होगा। खराबियों को दूर करते ही उत्पाद को चिन्हित करना दोबारा से शुरू किया जा सकता है और तत्पश्चात् तत्काल रूप से ऐसे पुनरारंभ के संबंध में सूचना निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के पास भेजी जायेगी।

(ख) किसी भी बिन्दु पर आकर, यदि निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के पास पर्याप्त प्रमाण मौजूद हों कि प्रमाणीकरण चिन्ह को धारित करने वाला उत्पाद निर्दिष्ट मापदण्डों तथा पद्धतियों का अनुसरण नहीं कर रहा है, तो लाइसेन्स धारक को ऐसे उत्पाद को चिन्हित करना रोक देने का निर्देश दिया जायेगा। निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा इस बारे में संतुष्ट हो जाने पर ही उत्पाद को चिन्हित करना फिर से शुरू करने की अनुमति दी जायेगी कि लाइसेन्स धारक द्वारा उन कमियों को दूर करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है।

(8) निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के इस प्रकार के निर्णय को लेने के निर्णय को रजिस्टर्ड डाक के द्वारा लिखित रूप में आवेदक अथवा लाइसेन्सधारक, जैसी भी स्थिति हो, को सूचित किया जायेगा।

(9) निरीक्षण, विशेष रूप से जो आवेदक अथवा लाइसेन्सधारक के अनुरोध पर किये गये हों, के लिये आवेदक अथवा लाइसेन्स धारक से शुल्क वसूला जायेगा। ऐसे विशेष निरीक्षण अथवा निरीक्षणों के शुल्कों को निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(10) यदि निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के निर्दिष्ट मापदण्डों तथा पद्धतियों को हटा दिया गया हो और उनके स्थान पर किन्हीं अन्य मापदण्डों तथा पद्धतियों को नहीं रखा गया हो, तो उनके संदर्भ में जारी किये गये सभी लाइसेन्सों को उपरोक्त वर्णित ऐसे निर्दिष्ट मापदण्डों तथा पद्धतियों को हटाये जाने की तिथि से रद्द हुआ समझा जायेगा और लाइसेन्स धारक द्वारा ऐसे लाइसेन्स को तत्काल रूप से निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी को सौंप दिया जायेगा। इस प्रकार रद्द किये गये लाइसेन्स के मामले में, यदि अग्रिम भुगतान किया गया हो तो, लाइसेन्स शुल्क के एक अंश को, लाइसेन्स का असमाप्त अवधि के अनुपात में, लाइसेन्स धारक के द्वारा देय शुल्क अथवा किसी भी भावी शुल्क के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा अथवा लाइसेन्स शुल्क के उक्त भाग को वापिस लौटाया जा सकता है और यह निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के निर्णय पर निर्भर करेगा।

(11) किसी उत्पाद अथवा प्रक्रिया के संदर्भ में निरीक्षण के ऐसे मामले में निम्नलिखित पद्धति को लागू किया जायेगा जहाँ उस पदार्थ अथवा प्रक्रिया के संदर्भ में प्रमाणीकरण चिन्ह के प्रयोग हेतु लाइसेन्स जारी कर दिया गया है, अथवा लाइसेन्स पाने हेतु आवेदन किया गया है।

क. यदि निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी आवेदक की प्रक्रिया अथवा उत्पाद का निरीक्षण करने का विचार रखती है, तो उसे, अधिमानत: रूप से अपने दौरे का एक युक्तिसंगत नोटिस आवेदक को देना होगा परन्तु किसी लाइसेन्सधारक की इमारत के निरीक्षण हेतु, ऐसा नोटिस देना जरूरी नहीं है,

ख. यदि निरीक्षण के दौरान, निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी किसी उत्पाद, सामग्री अथवा पदार्थ का एक अथवा उससे अधिक के नमूने लेना चाहती हो, तो वह लाइसेन्सधारक अथवा आवेदक या लाइसेन्स धारक या आवेदक की संस्था से संबंधित किसी जिम्मेदार व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, की उपस्थिति में ऐसा कर सकती हैं,

ग) निरिक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी अपनी इच्छानुसार, और लाइसेन्सधारक अथवा आवेदक या संस्था से संबंधित किसी जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा मांग करने पर, डुप्लीकेट नमूनों को ले सकती है और उनमें से एक नमूने को लाइसेन्सधारक अथवा आवेदक या ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को सौप सकती हैं,

घ) निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी अपनी इच्छानुसार और लाइसेन्सधारक अथवा आवेदक या संस्था में संबंधित किसी जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा माँग करने पर, ऐसे प्रत्येक नमूने को आवृत कर सकती है और प्रत्येक नमूने को संयुक्त रूप से मुहरबन्द कर सकती है। निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा ऐसे नमूनों को एकत्रित किये जाने के मामले में, जिनको

मुहरबन्द नहीं किया जा सकता हो, ऐसे नमूनों की पहचान को स्थापित करने हेतु कतिपय पहचान संकेत के साथ उन्हें चिह्नित किया जायेगा,

ड़) मुहरों की छाप तथा पहचान के विवरणों को निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी की रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जायेगा। नमूनों को सम्पूर्ण विवरण देते हुए लेबल किया जायेगा, और

च) निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी उठाये गये नमूने अथवा नमूनों के लिये एक रसीद प्रदान करेगी और जिस व्यक्ति की उपस्थिति में नमूना लिया गया था, उस व्यक्ति द्वारा विहित रूप से हस्ताक्षरित रसीद की एक डुप्लीकेट प्रतिको अपने पास रखेगी,

12) निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी लाइसेंसधारक के किसी एजेन्ट के गोदामों अथवा अन्य किसी इमारतों से प्रमाणीकरण चिह्न के द्वारा उत्पादों अथवा लाइसेन्सधारक या उसके एजेन्ट के द्वारा खुले बाज़ार में बिक्री हेतु रखे गये पदार्थों में से नमूनों को उठा सकती है,

13) निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी को प्रत्येक लाइसेन्स के संदर्भ में एक वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण दौरे की व्यवस्था जरूर करनी होगी, और

14) निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी अपने द्वारा किये गये प्रत्येक निरीक्षण की एक विस्तृत रिपोर्ट को तैयार करेगी।

6. शुल्क

(1) लाइसेन्स प्रदान किये जाने हेतु प्रत्येक आवेदन के साथ एक शुल्क जमा करना होगा जोकि निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी को देय होगा तथा वह राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किये गये शुल्क से अधिक नहीं होगा।

यहाँ पर पैराग्राफ 5(10) के प्रचालन की स्थिति को छोड़कर, अन्य किसी भी परिस्थिति में ऐसे शुल्क अथवा इसके किसी भाग को वापिस नहीं लौटाया जायेगा।

7. प्रतिज्ञा

लाइसेन्स प्रदान किये जाने से पहले, आवेदक इस आशय के एक प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करेगा कि वह प्रत्यक्ष अथवा निहित रूप से ऐसा कोई दावा नहीं करेगा कि प्रदान किये जाने वाले लाइसेन्स का संबंध लाइसेन्स में निर्धारित उत्पादों अथवा प्रक्रियाओं के अतिरिक्त किसी अन्य उत्पाद अथवा प्रक्रिया से है।

8. निगरानी तथा नियमित समीक्षा

क. लाइसेन्स प्रदान किये जाने के पश्चात् निगरानी दौरे किये जायेंगे। ऐसे दौरों की संख्या तथा विस्तारक्षेत्र को निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

ख. लाइसेन्स धारक को नोटिस दिये बिना ही ये निगरानी दौरे किये जायेंगे जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहले से ही मूल्यांकित प्रणालियों तथा पद्धतियों का पालन किया जा रहा है।

ग. यदि कोई लाइसेन्सधारक लाइसेन्स की शर्तों का पालन करने में विफल रहा है अथवा जहाँ लाइसेन्सधारक के संगठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हों, तो वहाँ पर विशेष पुनर्मूल्यां कन दौरा करना अनिवार्य होगा। लाइसेंसधारक को ऐसे विशेष दौरों की लागत को वहन करना पड़ेगा।

9. प्रमाणीकरण चिह्न का प्रयोग

लाइसेन्सधारक द्वारा प्रमाणीकरण चिह्न का केवल निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा प्राधिकृत रूप में ही प्रयोग किया जा सकता है।

10. प्रचार

क. निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी लाइसेन्सधारकों की एक सूची को तैयार करेगी तथा उसेराष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय को उपलब्ध करायेगी।

ख. इस सूची को सावधिक रूप से अद्यतन किया जायेगा।

ग. लाइसेन्सधारक संभाव्य ग्राहकों, खरीददारों तथा खरीद प्राधि कारियों को लाइसेन्स के पूर्ण तथा सटीक विवरणों के बारे में सूचित करेगा।

घ. लाइसेन्सधारक अपनी इमारत में लाइसेन्स को प्रदर्शित करेगा।

ड़. लाइसेन्सधारक प्रमाणीकरण चिह्न का प्राधिकृत रूप में प्रयोग करेगा।

च. लाइसेन्सधारक प्रलेखन विवरणिकाओं अथवा प्रचार माध्यमों के द्वारा यह वर्णित करेगा कि संगठन अथवा उस स्थल, जिस पर लाइसेन्स लागू होता है, को निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के द्वारा मूल्यांकित तथा अनुमोदित किया जा चुका है। ऐसे विज्ञापन में जैविक उत्पादों हेतु ऐसे राष्ट्रीय मानकों को वर्णित किया जायेगा जिनके लिये लाइसेन्स को प्रदान किया गया

है तथा प्रदत्त स्तर से उच्चतर स्तर के अनुमोदन को इंगित नहीं किया जाना चाहिये।

छ. यदि किसी लाइसेन्स धारक को प्रणाली प्रमाणीकरण चिह्न हेतु लाइसेन्स प्रदान किया गया हो, तो वह यह दावा अथवा संकेत नहीं करेगा कि उसके द्वारा विनिर्मित उत्पाद को निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के द्वारा प्रमाणित या अनुमोदित किया गया है जब तक कि उसके पास राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय की मान्यताप्राप्त उत्पाद प्रमाणीकरण योजना के अंतर्गत उस उत्पाद हेतु एक वैध लाइसेन्स मौजूद नहीं हो।

11. लाइसेन्सधारक की बाध्यताएँ

प्रमाणीकरण चिह्न के प्रयोग हेतु लाइसेन्स प्रदान किये जाने पर किसी भी लाइसेन्सधारक को :

क. हर समय उसके भीतर निर्धारित की गयी आवश्यकताओं का पालन करना होगा तथा इन विनियमों अथवा उनमें किये गये संशोधनों का पालन करना होगा,

ख. केवल यह दावा करना होगा कि वह उस क्षमता के संदर्भ में एक लाइसेन्स को धारण करता है जोकि लाइसेन्स के अध्यधीन है तथा जिसका संबंध लाइसेन्स आवश्यकताओं के अनुसरण में उत्पादों अथवा प्रक्रियाओं से है,

ग. लाइसेन्स को किसी भी ऐसे तरीके में प्रयोग नहीं करेगा जिसपर राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय को आपत्ति हो और लाइसेन्स धारक के द्वारा लाइसेन्स के प्रयोग के प्राधिकरण के विषय में ऐसा कोई बयान नहीं देगा जोकि निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के विचार से भ्रामक हो,

घ. निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के समक्ष वह स्वरूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा जिसमें वह अपने लाइसेन्स का प्रयोग करने का विचार रखता है अथवा लाइसेन्स का उल्लेख करने का विचार रखता है,

ड़. लाइसेन्स को निलंबित अथवा समाप्त किये जाने पर, भले ही किसी भी तरह से इसका निर्णय किया हो, तत्काल रूप से उसका प्रयोग करना रोक देगा और उसका उल्लेख करने वाली सभी प्रचारात्मक तथा विज्ञापन सामग्री को वापिस ले लेगा,

च. निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के निरीक्षक को मूल्यांकन, लेखा परीक्षा अथवा निगरानी के प्रयोजनों हेतु पहुंच की अनुमति प्रदान करेगा। लाइसेन्सधारक लाइसेन्स के अंतर्गत आने वाले उत्पादों अथवा प्रक्रियाओं में दोषों के आरोपों से उत्पन्न होने वाली जमीनी समस्याओं के प्रत्युतर में की गयी समस्त कार्यवाहियों का पूर्ण विवरण पस्तुत करेगा तथा निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के निरीक्षक को ऐसे विवरणों को सत्यापित करने के प्रयोजन हेतु सभी संबंद्ध रिकार्डों तथा दस्तावेज़ों तक पहुँच उपलब्ध करायेगा,

छ. लाइसेन्स के अन्तर्गत आने वाले उत्पादों अथवा प्रक्रियाओं हेतु निरंतर रूप से चालू प्रचालनों का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। लाइसेन्स धारक को ऐसे प्रचालनों को रोक दिये जाने की अवधि के तीन महीनों से अधिक हो जाने की स्थिति में निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी को लिखित रूप में सूचित करना होगा। छह महीनों अथवा इससे भी अधिक अवधि के लिये लाइसेन्स को रोक दिये जाने की स्थिति में लाइसेन्स को रद्द किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, प्रत्यायित निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के समक्ष एक नवीन आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा नया लाइसेन्स प्रदान किये जाने से पहले एक मूल्यांकन दौरा करना अनिवार्य होगा, और

ज. निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी को देय समस्त वित्तीय राशियों, लाइसेन्स को रोक देने अथवा निलंबित किये जाने की अवधि के लिये भी, का उसके द्वारा विहित रीति में भुगतान करेगा।

12. वापिस सौंपना - लाइसेन्स धारक द्वारा किसी भी समय लाइसेंस को निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी को वापिस सौंपा जा सकता है। वापिस सौंपे जाने की स्थिति में, लाइसेन्सधारक संबंधित दस्तावेजों के साथ लाइसेन्स को निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी को वापिस लौटा देगा।

13. निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी की शक्तियाँ - निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी अपने विवेकानुसार :

क) लाइसेन्स प्रदान करने से इंकार अथवा उसके स्कोप का विस्तार या रद्द अथवा लाइसेन्स के स्कोप को कम करने हेतु परिवर्तित कर सकती है, बशर्ते कि अस्वीकरण, निरस्तीकरण अथवा परिवर्तन निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के निरीक्षक की एक सिफारिश हो जिसके बारे में निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा गठित की गयी समिति का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा। दायित्वों का निर्वाह करने में असफलता के कारण पुनर्नवीकरण अथवा निरस्तीकरण से इंकार किया जाना निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के निरीक्षक द्वारा निगरानी तथा नियमित समीक्षा के दौरान मूल्यांकन/लेखा परीक्षा संबंधी रिपोर्ट पर आधारित होना चाहिये। ऐसे निर्णयों की आवेदक अथवा लाइसेन्सधारक को लिखित रूप में सूचना दी जायेगी।

ख) निम्नलिखित बातों का अनुपालन नहीं किये जाने का पर्याप्त आधार होने की स्थिति में, निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी को लाइसेन्स को निलंबित करने का अधिकार होगा :

i) यदि निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के द्वारा निगरानी में सम्बद्ध आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया जाना प्रमाणित हो जाये परन्तु तत्काल निरस्तीकरण को आवश्यक नहीं समझा जाये;

ii) यदि लाइसेन्स, संबंधित दस्तावेजों के अनुचित प्रयोग को प्रत्यायित निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी की दृष्टि में संतोषजनक रूप में सुधारा नहीं गया हो;

iii) यदि प्रत्यायित निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा निर्धारित पद्धतियों का उल्लंघन किया गया हो;

iv) यदि लाइसेन्सधारक निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी की वित्तीय देयताओं को पूरा करने में असमर्थ रहे; और

v) पद्धतियों, नियमों के अधीन विशेष रूप से प्रावधान किये गये अथवा लाइसेन्सधारक और निरीक्षण तथा प्रत्यायन एजेन्सी के बीच में औपचारिक रूप से सम्मत अन्य किसी आधार पर।

ग) यदि लाइसेन्स की वैधता की अवधि के समाप्त हो जाने पर उसे निलंबित अथवा रद्द किया गया हो, तो लाइसेन्सधारक पदनामित प्रत्यायन एजेन्सी के समक्ष किसी अपील के लंबित होने के बावजूद लाइसेन्स का प्रयोग करना तत्काल रूप से रोक देगा तथा लाइसेन्स और संबंधित दस्तावेज़ों को निरीक्षण तथा प्रत्यायन एजेन्सी को लौटा देगा।

घ) यदि लाइसेन्स धारक एक युक्तिसंगत अवधि के भीतर कमियों को दूर करने में असमर्थ हो, जिसकी वजह से वह इस योजना की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में असफल हो जाये, तो लाइसेन्स को रद्द किया जा सकता है। ऐसे मामले में, लाइसेन्स को रद्द किये जाने पर लाइसेन्स धारक को इन विनियमों में विहित पद्धति के द्वारा नवीन लाइसेन्स प्रदान किये जाने हेतु नवीन आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

14. लाइसेन्स का दुरुपयोग

लाइसेन्सधारक को लाइसेन्स का दुरुपयोग करने का दोषी माना जायेगा, यदि वह

क) लाइसेन्स को वापिस लौटाने, निलंबन अथवा निरस्तीकरण के तुरंत बाद प्रमाणीकरण चिन्ह का प्रयोग करने हेतु लाइसेन्स को प्रदर्शित करना रोक नहीं देता है अथवा उसका अन्यथा प्रयोग करता है,

ख) लाइसेन्स धारक निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा सुझाये गये परिवर्तनों को क्रियान्वित करने में विफल हो जाये।

15. आयातक

किसी ऐसे आवेदक, जो कि उत्पादों का आयातक है, को प्रमाणीकरण चिन्ह का प्रयोग करने हेतु लाइसेन्स केवल उसी स्थिति में प्रदान किया जायेगा, जबकि उस देश में एक तुल्यता अनुबंध विद्यमान हो जहाँ से उस उत्पाद का निर्यात किया जा रहा हो अथवा जहाँ ऐसा तुल्यता अनुबंध विद्यमान नहीं हो, तो फिर आवेदक को उसके भीतर अन्तर्विष्ट समान विनियमों के अध्यधीन रखा जायेगा केवल उत्पादन के स्थल पर निरीक्षण के विनियम को छोड़कर और यह कि, इसके स्थान पर, आवदेक को राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के प्रत्यायन मापदण्डों तथा पद्धतियों के अध्यधीन रहना होगा।

16. अपील

प्रत्यायित निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के किसी भी निर्णय के विरूद्ध अपील राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय के समक्ष निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी के निर्णय की तिथि के 60 दिनों के भीतर की जायेगी और उसके साथ राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय की ओर से एपीडा के पक्ष में तैयार किये गये DD के रूप में 500/- रूपये के शुल्क का भुगतान किया जायेगा; और लाइसेन्स धारक निर्णय को मानने हेतु बाध्य होगा तथा उसके अध्यधीन रहेगा।

अनुभाग-7

परिशिष्ट

उर्वरण तथा मृदा अनुकूलन में प्रयोगार्थ उत्पाद

जैविक कृषि में मृदा उर्वरता को ऐसी जैविक सामग्री के पुन: चक्रण के माध्यम से बनाये रखना संभव हो सकता है जिनके पोषक तत्वों को मृदा सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया की कार्यवाही के द्वारा फसलों के लिये उपलब्ध कराया जाता है।

इनमें से अधिकतर इनपुटस् के प्रयोग के जैविक उत्पादन में सीमित किया गया है। इस परिशिष्ट में ''सीमित'' का अभिप्राय यह है कि प्रमाणीकरण कार्यक्रम के द्वारा प्रयोग हेतु शर्तों तथा पद्धति को निर्धारित किया जायेगा। संदूषण, पोषण असंतुलनों के जोखिम तथा प्राकृतिक संसाधनों के रिक्तीकरण आदि कारणों को ध्यान में रखना होगा।

जैविक फार्म यूनिट पर उत्पादित पदार्थ

• फार्मयार्ड तथा मुर्गीखाना खाद, गारा, मूत्र	अनुमत्त
• फसल अवशिष्ट तथा हरित खाद	अनुमत्त
• भूसा तथा अन्य घासपात	अनुमत्त

जैविक फार्म यूनिट से बाहर उत्पादित पदार्थ

• परिरक्षकों से रहित लहू आहार, मांस आहार, अस्थि आहार तथा पिच्छ आहार	सीमित
• किसी भी कार्बन आधारित अवशिष्टों (मुर्गी सहित पशुओं का मल) से निर्मित कम्पोस्ट	सीमित
• फार्मयार्ड खाद, गारा, मूत्र	सीमित
	(अधिमानत: नियंत्रित किण्वन तथा/अथवा उपयुक्त विलयन के पश्चात्) ''फैक्टरी'' खेती स्त्रोतों को अनुमति प्रदान नहीं की गयी है।
• मछली तथा परिरक्षकों रहित मच्छली उत्पाद	सीमित
• ग्वानो	सीमित
• मानव मल	अनुमत नहीं
• जीवाणु, वनस्पति अथवा पशु मूल के जैविक रूप से नष्ट हो सकने वाली सामग्री के खाद्य तथा वस्त्र उद्योगों के कृत्रिम योज्यों से रहित उपजात	सीमित
• कृत्रिम योज्यों से रहित पांस (मृदा अनुकूलन हेतु निषिद्ध)	अनुमत्त
• बुरादा, लकड़ी की छीलन, लकड़ी बशर्ते कि वह अशोधित लकड़ी से उत्पन्न हो	अनुमत्त
• समुद्री शैवाल, तथा भौतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न समुद्री शैवाल उत्पाद, जल द्वारा अथवा जलीय एसिड और/या क्षारीय एसिड द्धारा निष्कर्षण	सीमित
• मलजल गारा तथा पृथक् स्त्रोतों से शहरी कम्पोस्ट जिनकी संदूषण हेतु निगरानी की गयी हो	सीमित
• भूसा	सीमित
• वर्मिकास्टस्	सीमित
• पशु चारकोल	सीमित
• कम्पोस्ट तथा प्रयुक्त मशरूम तथा कृमिरूपी पदार्थ	सीमित
• जैविक घर संदर्भ से कम्पोस्ट	सीमित
• वनस्पति अवशिष्टों से कम्पोस्ट	अनुमत्त
• तेल ताड़, नारियल तथा कोको से उत्पन्न उपजात (खाली फल गुच्छों, ताड तेल मिल बहि:स्त्राव (पोम), कोको पांस तथा खाली काको शिबु सहित)	सीमित
• जैविक कृषि के अवयवों का प्रसंस्करण करने वाले उद्योगों के उपजात	सीमित

खनिज

• बेसिक धातुमल	सीमित
• चूनेदार तथा मैग्नेशियम शैल	सीमित
• कैल्सीभूत शैल प्रवाल	अनुमत्त
• कैल्शियम क्लोराइड	अनुमत्त
• नेटवर्क मूल के कैल्शियम कार्बोनेट (चाक, चूना-पत्थर, जिप्सम और फॉस्फेट चाक)	अनुमत्त
• निम्न क्लोरीन धारिता युक्त खनिज पोटाशियम (यथा पोटाश का सल्फेट, काइनाइट, सिल्वीनाइट, पाटेनकली)	सीमित
• प्राकृतिक फॉस्फेटस् (यथा शैल फॉस्फेटस्)	सीमित
• चूर्ण शैल	सीमित
• सोडियम क्लोराइट	अनुमत्त
• सूक्ष्म मात्रिक तत्त्व (बेरोन, In, Fe, Mn, मॉलीबोलेरम, Zn)	सीमित
• अशोधित लकड़ी से काष्ठराख	सीमित
• पोटाशियम सल्फेट	सीमित
• मैग्नेशियम सल्फेट (इप्सॉन नमक)	अनुमत्त
• जिप्सम (कैल्शियम सल्फेट)	अनुमत्त
• धानी तथा धानी अर्क	अनुमत्त
• एल्युमिनियम कैल्शियम फॉस्फेट	सीमित
• सल्फर	सीमित
• पत्थर-चक्की	सीमित
• मिट्टी (बेन्टोनाइट, परलाइट, ज़ियोलाइट)	

सूक्ष्मजैविक विरचनें

• जीवाणुज विरचनें (जैव उर्वरक)	अनुमत्त
• बायोडायनैमिक विरचनें	अनुमत्त
• वनस्पति विरचनें तथा वनस्पति मूलक अर्क	अनुमत्त
• कृमिरूप	अनुमत्त
• पांस	अनुमत्त

''फैक्टरी'' कृषि से अभिप्राय औद्योगिक प्रबंधन प्रणालियों से है जोकि ऐसे पशुचिकित्सा तथा आहार इनपुटस् पर बहुत अधिक निर्भर होती हैं जिनको जैविक कृषि में अनुमति प्रदान नहीं की गयी है।

वनस्पति कीट तथा रोग नियंत्रण हेतु उत्पाद

जैविक कृषि में वनस्पति उत्पादन में कीटों तथा रोगों के नियंत्रण हेतु कतिपय उत्पादों का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की गयी हे । ऐसे उत्पादों का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिये जबकि ऐसा करना नितांत आवश्यक हो तथा पर्यावरणीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उनका चयन किया जाना चाहिये ।

इनमें से अनेक उत्पादों को जैविक उत्पादन में प्रयोग हेतु सीमित किया गया है । इस परिशिष्ट में "सीमित" का अभिप्राय यह है कि प्रमाणीकरण कार्यक्रम द्वारा प्रयोग हेतु शर्तों तथा पद्धति को निर्धारित किया जायेगा ।

I. वनस्पति तथा पशु मूल के पदार्थ

• **Azadirachta indica(** नीम निर्मितयाँ **[** नीम का तेल **])**	सीमित
• **Derris elliptica, Lonchocarpus, Thephorsia spp.** से रोटेनोन की निर्मिति	सीमित
• जेलेटिन	अनुमत्त
• प्रोपोलिस	सीमित
• वनस्पति आधारित विकर्षक (जैसे - नीम, लहसुन,पोन्गेमिया आदि)	अनुमत्त
• **Chrysanthemum cinerariaefolium** से निचोड़े गये पायरीथ्रिन्स के आधार पर निर्मिति, जिसमें संभवतया एक योगवाही पायरीथ्रम सिनेराफोलियम अंतर्विष्ट होता है	सीमित
• क्वरिस्या अमारा से निर्मिति	सीमित
• कीड़ा कीटों के पराजीवी शिकारियों को छोड़ा जाना	सीमित
• रायनिया प्रजातियों से निर्मिति	सीमित
• तंबाकू चाय	शामिल नहीं है
• लेसिथिन	सीमित
• केसैइन	अनुमत्त
• शैल प्रवाल, शैल प्रवाल भोजन, शैल प्रवाल अर्क, समुद्री नमक तथा खारा पानी	सीमित
• मशरूम का अर्क (शिटाके फफूंद)	अनुमत्त
• क्लोरेला के अर्क	अनुमत्त
• ऐस्पर्जिलस के किण्वित उत्पाद	सीमित
• प्राकृतिक अम्ल (सिरका)	सीमित

II. खनिज

- चुना / सोडा के क्लोराईड — सीमित
- मिट्टी (यथा बेन्टोनाइट, परलाइट, वर्मिक्यूलाइट,ज़ियोलाइट) — सीमित
- फफूँद नाशक के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले कॉपर सॉल्टस / इनऑर्गेनिक साल्टस (बोर डीयूक्स मिक्स, कॉपर हाइड्रोऑक्साइड,कॉपर ऑक्सीक्लोराइड) फसल पर निर्भर करते हुए अधिकतम 8 किग्रा. प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष और निरीक्षण व प्रमाणीकरण एजेंसी की देखरेख में — सीमित

- मिनरल पाउडर्स (स्टोन मील, सिलिकेटस) — अनुमत नहीं
- डायटमी पृथ्वी — सीमित
- हल्के खनिज तेल — सीमित
- परमैंगनेट ऑफ पोटाश — सीमित
- लाइम सल्फर (कैल्शियम पोलीसल्फाइड) — सीमित
- सिलिकेटस (सोडियम सिलिकेट, क्वार्ट्झ) — सीमित
- सोडियम बाइकार्बोनेट — अनुमत्त
- सल्फर (फफूंद नाशक, एकेरिसाइड , विकर्षक के रूप में) — सीमित

III. सूक्ष्म जीव / जीव - नियंत्रण अभिकर्ता

- वायरल प्रीपेरेशंस (उदाहरणार्थ - ग्रेन्यूलोसिस वाइरस, न्यूक्लियर पोलीहाइड्रोसिस वाइरस आदि) — अनुमत्त
- फंगस प्रीपेरेशंस (उदाहरणार्थ . ट्रिकोडरमा प्रजातियां आदि) — अनुमत्त
- बैक्टेरियल प्रीपेरेशंस (उदाहरणार्थ .बेसिलस प्रजातियां आदि) — अनुमत्त
- परजीवी (पेरेसाइट्स), परभक्षी (प्रीडेटर्स) और वन्ध्य कीट — अनुमत्त

IV. अन्य

- काब्रनडायऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस — सीमित
- मुलायम साबुन (पोटाशियम साबुन) — अनुमत्त
- इथाइल एल्कोहल — अनुमत्त नहीं
- होम्योपैथिक एवं आर्युवैदिक विरचनें — अनुमत्त
- जड़ीबूटीयुक्त तथा बायोडायनैमिक विरचनें — अनुमत्त

V. फंदे

- भौतिक विधियाँ (उदाहरणार्थ - क्रोमोटिक फंदे, मैकेनिकल फंदे,प्रकाश के फंदे चिपकने वाले फंदे और फेरमोन्स) — अनुमत्त
- घासपात, जालियां — अनुमत्त

जैविक कृषि में अतिरिक्त इनपुटस् के मूल्यांकन हेतु मापदण्ड

परिशिष्ट 1 तथा 2 में जैविक कृषि में मृदा के उर्वरण तथा वनस्पति कीटों तथा रोगों के नियंत्रण हेतु उत्पादों का उल्लेख किया गया है। परन्तु जैविक कृषि में प्रयोग किये जाने हेतु उपयोगी तथा उपयुक्त सिद्ध हो सकने वाले ऐसे अनेक अन्य उत्पाद भी मौजूद हो सकते हैं जिन्हें इन शीर्षों के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया हो। परिशिष्ट 3 में जैविक उत्पादन में ऐसे अन्य इनपुटस् का मूल्यांकन करने हेतु पद्धति की रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है।

मृदा के उर्वरण तथा अनुकूलन प्रयोजनों हेतु अनुमत्त पदार्थों की सूची को संशोधित करने के लिये निम्नलिखित पड़ताल सूची का प्रयोग किया जाना चाहिये :

- सामग्री मृदा उर्वरता को हासिल करने अथवा बनाये रखने या विशिष्टि पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने, ऐसे विशिष्ट मृदा-अनुकूलन तथा आवर्तन प्रयोजनों हेतु अनिवार्य है जिनको अध्याय-4 में वर्णित पद्धतियों अथवा परिशिष्ट-1 में सम्मिलित अन्य उत्पादों के द्धारा संतुष्ट नहीं किया जा सकता है।

और

- अवयव वनस्पति, पशु, जीवाणु अथवा खनिज मूल के हैं जो निम्नलिखित प्रक्रियाओं से होकर गुजर सकते हैं :
  - भौतिक (यांत्रिक, ऊष्मीय)
  - इन्जायमी
  - रोगाणुक (कम्पोस्टिन्ग, पाचन)

और

- उनके उपयोग के परिणामस्वरूप पर्यावरण, मृदा जीवों सहित, पर अस्वीकार्य प्रभावों अथवा संदूषण का असर नहीं पड़ता है अथवा उसमें कोई वृद्धि नहीं होती है
- उनका प्रयोग करने से तैयार उत्पाद की गुणवत्ता तथा सुरक्षा पर कोई अस्वीकार्य प्रभाव नहीं पड़ता है ।

वनस्पति रोग अथवा कीट तथा खरपतवार नियंत्रण के प्रयोजन हेतु अनुमत्त पदार्थ सूची को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित पड़ताल सूची का प्रयोग किया जाना चाहिये :

- सामग्री ऐसे हानिकारक जीव अथवा किसी विशेष रोग के नियंत्रण हेतु अनिवार्य है जिनके लिये कोई अन्य जैविक, भौतिक अथवा वनस्पति प्रजनन विकल्प तथा/अथवा प्रभावकारी प्रबंधन तकनीकें उपलब्ध नहीं हैं

और

- पदार्थों (सक्रिय यौगिक) को वनस्पति, पशु, रोगाणुक अथवा खनिज मूल का होना चाहिये जो कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से होकर गुजर सकते हों :
  - भौतिक
  - इन्जायमी
  - रोगाणुक

तथा

- उनके उपयोग के परिणामस्वरूप पर्यावरण पर कोई अस्वीकार्य प्रभाव अथवा संदूषण का असर नहीं पड़ता है अथवा उसमें कोई वृद्धि नहीं होती है।
- यदि अपने प्राकृतिक फॉर्म पर उत्पाद पर्याप्त प्रमात्राओं में उपलब्ध नहीं हो, तो प्राकृतिक समरूप उत्पादों, यथा फीरोमोन्स, जोकि रासायनिक रूप से संश्लेषित होते हैं, पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि उनके उपयोग हेतु शर्तों के परिणामस्वरूप पर्यावरण अथवा उत्पाद के संदूषण में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि नहीं होती हो।

मूल्याकंन

जब भी किसी इनपुट का मूल्यांकन किया जाना हो, तो सर्वप्रथम प्रमाणीकरण कार्यक्रमों द्वारा यह पता लगाने हेतु जांच की जानी चाहिये कि क्या वह निम्नलिखित छह मापदण्डों को पूरा करता है अथवा नहीं। जैविक कृषि में उपयोग हेतु उपयुक्त होने के रूप में स्वीकार किये जाने से पहले किसी भी इनपुट का निम्नलिखित सभी 6 आवश्यकताओं को पूरा करना जरूरी होता है।

इनपुटस् का नियमित रूप से मूल्यांकन तथा विकल्पों के साथ उनकी तुलना करते रहना चाहिये। नियमित मूल्यांकन की इस प्रक्रिया का परिणाम जैविक उत्पादन के मनुष्यों, पशुओं, पर्यावरण तथा परिस्थितिकी के लिये अधिकाधिक अनुकूल बनते जाने के रूप में सामने आना चाहिये।

1. अनिवार्यता

प्रत्येक इनपुट की अनिवार्यता को स्थापित करना अनिवार्य है। उत्पाद का जिस संदर्भ में प्रयोग किया जायेगा, उसी के अनुसार इसकी जांच की जायेगी।

किसी इनपुट की अनिवार्यता को सिद्ध करने हेतु पैदावार, उत्पाद गुणवत्ता, पर्यावरणीय सुरक्षा, पारिस्थितिक संरक्षण, प्राकृतिक दृश्य, मानवीय तथा पशु कल्याण आदि मानदण्डों के आधार पर तर्कों को प्रस्तुत किया जा सकता है।

किसी इनपुट के प्रयोग को निम्नलिखित बिन्दुओं तक सीमित किया जा सकता है :

- विशिष्ट फसलें (विशेषकर बारहमासी फसलें)
- विशिष्ट क्षेत्र
- विशिष्ट दशाएं जिनके अधीन इनपुट का उपयोग किया जायेगा।

2. उत्पादन की प्रकृति तथा विधि

प्रकृति

इनपुट की उत्पत्ति सामान्यतया (वरीयता के क्रम में) :

- जैविक - वनस्पतिमूलक, पशुमूलक, रोगाणुक मूलक
- खनिज मूलक

ऐसे गैर-प्राकृतिक उत्पादों का भी प्रयोग किया जा सकता है जो रासायनिक रूप से संश्लेषित तथा प्राकृतिक उत्पादों के समरूप हों।

जहां भी विकल्प मौजूद हो, तो उस स्थिति में पुनर्नवीकरणीय इनपुटस् को वरीयता दी जाती है। खनिज मूल के इनपुटस् दूसरी सर्वोतम पसंद होते हैं तथा तीसरी पसंद ऐसे इनपुट्स होते हैं जोकि रासायनिक रूप से प्राकृतिक उत्पादों के समरूप होते हैं। रासायनिक रूप से समरूप उत्पादों की अनुमति प्रदान करते समय कतिपय पारिस्थितिक, तकनीकी अथवा आर्थिक तर्कों पर विचार करना जरूरी हो सकता है।

उत्पादन की विधि

इनपुटस् के अवयवों को निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से होकर गुजरना पड़ सकता है :

- यांत्रिक
- भौतिक
- इन्जॉयमी
- सूक्ष्म जीवों की कार्यवाही
- रासायनिक (एक अपवाद के रूप में तथा सीमित)

संग्रहण

इनपुट से युक्त कच्ची सामाग्रियों के संग्रहण से प्राकृतिक अधिवास के स्थायित्व तथा संग्रहण क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रजाति के अनुरक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये।

3. पर्यावरण

पर्यावरणीय सुरक्षा

इनपुट का पर्यावरण पर कोई हानिकारक अथवा स्थायी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये। न ही इनपुट को पृष्ठ अथवा भूमिगत जल, वायु या मृदा के अस्वीकार्य प्रदूषण को बढाना चाहिये। प्रसंस्करण, प्रयोग तथा विभंग के दौरान सभी चरणों का मूल्याकंन अवश्य किया जाना चाहिये।

इनपुट की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार किया जाना अनिवार्य है :

अवक्रमणीयता

सभी इनपुटस् को अपने खनिज रूप में अवक्रमणीय होना चाहिये।

गैर-लक्ष्य जीवों के लिये उच्च गंभीर विषाक्तता से युक्त इनपुटस् की अधिकतम पांच दिनों की शैल्फ लाईफ होनी चाहिये।

यदि विषाक्त नहीं माने जाने वाले प्राकृतिक पदार्थों का इनपुटस् के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उनके लिये एक सीमित समयावधि के भीतर अवक्रमणीय होना जरूरी नहीं है।

गैर-लक्ष्य जीवों के लिये गंभीर विषाक्तता

यदि इनपुटस् में गैर-लक्ष्य जीवों के लिये सापेक्षिक रूप से उच्च गंभीर विषाक्तता मौजूद हो, तो उनके प्रयोग को सीमित करना आवश्यक है। इन गैर-लक्ष्य जीवों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने हेतु उपायों को लागू किया जाना चाहिये। अनुपयोग हेतु अधिकतम प्रमात्राओं को

निर्धारित किया जाना चाहिये । यदि उपयुक्त उपायों को लागू करना संभव नहीं हो तो इनपुट के प्रयोग की अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिये।

दीर्घावधि चिरकालिक विषाक्तता

जीवों, अथवा जीवों और इनपुटस्की प्रणालियों में संचायित हो जाने वाले ऐसे इनपुटस्का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये जिनमें उत्परिवर्तजनीय अथवा कैंसरजनक गुणधर्म मौजूद हों, या उनके मौजूद होने का सन्देह हो। यदि ऐसा कोई जोखिम हो, तो उस जोखिम को एक स्वीकार्य स्तर तक घटाने तथा दीर्घस्थायी नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों की रोकथाम करने हेतु समुचित उपायों को लागू किया जाना चाहिये।

रासायनिक रूप से संश्लेषित उत्पाद तथा भारी धातुएं

इनपुट में मनुष्य निर्मित रसायनों (जेनोबायोटिक उत्पादों) की हानिकारक प्रमात्राएं अन्तर्विष्ट नहीं होनी चाहिये। रासायनिक रूप से संश्लेषित उत्पादों को केवल तभी स्वीकार किया जा सकता है जबकि वे प्राकृतिक उत्पादों के समरूप हों।

खनिज इनपुटस् में यथासंभव नगण्य भारी धातुएं अन्तर्विष्ट होनी चाहिये। किसी विकल्प का अभाव होने तथा जैविक कृषि में लंबे समय से चले आ रहे पारंपरिक उपयोग के कारण, कॉपर तथा कॉपर सॉल्ट इस समय एक अपवाद के रूप में विद्यमान है। तथापि, जैविक कृषि में किसी भी रूप में कॉपर के प्रयोग को अस्थायी माना जाना चाहिये तथा पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में उसके प्रयोग को सीमित किया जाना चाहिये।

4. मानव-स्वास्थ्य तथा गुणवत्ता

मानव स्वास्थ्य

इनपुट्स को मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक नहीं होना चाहिये। प्रसंस्करण, प्रयोग तथा अवक्रमण के दौरान सभी चरणों को ध्यान में रखा जाना चाहिये। किसी भी प्रकार के जोखिम को घटाने हेतु उपायों को लागू किया जाना चाहिये तथा जैविक उत्पादन में प्रयुक्त इनपुटस् हेतु मानकों को निर्धारित किया जाना चाहिये।

उत्पाद गुणवत्ता

इनपुटस् का उत्पाद की गुणवत्ता-यथा स्वाद, शक्ल तथा गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये।

5. नैतिक पहलू - पशु कल्याण

इनपुटस् का फॉर्म पर रखे गये पशुओं के प्राकृतिक व्यवहार अथवा शारीरिक कार्यकलापों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये।

6. आर्थिक-सामाजिक पहलू

उपभोक्ताओं की अनुभूति: जैविक उत्पादों के उपभोक्ताओं द्धारा इनपुटस् का कोई विरोध अथवा बहिष्कार नहीं होना चाहिये। उपभोक्ताओं की दृष्टि में कोई इनपुट पर्यावरण अथवा मानव-स्वास्थ्य की दृष्टि से असुरक्षित हो सकता है, भले ही वैज्ञानिक रूप से ऐसा प्रमाणित नहीं हो पाया हो। इनपुटस् को किसी भी उत्पाद के प्राकृतिक अथवा जैविक - यथा आनुवांशिक रूप से निर्माण - के बारे में आम राय अथवा विचार के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिये।

परिशिष्ट 4

खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण में प्रयुक्त योज्यों और प्रसंस्करण सहायकों के रूप में अनुमोदित संघटकों की सूची .

खाद्य योज्य तथा संवाहक [1].

.

अंत संख्यांकन प्रणाली	योज्य/प्रसंस्करण सहायक	के रूप में प्रयुक्त योज्य	प्रसंस्करण सहायक	खाद्य श्रेणी	कार्य	परिसीमन/टिप्पणी
INS 170	कैल्शियम कार्बोनेट	*	*	GA	एंटीकेकिंग, अम्लता विनियामक, पायसीकारक, स्थायीकारी	
INS 220	सल्फर डायऑक्साइड	*	*	W	परिरक्षक, स्थायीकारी	अधिकतम 0.3 मिग्रा/1
INS 224	पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड	*	*	W		
INS 270	लैक्टिक एसिड	*	*	FV, W, MP	अम्लता विनियामक	
INS 290	कार्बन डायआक्साइड	*	*	GA	कार्बोनेटीकरण एजेंट, गैस की पैकिंग	
INS 296	मैलिक एसिड	*	-	FV, MP	अम्लीयकारक	
INS 300	एस्कॉर्बिक एसिड	*	-	GA	प्रति–ऑक्सीकारक	
INS 306	टीकोफीरोल्स, मिश्रित प्राकृतिक सांद्र	*	-	GA	प्रति–ऑक्सीकारक	
INS 322	लेसिथिन	*	*	GA	प्रति–ऑक्सीकारक, पायसीकारक, स्थायीकारी	
INS 330	साइट्रिक एसिड	*	-	FV, MP	अम्लता विनियामक, प्रति–ऑक्सीकारक	
				W		सीमित1 ग्राम/1
INS 335	सोडियम साइट्रेटस	*	-	ME, MP	अम्लता विनियामक, प्रति–ऑक्सीकारक	
INS 336	पोटाशियम साइट्रेट	*	-	ME, MP	अम्लता विनियामक, प्रति–ऑक्सीकारक	
INS 400	एलीजिनिक एसिड	*	-	FV	पायसीकारक, स्थायीकारी स्थूलक	
INS 401	सोडियम एलीजिनेट	*	-			
INS 402	पोटाशियम एलीजिनेट	*	-			

[1].खाद्य योज्यों में संवाहक अन्तर्विष्ट हो सकते हैं, जिनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए ।

INS 333	कैल्शियम साइट्रेट	*	-	ME, MP	अम्लता विनियामक, प्रति–ऑक्सीकारक	
INS 334	टारटरिक एसिड	*	*	W, MP	आटा बनाने हेतु, रेजिंग एजेंट, पायसीकारक, प्रति–ऑक्सीकारक, परिरक्षक	
INS 407 INS 335	सोडियम टारट्रेट	*	*	CO/CB		
INS 336	पोटाशियम टारट्रेट	*	*	C/CO/ CB		
INS 341	मोनो कैल्शियम फॉस्फेट	*	-	C	केवल आटा बनाने हेतु	
INS 342	एमोनियम फॉस्फेट	*	-	W	–	0.3 ग्राम/1
INS 406	अगार	*	-	MP, F	पायसीकारक, स्थायीकारी, स्थूलक	(अधिकतम 0.5%)
INS 407	कैराजीनन	*	-	MP, F		
INS 410	लोकस्ट बीन गम	*	-	MP, F		
INS 412	गौर गम	*	-	MP, F		
INS 413	ट्रागकान्थ गम	*	-	GA	पायसीकारक, स्थायीकारी, स्थूलक	(अधिकतम 0.5%)
INS 414	अरैबिक गम	*	-	MP, F		
INS 415	जैन्थान गम	*	-	F/FV/ CB	पायसीकारक, स्थायीकारी, स्थूलक	(अधिकतम 0.5%)
INS 416	कराया गम	*	-	MP, F		
INS 440	पेक्टिन (असंशोधित रूप)	*	-	FV, F CB	पायसीकारक, स्थायीकारी, स्थूलक	
INS 500	सोडियम कार्बोनेट	*	*	CO/CB	अम्लता विनियामक, स्थायीकारी, एंटीकेकिंग एजेंट, रेजिंग एजेंट	
INS 501	पोटाशियम कार्बोनेट	*	*	C/CO/ CB	अम्लता विनियामक, स्थायीकारी, अंगूर सुखाने के लिए	
INS 503	अमोनियम कार्बोनेट	*	-	C/CO/ CB	अम्लता विनियामक, स्थायीकारी, रेजिंग एजेंट	
INS 504	मैगनिशयम कार्बोनेट	*	-	C/CO/ CB	अम्लता विनियामक, स्थायीकारी	
INS 508	पोटाशियम क्लोराइड	*	-	FV	स्थायीकारी, स्थूलक	
INS 509	कैल्शियम क्लोराइड	*	-	ME/F/ FV/SO	स्कंदन, दृढ़क एजेंट	
INS 516	कैल्शियम सल्फेट	*	*	CB, SO	अम्लता विनियामक, स्थायीकारी, पारम्परिक बैकरी उत्पादो का पृष्ठ उपचार	केवल बैकर के खमीर में सीमित

INS 517	अमोनियम सल्फेट	*		W	खमीर के विकास को प्रोत्साहित करना	0.3 ग्राम/1 तक सीमित
INS 524	सोडियम हाइड्रोऑक्साइड	*	*	C,S, Flours & Starches,	अम्लता विनियामक, पारम्परिक बैकरी, के उत्पादों का पृष्ठ उपचार, चीनी के लिए प्रसंस्करण सहायक	
INS 526	कैल्शियम हाइड्रोऑक्साइड	*	*	S, C	मक्की टोर्टिला आटा के लिए योज्य। चीनी के लिए प्रसंस्करण सहायक	
INS 938	आर्गोन	*	-	GA		
INS 941	नाइट्रोजन	*	*	GA		
INS 948	ऑक्सीजन	*	*	GA		
INS 153	काष्ठ राख	-	*	MP	विलेप एजेंट	
INS 181	टैनिन	-	*	W	स्वच्छन एजेंट	
INS 184	टान्निक एसिड	-	*	W	छनाई सहायक	
INS 513	सलफ्यूरिक एसिड	-	*	S	चीनी उत्पादन में पानी का pH समायोजन	
INS 551	सिलिकॉन डिऑक्साइड	-	*	W/ Dehydrated FV Herbs & Spices	एजेंट के रूप में एक जेल अथवा कोलायडल विलयन	
INS 553	टाल्क	-	*	GA	लुब्रीकेन्ट	0.5%-PFA
INS 901	बीजवैक्स	-	*	GA	निर्मोचन एजेंट	
INS 903	कारनोबा वैक्स	-	*	GA	निर्मोचक एजेंट	
	एक्टिवेडेट कार्बन	-	*	GA	डिकोलोराइझर	
	बेन्टोनाइट	-	*	FV/W	छनाई सहायक, स्वच्छन एजेंट	
	कैसीन	-	*	W	स्वच्छन एजेंट	
	डायटमी मृत्तिका	-	*	S/FV/W	छनाई सहायक	
	अंड श्वेत ऐल्बूमेन	-	*	W	स्वच्छन एजेंट	
	इथनोल	-	*	GA	विलायक	
	जिलेटिन	-	*	MP, FV/W	पायसीकारक, स्वच्छन एजेंट	
	आइज़िंग्लास	-	*	W	स्वच्छन एजेंट	
	कैओलिन	-	*	GA	छनाई सहायक, प्रोपोलिस का निष्कर्षण	
	पर्लाइट	-	*	GA	स्वच्छन एजेंट	
	छाल की विरचनें	-	*	S		

	खाद्य तेल	-	*	S	ग्रीजन, निर्मोचक एजेंट	
	ग्लिसरोल	-	*	वनस्पति का अर्क	सीमित	
	चुकंदर शर्करा	-	*		सीमित	
	प्राकृतिक रंग कैरोटिनॉइड्स क्लोरोफिल एन्नैटो कैसर रिबोफ्लैविन (लैक्टोफ्लैविन) करक्यूमिन कैरामेल (भुनी शक्कर) कैन्थाक्सान्थिन	*	-	GA	रंगकारी एजेंट	

उपर्युक्त सारणियों में प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षरों की कुंजी- सूची.

* के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है

- के रूप में प्रयुक्त नही किया जा सकता है

GA. सामान्य रूप से असीमित. MP. मिल्क प्रोडक्टस F. .फैट प्रोडक्टस

ME. मीट प्रोडक्टस C. सीरियल प्रोडक्टस FV. फ्रूट / वेजीटेबल प्रोडक्टस

W. वाइन S. शुगर

CO. कन्फेक्शनरी प्रोडक्टस CB. केक्स एण्ड बिस्किटस SO. सोयाबीन

सुगन्धित एजेन्टस .

- तेल पानी, इथानोल, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे विलायकों तथा यांत्रिक और भौतिक प्रकियाओं के माध्यम से उत्पन्न वाष्पशील अनिवार्य) तेल
- प्राकृतिक धूम सुगंध
- प्राकृतिक सुगन्धित विचरनों के प्रयोग का अनुमोदन जैविक कृषि में अतिरिक्त इनपुट मिलाने के मुल्यांकन के आधार पर योज्यों व प्रसंस्कररण सहायकों के मुल्यांकन हेतु राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार किया जाना चाहिए (परिशिष्ट -3) ।

सूक्ष्म जीवों की विचरनें

खाद्य प्रसंस्करण में सुक्ष्मज्जीवों की विचरनों का प्रयोग करने को स्वीकृति प्रदान की गयी है । आनुवांशिक रूप से परिकृत जीवों का बहिष्करण किया गया है

- विरंजको तथा जैविक विलायकों के बिना उत्पन्न किया गया नानबाई खमीर ।

सूक्ष्म जीवों तथा इन्जायमों की विचरनें .

जैविक खाद्य उत्पादों हेतु योज्यों तथा प्रसंस्करण सहायकों के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय जैविक खाद्य उत्पादों हेतु योज्यों तथा प्रसंस्करण सहायकों मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय पद्वति के आधार पर अनुमोदन के साथ इनका प्रसंस्करण सहायकों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है ।

संघटक (अवयव)

- पेयजल
- नमक (खाद्य प्रसंस्करण में मूल अवयव के रूप में आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम क्लोराइड के साथ।
- खनिज (सूक्ष्म मात्रिक तत्वों सहित) और विटामिन, फैटी एसिड, अमीनो एसिड तथा नाइट्रोजन यौगिक, जहां उनका प्रयोग विधिक रूप से आवश्यक है या जहां आहार या पोषण संबंधी भारी कमी निरूपित की जा सके।

जैविक खाद्य उत्पादों के लिए मिश्रणों तथा प्रसंस्करण तत्वों के मूल्यांकन हेतु मानक

प्रस्तावना

जैविक खाद्य पदार्थों में मिश्रणों, प्रसंस्करण तत्वों, सुगंधित कारकों की सूची परिशिष्ट–4 में दी गई है। जैविक खाद्य पदार्थों में मिश्रणों तथा प्रसंस्करण तत्वों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित बातों तथा मानकों का अुनसरण करना चाहिए।

1. आवश्यकता

जैविक खाद्य पदार्थों में मिश्रणों तथा प्रसंस्करण तत्वों को इस्तेमाल करने की स्वीकृति तभी दी जानी चाहिए यदि ऐसे उत्पादन के लिए मिश्रण अथवा प्रसंस्करण तत्व इस्तेमाल करना आवश्यक हो जिसमें उत्पाद की प्रामाणिकता का ध्यान रखा जाता हो तथा उनके बगैर न तो उत्पाद बनाया जा सके और न ही इसे परिरक्षित किया जा सके।

2. मिश्रणों तथा प्रसंस्करण तत्वों के अनुमोदनार्थ मानक

जैविक खाद्य उत्पादों को प्रसंस्करण में निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रयुक्त किया जा सकता है :

- यदि जैविक उत्पाद को प्रसंस्कृत अथवा परिरक्षित करने हेतु कोई अन्य स्वीकार्य प्रौद्योगिकी उपलब्ध न हों।
- यदि ऐसे मिश्रण अथवा प्रसंस्करण तत्वों का प्रयोग किया जाए जो ऐसी अन्य प्रौद्योगिकियों के विकल्प के रूप में खाद्य पदार्थों की भौतिक तथा यांत्रिक (Mechanical) क्षति को कम करने में सहायक हों जिन्हें इस्तेमाल करने पर ऐसी क्षति होने की संभावना हो।
- यदि उत्पाद की पोषकता किसी अन्य विधि से सुनिश्चित न की जाए। (इन विधियों में वितरण समय में कमी और भण्डारण सुविधाओं में वृद्धि शामिल है।)
- यदि मिश्रण अथवा प्रसंस्करण तत्व उत्पाद की प्रामाणिकता को बनाए रखें।
- यदि मिश्रण अथवा प्रसंस्करण तत्व उपभोक्ताओं में यह भ्रम न फैलाएं कि कोई उत्पाद विशेष कच्चे माल की गुणवत्ता से युक्त है। यह इसका आशय सामान्यतः रंग और सुगंध युक्त तत्वों से है।
- यदि मिश्रणों तथा प्रसंस्करण तत्वों से उत्पाद की समग्र गुणवत्ता प्रभावित न हो।
- यदि मिश्रणों की स्थिति सामान्यतया ''जी आर ए एस'' (सामान्यतः सुरक्षित माने जाने वाले) हों जिससे यह निर्दिष्ट होता है कि यदि उन्हें उत्तम विनिर्माण प्रक्रियाओं के अनुसार प्रयुक्त किया जाए तो ये सुरक्षित होते हैं।

3. मिश्रणों और प्रसंस्करण तत्वों के प्रयोग हेतु चरण–दर–चरण प्रक्रियाएं

(क) मिश्रणों अथवा प्रसंस्करण तत्वों को इस्तेमाल करने की बजाए अधिमत पहला विकल्प निम्नलिखित है:

- जैविक परिस्थितियों के अंतर्गत उत्पन्न खाद्य पदार्थ जो एक संपूर्ण खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता हो अथवा आई एफ ओ ए एम के मूल मानकों के अनुसार प्रसंस्कृत किया गया हो – उदाहरणार्थ आटे के गाढ़ेपन संबंधी कारक के रूप में प्रयुक्त करना अथवा वनस्पति तेल को उत्सर्जक कारक के रूप में प्रयुक्त करना।

- पादप (पौधों) तथा पशुजन्य स्रोत से प्राप्त खाद्य पदार्थ और कच्चा माल, जो केवल यांत्रिकीय अथवा साधारण भौतिकीय प्रक्रियाओं द्वारा ही तैयार किया जाता है –उदाहरणार्थ नमक।

(ख) दूसरा विकल्प निम्नलिखित है :

- खाद्य से अलग किया गया पदार्थ और भौतिक रूप से अथवा एंजाइम द्वारा तैयार किया गया पदार्थ –उदाहरणार्थ स्टार्च, खट्टे पदार्थ (टारट्रेट्स), पेक्टीन।
- गैर कृषिगत स्रोतों तथा सूक्ष्मजीवों से संबंधित कच्चे माल के परिष्कृत उत्पाद–उदाहरणार्थ एसिरोला फल का अर्क, स्टार्टर कल्चर जैसे एंजाइम तथा सूक्ष्मजीव संपाक।

(ग) जैविक खाद्य उत्पादों में मिश्रणों तथा प्रसंस्करण तत्वों की निम्नलिखित श्रेणियों स्वीकृत नहीं हैं :–

- ''समान प्रकृति'' के पदार्थ।
- ऐसे संश्लिष्ट पदार्थ जिन्हें पहले अप्राकृतिक अथवा खाद्य यौगिकों के एक ''नए उत्पाद'' के रूप में माना गया हो – जैसे एसिटाइलेटिड क्रासलिंक्ड स्टार्च, (आशोधित स्टार्च)।
- जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से उत्पादित मिश्रण और प्रसंस्करण तत्व।
- संश्लिष्ट रंगाई तथा संश्लिष्ट परिरक्षण कार्य।
- मिश्रणों तथा प्रसंस्करण तत्वों को तैयार करने में प्रयुक्त वाहकों तथा परिरक्षकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

परिशिष्ट-6

जैविक खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग हेतु पैकेजिंग फिल्मों के निर्माण के लिए अनुमति प्राप्त योज्य

खाद्य पदार्थों की पैकेजिन्ग हेतु**. पैकेजिंग फिल्मों के निर्माण के लिए** कतिपय उत्पादों का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की गयी है, तथापि, इनमें से अनेक को जैविक उत्पादन में प्रयोगार्थ सीमित किया गया है ! इस परिशष्ट में " सीमित" का अभिप्राय यह है कि प्रयोग हेतु शर्तों तथा पद्वतियों को प्रत्यायित प्रमाणीकरण कार्यक्रम के द्वारा निर्धारित किया जायेगा !

सीमित के तहज अनुमति प्राप्त योज्य निम्नलिखित है :-

जैविक .खाद्य पदार्थों की पैकेजिन्ग हेतु. प्लास्टिकों का प्रयोग

क्रम संख्या	उत्पाद	परिसीमन
1.	4'4'- Bis (2- benzoxazoly) stillbene	सीमित
2.	9,9- Bist (methoxymethy) flourine	सीमित
3.	Carbonic acid, copper salt	सीमित
4.	Diethyleneglycol	सीमित
5.	2-(4-6-Diphenyl-3,5-triazin-2-yl) –5-(hexyloxy) phenol	सीमित
6.	Ethylenediamineteraacetic acid, copper salt	सीमित
7.	2-(2- Hydroxy-3,5 –di-tert-buty-phenyl-5-cholorbenzotriazole	सीमित
8.	2-Methyl-4-isothiazolin-3-one	सीमित
9.	Phosphoric acid, trichlorocthylester	सीमित
10.	Polyesters of 1,2 propanediol and/or 1,3 and 1,4 butanediol and/or Pollypropyleneglycol with adipic acid, also end-capped with acetic acid or fatty acids C 10-C18 or n-octanol and/or n-decano	सीमित
11.	1,1,1- Trimethylopropane	सीमित
12.	3-hydroxybutanoic acid 3- hydro xypentanoic acid, copolyme	सीमित

पशु पोषण हेतु अनुमोदित चारा सामग्रियों, चारा योज्यों तथा प्रसंस्करण सहायकों की सूची

1. वनस्पति मूल की चारा सामग्रियां
- अनाज के दानें, उनके उत्पाद तथा उपजात
- तिलहनें, तैल फल, उनके उत्पाद तथा उपजात
- फली बीज, उनके उत्पाद तथा उपजात
- कन्द जड़ें, उनके उत्पाद तथा उपजात
- अन्य बीज तथा फल
- रातिब तथा मोटा चारा
- शीरा बंधनकारी एजेन्ट के रूप में

2. पशु मूल की चारा सामग्री
- दूध तथा दुग्ध उत्पाद
- मछली, अन्य समुद्री जीव, उनके उत्पाद तथा उपजात

3. खनिज मूल की चारा सामग्री
- समुद्री नमक, खनिज नमक — सीमित
- सोडियम सल्फेट — सीमित
- सोडियम कार्बोनेट — सीमित
- सोडियम बाइकार्बोनेट — सीमित
- सोडियम क्लोराइड — सीमित
- कैल्शियम कार्बोनेट — सीमित
- कैल्शियम लैक्टेट — सीमित
- कैल्शियम ग्लूकोनेट — सीमित
- बोन डायकैल्शियम फास्फेट अवशेष — सीमित
- डिफ्लूयोरीनेटिड डायकैल्शियम फास्फेट — सीमित
- डिफ्लूयोरीनेटिड मोनोकैल्शियम फास्फेट — सीमित
- एन्हाइड्रस मैग्नेशिया — सीमित
- मैग्नेशियम सल्फेट — सीमित
- मैग्नेशियम क्लोराइड — सीमित
- मैग्नेशियम कार्बोनेट — सीमित

4. सूक्ष्म मात्रिक तत्त्व
- आयरन — खाद्य योज्य
- आयोडीन — खाद्य योज्य
- कोबाल्ट — खाद्य योज्य
- मैन्गनीज़ — खाद्य योज्य
- ज़िंक — खाद्य योज्य
- मोलीडिनम — खाद्य योज्य
- सेलेनियम — खाद्य योज्य

5. विटामिन — सीमित

6. इन्जाइम्स — सीमित

7. सूक्ष्म जीव — सीमित

8. साइलो-सरंक्षण हेतु परिरक्षक
- E-336 फार्मिक एसिड
- E-260 एसीटिक एसिड
- E-270 लैक्टिक एसिड
- E-280 प्रोपायोनिक एसिड

9. बन्धकों, पिंड-रोधी एजेन्ट तथा स्कंपक पदार्थ
- E-551 b कोलोइडल सिलिका

- E-551 c कीसल गुर
- E-553 सूपियो लाइट
- E-558 बन्टोनाइट
- E-559 कायोलिनिटिक मिट्टी
- E-561 वर्मीक्यूलाइट
- E-599 परलाइट

10. साइलो-संरक्षण हेतु प्रसंस्करण सहायक

- समुद्री नमक
- मोटा खनिज नमक
- इन्जाइम्स
- खमीर
- चीनी
- चुकंदर का गूदा
- धान्य आटा
- शीरा
- लैक्टिक

पशुधन इमारतों तथा भवनों की सफाई एवं विसंक्रमण हेतु प्राधिकृत उत्पाद

- पोटेशियम तथा सोडियम साबुन
- पानी तथा भाप
- चूने का दूध
- चूना
- अनबुझा चूना
- सोडियम हाइपोक्लोराइट (यथा लिक्विड ब्लीच में रूप में)
- कास्टिक पोटाश
- हाइड्रोजन पैराऑक्साइड
- पौधों के प्राकृतिक अर्क
- साइट्रिक, पैरासीटिक एसिड, फॉर्मिक, लैक्टिक, ऑक्सैलिक तथा एसीटिक एसिड
- शराब
- नाइट्रिक एसिड (डेयरी उपकरण)
- फास्फोरिक एसिड (डेयरी उपकरण)
- फॉरमैल्डिहाइड
- सोडियम कार्बोनेट

निरीक्षण के दौरान प्रत्यापित निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा की जाने वाली अनिवार्य जांचें

(क) जैविक कृषि मे रूपांतरण हेतु

रूपांतरण योजना तथा आपरेटर द्वारा उल्लिखित उपायों की निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा अनुमोदन से पहले निरीक्षक द्वारा जांच की जाती है। रूपांतरण योजना आरंभ होने पर प्रत्येक वर्ष में अनुमोदन की पुष्टि होनी चाहिए।

निरीक्षक को यह जांच कर लेनी चाहिए कि बीजों के उत्पादन, कामिक प्रवर्धन सामग्री तथा प्रतिरोपण के मामले में उपयुर्क्त शर्तें पूरी हों।

बारहमासी फसल उत्पादों (फल उगाना, बेल लगाना) के उत्पादन के अनुपालन हेतु शर्तों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित जांचें की जानी चाहिएः–

- क्या उत्पादन क्षेत्र रूपांतरण योजना का ही एक भाग है
- यह जांच करना कि क्या फार्म के क्षेत्र के अंतिम भाग को कम से कम संभव अवधि में (5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए) में जैविक उत्पादन में परिवर्तित कर दिया जाएगा।
- आपरेटर द्वारा जैविक तथा अजैविक एककों से प्राप्त उत्पादों को अलग करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाते हैं।

आपरेटर द्वारा प्रस्तावित रूपांतरण योजना पर इस वचन के साथ हस्ताक्षर किए जाने चाहिए कि वह सारे कार्यकलाप (Operation) ऐसे करेगा जो अनुभाग 3 पैरा – 3.5 के अनुसार ही तथा इनका उल्लंघन होने की स्थिति में वह एन पी ओ पी प्रलेख (Document) के अनुभाग –4 में उल्लिखित प्रवर्तित दण्ड को स्वीकार करेगा/करेगी।

(ख) उत्पादन स्थल पर पौधे तथा पौधों से प्राप्त होने वाले उत्पाद

1. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आपरेटर फार्म में प्रत्येक फसल की कटाई के संबंध में निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेंसी को पहले से ही सूचना देगा।
2. यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कटाई संबंधी प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात आपरेटर संबंधित एककों से काटी गई फसलों की कुल मात्रा के बारे मे निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेंसी को सूचना देगा। जैविक उत्पादन को अजैविक उत्पादन से अलग रखने हेतु देखी गई किसी भी विभेदक विशेषता (जैसे गुणवत्ता, रंग, औसत भार इत्यादि) की सूचना देनी चाहिए।
3. यदि कोई आपरेटर अजैविक फसल अपदा फसल उत्पादों वाली अनेक उत्पादन एककें एक ही समय में चलाए, तो निरीक्षक को अजैविक निवेश (Input) उत्पाद (जैसे उर्वरक, पौधों की सुरक्षा संबंधी उत्पाद, बीज इत्यादि) के भण्डार क्षेत्र का भी निरीक्षण करना चाहिए।
4. क्या फार्म तथा भण्डारण एकक को अजैविक फार्मों तथा अजैविक भण्डारण एककों से अलग रखा जाता है।

जब प्रसंस्करण तथा पैकिंग संबंधी कार्यकलाप उत्पादन स्थल पर ही हों तो जैविक उत्पादों के प्रसंस्करण तथा पैकिंग संबंधी एककों को उत्पादन एकक के ही एक भाग के रूप में माना जा सकता है।

5. अनाधिकृत उत्पादों के प्रयोग पर शंका होने पर उत्पादों (उत्पाद तथा प्रयुक्त निवेश की जांच के लिए नमूने लिए जाने चाहिए।

(ग) वन्य उत्पादों का अनुप्रापण करना

1. यदि पंजीकृत आपरेटर के कार्यकलाप केवल वन्य उत्पादों के अनुप्रापण तक ही सीमित हो तो निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा सभी एहतियाती उपाय किए जाने चाहिए ताकि एन पी ओ पी अंतर्गत प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित किया जा सके।
2. निरीक्षक यह सुनिश्चित करने हेतु प्रति जांच करेगा कि उत्पादक द्वारा दी गई गारंटी एन पी ओ पी के अनुभाग–3 के

3.2.8 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुकूल हो।

3. एन पी ओ पी के अनुपालन के लिए आपरेटर द्वारा किए गए उपायों की जांच की जानी चाहिए तथा इन्हें नोट किया जाना चाहिए।

(घ) रिकार्ड/प्रलेखन (Documentation)

1. आपरेटर द्वारा रखे गए रिकार्डों/फाइलों की जांच निरीक्षण द्वारा की जानी चाहिए ताकि खरीदे गए सारे कच्चे माल का स्रोत, प्रकृति तथा गुणवत्ता का पता लगाया जा सके।
2. प्रयुक्त सभी निवेशों के आवेदन पत्रों को सत्यापन हेतु प्रलेखित किया जाता है।
3. आपरेटर द्वारा बेचे गए सभी कृषिगत उत्पादों की मात्रा तथा परेषितियों के लिए लिखित अथवा प्रलेखी (Documentory) प्राप्तियों/लेखों की जांच की जानी चाहिए। (सीधे खरीदार को बेची गई मात्राओं की गणना भी आपरेटर द्वारा दैनिक आधार पर की जानी चाहिए)

(ङ) निवेश (Input) भण्डारण एककों का निरीक्षण

उत्पादन में प्रयुक्त जैविक निवेशों के भंडारण क्षेत्र की भीा जोच की जानी चाहएि तााि उसे सत्यापित किया जाना चाहिएं (उपाबंध–1 एवं 2 के अनुसार स्वीकृत/प्रतिबंधकि)।

(च) परिवहन

1. परिवहन एककों की जांच इस बात की पुष्टि करने के लिए की जाएगी कि जैविक उत्पादों को थोक तथा फुटकर सहित अन्य एककों को उपयुक्त बंद कंटेनरों अथवा पैरा 3.5, अनुभाग–3 में यथा उल्लिखित उचित लेबल वाली पैकिंग में ले जाया गया है।

(छ) कृषिगत उत्पादों तथा पौधों के स्रोत से बने प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के उत्पादन हेतु निरीक्षण

1. आपरेटर द्वारा कार्यकलाप इस प्रकार निष्पादित करने के लिए वचन लेना ताकि वे अनुभाग–3 के पैरा 3.5 के अनुसार हों तथा वह इसका उल्लंघन होने की दशा में पैरा 8.2 अनुभाग में उल्लिखित उपायों के प्रर्वतन को स्वीकार करेगा।
2. कार्यकलाप से पहले तथा उनके पश्चात कृषिगत उत्पादों के प्रसंस्करण, पैकिंग तथा भण्डारण के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जांच करना।
3. यह जांच करना कि क्या परिसर के भीतर कार्यकलापों से पहले तथा उनके पश्चात उत्पादों के भण्डारण के लिए एकक मे अलग क्षेत्र हैं।
4. क्या कार्यकलाप जैविक उत्पादें के पूर्ण होने तक अवश्य ही अनवरत चलते रहने चाहिए तथा क्या इन कार्यकलापों को अजैविक उत्पादों हेतु निष्पादित किए जाने वाले ऐसे ही कार्यकलाप से अलग किया जाता है (आपरेटर का स्थान तथा समय की जांच की जाएगी)।
5. यह सुनिश्चित करना कि यदि ऐसे कार्यकलाप बार–बार निष्पादित नहीं किए जाते हैं, तो किसी दिन विशेष तथा समय की सूचना पहले से ही निरीक्षण एजेंसी को दी जाएगी।
6. उत्पादों की जांच के लिए नमूने लिए जाने चाहिए। तथापि यदि यह शंका हो कि अनाधिकृत उत्पाद का प्रयोग किया जा रहा है तो नमूने अवश्य ही लिए जाने चाहिए।

निम्नलिखित का पता लगाने के लिए निरीक्षक की सहायता हेतु लिखित प्रलेखों (Documents) की जांच अवश्य ही की जानी चाहिएः

- एकक को उपलब्ध कराए गए प्रमाणित कृषिगत उत्पादों का स्रोत, प्रकृति तथा मात्रा।
- एकक से बाहर जाने वाले प्रमाणित उत्पादों की प्रकृति, मात्रा तथा परेषिती
- कोई अन्य सूचना, जैसे एकक को उपलब्ध कराए गए अवयवों, याज्यों तथा विनिर्माण संबंधी सहायक सामग्रियों का स्रोत, प्रकृति तथा मात्रा।
- प्रसंस्कृत उत्पादों की संरचना
- संबंधित एकक में प्रसंस्कृत, पैक किए गए अथवा भण्डारित अजैविक उत्पाद

7. अजैविक उत्पादों में से जैविक उत्पादों (लॉट्स) की पहचान करने हेतु आपरेटर द्वारा किए गए उपायों की जांच करना

8. यह जांच करना कि उत्पादों को उपयुक्त पैकिंग अथवा बंद कंटेनरों में अन्य एककों (थोक तथा फुटकर सहित) को भेजा गया है ताकि इन पर संदूषक न लगे अथवा इन्हें अजैविक उत्पादों के स्थान पर इस्तेमाल न किया जा सके।

- यह जांच करना कि आपरेटर द्वारा पैकेट अथवा कंटेनर पर लगे लेबल की जांच की गई थी तथा इसका उल्लेख रिकार्ड में किया गया है।

(ज) निरीक्षण रिपोर्ट

- रिपोर्ट में फार्मों/एककों, भण्डारण पर प्रकाश डालते हुए अनुप्रापण क्षेत्रों, प्रसंस्कारण, उत्पादन तथा पैकिंग संबंधी

  कार्य कलापों का पूरा विवरण होना चाहिए

- रिपोर्ट में फार्म/एकक अथवा अनुप्रपण क्षेत्र में निवेश (Inputs) के अंतिम उपयोग की दिनांक तथा समय का उल्लेख भी किया जाना चाहिए। (उपाबंध–1 और में प्रतिषिद्ध/प्रतिबंधित निवेशों (Inputs) के संदर्भानुसार)
- रिपोर्ट में प्रमाणीकरण हेतु निर्दिष्ट की जाने वाली किसी भी शर्ते/शास्ति पर प्रकाश डाला जाना चाहिए।
- यदि आपरेटर द्वारा किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन किया गया हो तो निरीक्षण को अपनी रिपोर्ट में स्पष्टता से

इसका उल्लेख करना चाहिए।

• निरीक्षण द्वारा किए गए प्रत्येक दौरे के उपरांत निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए तथा इस पर निरीक्षित एकक के किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

परिशिष्ट 10

आयातित कृषिगत उत्पादों/पौधों से प्राप्त उत्पादों के प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण के दौरान किए जाने चाले एहतियाती उपाय

(प्रत्यापित तथा प्रमाणीकरण एजेंसियों हेतु अनिवार्य अपेक्षाएं – अनुभाग–4 के संदर्भानुसार)

(झ) पौधों से बने उत्पादों तथा पौधों से प्राप्त होने वाले उत्पादों का आयात

1. जब जैविक उत्पादों का आयात किया जाए तो निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेंसी निम्नलिखत निरीक्षण करेगीः–

• मौजूदा गतिविधियां देखने के लिए निर्यातक के परिसर का दौरा करेगी, विभिन्न देशों से आयातित उत्पादों का

निरीक्षण करेगी तथा भारत में उस उत्पाद के आगमन स्थल का दौरा करेगी।

• ऐसी अन्य किसी सुविधा का निरीक्षण करेगी जिसे निर्यातक आयातित जैविक उत्पादों के भण्डारण हेतु प्रयोग करने का इच्छुक है,

• क्या निर्यातक ने यह सुनिश्चित किया है कि आयातित उत्पादों का उत्पादन जैविक उत्पादन हेतु राष्ट्रीय मानकों

के अनुरूप है।

• क्या आयात संबंधी कार्यकलाप एन पी ओ पी के 18.2, अुनभाग 4 के प्रावधानों के अनुसार हैं। इनका उल्लघंन होने की स्थिति में एन पी ओ पी के पैरा 8.2, अनुभाग में उल्लिखित उपायों के प्रवर्तन को लागू किया जाएगा।

• आयातक की भण्डारण सुविधाएं

• आयात संबंधी लेन–देन से संबंधित दस्तावेजों की उत्पादों के स्रोत का पता लगाने हेतु लेखा परीक्षा की जानी चाहिए। पता लगाने संबंधी जांच में संबंधित उत्पाद की प्रकृति और मात्रा तथा परिवहन एवं संवितरण संबंधी व्यवस्था निहित होंगी।

• निर्यातक देश, इत्यादि के निरीक्षण तथा लेन–देन संबंधी प्रमाणपत्र

• क्या आयातित उत्पादों की अन्य जैविक उत्पादों और/अथवा खाद्य पदार्थों से अलग रखा जाता है।

• क्या लाठ्स की पहचान करने तथा इस बात को सुनिशिचित करने हेतु उपाय किए जाते हैं। एन पी ओ पी में निर्धारित नियमों के अनुसार निर्मित न किए गए उत्पादों के साथ नहीं मिलें।

2. पदार्थों की जांच के लिए नमूने लिए जाने चाहिए। तथापि, ये नमूने अनाधिकृत पदार्थ उपयोग करने का संदेह होने पर अवश्य ही लिए जाने चाहिए। प्रत्येक दौरे के पश्चात एक निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए तथा इस पर निरीक्षित एकक के किसी जिम्मेदार व्यक्ति के प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिए।

3. आयातित उत्पादों की उपयुक्त पैकिग अथवा कंटेनरों के संबंध में जांच की जानी चाहिए ताकि इसे किसी और उत्पाद के स्थान पर इस्तेमाल करने से रोका जा सके तथा इसलिए भी जांच की जाए कि पैकेट निर्यातक की पहचान के साथ उपलब्ध कराए गए हैं और उन पर ऐसे निशान लगे हैं तथा तारीख लिखी है जिससे निरीक्षण प्रमाण पत्र वाले लॉट की पहचान हो सके।

4. यदि जांच द्वारा निर्यातक देश से प्राप्त उत्पाद के स्रोत के संबंध में अथवा अनुभाग 4 के पैरा 18.2 के अंतर्गत अस्वीकार्य अन्य देश के निर्यातक से अथवा उत्पाद की जैविक प्रकृति के बारे में कोई संदेह पैदा हो तो इन्हें भारतीय बाजार में

प्रतिष्ठापित करने अथवा आगामी प्रसंस्करण अथवा पैकिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसी शंका के निवारण के उपरांत ही उत्पाद को बाजार में प्रतिष्ठापित किया जाएगा अथवा इसकी आगामी प्रसंस्करण अथवा पैकिंग के लिए अनुमति दी जाएगी।

5. उत्पादों को अन्य एककों, थोक अथवा फुटकर, को केवल उपयुक्त पैकिंग अथवा कंटेनरों में ही भेजे जाने चाहिए जो इस प्रकार से बंद होगे जिससे कि उसे अन्य उत्पादों के स्थान पर इस्तेमाल न किया जा सके तथा उस पर ऐसे लेबल लगे होंगें जिस पर निम्नलिखित बातें लिखी होंगी,

    - उत्पाद के आयातक का नाम तथा पता अथवा ऐसा कोई विवरण जो ग्राही एकक तथा निरीक्षण निकाय को उत्पाद

      के निर्यातक को सुस्पष्टता से पहचानने में सहायता प्रदान करे।

    - उत्पाद का नाम, एन पी ओ पी के अनुभाग 3 के अंतर्गत जैविक उत्पादन पद्धति हेतु संदर्भ सहित

6. निरीक्षण प्रमाणीकरण निकाय आयातक के परिसर, भण्डारण सुविधाओं इत्यादि का वर्ष में कम से कम एक बार पूरा निरीक्षण करेगा। इसके बाद प्रमाणीकरण वर्ष के दौरान किसी भी समय अघोषित दौरे किए जाएंगें।

अनुभाग - 8

फॉरमैटस्

अनुभाग - 8

फॉरमैटस्

उत्पादकों द्वारा किसी उत्पाद विशेष के उत्पादन हेतु अपनायी जाने वाली पद्धतियों के एक निर्दिष्ट पैकेज के अनुपालन को निरूपित करने में समर्थ होने की क्षमता जैविक उत्पादन के लिये सर्वाधिक हितकारी सिद्ध होती है। इस लक्ष्य की सिद्धि हेतु, अपनाये गये चरणों, की गई टिप्पणियों तथा घटनाओं की डायरी का सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड रखने से उपभोक्ताओं के विश्वास को पैदा करने तथा उत्पाद की विश्वसनीयता को स्थोपित करने में मदद मिलेगी। इस प्रकार के रिकॉर्ड्स से समस्याओं के कारणों का पता लगाने तथा डॉटा की विशाल मात्रा में से तथ्यात्मक जानकारीको हासिल करने में भी सहायता प्राप्त होगी।

प्रमाणीकरण एजेन्सी, फार्म स्तर, थोक/खुदरा स्तरों पर तैयार किये जाने वाले फार्म्स के एक उदाहरण युक्त सेट को अभिग्रहण हेतु विनिष्ट किया गया है। जैविक उत्पादन में अन्तर्ग्रस्त सभी एजेन्सियों से विहित फार्म्स में रिकॉर्ड्स को तैयार करने की आशा की जाती है।

किसी किसान द्वारा रिकार्ड को तैयार करने में असमर्थ होने की स्थिति में निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियों को फार्म स्तर के रिकॉर्ड्स को तैयार करने में विशेष सावधानी बरतनी होगी।

फार्म - 1
प्रत्यायन हेतु आवेदन पत्र

1. संगठन/पता : दूरभाष नंबर :
   फैक्स नंबर :
   ई-मेल पता :
2. संपर्क व्यक्ति :
3. स्थापना वर्ष :
4. प्रमाणीकरण का प्रकार :
5. प्रत्यायन तथा विनिमय : क्या आपका संगठन किसी जैविक कार्यक्रम द्वारा पहले से ही प्रत्यायित है ? क्या आपने अन्य प्रमाणकर्ताओं के साथ कोई विनिमय करार किया हुआ है ? यदि हाँ, तो कृपया विवरण दीजिये। (यदि आवश्यक हो, तो अलग से पृष्ठ संलग्न कीजिए)।
6. संगठन तथा संरचना : कर्मचारियों की पाठ्यचर्चा सहित उनकी संख्या। (कृपया संगठन का एक चार्ट बनाइये)
7. संगठन नीति : प्रमाणीकरण समिति के विवरण तथा सदस्यों की पाठ्यचर्चा
8. विगत तीन वर्षों का कार्य निष्पादन/टर्न ओवर :
9. पृष्ठभूमि :
10. आपकी प्रेरणा क्या है ? :
11. क्या आप निरीक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करते हैं ?
12. कृपया अपनी रिकार्ड प्रणाली (उत्पादकों, प्रसंस्करणकर्ताओं, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं के बारे में) का वर्णन कीजिये।
13. अपनी प्रमाणीकरण पद्धतियों का वर्णन कीजिये।
14. क्या आप अवशेषों हेतु जाँच करते हैं ? यदि हाँ, तो किस प्रयोगशाला में आपके नमूनों की जाँच की जाती है ?
15. क्या आपको जैविक खेती की प्रमाणीकरण पद्धतियों तथा कार्यक्रम के बारे में जानकारी है ?
16. आप कौन-कौन से जैविक मापदण्डों का पालन करते हैं ?
17. क्या आपको NSOP तथा NAPP के बारे में जानकारी है ?
18. आप किन-किन उत्पादों को प्रमाणित करने का विचार रखते हैं अथवा प्रमाणित कर रहे हैं ?
19. कृपया जैविक खेती उत्पादों की संकल्पना की 300 शब्दों में व्याख्या कीजिये।
20. कृपया विभिन्न सेवाओं हेतु अपनी टैरिफ संरचनाओं को नियम तथा शर्तों के साथ इंगित कीजिये।
21. अनुलग्नकों की सूची
22. घोषणा :
    उपरोक्त वर्णित समस्त सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

नाम / पदनाम

तिथि/हस्ताक्षर

फार्म - 2

भारत में जैविक उत्पादन हेतु निरीक्षण व प्रमाणीकरण निकाय के रूप में प्रत्यायन के लिए समझौता–ज्ञापन

इस समझौता–ज्ञापन (इसके बाद इसे एम ओ यू कहा गया है) पर..... दिनांक/माह/वर्ष को भारत सरकार के राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय (इसके बाद इसे एन ए बी कहा गया है), जिसका प्रतिनिधित्व कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण (एपीडा), नई दिल्ली ने किया, जहां एक ओर उसका प्रतिनिधित्व श्री ..... ने किया, वहीं दूसरी ओर मेसर्स..... (इसके बाद इसे ..... कहा गया है), जिसका प्रतिनिधित्व श्री ..... ने किया, के बीच हस्ताक्षर किए गए।

भारतीय राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के आधार पर यह एम ओ यू मेसर्स ..... को जैविक उत्पादों हेतु एक निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण निकाय के रूप में कार्य करने के लिए मूल्यांकन व प्रत्यायन के बारे में सभी आवश्यक पूर्व–शर्ते प्रदान करता है।

1. मेसर्स..... भारतीय परियोजनाओं के जैविक उत्पादों के निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण हेतु एक कार्यालय स्थापित करेगा।

2. मेसर्स..... मूल्यांकन समिति को अपने प्रमाणीकरण कार्य–निष्पादन के साथ–साथ प्रमाणित प्रचालनों के सभी प्रलेखों के प्रस्तुतीकरण के बारे में सभी आवश्यक सूचना प्रदान करेगा।

3. मेसर्स..... मूल्यांकन समिति को फील्ड मूल्यांकन के दौरान मूल्यांकन की प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेगा।

4. मेसर्स..... इसके अतिरिक्त सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा और फील्ड मूल्यांकन के दौरान सूचना के सभी साधन प्रदान करेगा।

5. मेसर्स..... राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अपना निरीक्षण, मूल्यांकन और प्रमाणीकरण कार्य पूरा करेगा। इसके अतिरिक्त ....., मेसर्स..... ऐसी सुविधाएं प्रदान कर सकता है, जो एन पी ओ पी के विरूद्ध नहीं हैं।

6. मेसर्स..... अनुबद्ध फॉरमेट में प्रचालकों से लिए जाने वाले अपने वार्षिक शुल्क निर्धारित करेगा, जिनका भुगतान भारतीय रुपयों में किया जाएगा।

7. मेसर्स..... मूल्यांकन और उनके ग्राहकों द्वारा भुगतान किए जाने के बाद एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। मेसर्स..... अनुलग्नक–1 में बताए गए तरीके के अनुसार प्रचालकों से शुल्क की वसूली करेगा।

8. मेसर्स..... एतद्द्वारा प्राधिकृत है और सभी प्रलेखों के प्रस्तुतीकरण/उत्पाद पर ''भारत जैविक'' लोगो के लेबल का प्रयोग करेगा तथा वह जैविक उत्पादों हेतु प्रमाणीकरण से संबंधित विनियमों के प्रावधानों के अनुसार लोगो के प्रयोग के बारे में लाइसेंस मंजूर करने के लिए भी प्राधिकृत है।

9. मेसर्स..... एपीडा को प्रतिवर्ष 31 जनवरी तक एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इस वार्षिक रिपोर्ट में प्रमाणीकरण कार्यक्रमों में नवीनतम घटनाक्रमों, जैसे– प्रमाणित प्रचालकों की संख्या (रूपांतरणाधीन/रूपांतरित) प्रचालनों का भौगोलिक क्षेत्र, कुल वित्तीय कारोबार, कार्मिकों में बदलाव, मानक लागू करने में अनियमितताएं बरतते या उल्लंघन करते पाए गए प्रचालकों, निर्यात किए उत्पादों की मात्रा व उसका मूल्य तथा गंतव्य स्थान के बारे में अद्यतन जानकारी शामिल की जाएगी।

10. यह एम ओ यू दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर करने के दिनांक से तीन साल तक वैध रहेगा, यदि इसके पहले मेसर्स..... ..... द्वारा इसमें दिए गए प्रावधानों और एन पी ओ पी का उल्लंघन कर निरस्त न कर लिया जाए। यदि एन पी ओ पी के मानदण्डों के अनुसार कार्य–निष्पादन किया जाता है तो इस उद्देश्य से प्राधिकृत मूल्यांकन समिति के मूल्यांकन के आधार पर इस एम ओ यू का बाद में पुनर्नवीकरण किया जाएगा। कार्य–निष्पादन न करने पर समीक्षा के बाद यह एम ओ यू रद्द कर दिया जाएगा।

दिनांक/माह/वर्ष
कृते मेसर्स.....
कृते राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय

श्री .....
(पदनाम) चेयरमैन
पता कृषि तथा
प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

(एपीडा), नई दिल्ली

भारतीय प्रचालकों से रुपयों में लिए जाने वाले वार्षिक शुल्कों का फॉरमेट

मद	केवल एन पी ओ पी पर प्रमाणीकरण	भारतीय और विदेशी मानकों पर प्रमाणीकरण (रुपयों में)	टिप्पणियां
निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण के लिए शुल्क	..... प्रतिदिन ..... प्रति घंटा	..... प्रतिदिन ..... प्रति घंटा	निरीक्षण दौरों और प्रमाणीकरण कार्य की तैयारियों के लिए
यात्रा समय के लिए शुल्क	..... प्रतिदिन ..... प्रति घंटा	..... प्रतिदिन ..... प्रति घंटा	.....
यात्रा के खर्च	वास्तविक	वास्तविक	यात्रा, भोजन और आवास, जहां कहीं लागू हो
स्कोप प्रमाणपत्र के लिए शुल्क	1000/-	.....	व्यापक रूप से मान्यता वाले प्रमाणपत्र का अतिरिक्त मूल्य
प्रत्येक संव्यवहार प्रमाणपत्र के लिए शुल्क, यदि आवश्यक है	500/-	1000/-	.....
रासायनिक विश्लेषण, यदि आवश्यक है	वास्तविक लागत	वास्तविक लागत	मृदा नमूने, जल नमूने, पत्तियों के नमूने और उत्पाद के नमूने

उपरोक्त भाुल्क ढांचे में दभारइर् गइर् मदें भन्नि–भन्नि श्रेणियों के लिए भन्नि–भन्नि दरों के साथ एक समान होंगी, जैसे–

क. लघु धारक समूह
ख. उत्पादक समूह
ग. वैयक्तिक किसान
घ. लघु प्रसंस्करणकर्ता
ङ. सम्पा ि
च. मझौले आकार के प्रसंस्करणकर्ता
छ. विनिर्माता / निर्यातक / आयातक।

फार्म - 3

प्रमाणीकरण हस्तांतरण हेतु संविदा फार्म
(विदेशी प्रमाणीकरण कार्यक्रमों हेतु)

1. पक्षकार :

यह संविदा इन दो पक्षकारों के मध्य संपन्न तथा हस्ताक्षरित की गई जिन्हें इसके बाद से :

_____

_____ जिसका प्रतिनिधित्व _____के द्वारा किया गया

(निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजन्सी)

और

_____ जिसका प्रतिनिधित्व _____के द्वारा किया गया।

(राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय की ओर से एपीडा)

2. सामान्य :

बहु-अवयव उत्पादनों के व्यापारिक कार्यकलापों तथा प्रसंस्करण के फलस्वरूप यह संभावना उत्पन्न हो जाती है कि विभिन्न कार्यक्रमों के प्रमाणपत्रों के अंतर्गत आने वाले उत्पादों को एक अंतिम उत्पाद में हैण्डिल तथा अथवा मिश्रित कर दिया जाये। ऐसी किसी भी स्थिति में, राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय अनुमोदन का अंतिम प्राधिकरण होगी। राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय की ओर से एपीडा ऐसे सभी प्राधिकरण कार्यक्रमों की एक सूची को जारी करती है जिनको (गहन जाँच-पड़ताल के पश्चात्) प्रत्यक्षरूप से प्रत्यायित कार्यक्रमों के समतुल्य पाया गया।

3. प्रयोजनः

इस संविदा में राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय द्वारा प्रत्यायित एजेन्सियों द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्रों के समतुल्य के रूप में पूर्वोल्लिखित प्रमाणकर्ता द्वारा प्रदान किये गये प्रमाणपत्रों की सामान्य स्वीकृति तथा सावधिक पुनर्मूल्यांकन हेतु आवश्यक पूर्वशर्तों का प्रावधान किया गया है।

4. विलेखः

राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय के अनुरोध पर, निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी अपने प्रमाणीकरण कार्यनिष्पादन के सावधिक मूल्यांकन हेतु आवश्यक समस्त सूचना तथा साथ ही प्रमाणित प्रचालकों तथा उत्पादों हेतु समस्त प्रलेखन को भी उपलब्ध करायेगी। निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी उत्तरदायित्व के दोनों में से किसी भी क्षेत्र में बाजार सर्वेक्षण, पारदर्शिता तथा नियंत्रण को अनुकूलतम बनाने में सभी संभव तरीकों से राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय को समर्थन प्रदान करेगी।

इसके अतिरिक्त, निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी जैविक उत्पादों हेतु अपनी निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण पद्धतियों की गुणवत्ता की दृष्टि से प्रासंगिक मानकों, स्कोप, और विधियों में किसी भी परिवर्तन के विषय में राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय को सूचित करेगी।

5. वित्तपोषणः

अनुरोध की गयी समस्त सूचना तथा समर्थन को निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। इसकी एवज में राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय इस प्रमाणीकरण हस्तांतरण के पंजीकरण हेतु कोई शुल्क वसूल नहीं करेगी।

6. अवधिः

यह संविदा एक सीमित अवधि के लिये की जाती है। राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय के निर्णय के द्वारा बिना किसी पूर्व चेतावनी के इसको रद्द किया जा सकता है।

7. उत्तरदेयता:

इस संविदा से अथवा किसी भी पक्षकार द्वारा इसको रद्द किये जाने पर कोई उत्तरदेयता उत्पन्न नहीं होती है।

_____	_____
स्थान तथा तिथि	स्थान तथा तिथि
_____	_____
हस्ताक्षर, XXXX	हस्ताक्षर, XXXX

फार्म - 4

उत्पाद प्रमाणपत्र जारी करने हेतु अनुरोध के लिये फॉरमैट

उत्पादक को ओर से
प्रमाणकर्ता हेतु

_____
_____
_____

महोदय,

विषय : उत्पाद प्रमाणपत्र जारी करने हेतु अनुरोध

1. निर्यातक/उत्पादक का नाम एवं पता
2. आयातक/क्रेता का नाम एवं पता
3. व्यापारी निर्यातक का नाम एवं पता
4. उत्पाद - बीजकपत्र सं. तथा तिथि
5. गुणवत्ता/अवस्थिति (जैविक/रूपान्तरणाधीन जैविक - प्रथम अथवा द्वितीय वर्ष)
6. उत्पाद की उत्पत्ति
7. निवल भार/सकल भार
8. पैदावार का वर्ष
9. आंतरिक ढेरी सं.
10. पैकिन्ग यूनिटों की सं. तथा प्रकार
11. टिप्पणियाँ

भवदीय,

उत्पादक के हस्ताक्षर

फार्म - 5

फार्म प्रमाणपत्र हेतु फॉरमैट

प्रमाणकर्ता की प्रत्यायन सं.

प्रमाणकर्ता का नाम एवं पता

फार्म प्रमाणपत्र

सं.

फार्म का नाम एवं पता

उत्पाद श्रेणी

फार्म का भू-क्षेत्र

प्रसंस्करण यूनिट का आकार

संचालित निरीक्षण तथा समझौता-ज्ञापन के आधार पर, प्रमाणकर्ता (नाम) इसके साथ ही प्रमाणित करता है कि उपरोक्त प्रचालन NSOP की जैविक विधियों के अनुसार उत्पादन करता है।

तिथि _____

स्थान _____ हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण की वैधता मुहर

फार्म - 6

उत्पाद प्रमाणपत्र हेतु फॉरमैट

उत्पाद प्रमाणपत्र

सं.

उत्पाद :

गुणवता :

पैदावार :

उत्पत्ति :

पैकिन्ग यूनिट :

निवल भार :

बीजकपत्र सं. :

विक्रेता का नाम एवं पता :

क्रेता का नाम एवं पता :

घोषणा :

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नामित उत्पादों को जैविक उत्पादन के उत्पादन तथा निरीक्षण और जैविक उत्पादन विधि के प्रचालन के नियमों के अनुसरण में प्राप्त किया गया है, जैसाकि NSOP द्वारा निर्धारित किया गया है तथा जिसकी _____ (प्रमाणकर्ता का नाम) के द्वारा निगरानी की गई।

तिथि _____ हस्ताक्षर

स्थान _____ मुहर

फार्म -7

प्रमाणीकरण हस्तांतरण रजिस्टर

आवेदन का क्षेत्र :

इस रजिस्टर में उन सभी विदेशी प्रमाणीकरण कार्यक्रमों अथवा प्रत्यायन योजनाओं को सम्मिलित किया जायेगा जिन्हें NSOP के समतुल्य पाया गया हो। किसी भी पंजीकृत विदेशी कार्यक्रमों के प्रमाणित जैविक उत्पादों को भी प्रत्यायित घरेलू कार्यक्रमों के प्रमाणित उत्पादों के साथ ही विपणन करने पर भी विचार किया जायेगा।

रजिस्टर :

विदेशी प्रमाणीकरण कार्यक्रम

देश	कार्यक्रम का नाम	क्षेत्र	प्रतिबंध	निर्णय
ABC	XYZ	खाद्य उत्पादन खाद्य प्रसंस्करण वन्य उत्पाद वस्त्र आंतरिक प्रमाणीकरण	वार्षिक पर्यवेक्षण रिपोर्ट अथवा टिप्पणी	तिथि

विदेशी प्रत्यायन योजनाएँ

देश	योजना का नाम	क्षेत्र	प्रतिबंध	निर्णय
यूरोप	EEC, EEC-Reg. 2092/91 का क्रियान्वयन	खाद्य उत्पादन खाद्य प्रसंस्करण	-पशु उत्पादों -वस्त्र -वन्य उत्पादों परलागू नहीं होती	तिथि
अंतर्राष्ट्रीय	IFOAM	खाद्य उत्पादन खाद्य प्रसंस्करण वन्य उत्पाद	- वस्त्र - वन्य उत्पादों पर लागू नहीं होती	तिथि

वैधता:

इस रजिस्टर का वार्षिक रूप से पुनर्नवीकरण किया जायेगा।

यह निर्गम:

1. चालू संख्या
2. निर्गम तिथि
3. प्रवर्तन तिथि

फार्म - 8

आवेदन-पत्र आयात/संव्यवहार-प्रमाणपत्र

लाइसेंसधारी का नाम : .....
लाइसेंस धारी-संख्या : .....
क्रेता/निर्यातक का नाम : .....

पता : .....
देश : .....

अंतिम उत्पादक अथवा प्रसंस्करणकर्ता का नाम : .....
पता : .....
देश : .....

उत्पाद का व्यापारिक नाम : .....
प्रेषण/उत्पत्ति का देश : .....
अवास्थिति ☐ जैविक ☐ जैविक में रूपान्तरणाधीन
सकल तथा निवल मात्रा सकल: ..... निवल: .....
अथवा वैकल्पिक यूनिटें वैकल्पिक यूनिटें.....
पैक किया हुआ अथवा थोक ☐ थोक ☐ की यूनिटों में पैक किया गया
तिथि के साथ बीजक पत्र : .....
परिवहन दस्तावेज सं : .....
आदान-सं. : .....
पहचान-कोड (उदाहरणार्थ ढेरी सं.) : .....
पैदावार/उत्पादन वर्ष : .....

परेषिती/क्रेता का नाम : .....
पता : .....
देश : .....
गंतव्य-स्थल का पता : .....
(परेषिती/क्रेता के पते से भिन्न होने की स्थिति में ही भरा जायेगा)

प्रमाण पत्र भेजा जाये ☐ विक्रेता/निर्यातक ☐ क्रेता/परेषिती

मैंने पूरी सत्यता के साथ समस्त आवश्यक सूचना को भर दिया है तथा मैंने
☐ **बीजक पत्र और** ☐ **अंतर्ग्रस्त परिवहन दस्तावेजों की प्रतियों को भी संलग्न कर दिया है।**

तिथि: ..... आवेदक का नाम तथा हस्ताक्षर .....

फार्म - 9

प्रसंस्करण यूनिटों एवं किसानों के लिए वार्षिक प्रश्नावली

(निरीक्षण के समय उपलब्ध कराये जाने हेतु)

.....

1. आधारभूत डॉटा

.....

		टिप्पणियाँ
प्रचालक	क)	
पता	ख)	
निकटतम रेलवे स्टेशन		
निकटतम एयरपोर्ट		
टेलिफोन /फैक्स	ग)	
फार्म/प्रसंस्करण यूनिट पर जिम्मेदार व्यक्ति	घ)	
प्रबंध निदेशक	ड.)	

.....

2. परिवर्तनों से संबंधित सूचना

.....

पिछली/प्रश्नावली को भरे जाने के बाद से निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

जहाँ पर लागू हो, कृपया चिह्नित करें			कृपया अनुलग्नकों को तदनुसार संख्याकित कीजिये	टिप्पणियाँ
शााखा	परिवर्तन			
	हाँ	नहीं		
विधिक फार्म				
प्रचालक की संरचना				
उतरदायित्वों में परिवर्तन				
संरचना में परिवर्तन				
उत्पादन-स्थल				
गैर-जैविक उत्पादन की विविधता				
आपूर्तिकर्ता				

जहां कहीं लागू हो, वहां निशान लगाएं				
शाखा	परिवर्तन		कृपया अनुलग्नकों के अनुसार स्पष्टीकरणों को संख्याकित कीजिये	टिप्पणियाँ
	हाँ	नहीं		
रेसीपीज				
प्रसंस्करण विधियाँ				
पैकिन्ग				
लेबल				
लाइसेन्स संविदाएँ				
हिसाब किताब				
पहचान प्रणाली				
गुणवत्ता नियंत्रण				
स्वच्छता उपाय				
वितरण पणाली				
ग्राहक-गण/विक्रय-प्रणाली				
क्रय प्रणाली				
अन्य				

.....

3. कुल कारोबार

.....

		टिप्पणियाँ
कृपया पिछले हिसाब–किताब के आधार पर अपनी कंपनी के निम्नलिखित आंकड़े सम्मिलित करें।		
कारोबार का कुल परिमाण	समाप्ति वर्ष ..... रुपये.....	
कारोबार जैविक उत्पाद	समाप्ति वर्ष ..... रुपये.....	

4. गुणवत्ता नियंत्रण

	टिप्पणियाँ
क्या पिछली प्रश्नावली के बाद से आपने कोई अवशेष विश्लेषण संचालित किया था? यदि हाँ, तो किस प्रकार का, कितने तथा किसके द्वारा? (कृपया) परिणामों की प्रतियों को संलग्न करें)।	

5. अनुलग्नकों की सूची

		टिप्पणियाँ
कृपया उन सभी दस्तावेजों को सूचीबद्ध तथा संख्याकित कर दीजिये जिनको आपने प्रश्नावली के साथ संलग्न किया है।		
कोड	शीर्षक	
	लेबलों का नमूना प्रचार सामग्री का नमूना चालू मूल्य सूची	

प्रचालक

जिसका प्रतिनिधित्व

द्वारा किया गया है, इसके साथ ही यह विश्वास दिलाता है, कि प्रस्तुत की गयी समस्त सूचना सत्य तथा अद्यतन है।

स्थान/तिथि हस्ताक्षर

फार्म 10

वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप

10 ए इनपुट रिकोर्ड

तिथि: _____ प्रचालक: _____ अवधि: _____

कोड		उत्पाद	उत्पत्ति	गुणवत्ता	प्रमात्रा	आपूर्तिकर्ता	तिथि	बीजक पत्र-संख्या (एस)
उत्पाद	नुस्खा							

अनुलग्नक

---

10 बी विक्रय रिकोर्ड

तिथि: _____ प्रचालक: _____ अवधि: _____

कोड		उत्पाद	गुणवत्ता	प्रमात्रा	विक्रय का दिन / अवधि	बीजक पत्र संख्या (यें)	(तिथि: ----) को मौजूद स्टाक
उत्पाद	नुस्खा						

10 सी प्रसंस्करण रिकोर्ड

उत्पाद :

.....

पद्धति:

.....

प्रसंस्करण का स्थल:

.....

तिथि	अपूर्ण उत्पाद		तैयार उत्पाद		पैकिन्ग यूनिट	लेबलिन्ग / उद्घोषणा
	कच्चा माल अथवा नुस्खे हेतु यूनिट	प्रमात्रा किग्रा, l	विशेष विवण	प्रमात्रा किग्रा, l		

10 डी स्टॉक रिकोड

स्टाक

तिथि		प्रचालक
कोड फार्म पत्र	B.....	कक्ष

वस्तु सूची की तिथि	उत्पाद कोड	उत्पाद	प्रमात्रा	यूनिट	गुणवत्ता

10 ई सफाई प्रक्रिया का रिकोर्ड

तिथि: _____ प्रचालक: _____ अवधि: _____

विगत् 12 महीनों के दौरान हमारे द्वारा सफाई तथा कीट नियंत्रण हेतु निम्नलिखित रूप से उपाय किये गये:

कक्ष		उपाय	प्रयोजन	पद्धति		अनुवर्ती कार्यवाही
कोड सं.	नाम			तिथि	प्रयुक्त की गई अनुषंगी सामाग्रियाँ (नाम, संकेन्द्रण)	

फार्म - 11

ऑफ फार्म इनपुट अनुमति फार्म

1. प्रचालन

नाम:		
पता:	स्थान:	
फोन/फैक्स:	पिनकोड:	लेबल्स:

2. अनुमोदनार्थ उर्वरण

उर्वरक (संयोजन, किस्म, नाम)	उत्पत्ति (आपूर्ति कर्ता का नाम)	प्रयोग में लायी जाने वाली प्रमात्रा	अनुप्रयोग की अवधि

3. भू भाग

क्षेत्र (संख्या,नाम)	फसल	उर्वरक (नाम, किस्म)	किग्रा/हेक्टे. में अनुप्रयोग	अनुप्रयोग का समय

4. मृदा विश्लेषण

तिथि	क्षेत्र	प्रयोगशाला	परिणाम (स्तर)				
			N	P	K	Mg	Ca

5. पुष्टिकरण

अधोहस्ताक्षरी इसके साथ ही अपनी पूरी जानकारी के साथ पुष्टि करता है कि उपरोक्त सूचना सत्य है:

परामर्शक :

स्थान, तिथि, हस्ताक्षर

प्रचालक :

स्थान, तिथि, हस्ताक्षर

6. निरीक्षक की सिफारिश

परामर्शक :

सिफारिशें (यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त पृष्ठों का प्रयोग करें)

लेबल योजना :

7. निर्णय (निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा भरा जायेगा)

अनुरोध प्राप्त हुआ..... प्रचालक को निर्णय..... निरीक्षक को निर्णय.....

- ☐ निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुरोध अनुमोदित किया गया:
- ☐ अनुरोध अनुमोदित नहीं किया गया:
- ☐ अनुरोध को सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित किया गया:

प्रमाणीकरण एजेन्सी

स्थान, तिथि, हस्ताक्षर, मुहर

फार्म - 12

जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण चिह्न विनियम, 2002 के अंतर्गत प्रमाणीकरण चिह्न के प्रयोग हेतु लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन

1.मैं/हम,जो _____

शैली के अधीन_____

पर अपना व्यवसाय संचालित करता हूँ/करते हैं, एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप से सूचीबद्ध ऐसे उत्पाद/प्रक्रिया के संदर्भ में "India Organic" लोगो प्रमाणीकरण के प्रयोग हेतु लाइसेन्स हेतु आवेदन करता हूँ/करते हैं, जो कि राष्ट्रीय जैविक उत्पाद मानकों के प्रतिमानों तथा पद्धतियों के अनुरूप हैं:

क) **उत्पाद _____

प्रकार _____

आकार _____

ग्रेड _____

जैविक उत्पादों हेतु मानकों के संबंद्ध प्रतिमान

ख) **प्रक्रिया _____

जैविक उत्पादों हेतु मानकों के संबंद्ध प्रतिमान

2. उपरोक्त उत्पाद का _____ के द्वारा विनिर्माण किया गया।

इस प्रक्रिया को_____ स्थान का नाम पर संचालित किया गया।

(पता)

* जो भी लागू न हो, उसे काट दें।

** एक आवेदन में (क), (ख) के अंतर्गत दोनों मदों में से किसी एक को ही लिया जा सकता है, दूसरे मद को काट दें।

3. क) मेरी/हमारी फर्म के शीर्ष प्रबंधन की संरचना निम्नलिखित रूप में है:

क्रम संख्या	नाम	पदनाम

ख) मैं/हम उपर्युक्त संरचना में कोई भी परिवर्तन किये जाने की स्थिति में यथाशीघ्र निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी को सूचित करने की प्रतिज्ञा करता हूँ/करते हैं।

4. मैं/हम एतद्द्वारा फर्मों अथवा सोसाइटियों/कम्पनियों के रजिस्टार/उद्योगों के निदेशक (लघु उद्योग एककों के संबंध में)अथवा अन्य समान प्राधिकरण के द्वारा जारी किये गये निगमन के प्रमाण पत्र की एक सत्यापित प्रति/फोटो कापी को संलग्न करता हूँ/करते हैं जिसमें फर्म का नाम तथा उसके उत्पादन स्थल को अधिप्रमाणित किया गया है।

1. क) मेरे/हमारे पास संलग्न सूची के अनुसार तथा जैविक उत्पादों हेतु मानकों के प्रतिमानों और पद्धतियों के अनुसार जाँच व्यवस्थाएँ मौजूद हैं।

अथवा

ख) जैविक उत्पादों हेतु मानकों के प्रतिमानों और पद्धतियों के अनुसार निम्नलिखित जाँच व्यवस्थाओं का प्रबंध करना अभी शेष है:

ग) प्रत्यायित प्रयोगशाला के विवरण

नाम	कार्य

क) हमारे द्वारा प्रयुक्त ट्रेड मार्क /ब्रांड नाम निम्नलिखित है:

ख) मैं/हम निम्नलिखित ट्रेड मार्क /ब्रांड नाम के साथ India Organic लोगो प्रमाणीकरण हेतु आवेदन करना चाहता हूँ/चाहते हैं:

ग) India Organic प्रमाणीकरण चिह्न के साथ प्रयुक्त किये जाने हेतु प्रस्तावित ट्रेड मार्को /ब्रांड नामों की पंजीकरण सं. तथा तिथि

अथवा

पंजीकरण नहीं होने की स्थिति में, मैं/हम ट्रेड मार्क /ब्रांड नाम के समर्थन में प्रचार/पैकिन्ग सामग्री आदि के रूप में प्रलेखी साक्ष्य को संलग्न करता हूँ/ करते हैं।

5. मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार उक्त उत्पाद/प्रक्रिया के उत्पादन आँकडें तथा उनके मूल्य और प्राक्कलन निम्नलिखित रूप से हैं:

वर्ष	**उत्पादन**	**यूनिट**	**मूल्य रूपये में**
पिछले वर्ष			
_____से			
_____तक			
चालू वर्ष			
_____से			
_____तक			
(प्राक्कलन)			

6. उक्त उत्पाद/प्रक्रिया की जैविक उत्पादों हेतु मानकों के संबंद्ध प्रतिमानों तथा पद्धतियों के साथ अनुरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से

* मैं/हम यहाँ पर संलग्न विवरणिका में वर्णित निरीक्षण तथा परीक्षण की योजना का प्रयोग करता हूँ/करते हैं/करने का इरादा रखता हूँ/रखते हैं/ समस्त निरीक्षणों तथाा परीक्षणों के रूटीन रिकार्डों को विवरणिका में निर्दिष्ट फार्म में रखा जाता है/जायेगा/ मैं/हम आगे अपनी निरीक्षण तथा परीक्षण योजना को सुधारने, संशोधित अथवा परिवर्तित करने की प्रतिज्ञा करता हूँ/ करते हैं जिससे कि उसको आपके द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट स्वरूप के अनुरूप ढाला जा सके।

** मेरे/ हमारे पास इस समय निरीक्षण तथा परीक्षण की कोई भी योजना प्रचालन में नहीं है। तथापि् मैं/हम निरीक्षण तथा परीक्षण एजेन्सी के द्वारा संस्तुत योजना को प्रचालन में लाने की प्रतिज्ञा करता हूँ/करते हैं।

7. निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा कोई भी प्रारांभिक जाँच किये जाने की स्थिति में, मैं/हम अपने यहाँ पर उपलब्ध समस्त तर्कसंगत सुविधाओं को निरीक्षण प्रमाणीकरण एजेन्सी को उपलब्ध कराने को सहमत हूँ/हैं तथा मैं/हम उक्त जाँच के समस्त व्ययों का भुगतान करने पर भी सहमत हूँ/हैं जिसमें निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा यथा आवश्यकतानुसार परीक्षण हेतु शुल्क भी साम्मिलित हैं।

मैं/हम अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि स्थल का प्रारंभिक निरीक्षण _____ (तिथि इंगित करिये) तक कर लिया जाये।

अथवा

मैं/हम प्रारंभिक निरीक्षण के संचालन हेतु उपयुक्त समय, तिथि आदि के बारे में सूचित कर दूंगा/देंगे ।आवेदन किये गये उत्पाद का उत्पादन शुरूकिये जाने पर और जब मैं/हम नमूनों को एकत्र किये जाने के लिये तैयार हो जाऊँगा/जायेंगे, तो शीघ्र ही दूंगा/देंगे।

8. क) प्रमाणित किया जाता है कि पहले जब मैंने/हमने आवेदन किया था तथा आवेदन संख्या _____थी, तो _____ के कारण लाइसेन्स नहीं मिल पाया था।

ख) प्रमाणित किया जाता है कि मेरे/हमारे पास CMS/T, सं. _____था जोकि निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी की ओर से पत्र सं. _____ दिनांकित _____के द्वारा

_____ के कारण समाप्त/रद्द कर दिया गया था।

ग) मुझे/हमें अपने किसी भी ऐसे कार्य हेतु निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा कभी भी चेतावनी/परामर्श नहीं दिया गया था जो कि जैविक उत्पादों हेतु मानकों के प्रतिमानों तथा पद्धतियों का उल्लंघन करता हो।

अथवा

मेरे/हमारे द्वारा जैविक उत्पादों हेतु मानकों के प्रतिमानों तथा पद्धतियों का उल्लघंन करने पर प्राप्त की गई चेतावनी/परामर्श के विवरण निम्नलिखित हैं

_____

_____

9. मैं/हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि आवेदन पत्र में उपरोक्त वर्णित किसी भी सूचना के गलत पाये जाने की स्थिति में, आवेदन को उसी समय अस्वीकृत कर दिया जाये।

10. यदि लाइसेन्स प्रदान कर दिया जाता है और जितनी अवधि तक वह प्रभावी रहता है, तौ मैं/हम एतद्द्वारा लाइसेन्स के सभी नियम एवं शर्तों तथा विहित विनियमों का पालन करने की प्रतिज्ञा करता हूँ/करते हैं। लाइसेन्स को निलंबित अथवा रद्द किये जाने की स्थिति में, मैं/हम यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ/करते हैं कि लाइसेन्स में शामिल किसी भी उत्पाद पर प्रमाणीकरण चिह्न का प्रयोग करना तत्काल प्रभाव से रोक दूंगा/देंगे तथा समस्त संबंद्ध विज्ञापन मामलों को वापस ले लूँगा/लेंगे और पूर्वोक्त विनियमों के प्रावधानों को पूरा करने हेतु आवश्यक अन्य सभी कदमों को तत्काल प्रभाव से उठाऊँगा/उठायेंगे। लाइसेन्स प्रदान किये जाने की स्थिति में, हम पूर्वोक्त विनियमों में अन्तर्विष्ट प्रत्येक प्रावधान का अनुपालन करने की प्रतिज्ञा करते हैं।

इस तारीख का दिन

हस्ताक्षर _____

नाम _____

पदनाम _____

हेतु तथा की ओर से_____

_____

(फर्म का नाम)

फार्म - 13

India Organic लोगो प्रमाणीकरण चिह्न के प्रयोग हेतु लाइसेन्स

लाइसेन्स सं. CMS -

1. India Organic इण्डिया आरगैनिक लोगो के प्रमाणीकरण चिह्न से संबंधित विनियमों के द्वारा निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सी में विहित शक्तियों के अधिकार से, वह एतद्द्वारा

   (जिसे आगे चलकर "लाइसेन्सी" के नाम से पुकारा जायेगा) को India Organic लोगो प्रमाणीकरण चिह्न का प्रयोग करने हेतु यह लाइसेन्स, जैसाकि इसके साथ प्रथम अनुसूची के प्रथम कालम में निर्धारित किया गया है, और जोकि उक्त अनुसूची के दूसरे कालम में निर्धारित उत्पाद/प्रक्रिया के लिये अथवा संदर्भ में, जिसे कि जैविक उत्पादों हेतु मानकों के संबंध प्रतिमानों तथा पद्धतियों के अनुसरण में/अनुरूप उत्पादित अथवा प्रसंस्करण किया गया है, प्रदान किया जाता है।

2. इस लाइसेन्स में उक्त उल्लिखित विनियमों में विनिर्दिष्ट अधिकार तथा उत्तरदेयताएँ निहित हैं।
3. यह लाइसेन्स _____ से_____ तक वैध रहेगा।
4. इस लाइसेन्स को_____ को_____ इस शर्त के अध्यधीन प्रदान किया जाता है कि जैविक उत्पाद (प्रमाणीकरण) विनियम, 2002 में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अध्यधीन रहने हेतु सहमत हैं।

हस्ताक्षरित, मुहरबंद तथा दिनांकित के दिन

प्रत्यायित निरीक्षण तथा
प्रमाणीकरण एजेन्सी हेतु

प्रथम अनुसूची

प्रमाणीकरण चिह्न (1)	उत्पाद (2)

फार्म - 14

उद्घोषणा

सेवा में,
अध्यक्ष,
प्रत्यायन एजेन्सी

मैं/हम,..... उद्धोषणा करते हैं कि हमें INDIA ORGANIC लोगो का प्रयोग करने का लाइसेन्स सं. ..... दिनांकित..... प्रदान किया गया है तथा हम मार्च, 2002 के कृषि उत्पादों हेतु प्रमाणीकरण चिह्न, INDIA ORGANIC लोगो हेतु विनियमों के अध्यधीन रहने की प्रतिज्ञा करते हैं।

दिनांकित